

Annexure-I**Addendum no. 2 HQI 8001 (R-1) (GCC for Works and Maintenance Contract):**

S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
1.	4.2.11 (New Clause)	—	<p>Cases where IP (Integrity Pact) is applicable:</p> <p>After the release of the EMD, the SD (i.e., Performance Guarantee plus available Retention Money) will serve the purpose of Integrity Pact Security seamlessly during execution of Contract and till the completion of the defect liability period (if applicable), or 12 months from the date of the last payment/final bill payment, whichever is later. In such case, for any violation/breach of the Integrity Pact by the Contractor, the SD (i.e., Performance Guarantee plus available Retention Money), shall be forfeited.</p> <p>The Contractor shall initially submit Performance Guarantee, as per relevant clauses of Contract to start with. However, the Contractor will also be required to extend the validity of Performance Guarantee, till validity of the IP if required. The Performance Guarantee and Retention Money will be released after completion of the defect liability period (if applicable), or 12 months from the date of the last payment/final bill payment, whichever is later.</p> <p>If contract security is waived/not available for seamless commitment towards IP, action as per Contract conditions & IP shall be taken against any violation of IP.</p> <p>Further, in case of MSE/Startup, if any contract security is waived/not available for seamless commitment towards IP, the relevant authority of MSE/Startup with whom Contractor is registered shall be informed for any violation of IP.</p>
2.	4.3.3 (New Clause)	—	Security Deposit i.e., Performance Guarantee & Retention Money will be withheld till the contractor complies with all the statutory requirements.



S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
3.	11.3.4	<p>The actual amount of price adjustment shall be determined by.....</p> <p>SUBSCRIPT: '0' - refers to the values of the above-mentioned Minimum Wages/ Material indices/ Petrol price applicable to previous month prior to the date of submission of tenders (In case of two part tender the date of submission of Part 1 shall be taken).</p> <p>'1' - refers to the values of corresponding Minimum Wages, Material indices/ petrol price as applicable for the month prior to the month in which the work is executed for which adjustment is applicable, respectively.</p>	<p>The actual amount of price adjustment shall be determined by.....</p> <p>SUBSCRIPT: '0' - refers to the values of the above-mentioned Minimum Wages/ Material indices/ Petrol price applicable to previous month prior to the date of submission of tenders (In case of two part tender the date of submission of Part 1 shall be taken). In case of retrospective revision in Minimum wages by Government notification, the applicable indices for labour shall be taken as the prevailing Minimum Wages (as notified till the date of submission of tenders) as on the last day of the previous month prior to the date of submission of tenders.</p> <p>'1' - refers to the values of corresponding Minimum Wages, Material indices/ petrol price as applicable for the month prior to the month in which the work is executed for which adjustment is applicable, respectively.</p>
4.	11.3.8	<p>In the case of materials brought to site for which any secured advance is included in the bill; the full assessed value of such advance shall be added to the cost of work shown in the bill for operation of this Clause. Similarly, when such materials are incorporated in the work and secured advance is deducted from the bill, the full assessed value should be deducted from the cost of the work</p>	<p>In the case of materials brought to site for which any secured advance is included in the bill, the value of such advance shall be added to the cost of work shown in the bill for operation of this Clause. Similarly, when such materials are incorporated in the work and secured advance is deducted from the bill, the value of secured advance actually paid corresponding to the quantity of material used and measured in the bill should be deducted from the cost of the work shown in the bill, running or final.</p> <p>Further;</p> <p>a) For contracts with a contractual completion time of up to 2 years, unadjusted secured advance should be recovered through the next RA bill after expiry of 120 days from the issue of such secured advance.</p>

S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
		shown in the bill, running or final.	b) For contracts with a contractual completion time of more than 2 years, unadjusted secured advance should be recovered through the next RA bill after expiry of 270 days from the issue of such secured advance.
5.	12.2.1	Running bills shall be submitted, monthly by the Contractor for the work executed during the previous month along with all supporting documents on the format prescribed by the Corporation. The Engineer-in-Charge shall then arrange to have the bill verified. Where ever applicable (as defined in Schedule A) the Contractor will submit the bills in a soft form, which shall be in the format as required by the Engineer-in-charge.	Running bills shall be submitted, monthly by the Contractor for the work executed during the previous month along with all supporting documents on the format prescribed by the Corporation. The Engineer-in-Charge shall then arrange to have the bill verified. Where ever applicable (as defined in Schedule A) the Contractor will submit the bills in a soft form, which shall be in the format as required by the Engineer-in-charge. Before release of each Running Bill, the statutory compliances by the contractor will be monitored and the bills will be withheld if contractor fails to comply with statutory compliances.
6.	12.2.2 b)	For Materials: The Contractor on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer-in-charge 75% percent of the cost (as assessed by the Engineer-in-Charge) of any materials which are in the opinion of the Engineer-in-Charge reasonably required in accordance with the Contract and have been brought to Site for incorporation in the Works and are safeguarded against loss due to any cause whatsoever to the	For Materials: The Contractor on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer-in-charge 75% percent of the cost (as assessed by the Engineer-in-Charge) of any materials which are in the opinion of the Engineer-in-Charge reasonably required in accordance with the Contract and have been brought to Site for incorporation in the Works and are safeguarded against loss due to any cause whatsoever to the satisfaction of the Engineer-in-Charge but have not been so incorporated. However, in case of perishable materials the Contractor shall provide an insurance cover for the full cost. No secured advance shall be payable on high-risk material such as glass, sand, petrol/ diesel etc. The advance payments under this shall be adjusted as and when materials are utilised in the Works. Further;

S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
		satisfaction of the Engineer-in-Charge but have not been so incorporated. However, in case of perishable materials the Contractor shall provide an insurance cover for the full cost. No secured advance shall be payable on high-risk material such as glass, sand, petrol/ diesel etc. The advance payments under this shall be adjusted as and when materials are utilised in the Works.	<p>a) For contracts with a contractual completion time of up to 2 years, unadjusted secured advance should be recovered through the next RA bill after expiry of 120 days from the issue of such secured advance.</p> <p>b) For contracts with a contractual completion time of more than 2 years, unadjusted secured advance should be recovered through the next RA bill after expiry of 270 days from the issue of such secured advance.</p>
7.	12.4.1	The final bill shall be submitted by the Contractor within 90 days of physical completion of the works. Payment of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and at rates as approved by the Engineer-in-Charge, shall be made within the period specified hereunder. The period shall be reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in- Charge along with the all acceptable supporting documents.	The final bill shall be submitted by the Contractor within 90 days of physical completion of the works. Payment of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and at rates as approved by the Engineer-in-Charge, shall be made within the period specified hereunder. Final Bill will be released only after the contractor complies with all the statutory compliances. The period shall be reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in- Charge along with the all acceptable supporting documents.




S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
8.	13.2.2 (b)	<p>“The Engineer-in-charge shall on such determination /cancellation have powers to carry out the incomplete work by any means at the risk and cost of the contractor.”</p>	<p>13.2.2 (b) i) The Engineer-in-charge shall on such determination/termination/cancellation have powers to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Forfeit the contract security such as EMD(Earnest Money Deposit)/SD(Security Deposit), as applicable; b) Procure from elsewhere the Works or services (as the case may be) same or similar to those incomplete/unexecuted, at the risk and cost of the Contractor; c) Ban business dealings with the Contractor. <p>NPCIL reserves the right to enforce any or all the above mentioned (a), (b) and (c) measures.</p> <p>13.2.2(b)ii) Further, following method shall be followed for calculation of the recovery amount against purchase of incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) at the risk and cost of the Contractor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) The recovery amount against such procurement at the risk and cost of the Contractor will include difference in original & alternate procurement cost for the incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) plus departmental administrative charges, which shall be calculated as below: Amount to be recovered from the Contractor against Risk & Cost purchase = [(A-B) + H] Where – A= Value of incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) as per rates of the new contract

he

S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
			<p>awarded against risk and cost of the Contractor,</p> <p>B= Value of incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) as per rates of the Contract and is being paid to the Contractor at the time of termination of the Contract. This shall also include price adjustment (as per clause 11.3), if applicable. The date of application of Price Adjustment clause shall be the date of termination of Contract or the original scheduled date of completion of Contract, whichever is earlier. Further, the lower of the two indices will be applicable to arrive at Price Adjustment amount.</p> <p>H= Departmental Administrative Charges of ₹ 10 lakh.</p> <p>b) Incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) Quantities under the contract = Contract Quantities (including quantities as amended till the date of termination) – (minus) actual executed Quantities as on the date of termination of the Contract.</p> <p>c) In the above calculations, if “A” is less than “B”, only Departmental Administrative charges shall be recovered from the Contractor.</p> <p>13.2.2(b)iii) The tender for incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) will be called with the same</p>

S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
			<p>specifications or other items of similar description when such Works or services (as the case may be) exactly complying with the specifications are not in the opinion (such opinion being final) of the Corporation readily procurable. Further, the tender will be called with same scope and terms and conditions (subject to applicable statutory changes/Government guidelines).</p> <p>13.2.2(b)iv) The forfeited contract security such as EMD/SD, as applicable, shall not be adjusted against the total recovery amount from defaulting contractor in case of risk and cost purchase of balance Works or services (as the case may be) from other sources. The recovery amount shall be paid by the Contractor in the form of Demand Draft/Online Transfer within 30 days of issue of demand notice by NPCIL.</p> <p>13.2.2(b)v) GST, if applicable on forfeited EMD/SD (as applicable) and balance recovery amount shall be paid by the Contractor.</p> <p>13.2.2(b)vi) In case of MSE/Startup, if no contract security (EMD/SD (as applicable)) is available for forfeiture with NPCIL, the relevant authority of MSE/Startup with whom the Contractor is registered shall be informed in this regards.</p>
9.	13.2.2 A) (New Clause)	—	<p>13.2.2 A)</p> <p>In the event of action being taken under clause no. 13.2.2 (b), the Contractor shall also be liable for Liquidated Damages (in addition to forfeiture of Contract security as per clause 13.2.2 (b) i) a) and recovery amount as per clause 13.2.2 (b) i) b)) only for the delayed but</p>



S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
			executed/delivered and accepted Works/service(as the case may be), which the Corporation is entitled to recover as per clause no. 7.7 (Compensation for delay) provided an agreement for such alternate procurement from elsewhere, is made within (twelve) 12 months of the letter of cancellation sent to the Contractor. The Contractor shall not be entitled to any gain on such procurement made on account of default. The manner and method of such alternate procurement shall be at the entire discretion of the Corporation, whose decision shall be final. This right shall be without prejudice to the right of the Corporation, to recover the damages for breach of Contract by the Contractor as provided in the Contract or under the general law.
10.	17.8.1 ii) a)	All questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions herein before contained in this Contract or as to the quality of the workmanship or materials used on the work or arising out of the terms and conditions of the Contract whether during the progress of the work or after the completion or abandonment thereof, at the request of the aggrieved party in writing, shall be referred to the sole arbitration of the person and appointed by the Chairman & Managing Director, Nuclear Power Corporation of India Ltd, in respect of the contracts entered for and on behalf of the Corporation, by any	<p>Except as otherwise provided in the contract, all disputes, differences, questions or disagreements shall, at any time, hereafter arises between the parties hereto or the respective representatives or assigns in connection with or arising out of the contract, or in respect of meaning of specifications, design, drawings, schedule, annexures, orders, instructions, the construction, interpretation of this agreement, or anything hereunder containing or arising hereunder or as to rights, liabilities or duties of the said parties hereunder or any matter whatsoever incidental to this contract or otherwise concerning the works of execution or failure to execute the same whether during the progress of work or stipulated/extended period or before or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration (<i>for Contracts costing upto Rs. 10 Crores</i>) of the person appointed through mutual consent of both the parties at the time of dispute <i>or Committee of Arbitrators (for Contracts costing over Rs. 10 crores) as the case may be.</i></p> <p><i>For case of Contracts costing upto Rs. 10 Crores:</i></p> <p>If the parties fail to reach to a consensus regarding the appointment of the person as the sole Arbitrator through mutual consent within 30 days from the date of such request, the party shall seek the intervention of the court of</p>

h

S. No.	GCC Clause ref. no.	Existing Clause	Amended/Revised Clause
		Officer / Authority of the Corporation.	competent jurisdiction under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 for the appointment of Sole Arbitrator. If the arbitrator to whom the matter is originally referred dies or refuses to act or resigns for any reason from the position of arbitrator, it shall be lawful for the parties to appoint another person through mutual consent to act as an arbitrator in the manner aforesaid. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor if both the parties consent to this effect, failing which the arbitrator will be entitled to proceed de-novo.
11.	17.8.1 ii) h) (New Clause)	—	In an arbitration invoked at the instance of either party to the contract, the arbitrator would be free to consider the counter claim of the other party even though they are not mentioned in the reference of arbitration.
12.	17.8.1 ii) i) (New Clause)	—	The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties to the Contract.
13.	17.8.1 iii) (New Clause)	—	For contracts with CPSEs, Government Departments /Organizations: Except as otherwise provided in the contract, in the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of commercial contract(s) between Central Public Sector Enterprises(CPSEs)/ Port Trusts inter se and also between CPSEs and Government Departments/ Organizations(excluding disputes relating to Railways, Income Tax, Custom & Excise Departments), such dispute or difference shall be taken up by either party for its resolution through AMRCD(Administrative Mechanism for Resolutions of CPSEs Disputes) as mentioned in DPE OM No. 05/0003/2019-FTS-10937 Dated: 14 December, 2022 & the decision of AMRCD on the said dispute will be binding on both the parties.

5. Table indicating existing GCC clauses & revised clauses for GCC no. HQI 8001(Works and Maintenance Contracts).

Sr. No.	GCC No.	Clause No.	Existing Clause	Revised Clause
1	GCC no. HQI 8001(Works and Maintenance Contracts)	13.2.2 (b)	“The Engineer-in-charge shall on such determination /cancellationhave powers to carry out the incomplete work by any means at the risk and cost of the contractor.”	<p>13.2.2 (b) i) The Engineer-in-charge shall on such determination/termination/cancellation have powers to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Forfeit the contract security such as EMD(Earnest Money Deposit)/SD(Security Deposit), as applicable; b) Procure from elsewhere the Works or services (as the case may be) same or similar to those incomplete/unexecuted, at the risk and cost of the Contractor; c) Ban business dealings with the Contractor. <p>NPCIL reserves the right to enforce any or all the above mentioned (a), (b) and (c) measures.</p> <p>13.2.2 (b) ii) Further, following method shall be followed for calculation of the recovery amount against purchase of incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) at the risk and cost of the Contractor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) The recovery amount against such procurement at the risk and cost of the Contractor will include difference in original & alternate procurement cost for the incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) plus departmental administrative charges, which shall be calculated as below: Amount to be recovered from the Contractor against Risk & Cost purchase = [(A-B) + H] Where – A= Value of incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) as per rates of the new contract awarded against risk and cost of the Contractor, B= Value of incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) as per rates of the Contract and is being paid to the Contractor at the time of termination of the Contract. This shall also include price adjustment (as per clause 11.3), if applicable. The date of application of Price Adjustment clause shall be the date of termination of Contract or the original scheduled date of completion of Contract, whichever is earlier. Further, the lower of the two indices will be applicable to arrive at Price Adjustment amount. H= Departmental Administrative Charges of ₹ 10 lakh.

Sr. No.	GCC No.	Clause No.	Existing Clause	Revised Clause
				<p>b) Incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) Quantities under the contract = Contract Quantities (including quantities as amended till the date of termination) – (minus) actual executed Quantities as on the date of termination of the Contract.</p> <p>c) In the above calculations, if “A’ is less than “B”, only Departmental Administrative charges shall be recovered from the Contractor.</p> <p>13.2.2(b) iii) The tender for incomplete/unexecuted Works or services (as the case may be) will be called with the same specifications or other items of similar description when such Works or services (as the case may be) exactly complying with the specifications are not in the opinion (such opinion being final) of the Corporation readily procurable. Further, the tender will be called with same scope and terms and conditions (subject to applicable statutory changes/Government guidelines).</p> <p>13.2.2 (b) iv) The forfeited contract security such as EMD/SD, as applicable, shall not be adjusted against the total recovery amount from defaulting contractor in case of risk and cost purchase of balance Works or services (as the case may be) from other sources. The recovery amount shall be paid by the Contractor in the form of Demand Draft/Online Transfer within 30 days of issue of demand notice by NPCIL.</p> <p>13.2.2 (b) v) GST, if applicable on forfeited EMD/SD (as applicable) and balance recovery amount shall be paid by the Contractor.</p> <p>13.2.2 (b) vi) In case of MSE/Startup, if no contract security (EMD/SD (as applicable)) is available for forfeiture with NPCIL, the relevant authority of MSE/Startup with whom the Contractor is registered shall be informed in this regards.</p>
2	GCC no. HQI 8001(Works and Maintenance Contracts)	13.2.2 A) (New Clause)	—	<p>13.2.2 A) In the event of action being taken under clause no. 13.2.2 (b), the Contractor shall also be liable for Liquidated Damages (in addition to forfeiture of Contract security as per clause 13.2.2 (b) i) a) and recovery amount as per clause 13.2.2 (b) i) b)) only for the delayed but executed/delivered and accepted Works/service(as the case may be), which the Corporation is entitled to recover as per clause no. 7.7 (Compensation for delay) provided an agreement for such alternate procurement from elsewhere, is made within (twelve) 12 months of the letter of cancellation sent to the Contractor. The Contractor shall not be entitled to any gain on such procurement made on account of default. The manner and method of</p>

Sr. No.	GCC No.	Clause No.	Existing Clause	Revised Clause
				such alternate procurement shall be at the entire discretion of the Corporation, whose decision shall be final. This right shall be without prejudice to the right of the Corporation, to recover the damages for breach of Contract by the Contractor as provided in the Contract or under the general law.
3	GCC no. HQI 8001(Works and Maintenance Contracts)	4.2.11 (New Clause)	—	<p>Cases where IP (Integrity Pact) is applicable:</p> <p>After the release of the EMD, the SD (i.e., Performance Guarantee plus available Retention Money) will serve the purpose of Integrity Pact Security seamlessly during execution of Contract and till the completion of the defect liability period (if applicable), or 12 months from the date of the last payment/final bill payment, whichever is later. In such case, for any violation/breach of the Integrity Pact by the Contractor, the SD (i.e., Performance Guarantee plus available Retention Money), shall be forfeited.</p> <p>The Contractor shall initially submit Performance Guarantee, as per relevant clauses of Contract to start with. However, the Contractor will also be required to extend the validity of Performance Guarantee, till validity of the IP if required. The Performance Guarantee and Retention Money will be released after completion of the defect liability period (if applicable), or 12 months from the date of the last payment/final bill payment, whichever is later.</p> <p>If contract security is waived/not available for seamless commitment towards IP, action as per Contract conditions & IP shall be taken against any violation of IP.</p> <p>Further, in case of MSE/Startup, if any contract security is waived/not available for seamless commitment towards IP, the relevant authority of MSE/Startup with whom Contractor is registered shall be informed for any violation of IP.</p>

NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

RAWATBHATA RAJASTHAN SITE



GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS

Registered office :

Nuclear Power Corporation of India Limited
424-425, World Trade Centre,
Bara khamba Lane,
Connaught Place,
New Delhi- 110001

Corporate Office :

Nuclear Power Corporation of India Limited
Centre-1, World Trade Centre,
16th floor, Cuffe Parade, Colaba
Mumbai-400 005

U; fDy; j i koj dki kjsku vKND bf.M; k fyfeVM
Hkkjr I jdkj dk m | e½
jkorHkV k jktLFkku I kbV



fuekZk dk; Z dsfy, I fonk dh I keku; 'kr

iathdr dk; k; %

U; fDy; j i koj dki kjsku vKND bf.M; k fyfeVM

424-425, oYMZ VM I BVj]

Ckkjg [kHkk ys dukW lYd]

ubZ fnYyh- 110001

fuxe dk; k; %

U; fDy; j i koj dki kjsku vKND bf.M; k fyfeVM

I BVj-1, oYMZ VM I BVj]

16ok 1Ykj] dQ i jM] dkyck

epbZ400 005

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

INDEX

1.	GENERAL PROVISIONS	5
1.1	Definitions	5
1.2	Interpretation	8
1.3	Law and Language	8
1.4	Priority of Documents	8
1.5	Contractor's Documents for use by Corporation	9
1.6	Corporation's Documents for use by Contractor	9
1.7	Confidential Details	10
1.8	Compliance with Law	10
1.9	Changes in Constitution	10
1.10	Conflict of Interest	11
1.11	Patent Indemnity	11
2.	THE CORPORATION	12
2.1	Possession of Site	12
2.2	Permits, Licenses or Approvals	12
2.3	Corporation's Personnel	12
2.4	Corporation Claims	13
3.	THE ENGINEER-IN-CHARGE	13
3.1	Engineer-In-Charge's Duties and Authority	13
3.2	Instructions of the Engineer-In-Charge	14
3.3	Replacement of the Engineer-In-Charge	14
4.	THE CONTRACTOR	14
4.1	Contract Documents	14
4.2	Security Deposit	15
4.3	Refund of Security Deposit	16
4.4	Sub-contracts	16
4.5	Construction coordination	16
4.6	Setting out the Work	17
4.7	Quality Compliance	17
4.8	Sufficiency of the Accepted Contract Amount	17
4.9	Reporting of Hindrances	17
4.10	Supply of Goods	17
4.11	Transport of Goods	17
4.12	Contractor's Equipment	18
4.13	Protection of the Environment	18
4.14	Electricity	18
4.15	Work during Night or on Sundays and Holidays	19
4.16	Material obtained from Excavation	19
4.17	Treasure, Trove, Fossils etc.	19
4.18	Site Drainage	19
4.19	Protection of Trees	19
4.20	Security of the site	19

संविदा की सामान्य शर्तें

विषय सूची

1.	सामान्य उपबंध	5
1.1	परिभाषाएं	5
1.2	व्याख्या	8
1.3	कानून व भाषा	8
1.4	दस्तावेजों की प्राथमिकता	8
1.5	निगम के प्रयोग में आने वाले संविदाकार के दस्तावेज	9
1.6	संविदाकार के प्रयोग में आने वाले निगम के दस्तावेज	9
1.7	गोपनीय विवरण	10
1.8	कानून का अनुपालन	10
1.9	संविधान में परिवर्तन	10
1.10	हितों का टकराव	11
1.11	पेटेंट बाध्यता	11
2.	निगम	12
2.1	कार्यस्थल का कब्जा	12
2.2	परमिट, लाइसेंस या अनुमोदन	12
2.3	निगम के कर्मचारी	12
2.4	निगम के दावे	13
3.	प्रभारी अभियंता	13
3.1	प्रभारी अभियंता के कर्तव्य व प्राधिकार	13
3.2	प्रभारी अभियंता के निर्देश	14
3.3	प्रभारी अभियंता का प्रतिस्थापन	14
4.	संविदाकार	14
4.1	संविदाकार के दस्तावेज	14
4.2	प्रतिभू जमा	15
4.3	प्रतिभू जमा की वापसी	16
4.4	उप संविदाएं	16
4.5	निर्माण समन्वय	16
4.6	कार्य की तैयारी	17
4.7	गुणवत्ता अनुपालन	17
4.8	सहमत संविदा राशि की पर्याप्तता	17
4.9	अड़चनों की रिपोर्टिंग	17
4.10	वस्तुओं की आपूर्ति	17
4.11	वस्तुओं का परिवहन	17
4.12	संविदाकार के उपकरण	18
4.13	पर्यावरण का संरक्षण	18
4.14	बिजली	18
4.15	रात्रि या रविवार व छुट्टियों के दिनों में कार्य	19
4.16	खुदाई के दौरान प्राप्त सामग्री	19
4.17	खजाना, दुर्लभ वस्तुएं, अवशेष आदि	19
4.18	कार्यस्थल जल निकासी	19
4.19	वृक्षों का संरक्षण	19
4.20	कार्यस्थल की सुरक्षा	19

4.21	Co-operation and Facilities to Other Contractors	19
4.22	Training of Apprentice	20
4.23	Water Supply	20
4.24	Land	20
5.	STAFF, LABOUR AND INDUSTRIAL SAFETY	21
5.1	Engagement of Staff and Labour	21
5.2	Rates of Wages and Conditions of Labour	22
5.3	Persons in the Service of Corporation and other Contractors	22
5.4	Labour Laws	22
5.5	Facilities for Staff and Labour	24
5.6	Health and Industrial Safety	24
5.7	Contractor's Supervision for compliance	26
5.8	Contractor's Personnel	26
5.9	Records of Contractor's Personnel	26
5.10	Disorderly Conduct	27
5.11	Foreign Personnel	27
5.12	Other Compliance	27
5.13	House Keeping	28
6.	PLANT, MATERIALS AND QUALITY ASSURANCE	28
6.1	Tools, Plants & Equipments	28
6.2	Workmanship	29
6.3	Quality Assurance	30
6.4	Materials & Samples	31
6.5	Inspection	31
6.6	Testing	32
6.7	Rejection	32
6.8	Remedial Work	32
6.9	Ownership of Plant and Materials	32
6.10	Octroi, Cess, Taxes, Royalties etc.	33
6.11	Urgent Works	33
6.12	Materials Issued by the Corporation	33
6.13	Material Accounting	34
6.14	Mega Power Project Concessions	34
7.	COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION	34
7.1	Commencement of Work and completion time	34
7.2	Program	35
7.3	Early Detection of Hindrances	36
7.4	Hindrances	36
7.5	Rate of Progress	36
7.6	Extension of Time for Completion	36
7.7	Compensation for delay	37
7.8	Incentives	38
7.9	Suspension of work for period upto 90 days	38
7.10	Prolonged Suspension of work (beyond 90 days)	39
7.11	Payment for Plant and Materials in Event of Suspension	39
7.12	Resumption of Work	40

4.21	अन्य संविदाकारों से सहयोग व सुविधाएं	19
4.22	प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण	20
4.23	जलापूर्ति	20
4.24	जमीन	20
5.	कर्मचारी, श्रमिक व आद्योगिक श्रमिक संरक्षा	21
5.1	कर्मचारियों व श्रमिकों को काम पर लगाना	22
5.2	मजदूरी की दर व श्रम शर्तें	22
5.3	निगम व अन्य संविदाकारों के साथ सेवारत कर्मचारी	22
5.4	श्रम कानून	22
5.5	कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए सुविधाएं	24
5.6	स्वास्थ्य एवं आद्योगिक संरक्षा	24
5.7	अनुपालन के लिए संविदाकार का पर्यवेक्षण	26
5.8	संविदाकार के कर्मचारी	26
5.9	संविदाकार के कर्मचारियों का रिकॉर्ड	26
5.10	अव्यवस्थित आचरण	27
5.11	विदेशी व्यक्ति	27
5.11	अन्य अनुपालन	27
5.12	अन्य अनुपालन	28
5.13	गृहसज्जा/हाउसकीपिंग	28
6.	संयंत्र, सामग्री व गुणवत्ता आश्वासन	28
6.1	औजार, संयंत्र व उपकरण	29
6.2	कार्यनिपुणता	30
6.3	गुणवत्ता आश्वासन	31
6.4	सामग्री व नमूने	31
6.5	निरीक्षण	32
6.6	जांच	32
6.7	अमान्य करना	32
6.8	निवारण कार्य	32
6.9	संयंत्र व सामग्री का स्वामित्व	33
6.10	चुंगी, अधिभार, प्रभार, रॉयल्टी आदि	33
6.11	तात्कालिक कार्य	33
6.12	निगम द्वारा जारी की गई सामग्री	34
6.13	सामग्री का लेखाकरण	34
6.14	मेगापॉवर परियोजना रियायतें	34
7.	प्रारंभ, विलंब व निलंबन	34
7.1	कार्य का प्रारंभ व समापन समय	34
7.2	कार्यक्रम	35
7.3	प्रतिबाधाओं की यथा शीघ्र पहचान	36
7.4	प्रतिबाधाएं	36
7.5	प्रगति की दर	36
7.6	कार्य पूर्णता के लिए समय-सीमा विस्तार	36
7.7	विलंब की क्षतिपूर्ति	37
7.8	प्रोत्साहन	38
7.9	90 दिनों की अवधि तक के लिए कार्य का निलंबन	38
7.10	दीर्घकाल के लिए कार्य का निलंबन(90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए)	39
7.11	निलंबन की स्थिति में संयंत्र व सामग्री के लिए भुगतान	39
7.12	कार्य का पुनः प्रारंभ	40

8.	CORPORATION'S TAKING OVER	40
8.1	Completion Certificate	40
9.	DEFECTS LIABILITY	40
9.1	Rectification of Defects	40
10.	MEASUREMENT AND EVALUATION	41
10.1	Records & Measurement	41
10.2	Method of Measurement	42
11.	VARIATIONS AND ADJUSTMENTS	43
11.1	Right to Vary	43
11.2	Payment for Variations	43
11.3	Contract Price Adjustment	44
12.	CONTRACT PRICE AND PAYMENT	47
12.1	Mobilisation Advance	47
12.2	Payment of Running Bills	48
12.3	Over payments and Under Payments	49
12.4	Time limit for Payment of Final Bill	50
12.5	Delayed Payment	50
13.	CONTRACT TERMINATION BY CORPORATION	51
13.1	Foreclosure of contract	51
13.2	Determination/Cancellation of Contract	51
13.3	Termination of Contract of death	54
14.	RISK AND RESPONSIBILITY	54
14.1	Liability for damage, defects or imperfections and rectifications thereof	54
15.	INSURANCE	55
15.1	General Requirements for Insurances	55
16.	FORCE MAJEURE	56
16.1	Definition of Force Majeure	56
16.2	Consequence of Force Majeure	56
16.3	Duty to Minimise Delay	57
17.	CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION	57
17.1	Contractor's Claims	57
17.2	Dispute Resolution	58
17.3	Appointment of the Dispute Resolution Board	58
17.4	Obtaining Dispute Resolution Board's Decision	59
17.5	Amicable Settlement	60
17.6	Failure to Comply with Dispute Resolution Board's Decision	60
17.7	Expiry of Dispute Resolution Board's Appointment	61
17.8	Arbitration	61
18.	SCHEDULES	63
	SCHEDULE 'A'	63
	SCHEDULE 'B'	65
	SCHEDULE 'C'	66

8.	निगम द्वारा ग्रहण	40
8.1	पूर्णता प्रमाणपत्र	40
9.	दोष बाध्यता	40
9.1	कमियों को दूर करना	40
10.	मापन व मूल्यांकन	41
10.1	रिकॉर्ड व मापन	41
10.2	मापन की विधि	42
11.	विचलन व समायोजन	43
11.1	विचलन का अधिकार	43
11.2	विचलन का भुगतान	43
11.3	संविदा की कीमत का समायोजन	44
12.	संविदा की कीमत व भुगतान	47
12.1	चालन अग्रिम	47
12.2	चालू बिलों का भुगतान	48
12.3	अधिक भुगतान व कम भुगतान	49
12.4	अंतिम बिल के भुगतान की समय सीमा	50
12.5	विलंबित भुगतान	50
13.	निगम द्वारा संविदा की समाप्ति	51
13.1	संविदा को समयपूर्व बंद करना	51
13.2	संविदा की समाप्ति/निरस्तीकरण	51
13.3	मृत्यु होने की स्थिति में संविदा की समाप्ति	54
14.	जोखिम व जिम्मेदारी	54
14.1	क्षति, दोष या कमी की जिम्मेदारी व उन्हें ठीक करना	54
15.	बीमा	55
15.1	बीमा की सामान्य आवश्यकताएं	55
16.	अपरिहार्य	56
16.1	अपरिहार्य की परिभाषा	56
16.2	अपरिहार्य के कारण उत्पन्न परिस्थितियां	56
16.3	विलंब को न्यूनतम करने के दायित्व	57
17.	दावे, विवाद और मध्यस्थता	57
17.1	संविदाकार का दावा	57
17.2	विवाद निपटान	58
17.3	विवाद निपटान बोर्ड का गठन	58
17.4	विवाद निपटान बोर्ड से निर्णय प्राप्त करना	59
17.5	मैत्रीपूर्ण समझौता	60
17.6	विवाद निपटान बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में असफलता	60
17.7	विवाद निपटान बोर्ड के गठन की समाप्ति	61
17.8	मध्यस्थता	61
18.	अनुसूचियां	63
	अनुसूची "ए"	63
	अनुसूची "बी"	65
	अनुसूची "सी"	66

FORMAT FOR 'HINDRANCE REGISTER'	66
19. CONTRACTOR'S LABOUR REGULATIONS AND FORMS	67
20. MODEL RULES FOR LABOUR WELFARE	84
21. AERB SAFETY GUIDE	89
22. TENDER FORMS	116
23. FORMS OF DIFFERENT DEEDS	118
24. DISPUTES RESOLUTION BOARD AGREEMENT	134

	"प्रतिबाधा रजिस्टर" का प्रारूप	66
19.	संविदाकार के श्रमिकों संबंधी विनियम व प्रपत्र	67
20.	श्रम कल्याण के लिए आदर्श नियम	84
21.	परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद संरक्षा निदेशिका	89
22.	निविदा प्रपत्र	116
23.	विभिन्न विलेखों के प्रपत्र	118
24.	विवाद निपटान बोर्ड करार	134

1 GENERAL PROVISIONS

1.1 Definitions

- 1.1.1 **"Accepting Authority"** shall mean the authority mentioned in Schedule "A".
- 1.1.2 **"Corporation"** shall mean Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) and include its legal representatives, successors and permitted assigns.
- 1.1.3 **"Contract"** shall mean an agreement where a proposal has been accepted and shall include notice inviting the tender, the tender and acceptance thereof and the formal agreement, if any, executed between Nuclear Power Corporation of India Ltd and the Contractor together with the documents referred to therein including these conditions with appendices and any special conditions, specifications, designs, drawings, schedule of quantities with rates and amounts. All these documents taken together shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.
- 1.1.4 **"Contractor"** is a person(s) named as contractor in the work order / agreement and its legal successors.
- 1.1.5 **"Contract Price"** shall mean:
- (i) in the case of **"Lumpsum Contracts"**, the sum for which the tender is accepted
 - (ii) in the case of **"Item Rate Contracts"**, the cost of the works arrived at after extension of quantities shown in Schedule of Quantities by the item rates quoted by the tenderer for various items.
- 1.1.6 **"Commissioning"** means the trial/initial operation of the works / facility or any part thereof by the contractor, for the purpose to demonstrate successful operation of the facility as per contract provisions.
- 1.1.7 **"Completion Certificate"** means the certificate issued by the Corporation on completion of works in accordance with sub clause 8.1 (Completion Certificate).
- 1.1.8 **"Completion Time"** means the time within which completion of the works or part (where a separate time of completion of such part has been prescribed) is to be completed as stipulated in the work order and in accordance with the provisions of contract.
- 1.1.9 **"Contract Documents"** means documents listed in the Contract Agreement including any amendments therein to.
- 1.1.10 **"Contractors' Equipment"** means all apparatus, machineries, vehicles and other things required for the execution and completion of the works and the remedying of any defects. However, contractors equipment excludes temporary works, employers equipment (if any), plant, materials and any other things intended to form or forming part of the works.
- 1.1.11 **"Contractors' Representative"** means the person nominated or appointed time to time by the contractor who acts on behalf of the contractor.

1. सामान्य उपबंध

1.1 परिभाषाएं

- 1.1.1 "स्वीकरण प्राधिकारी" से तात्पर्य अनुसूची "ए" में वर्णित प्राधिकारी से होगा।
- 1.1.2 "निगम" से तात्पर्य न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(एनपीसीआईएल) और इसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी व अनुमन्य समनुदेशितों से होगा।
- 1.1.3 "संविदा" से तात्पर्य एक ऐसे करार से है जहां पर किसी प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है और इसमें निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा व उसकी स्वीकारोक्ति और यदि कोई औपचारिक करार न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और संविदाकार के बीच में, इन शर्तों व उनके परिशिष्टों तथा कोई विशेष शर्तें, विनिर्देश, अभिकल्प, रेखाचित्र, दर व राशि सहित मात्रा की अनुसूची के साथ संदर्भित दस्तावेजों सहित, निष्पादित किया गया हो, शामिल होगा। ये सभी दस्तावेज मिलकर एक संविदा का निर्माण करेंगे और इन्हें एक-दूसरे का पूरक माना जाएगा।
- 1.1.4 "संविदाकार" से तात्पर्य कार्य आदेश/ करार में संविदाकार के रूप में वर्णित किसी व्यक्ति(यों) और इसके कानूनी वारिस से है।
- 1.1.5 "संविदा कीमत" से तात्पर्य होगा :
- (i) "एकमुश्त संविदाओं" के मामले में वह राशि जिस पर निविदा के लिए सहमति प्रदान की गई हो, से है।
- (ii) "मदवार दर संविदाओं" के मामले में कार्यों की वह कीमत जो निविदाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए उद्धृत दरों को मात्रा अनुसूची में वर्णित विभिन्न मात्राओं के लिए मद वार दरों को विस्तारित करने के बाद उन मदों के लिए निर्धारित कर निकाली गई हो, से है।
- 1.1.6 "कमीशनिंग" से तात्पर्य संविदाकार द्वारा संविदा के प्रावधानों के अनुसार कार्य/सुविधा या उसके किसी भाग के सफलतापूर्वक प्रचालन को प्रदर्शित करने के लिए परीक्षण/प्रारंभिक प्रचालन से है।
- 1.1.7 "पूर्णता प्रमाण पत्र" से तात्पर्य उपखण्ड 8.1 (पूर्णता प्रमाणपत्र) के अनुरूप कार्य की पूर्णता पर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र से है।
- 1.1.8 "कार्यपूर्णता अवधि" से तात्पर्य उस समय से है जिसमें कार्य या उसके भाग (जहां ऐसे भाग के लिए पृथक् रूप से कार्य पूर्णता समय विहित किया गया हो) को कार्य आदेश में वर्णित और संविदा के प्रावधानों के अनुरूप पूरा किया जाना हो।
- 1.1.9 "संविदा दस्तावेज" से तात्पर्य संविदा करार में सभी प्रकार के संशोधनों सहित सूचीबद्ध किए गए कागजातों से है।
- 1.1.10 "संविदाकार के उपकरण" से तात्पर्य कार्य के निष्पादन व उसको पूर्ण करने और उसमें आई किसी तरह की खराबी को दूर करने के लिए आवश्यक समस्त उपकरण, मशीनरी, वाहन और अन्य वस्तुओं से है। तथापि, संविदाकार के उपकरणों में अस्थाई कार्य, नियोक्ता के उपकरण (यदि कोई हो), संयंत्र, सामग्री और कोई अन्य वस्तु जो कार्य का भाग हो या बन सकती हो, शामिल नहीं हैं।
- 1.1.11 "संविदाकार के प्रतिनिधि" से तात्पर्य संविदाकार द्वारा समय-समय पर नामित या नियुक्त उन व्यक्तियों से है जो संविदाकार की ओर से कार्य करते हैं।

- 1.1.12 **"Corporations' Tools & Plants"** means the apparatus, machinery, tools, and vehicles (if any) made available by the Corporation for the use of the contractor in the execution of the work but it does not include plants which has not been taken over by the Corporation.
- 1.1.13 **"Country"** means the country in which the site is located where the works are to be executed.
- 1.1.14 **"Date of Commencement"** means the date when the contractor shall commence execution of the works as mentioned in the work order and the completion time for the work shall be reckoned from this date.
- 1.1.15 A **"Day"** means a day of 24 hours from mid-night to mid-night irrespective of the number of hours worked in that day, a **"Week"** means seven days, a **"Month"** means a calendar month and a **"Year"** means 365 days without regard to the number of hours worked in any day.
- 1.1.16 The **"Defect Liability Period"** is the period defined in the Schedule "A" during which the contractor is responsible for defects with respect to the works as provided in GCC clause No. 9 (Defect Liability).
- 1.1.17 **"Defect"** means any part of the Works not executed in accordance with the Contract.
- 1.1.18 **"Drawings"** means the drawings of the works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of) the Corporation in accordance with the Contract.
- 1.1.19 **"DRB"** means the Dispute Resolution Board appointed under sub-clause 17.3(Appointment of the Dispute Resolution Board).
- 1.1.20 **"Engineer-in-Charge"** shall mean the Officer appointed by the Corporation or his duly authorized representative who shall direct, supervise and be in charge of the works for purposes of this Contract.
- 1.1.21 **"Excepted Risks"**, are the risks due to riots (other than that among Contractor's employees) and civil commotion (in so far as both these are uninsurable), war (whether declared or not), invasion, act of foreign enemies, global terrorism, civil war, rebellion, munitions of war, explosive materials, ionizing radiation or contamination by radio activity, revolution, insurrection, military or usurped power, any acts of Government, damage from aircrafts, sabotage, acts of God such as earthquake, lightning, cyclones, Tsunami and unprecedented floods and other causes over which the Contractor has no control and accepted as such by the Accepting Authority or causes solely due to use or occupation by the **"Corporation"** of the part of Works in respect of which a certificate of completion has been issued.
- 1.1.22 **"GCC"** means the General Conditions of Contract.
- 1.1.23 **"Latent Defects"** shall mean any defects which exists but has not surfaced at the time of testing and has not manifested during defect liability period.
- 1.1.24 **"Laws"** means all national (or state) legislation, statutes, ordinances and other laws and regulations and by-laws of any legally constituted public authority.

- 1.1.12 "निगम के औजार व संयंत्र" से तात्पर्य निगम द्वारा संविदाकार को कार्य के निष्पादन हेतु उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध कराए गए उपकरण, मशीनरी, औजार, संयंत्र और वाहन (यदि कोई हो तो) आदि से है परंतु निगम अभिगृहीत न किए गए संयंत्र इसमें शामिल नहीं हैं।
- 1.1.13 "देश" से तात्पर्य उस देश से है जहां कार्य निष्पादित किए जाने वाले कार्य का स्थल अवस्थित है।
- 1.1.14 "प्रारंभ की तारीख" से तात्पर्य उस तारीख से है जब संविदाकार कार्य आदेश में दिए गए वर्णन के अनुसार कार्य का निष्पादन प्रारंभ करता है और कार्य के पूर्ण किए जाने के समय का निर्धारण इसी तारीख से किया जाएगा।
- 1.1.15 एक "दिन" से तात्पर्य अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक 24 घंटे वाले एक दिन से है और इससे उस दिन किए गए कार्य के घंटों से कोई मतलब नहीं है, एक "सप्ताह" से तात्पर्य सात दिनों से है, एक "माह" का अर्थ एक कैलेंडर माह से है और एक "वर्ष" का अर्थ किसी एक दिन में किए गए कार्य के घंटों से निरपेक्ष 365 दिनों से है।
- 1.1.16 "दोष बाध्यता अवधि" अनुसूची "ए" में परिभाषित वह अवधि है जिसमें संविदाकार जीसीसी उपबंध 9 (दोष बाध्यता) के अनुसार कार्य में पाए गए दोषों के लिए जिम्मेदार है।
- 1.1.17 "दोष" से तात्पर्य कार्य के किसी भाग को संविदा की शर्तों के अनुरूप पूरा न किए जाने से है।
- 1.1.18 "रेखाचित्र" से तात्पर्य संविदा में शामिल किए गए कार्य संबंधी रेखाचित्रों और संविदा की शर्तों के अनुरूप निगम द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त व संशोधित रेखाचित्रों से है।
- 1.1.19 "डीआरबी" से तात्पर्य उपखण्ड 17.3 (विवाद निपटान बोर्ड की नियुक्ति) के अधीन नियुक्त डिस्प्यूट रिसोल्यूशन बोर्ड या विवाद निपटान बोर्ड/मण्डल से है।
- 1.1.20 "प्रभारी अभियंता" से तात्पर्य निगम या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त अधिकारी से है जो इस संविदा के कार्यों को निदेशित, पर्यवेक्षित करेगा व इस संविदा के लिए कार्य प्रभारी होगा।
- 1.1.21 "संभावित जोखिम" दंगे (संविदाकार के कर्मचारियों के बीच भड़के दंगे के अलावा) और नागरिक संक्षोभ (अभी तक इन दोनों के लिए बीमा व्यवस्था नहीं है), युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), हमला, विदेशी दुश्मनों द्वारा की गई कार्रवाई, वैश्विक आतंकवाद, गृहयुद्ध, विद्रोह, युद्ध की बमबारी, विस्फोटक सामग्री, आयनीकृत विकरण या रेडियो सक्रियता के कारण संदूषण, विद्रोह, राजद्रोह, सेना या हड़पने वाली शक्तियां, सरकार के किसी कृत्य, हवाई विध्वंस, तोड़फोड़, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बिजली, तूफान, सुनामी व अभूतपूर्व बाढ़ व संविदाकार के नियंत्रण से परे अन्य कारण जिन्हें स्वीकरण अधिकारी द्वारा ऐसा स्वीकार किया गया हो या जिस कार्य के भाग के लिए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किय जा चुका हो उसे "निगम" के स्वयं के प्रयोग या स्वामित्व की वजह से उत्पन्न होने वाले जोखिम हैं।
- 1.1.22 "जीसीसी" का तात्पर्य है जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रैक्ट या संविदा की सामान्य शर्तें।
- 1.1.23 "अप्रकट दोष" से तात्पर्य ऐसे दोषों से है जो मौजूद होने के बावजूद परीक्षण के समय प्रकट नहीं हुए और दोष बाध्यता अवधि के दौरान जिन पर कार्य न किया गया हो।
- 1.1.24 "कानून" से तात्पर्य सभी राष्ट्रीय (या राजकीय) कानूनों, संविधियों, अध्यादेशों और अन्य कानूनों तथा विनियमों व विधि सम्मत किसी नागरिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए उप-कानूनों से है।

- 1.1.25 **"Local Currency"** means the currency of India. **"Foreign Currency"** means a currency in which part (or all) of the Contract Price is paid in currency other than the Local Currency.
- 1.1.26 **"Market Rate"** shall be the rate as decided by the Engineer-In-Charge on the basis of the cost of materials and labour at the Site where the work is to be executed, plus 10 % to cover all overheads and profit. For material issued by the Corporation, the overheads and profit percentage shall be allowed @ 2.5%.
- 1.1.27 **"Minimum Wages"** shall be the minimum wages declared from time to time by the state or central government, whichever is higher.
- 1.1.28 **"Near Relatives"** means wife, husband, parents and grandparents, children and grandchildren, brothers and sisters, uncles and aunts, cousins and their corresponding in-laws.
- 1.1.29 **"Part Completion Certificate"** means the certificate issued by the Corporation on completion of items or group of items for which separate period of completion have been specified in the contract, issued in accordance with Sub clause 8.1 (Completion Certificate).
- 1.1.30 **"Party"** shall mean Corporation or Contractor, as the context requires.
- 1.1.31 **"Performance Guarantee"** is the guarantee to be submitted by the Contractor to the Corporation in accordance with sub-clause No. 4.2.3 (Performance Guarantee).
- 1.1.32 **"Pre-Commissioning"** means the testing, checking and other requirements specified in the technical specifications that are to be carried out by the contractor in preparation for commissioning.
- 1.1.33 **"Retention Money"** means the accumulated retention money which the Corporation retains from the Running Bills as specified in sub-clause No. 4.2.5 (Retention Money).
- 1.1.34 **"Schedule(s)"** referred to in these conditions shall mean the relevant schedule (s) annexed to the tender papers issued by the Corporation.
- 1.1.35 **"Scheduled Commercial Bank"** in India as per definition of Reserve Bank of India shall include of the following bank groups (i) State Bank of India and its associates, (ii) Nationalized Banks, (iii) Regional Rural Banks, (iv) Foreign Banks and (v) Other Indian Scheduled Commercial Banks (in the private sector).
- 1.1.36 **"Site"** means the places where Works are to be executed, including storage and working areas, and to which Plant and Materials are to be delivered and any other places as may be specified in the Contract as forming part of the Site .
- 1.1.37 **"Specification"** means the specification of the works included in the contract and any modification / addition made or approved by the Engineer-in-charge.
- 1.1.38 **"Sub-Contractor"** means any person named in the Contract as a Sub-Contractor, or any person appointed as a Sub-Contractor, for a part of the Works; and the legal successors in title to each of these persons. Piece rate Contractors are not to be considered as Sub-Contractor.
- 1.1.39 **"Temporary Works"** shall mean all temporary works of every kind required in or about the execution, completion or maintenance of the Works.

- 1.1.25 "**स्थानीय मुद्रा**" से तात्पर्य भारत की मुद्रा से है। "**विदेशी मुद्रा**" से तात्पर्य स्थानीय मुद्रा के अलावा उस मुद्रा से है जिसमें संविदा की कीमत के एक हिस्से (या पूरी कीमत) का भुगतान किया गया हो।
- 1.1.26 "**बाजार दर**" प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य किए जाने वाले स्थल पर सामग्री और मजदूरी की कीमत के आधार पर निश्चित की गई दर तथा सभी ऊपर के खर्च व लाभ को पूरा करने के लिए 10% जोड़ कर निकाली जाएगी। निगम द्वारा जारी की गई सामग्री के लिए 2.5 % की दर से ऊपरी खर्च व लाभ प्रतिशत अनुमन्य होगा।
- 1.1.27 "**न्यूनतम मजदूरी**" से तात्पर्य राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम मजदूरी में से जो भी अधिक हो, से है।
- 1.1.28 "**निकट संबंधी**" से तात्पर्य पत्नी, पति, माता-पिता व दादा-दादी, संतानों व नाती-पोते, भाई व बहनें, चाचा-चाची, चचेरे भाई-बहन व इनके समकक्ष ससुराल पक्ष के लोगों से है।
- 1.1.29 "**भाग पूर्णता प्रमाण पत्र**" से तात्पर्य निगम द्वारा कार्य की मदों या ऐसी मदों के समूह के लिए जारी किए गए ऐसे प्रमाणपत्र से है जिनके लिए संविदा में उपखण्ड 8.1 के अनुरूप (पूर्णता प्रमाणपत्र) पृथक पूर्णता अवधि विनिर्देशित की गई हो।
- 1.1.30 "**पक्ष**" का तात्पर्य संदर्भ के अनुसार निगम या संविदाकार होगा।
- 1.1.31 "**कार्य निष्पादन गारंटी**" वह गारंटी है जो संविदाकार द्वारा निगम के पास उपखण्ड 4.2.3(कार्यनिष्पादन गारंटी) जमा कराई जानी है।
- 1.1.32 "**कमीशनिंग-पूर्व**" का अर्थ कमीशनिंग की तैयारी करते समय संविदाकार द्वारा तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले परीक्षण, जांच व अन्य आवश्यकताएं हैं।
- 1.1.33 "**प्रतिधारण राशि**" का तात्पर्य उस संचित राशि से है जो निगम उपखण्ड 4.2.5 (प्रतिधारण राशि) के विनिर्देशों के अनुरूप चालू बिलों में से रोक लेता है।
- 1.1.34 "**अनुसूची(अनुसूचियां)**" इन शर्तों में अनुसूची (यों) से संदर्भ निगम द्वारा जारी किए गए निविदा कागजातों के साथ संलग्न की गई तत्संबंधी अनुसूची (यों) से होगा।
- 1.1.35 "**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक** " भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिभाषा के अनुसार भारत में निम्नलिखित बैंक समूहों को शामिल किया गया है- (i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व इसके सहयोगी बैंक (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक, (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (iv) विदेशी बैंक और (v) अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (निजी क्षेत्रों के)।
- 1.1.36 "**स्थल**" से तात्पर्य है वह जगह जहां भंडार व कार्यक्षेत्र के साथ-साथ कार्य किया जाना हो और जहां पर संयंत्र या सामग्री की सुपुर्दगी की जानी हो तथा संविदा में विनिर्देशित कोई अन्य स्थान जिसे स्थल के भाग के रूप में माना गया हो।
- 1.1.37 "**विनिर्देश**" से तात्पर्य संविदा में शामिल कार्य और उनमें प्रभारी अभियंता द्वारा किए गए अथवा अनुमोदित किसी प्रकार के संशोधन/ परिवर्तनों के विनिर्देशों से है।
- 1.1.38 "**उप संविदाकार**" से तात्पर्य संविदा में उप संविदाकार के रूप में नामित, अथवा कार्य के किसी भाग के लिए उप संविदाकार के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है; और विलेख में उल्लिखित इन व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों से है। इकाई दर (पीस रेट) पर कार्य करने वाले संविदाकारों को उप संविदाकार नहीं माना जाएगा।
- 1.1.39 "**अस्थाई कार्य**" से तात्पर्य कार्य निष्पादन, कार्यपूर्णता या कार्य के अनुरक्षण संबंधी कार्यों के लिए किए जाने वाले हर प्रकार के अस्थाई कार्यों से होगा।

- 1.1.40 **"Urgent Works"** shall mean any urgent measures which, in the opinion of Engineer-in-Charge, become necessary during the progress of Work to obviate risk of accident or failure or which become necessary for security and safety.
- 1.1.41 A **"Variation"** is an instruction / communication given by Engineer-in-charge or his representative, which varies the works.
- 1.1.42 **"WCMS"** shall mean the Work contract Management system software used by NPCIL for handling works contract.
- 1.1.43 **"Work order"** is the formal communication by the Corporation to the bidder whose bid has been accepted
- 1.1.44 **"Works"** shall mean the works to be executed in accordance with the Contract or part(s) thereof as the case may be and shall include all extra or additional, altered or substituted works as required for execution of the Contract. It shall include variations and urgent works.
Any term which is not defined herein but defined under different enactment shall be construed to have the same meaning as defined in the act.

1.2 Interpretation

In the Contract, except where the context requires otherwise:

- (a) Words indicating one gender include all genders;
- (b) Words indicating the singular also include the plural and vice versa;
- (c) the word "tender" is synonymous with "bid", "tenderer" with "bidder" and "tender documents" with "bidding documents"; and
- (d) 'Written' or 'in writing' means hand-written, type-written, printed or electronically made, which would be produced physically as an evidence for the communication.

The marginal words and other headings shall not be taken into consideration in the interpretation of these Conditions.

1.3 Law and Language

- 1.3.1 The contract shall be governed by the law of the country or other jurisdiction stated in the contract. The country unless otherwise stated in the contract shall be India.
- 1.3.2 The ruling language of the contract shall be English unless otherwise stated in the Contract.

1.4 Priority of Documents

- 1.4.1 In the case of discrepancy between Schedule of Quantities, the special conditions, the Specifications and/or the Drawings, the following order of preference shall be observed:
- (a) Description in Schedule of Quantities and rates
 - (b) Special Conditions of Contract, if any
 - (c) Drawings

- 1.1.40 "**तात्कालिक कार्य**" से तात्पर्य ऐसे तात्कालिक उपायों से होगा जिन्हें प्रभारी अभियंता की राय में कार्य की प्रगति के दौरान दुर्घटना के जोखिम को कम करने या असफलता से बचने अथवा सुरक्षा व संरक्षा के लिए आवश्यक समझा गया हो।
- 1.1.41 "**विचलन**" प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा दिया जाने वाला निर्देश/ पत्राचार है जिसके कारण कार्य में बदलाव आ जाता है।
- 1.1.42 "**डब्ल्यूसीएमएस**" से तात्पर्य वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर या कार्य संविदा प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर है जिसे एनपीसीआईएल द्वारा कार्य संविदाओं के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है।
- 1.1.43 "**कार्य आदेश**" जिस बोलीकर्ता की बोली स्वीकार हो जाती है उसके साथ निगम द्वारा किया जाने वाला औपचारिक पत्राचार है।
- 1.1.44 "**कार्य**" से तात्पर्य संविदा या उसके किसी भाग(भागों) जैसा भी मामला हो, के अनुरूप निष्पादित किए जाने वाले कार्य से है और इसमें संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक अलग से या जोड़ा गया, परिवर्तित या स्थानापन्न कार्य भी शामिल है। इसमें विचलन व तात्कालिक कार्य शामिल होंगे।

जिस शब्दावली को यहां परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि अन्य अधिनियमन में परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ अधिनियम में परिभाषित अर्थ के समान होगा।

1.2 व्याख्या

संविदा में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (ए) किसी एक लिंग में लिखे गए शब्द सभी लिंगों के लिए लागू होंगे।
 - (बी) एक वचन में लिखे गए शब्दों में बहुवचन तथा बहुवचन वाले शब्दों में एक वचन भी शामिल है।
 - (सी) "निविदा" शब्द "बोली" का, "बोलीकर्ता" शब्द "बोलीदाता" का और "निविदा दस्तावेज" शब्द "बोली दस्तावेज" शब्द का समानार्थी है।
 - (डी) "लिखित" या "लिखित में" शब्द का अर्थ हस्त-लिखित, टंकित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रीति से निर्मित शब्द है जो कि पत्राचार के साक्ष्य के रूप में भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- इन शर्तों की व्याख्या के लिए हाशिए के शब्दों व अन्य शीर्ष लेखनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.3 कानून व भाषा

- 1.3.1 संविदा देश के कानून या संविदा में उल्लिखित अन्य अधिकार क्षेत्र द्वारा शासित होगी। जब तक कि संविदा में अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, देश से तात्पर्य भारत से होगा।
- 1.3.2 जब तक कि संविदा में अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, संविदा को नियमित करने वाली भाषा अंग्रेजी होगी।

1.4 दस्तावेजों का प्राथमिकता क्रम

- 1.4.1 यदि मात्रा की अनुसूची, विशेष शर्तों, विनिर्देशों और/अथवा रेखाचित्रों आदि में कोई विसंगति पाई जाती है तो निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का पालन किया जाएगा :
- (ए) मात्रा व दर अनुसूची में दिया गया विवरण
 - (बी) संविदा की विशेष शर्तें, यदि कोई हों
 - (सी) रेखाचित्र

- (d) Technical specifications
- (e) General Conditions of Contracts

1.4.2 Any inadvertent error in description, quantity or rate in Schedule of Quantities or any omission there from shall not vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised therein according to terms and conditions or from any of his obligations under the Contract.

1.4.3 If there are varying or conflicting provisions made in any one document forming part of the contract, the Accepting Authority shall be the deciding authority with regard to the intention of the document.

1.5 Contractor's Documents for use by Corporation

1.5.1 The Contractor shall maintain at his Site Office all drawings, specifications and other Contract documents and any other supplementary data complete with all the latest revisions thereto. The Contractor shall also maintain, in addition, the continuous record of all changes to the above Contract documents, drawings, specifications, supplementary data, etc. effected at the site. Whenever called by Engineer-in-charge, the Contractor shall incorporate all such changes on the drawings and other engineering data to indicate actual construction/fabrication and erection carried out under the Contract. Two copies of such revised / updated drawings and engineering data shall be submitted to the Engineer-in-Charge along with the soft copies on completion of his total assignment or the milestones as specified under the Contract.

1.5.2 The Contractor shall be deemed (by signing the Contract) to give to the Corporation a non-terminable transferable non-exclusive royalty-free license to copy, use and communicate the Contractor's Documents, including making and using modifications of them. This license shall:

- (a) apply throughout the actual or intended working life (whichever is longer) of the relevant parts of the Works,
- (b) entitle any person in lawful possession of the relevant part of the Works to copy, use and communicate the Contractor's Documents for the purposes of completing, operating, maintaining, altering, adjusting, repairing and demolishing the Works, and
- (c) in the case of Contractor's Documents, which are recorded in computer programs and other software, permit the access to the data through any computer on the Site.

1.5.3 The Contractor's Documents and other design documents made by (or on behalf of) the Contractor shall not, without the Contractor's consent, be used, copied or communicated to a third party by (or on behalf of) the Corporation for purposes other than those permitted under this sub-clause.

1.6 Corporation's Documents for use by Contractor

1.6.1 The Corporation shall retain copyright and other intellectual property rights of their Specification, the Drawings and other documents made by (or on behalf of) the Corporation. The Contractor may, at his cost, copy, use, and obtain communication of these documents for the

(डी) तकनीकी विनिर्देश

(ई) संविदा की सामान्य शर्तें

1.4.2 विवरण, मात्रा अनुसूची में मात्रा या दर में किसी प्रकार की भूल-चूक अथवा उसमें कुछ छूट जाने के कारण संविदा प्रभावहीन नहीं होगी और न ही संविदाकार को संविदा में वर्णित कार्य के पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को नियम व शर्तों के अनुसार निष्पादन से अथवा किसी प्रकार की बाध्यता से मुक्त करेगी।

1.4.3 यदि इस संविदा के किसी भाग के किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई भिन्नता या विरोधाभास होता है तो, सहमति प्राधिकारी को उस कागजात के मन्तव्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा।

1.5 निगम द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संविदाकार के दस्तावेज

1.5.1 संविदाकार अपने कार्यस्थल कार्यालय में सभी रेखाचित्र, विनिर्देशों व अन्य संविदा कागजातों और नवीनतम संशोधनों सहित अन्य पूरक आंकड़ों को अद्यतन रखेंगे। इसके साथ-साथ संविदाकार उपर्युक्त संविदा दस्तावेजों, रेखाचित्रों, विनिर्देशों, पूरक आंकड़ों आदि में कार्यस्थल में किए गए सभी परिवर्तनों के रिकार्ड रखेंगे। प्रभारी अभियंता द्वारा बताए जाने पर संविदाकार इस संविदा के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी परिवर्तनों को रेखाचित्र में प्रदर्शित कर व वास्तविक निर्माण/गढ़ाई व स्थापन आदि के अन्य सभी अभियांत्रिकी आंकड़ों को संशोधित करेंगे। संविदा में विनिर्देशित किए गए कार्य या खण्ड-कार्य को पूरा करने के पश्चात ऐसे संशोधित/अद्यतन रेखाचित्रों व अभियांत्रिकी आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति सहित दो प्रतियां प्रभारी अभियंता के पास प्रस्तुत की जाएंगी।

1.5.2 संविदा पर हस्ताक्षर करते ही यह मान लिया जाएगा कि संविदाकार ने निगम को संविदाकार के कागजातों को बनाने और उनमें संशोधन करने सहित प्रतिलिपि बनाने, प्रयोग करने व प्रसारित करने के लिए असमाप्य हस्तांतरणीय अपृथकरणीय रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंस दे दिया है। यह लाइसेंस :

(ए) संपूर्ण वास्तविक या कार्य के संबंधित भाग की वांछित कार्यावधि (जो भी बाद में हो) के लिए लागू रहेगा,

(बी) कार्य के संबंधित भाग के कानूनी स्वामी को कार्य पूरा करने, प्रचालित करने, अनुरक्षण करने, परिवर्तन करने, समायोजित करने, मरम्मत करने व तोड़-फोड़ करने के लिए संविदाकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि उतारने, प्रयोग व प्रसारण करने का अधिकार देगा, और

(सी) संविदाकार के ऐसे दस्तावेजों के मामले में, जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम या अन्य सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया हो, आंकड़ों को स्थल के किसी भी कंप्यूटर से प्राप्त करने की अनुमति देगा।

1.5.3 संविदाकार के दस्तावेज व संविदाकार द्वारा (या उनकी ओर से) तैयार किए गए अन्य अभिकल्पन दस्तावेजों को निगम द्वारा (या उनकी ओर से) इस उप-खण्ड में अनुमेय उद्देश्यों के अलावा संविदाकार की सहमति के बगैर न तो उपयोग किया जाएगा, न प्रतियां बनाई जाएंगी और न ही किसी तीसरे पक्ष को संप्रेषित किया जाएगा।

1.6 संविदाकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निगम के दस्तावेज

1.6.1 निगम को अपने विनिर्देशों, रेखाचित्रों व निगम द्वारा तैयार किए गए (या निगम की ओर से) अन्य दस्तावेजों का कॉपीराइट व अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार

purposes of the Contract. They shall not, without the Corporation's consent in writing, be copied, used or communicated to a third party by the Contractor.

1.7 Confidential Details

- 1.7.1 The Contractor shall take necessary steps to ensure that all persons employed on any work in connection with this Contract have noticed that the Indian Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) applies to them and shall continue to apply even after the execution of such works under the Contract.
- 1.7.2 The Contractor's and the Corporation's Personnel shall disclose all such confidential and other information as may be reasonably required in order to verify compliance with the Contract and allow its proper implementation.
- 1.7.3 Each of them shall treat the details of the Contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out their respective obligations under the Contract or to comply with applicable Laws. Each of them shall not publish or disclose any particulars of the Works prepared by the other Party without the previous agreement of the other Party. However, the Contractor shall be permitted to disclose any publicly available information, or information otherwise required to establish his qualifications to compete for other projects.

1.8 Compliance with Law

- 1.8.1 The Contractor shall, in executing the Contract, comply with applicable Laws. Unless otherwise stated:
 - (a) the Corporation shall have obtained (or shall obtain) the planning, zoning, building permit or similar permission for the Permanent Works, and any other permissions described in the Specification as having been (or to be) obtained by the Corporation; and the Corporation shall indemnify and hold the Contractor harmless against and from the consequences of any failure to do so; and
 - (b) the Contractor shall give all notices, pay all taxes, duties and fees, and obtain all permits, licenses and approvals, as required by the Laws in relation to the execution and completion of the Works and the remedying of any defects; and the Contractor shall indemnify and hold the Corporation harmless against and from the consequences of any failure to do so, unless the Contractor is impeded to accomplish these actions and shows evidence of its diligence.

1.9 Changes in Constitution

- 1.9.1 Where the Contractor is a partnership firm, Joint Venture, collaborate or consortium, prior approval in writing of the Accepting Authority (defined

होगा। संविदाकार चाहे तो संविदा के कार्यों हेतु अपने खर्च पर इन दस्तावेजों की प्रतिलिप तैयार करवा सकता है, उपयोग कर सकता है अथवा इन्हें प्राप्त कर सकता है। निगम की लिखित अनुमति के बगैर संविदाकार तीसरे पक्ष के लिए इनका प्रतिलिपीकरण, उपयोग या प्रसारण नहीं करेगा।

1.7 गोपनीय विवरण

- 1.7.1 संविदाकार इस संविदा से संबंधित किसी भी कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को यह सूचना प्राप्त सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि उन पर भारतीय कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19वां) लागू होता है और यह इस संविदा के समाप्त हो जाने के बाद भी उन पर लागू रहेगा।
- 1.7.2 संविदाकार व निगम के कर्मचारी संविदा के अनुपालन की पुष्टि और उचित ढंग से लागू किए जाने के लिए ऐसी सभी गोपनीय एवं अन्य सूचनाएं जिनके लिए पर्याप्त औचित्य हो, उपलब्ध कराएंगे।
- 1.7.3 दोनों में से प्रत्येक संविदा के अधीन या लागू कानूनों के अनुपालन के क्रम में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करते समय आवश्यक होने की स्थिति के अलावा संविदा के विवरण को व्यक्तिगत व गोपनीय समझेंगे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य पक्ष द्वारा तैयार किए गए कार्य के विवरण को अन्य पक्ष की पूर्व सहमति के बगैर न तो प्रकाशित करेगा और न ही किसी को बताएगा। तथापि संविदाकार आम जनता के लिए उपलब्ध सूचनाओं अथवा अन्य किसी परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए सूचना दे सकेगा।

1.8 कानून का अनुपालन

- 1.8.1 संविदाकार, संविदा के निष्पादन के दौरान, लागू कानूनों का अनुपालन करेगा। जब तक कि अन्यथा न कहा जाए :
 - (ए) निगम द्वारा योजना, क्षेत्रीकरण, निर्माण की अनुमति ले ली हो (या ले रहा हो) अथवा निगम द्वारा स्थाई कार्य के लिए इसी प्रकार की अनुमति और विनिर्देशों में वर्णित कोई अन्य अनुमति प्राप्त की जा चुकी हो(होने वाली हो): और ऐसा न कर पाने की दशा के परिणामों से संविदाकार को किसी प्रकार का नुकसान न होने देने के लिए निगम क्षतिपूर्ति की गारंटी देगा: और
 - (बी) संविदाकार सभी नोटिस देंगे, सभी करें, प्रभारों व शुल्कों का भुगतान करेंगे और कार्य के निष्पादन व पूर्णता तथा दोषों को दूर करने से संबंधित कार्यों के लिए कानूनी रूप से आवश्यक सभी परमिट, लाइसेंस तथा अनुमोदन प्राप्त करेंगे: और जब तक कि संविदाकार को इन कार्रवाईयों को पूरा करने से रोका न जाए, और अपनी उद्यमिता के प्रमाणस्वरूप ऐसा न कर पाने की दशा के परिणामों से निगम को किसी प्रकार का नुकसान न होने देने के लिए संविदाकार क्षतिपूर्ति की गारंटी देगा।

1.9 संविधान में परिवर्तन

- 1.9.1 जहां पर संविदाकार एक भागीदारी वाली फर्म, संयुक्त उद्यम, सहभागी या सहायता संघ हो, फर्म के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले सहमतिदाता प्राधिकारी (निगम द्वारा परिभाषित) से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जहां संविदाकार कोई व्यक्ति

by the Corporation) shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the Contractor is an individual or a Hindu Undivided Family business concern such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the Contractor enters into any partnership firm which would have the right to carry out the work hereby undertaken by the Contractor.

1.9.2 Where the Contractor is a partnership firm, Joint Venture, collaborate or consortium partnership the Contractor shall intimate the Corporation of any change or modifications in the terms within their partnerships, which could happen between the submission of bids and awarding of bid. The Contractor shall obtain prior approval in case of any such change or modification happens during the currency of the contract.

1.9.3 If prior approval as aforesaid is not obtained, the Contract shall be deemed to have been assigned in contravention thereof and the same action may be taken as provided for in the said clause 13.2 (Determination/Cancellation of Contract).

1.10 Conflict of Interest

1.10.1 The Contractor shall not be permitted to tender for works in the NPCIL units (responsible for award and execution of work) in which his near relative is posted as an officer in any capacity.

1.10.2 He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives of any officer in the NPCIL.

1.10.3 He shall also intimate if any employee of the Corporation has or develops a financial or other interest of either with the Contractor or his company during the execution of the contract.

1.10.4 The Contractor shall also intimate if any of the employee of NPCIL has any financial interest in the Contractor's firm or company.

Any breach of the above conditions by the Contractor would render him liable for cancellation of the Contract.

1.11 Patent Indemnity

1.11.1 The contractor shall fully indemnify the Corporation against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under an action brought against Corporation in respect of any such matters as aforesaid the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise therefrom. Provided that the contractor shall not be liable to indemnify the Corporation in the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-charge.

अथवा अविभाजित हिंदू व्यापारी परिवार हो वहां संविदाकार द्वारा किसी ऐसी सहभागी फर्म जिसके पास संविदाकार द्वारा एतद्वारा लिए गए कार्य को करने का अधिकार हो, के साथ किसी भी प्रकार की सहभागिता करने से पहले उपर्युक्त की ही तरह का अनुमोदन लिया जाएगा।

1.9.1 जहां संविदाकार एक भागीदारी वाली फर्म, संयुक्त उद्यम, सहभागी या सहायता संघ हो, वहां उनकी भागीदारी की शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर संविदाकार निगम को सूचित करेंगे जोकि उनके बोली जमा करने और बोली अवार्ड करने के अंतराल में संभव है। यदि संविदा अवधि के दौरान ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन होता है तो संविदाकार को पूर्वानुमति लेनी होगी।

1.9.2 यदि उपर्युक्त के अनुसार अनुमोदन नहीं प्राप्त किया जाता है तो संविदा का जारी रखा जाना उल्लंघन माना जाएगा और उक्त खण्ड 13.2 (संविदा का निर्धारण/निरस्तीकरण) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

1.10 हितों का टकराव

1.10.1 यदि संविदाकार का कोई निकट संबंधी एनपीसीआईएल की किसी इकाई (कार्य को अवार्ड करने व निष्पादन) में किसी भी हैसियत के अधिकारी के पद पर, कार्य कर रहा हो तो संविदाकार को उस इकाई में कार्य के लिए निविदा करने की अनुमति नहीं होगी।

1.10.2 वह अपने साथ किसी भी हैसियत में काम कर रहे या बाद में उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उन व्यक्तियों जो एनपीसीआईएल के किसी अधिकारी के निकट संबंधी हैं, के नामों की सूचना भी देंगे।

1.10.3 वह निगम के ऐसे कर्मचारियों जिनके, संविदाकार या उनकी कंपनी के साथ, इस संविदा के निष्पादन के दौरान वित्तीय या अन्य किसी प्रकार के हित जुड़ते हैं, की भी सूचना देंगे।

1.10.4 यदि एनपीसीआईएल के किसी कर्मचारी के संविदाकार की फर्म या कंपनी के साथ किसी प्रकार के वित्तीय हित जुड़े हों तो संविदाकार इसे भी सूचित करेंगे।
उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर संविदाकार की संविदा को निरस्त किया जा सकता है।

1.11 पेटेंट सुरक्षा

1.11.1 संविदाकार किसी पेटेंट या अभिकल्प या कोई तथाकथित पेटेंट या अभिकल्प अधिकारों का प्रयोग करता है या उल्लंघन करता है तो उससे संबंधित किसी कार्यवाही, दावे या कानूनी कार्रवाई से संपूर्ण सुरक्षा करेगा और किसी लेख या उसके भाग के बारे में संविदा के उल्लेख के अनुसार देय किसी रॉयल्टी का भुगतान करेगा। यदि उपर्युक्त किसी भी मामले में निगम के विरुद्ध किसी कार्रवाई के अंतर्गत कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बारे में संविदाकार को तत्काल सूचित किया जाएगा और संविदाकार को अपने खर्च पर ऐसे विवादों को सुलझाने या कोई कानूनी प्रक्रिया करने की स्वतंत्रता होगी। परंतु यदि ऐसे पेटेंट या अभिकल्प अथवा कोई तथाकथित पेटेंट या अभिकल्प अधिकार का उल्लंघन प्रभारी अभियंता के द्वारा पारित आदेश के स्पष्ट परिणामस्वरूप हुआ हो तो, संविदाकार निगम को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

2 THE CORPORATION

2.1 Possession of Site

- 2.1.1 The Contractor shall not be permitted to enter on (other than for inspection purposes) or take possession of the site until instructed to do so by the Engineer-in-Charge in writing. The portion of the Site to be occupied by the Contractor shall be defined and /or marked on the Site Plan, failing which these shall be indicated by the Engineer-in-Charge at site and the Contractor shall on no account be allowed to extend his operations beyond these areas.
- 2.1.2 It is deemed that the Contractor has inspected and has full knowledge of the site.
- 2.1.3 The Engineer-in-charge shall give the Contractor right of access to and possession of, part or all parts of the Site (as deemed necessary) within the time specified in the Schedule A.
- 2.1.4 If no such time is stated in the Contract, the Corporation shall give the Contractor right of access to, and possession of, the Site within such times as required to enable the Contractor to proceed without disruption in accordance with the program submitted.
- 2.1.5 The Corporation may withhold the action on giving the right of access to and possession of site to the Contractor till the Performance Guarantee and acceptance of work order has been received.

2.2 Permits, Licenses or Approvals

- 2.2.1 The Corporation shall provide, at the request of the Contractor, such reasonable assistance or direction, which shall be limited to the issue of necessary certificates as required under law so as to allow the Contractor to obtain the following:
 - (a) copies of the Laws of the Country which are relevant to the Contract but are not readily available, and
 - (b) any permits, licenses or approvals required by the Laws of the Country which the Contractor is required to obtain under sub-clause 1.8 [Compliance with Law], for the delivery of Goods, including clearance through customs, and or the export of Contractor's Equipment when it is removed from the Site.
- 2.2.2 However, no claims can be made by the Contractor with respect to this clause.

2.3 Corporation's Personnel

- 2.3.1 The Corporation shall be responsible for ensuring that the Corporation's Personnel and the other Contractors deputed by Corporation at the Site:
 - (a) co-operate with the Contractor's efforts under sub-clause 4.21 [Co-operation and Facilities to Other Contractors], and
 - (b) take or facilitate actions similar to those which the Contractor is required to take under Sub-Clause 5.6 [Health and Industrial Safety] and Sub-Clause 4.13 [Protection of the Environment].

2. निगम

2.1 स्थल का कब्जा

- 2.1.1 जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा कोई लिखित आदेश न दिया जाए, संविदाकार को कार्यस्थल में प्रवेश करने (निरीक्षण कार्य के अलावा) या कार्यस्थल पर कब्जा लेने की अनुमति नहीं होगी। संविदाकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयंत्र स्थल के भाग को स्थल योजना में परिभाषित/ चिह्नित किया जाएगा और यदि ऐसा न किया गया हो तो स्थल प्रभारी अभियंता द्वारा इसे चिह्नित किया जाएगा और संविदाकार को किसी भी दशा में, इन क्षेत्रों के बाहर कार्य नहीं करने दिया जाएगा।
- 2.1.2 यह मान लिया जाता है कि संविदाकार ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर लिया है और उसे कार्यस्थल की पूरी जानकारी है।
- 2.1.3 प्रभारी अभियंता अनुसूची ए में विनिर्देशित समय सीमा में संविदाकार को कार्यस्थल के संपूर्ण भाग या उसके एक हिस्से (जैसा भी आवश्यक हो) की उपलब्धता तथा प्रवेश का अधिकार प्रदान करेंगे।
- 2.1.4 यदि संविदा में ऐसी समय सीमा तय न की गई हो तो, निगम संविदाकार को कार्यस्थल प्रवेश का अधिकार और कब्जा ऐसी अवधि में देगा जिससे संविदाकार बगैर किसी रुकावट के अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सके।
- 2.1.5 निगम कार्यनिष्पादन गारंटी और कार्यआदेश सहमति प्राप्त होने तक संविदाकार को कार्यस्थल पर प्रवेश व कब्जा देने संबंधी कार्रवाई को रोके रख सकता है।

2.2 परमिट, लाइसेंस या अनुमोदन

- 2.2.1 निगम, संविदाकार के अनुरोध पर ऐसी तर्कसंगत सहायता या निदेश जो कानूनों के अधीन आवश्यक प्रमाणपत्र आदि जारी करने मात्र तक ही सीमित हो, उपलब्ध कराएगा ताकि संविदाकार निम्नलिखित को प्राप्त कर सके :
 - (ए) संविदा से संबंधित देश के कानूनों की आसानी से उपलब्ध न होने वाली प्रतियां और
 - (बी) देश के कानूनों के अनुसार आवश्यक कोई परमिट, लाइसेंस या अनुमोदन जिसे संविदाकार को उप खण्ड 1.8 (कानूनों का अनुपालन) के अधीन सीमाशुल्क निकासी सहित सामान की सुपुर्दगी और अथवा कार्यस्थल से हटाने के बाद संविदाकार के उपकरणों को बाहर ले जाने करने के लिए, प्राप्त करना आवश्यक हो।
- 2.2.2 तथापि, संविदाकार द्वारा इस खण्ड से संबंधित कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

2.3 निगम के कर्मचारी

- 2.3.1 निगम द्वारा कार्यस्थल पर प्रतिनियुक्त किए गए निगम के कर्मचारी तथा अन्य संविदाकारों के बारे में यह सुनिश्चित करना निगम की जिम्मेदारी होगी कि :
 - (ए) वे उपखण्ड 4.21(अन्य संविदाकारों से सहयोग व सुविधाएं) के अधीन कार्यों में संविदाकार के साथ सहयोग करें, और
 - (बी) संविदाकार द्वारा उपखण्ड 5.6 (स्वास्थ्य और औद्योगिक संरक्षा) और उपखण्ड 4.13 (पर्यावरण संरक्षण) के अधीन किए जाने वाले कार्यों पर कार्रवाई करना या सुविधा उपलब्ध कराना।

2.4 Corporation Claims

- 2.4.1 If the Corporation considers itself to be entitled to any payment under any Clause of these Conditions or otherwise in connection with the Contract, and/or to any extension of the defect liability period, the Engineer-in-charge shall give notice and particulars to the Contractor. However, notice is not required for payments due under Electricity, Water and Gas, Corporation's Equipment, Free-Issue Material and municipal taxes on land utilized for colony or for other services rendered by the Corporation.
- 2.4.2 The notice shall be given as soon as practicable after the Corporation became aware of the event or circumstances giving rise to the claim. A notice relating to any extension of the Defects Liability Period shall be given before the expiry of such period.
- 2.4.3 The particulars shall specify the Clause or other basis of the claim, and shall include substantiation of the amount and/or extension to which the Corporation considers itself to be entitled in connection with the Contract. The Corporation shall set off or deduct against amount due, or otherwise to claim against the Contractor.

3 THE ENGINEER-IN-CHARGE

3.1 Engineer-In-Charge's Duties and Authority

- 3.1.1 The Corporation shall nominate the Engineer-in-charge, who shall carry out the duties assigned to him in the Contract. The Engineer-in-charge's staff shall include suitably qualified engineers and other professionals who are competent to carry out these duties.
- 3.1.2 The Engineer-in-Charge is entitled to watch and supervise the works and to test and examine any materials to be used or workmen employed in connection with the works.
- 3.1.3 Engineer-in-charge shall also certify and release payments for the work done and make deductions as per the contract.
- 3.1.4 The Engineer-in-charge may exercise the authority attributable to the Engineer-in-charge as specified in or necessarily to be implied from the Contract. The Corporation shall promptly inform the Contractor of any change to the authority attributed to the Engineer-in-charge.
- 3.1.5 Except as otherwise stated in these Conditions:
 - (a) Whenever carrying out duties or exercising authority, specified in or implied by the Contract, the Engineer-in-charge shall be deemed to act for and behalf of the Corporation;
 - (b) Any approval, check, certificate, consent, examination, inspection, instruction, notice, proposal, request, test, supervision or similar act by the Engineer-in-charge (including absence of disapproval) shall not relieve the Contractor from any responsibility he has under the Contract, including responsibility for errors, omissions, discrepancies and non-compliances.

2.4 निगम के दावे

- 2.4.1 यदि निगम यह सोचता है कि वह इन शर्तों के किसी खण्ड के अंतर्गत या अन्यथा संविदा से संबंधित किसी भुगतान और/अथवा किसी दोष बाध्यता अवधि के बढ़ाए जाने का हकदार है तो प्रभारी अभियंता संविदाकार को नोटिस और विवरण देंगे। तथापि बिजली खर्च, पानी व गैस, निगम के उपकरण, मुफ्त जारी सामग्री और कॉलोनी या निगम द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग की गई जमीन पर नगर पालिका करों के लिए नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 2.4.2 यह नोटिस निगम द्वारा उन परिस्थितियों व घटनाओं जिनके कारण यह दावा बनता है, की जानकारी प्राप्त होने के बाद यथा व्यवहार्य शीघ्र से शीघ्र दी जाएगी। किसी भी प्रकार की दोष बाध्यता अवधि को बढ़ाने संबंधी नोटिस ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले दी जाएगी।
- 2.4.3 संविदा से संबंधित विवरण में दावे के आधार के प्रावधान खण्ड को विनिर्देशित किया जाएगा और इसमें उस राशि/और या अवधि विस्तार के दावे को मजबूत करने वाले साक्ष्य दिए जाएंगे जिनके आधार पर निगम स्वयं को हकदार समझता है। निगम अपने दावे की राशि संविदाकार को भुगतान योग्य देय राशि से बराबर करेगा या काट लेगा।

3. प्रभारी अभियंता

3.1 प्रभारी अभियंता के कर्तव्य व प्राधिकार

- 3.1.1 निगम एक प्रभारी अभियंता को नामित करेगा, जो संविदा में उनके लिए वर्णित कार्यों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रभारी अभियंता के स्टाफ में उपयुक्त योग्यता प्राप्त अभियंता व इन कार्यों को करने में सक्षम अन्य कुशल कर्मचारी होंगे।
- 3.1.2 प्रभारी अभियंता कार्य की निगरानी व पर्यवेक्षण करने व कार्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या नियोजित कर्मचारियों की कार्य से संबंधित जांच कर सकेंगे।
- 3.1.3 प्रभारी अभियंता संविदा के अनुसार पूर्ण किए गए कार्य के लिए प्रमाण पत्र व भुगतान भी जारी करेंगे तथा कटौतियां करेंगे।
- 3.1.4 प्रभारी अभियंता उन्हें यथा विनिर्देशित या संविदा में से अनिवार्यतः लागू प्रभारी अभियंता के रूप में प्रदत्त प्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। निगम प्रभारी अभियंता के प्राधिकारों में किसी प्रकार के परिवर्तनों को संविदाकार को तत्काल सूचित करेगा।
- 3.1.5 यदि इन शर्तों में इसे अन्यथा उद्धृत न किया गया हो :
 - (ए) जब कभी प्रभारी अभियंता संविदा द्वारा लागू या संविदा में विनिर्देशित कर्तव्यों को या अपने प्राधिकार का प्रयोग करेंगे तो यह माना जाएगा कि वह इसे निगम के लिए और निगम की ओर से कर रहे हैं।
 - (बी) प्रभारी अभियंता द्वारा किए गए किसी अनुमोदन, जांच, प्रमाणपत्र, सहमति, परीक्षण, निरीक्षण, निर्देश, नोटिस, प्रस्ताव, अनुरोध, परीक्षा, पर्यवेक्षण या समान प्रकार के कार्य (अनुमोदन न होने पर भी) के बावजूद इस संविदा के अधीन संविदाकार की भूल, चूक, विसंगतियों और अननुपालन सहित, कोई भी जिम्मेदारी उन्मोचित नहीं होगी।

- (c) Any act by the Engineer-in-charge in response to a Contractor's request except otherwise expressly specified shall be notified in writing to the Contractor within 30 days of receipt.

3.2 Instructions of the Engineer-In-Charge

- 3.2.1 Subject as otherwise provided in this Contract, all notices to be given on behalf of the Corporation and all other actions to be taken on its behalf shall be given or taken by the Engineer-in-Charge or any Officer for the time being entrusted with the functions, duties and powers of the Engineer-in-Charge.
- 3.2.2 All instructions, notices and communications, etc. under the Contract shall be given in writing and if sent by registered / Speed post to the last known place of abode or business of the Contractor, shall be deemed to have been served.
- 3.2.3 The Contractor or his Agent shall be in attendance at the Site(s) during all working hours and shall supervise the execution of the Works with such additional assistance in each trade as the Engineer-in-Charge may consider necessary. Orders given to the Contractor's Agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the Contractor himself.
- 3.2.4 The Contractor shall comply with the instructions given by the Engineer-in-charge or delegated representative, on any matter related to the Contract. Whenever practicable, their instructions shall be given in writing. If the Engineer-in-charge or a delegated representative:
- (a) gives an oral instruction,
 - (b) receives a written confirmation of the instruction, from the Contractor, within 2 working days after giving the instruction, and
 - (c) does not reply by issuing a written rejection and/or instruction within 7 working days after receiving the confirmation, then the confirmation shall constitute the written instruction of the Engineer-in-charge or delegated representative (as the case may be).

3.3 Replacement of the Engineer-In-Charge

- 3.3.1 If the Corporation intends to replace the Engineer-in-charge the Corporation shall intimate the Contractor of the name and designation of the intended replacement Engineer-in-charge.

4 THE CONTRACTOR

4.1 Contract Documents

- 4.1.1 The Specification and Drawings shall be in the custody and care of the Corporation. unless otherwise stated in the Contract, two copies of the Contract documents and three copies of each drawings shall be supplied to the Contractor free of charge.
- 4.1.2 Each of the Contractor's Documents shall be in the custody and care of the Contractor. The Contractor shall keep, on the Site,

- (सी) संविदाकार के किसी अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रभारी अभियंता द्वारा दिया जाने वाला जवाब विशेष रूप से अन्यथा विनिर्देशित न होने पर ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर संविदाकार को दिया जाएगा।

3.2 प्रभारी अभियंता के निर्देश

- 3.2.1 इस संविदा में अन्यथा प्रावधान किए गए विषयों के अलावा, सभी नोटिसों निगम की ओर से जारी की जाएंगी और इसकी ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां प्रभारी अभियंता या तत्समय के लिए प्रभारी अभियंता के कार्य, दायित्वों व शक्तियों के प्रयोग की जिम्मेदारी प्राप्त अधिकारी द्वारा की या ली जाएंगी।
- 3.2.2 इस संविदा के अधीन सभी निर्देश, नोटिसों और पत्राचार आदि लिखित रूप में दिए जाएंगे और यदि उन्हें पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा संविदाकार आखिरी ज्ञात ठहरने या व्यापारिक प्रतिष्ठान के पते पर भेजा गया हो तो उन्हें प्राप्त किया गया माना जाएगा।
- 3.2.3 संविदाकार या उनके एजेंट को समस्त कार्यघंटों में कार्यस्थल(स्थलों) पर उपस्थित रहना होगा और प्रत्येक ट्रेड में प्रभारी अभियंता के मतानुसार आवश्यक अतिरिक्त सहायकों के साथ कार्य के निष्पादन का पर्यवेक्षण करना होगा। संविदाकार के एजेंट को दिए गए निर्देशों को उतना ही प्रभावशाली माना जाएगा जितना इन्हें खुद संविदाकार को दिए जाने पर होता।
- 3.2.4 संविदाकार संविदा से संबंधित किसी भी मामले पर प्रभारी अभियंता या शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेंगे। जहां कहीं व्यवहार्य हो, वे लिखित रूप में निर्देश देंगे। यदि प्रभारी अभियंता या शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि (जैसा भी मामला हो) :
- (ए) मौखिक निर्देश देते हैं,
 - (बी) निर्देश दिए जाने के दो कार्य दिवसों के बाद संविदाकार से निर्देशों की लिखित पुष्टि प्राप्त करते हैं, और
 - (सी) इसके प्रतिउत्तर में पुष्टि प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर इसे लिखित में अस्वीकार और/अथवा निर्देशों को जारी नहीं करते हैं तो उस पुष्टि को प्रभारी अभियंता या शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि (जैसा भी मामला हो) द्वारा जारी किया गया लिखित निर्देश मान लिया जाएगा।

3.3 प्रभारी अभियंता को बदलना

- 3.3.1 यदि निगम प्रभारी अभियंता को बदलना चाहता है तो उसे बदले जाने वाले प्रभारी अभियंता का नाम व पदनाम संविदाकार को सूचित करना होगा।

4. संविदाकार

4.1 संविदा के दस्तावेज

- 4.1.1 विनिर्देश व रेखाचित्र निगम की अभिरक्षा व निगरानी में रहेंगे। जब तक कि संविदा में अन्यथा वर्णित न हो, संविदा दस्तावेज की दो प्रतियां व प्रत्येक रेखाचित्र की तीन प्रतियां संविदाकार को निःशुल्क आपूर्त की जाएंगी।
- 4.1.2 संविदाकार का प्रत्येक दस्तावेज संविदाकार की अभिरक्षा व निगरानी में रहेगा। संविदाकार कार्यस्थल पर संविदा की एक प्रति, विनिर्देशों में बताए गए प्रकाशनों, संविदाकार के दस्तावेज(यदि कोई हो), रेखाचित्र व विचलन व संविदा के अंतर्गत आने वाले अन्य पत्र व्यवहार आदि रखेगा। प्रभारी अभियंता को इन दस्तावेजों को किसी भी उपयुक्त समय पर इन्हें देखने का अधिकार होगा।

a copy of the Contract, publications named in the Specification, the Contractor's Documents (if any), the Drawings and Variations and other communications given under the Contract. The Engineer-in-charge shall have the right of access to all these documents at all reasonable times.

4.1.3 If a Party becomes aware of an error or defect in a document which was prepared for use in executing the Works, the Party shall promptly give notice to the other Party of such error or defect

4.2 Security Deposit

4.2.1 Total Security Deposit (SD) shall be calculated as under

- (i) Contract value up to Rs.100 Crores - 10% of Contract Value.
- (ii) Contract value more than Rs. 100 Crores – 5% of Contract Value subject to a minimum of Rs 10 Crores.

Note: The contract value for the purpose of this clause shall be taken as the value of the contract awarded.

4.2.2 Security Deposit as calculated based on above parameters shall be split in the following of two parts and furnished accordingly;

- a) Performance Guarantee to be submitted on award of work (50% of Security Deposit), and
- b) Retention money to be recovered from Running Bills (50% of Security Deposit).

4.2.3 **Performance Guarantee:** The Contractor shall deliver the Performance Guarantee to the Corporation within 30 days after issue of work order. The Performance guarantee shall be issued by an entity and from within the country approved by the Employer, and shall be in the form of Bank Guarantee or FDR or any other form of deposit stipulated by the Corporation.

4.2.4 Failure of the successful bidder to comply with furnishing the performance guarantee within 30 days as stated above shall constitute sufficient grounds for cancellation of the award of work.

4.2.5 **Retention Money:** Retention Money shall be deducted at the rate of 6% of the value of work done from Running Bills till the 50% of Security Deposit amount so calculated as above, is built up. Total of Performance Guarantee & Retention Money should not exceed the amount of security deposit calculated as above.

4.2.6 When the retention money reaches the limit of 5 lakhs, the Contractor, if he so desires, may convert the amount into a Bank Guarantees as aforesaid.

4.2.7 In case a Fixed Deposit Receipt of any bank is furnished by the Contractor to the Corporation as part of the Security Deposit and the bank goes into liquidation or for any other reasons is likely to be unable to make payment against the said Fixed Deposit Receipt, the loss caused thereby shall be borne by the Contractor and the Contractor shall forthwith or on demand furnish additional security to the Corporation to make good the deficit.

4.2.8 The Corporation may deduct any sum of money payable by the Contractor under the terms of this Contract or any other Contract or any other account whatsoever from his security deposit. In the event of his security deposit amount being reduced by reasons of such deduction as aforesaid, the Contractor shall within 10 days of receipt of notice of demand from the Engineer-in-Charge make good the deficit.

4.1.3 यदि किसी पक्ष को कार्य निष्पादन के लिए तैयार किए गए दस्तावेजों में कोई भूल या दोष का पता चलता है तो वह पक्ष अन्य पक्ष को ऐसी भूल या दोष के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

4.2 प्रतिभू जमा

4.2.1 कुल प्रतिभू जमा की गणना निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी :

- (i) 100 करोड़ रुपए तक के संविदा मूल्य के लिए - संविदा मूल्य का 10%
- (ii) 100 करोड़ रुपए से अधिक के संविदा मूल्य के लिए - संविदा मूल्य का 5% परंतु कम से कम 10 करोड़ रुपए।

नोट : इस प्रावधान के उद्देश्य से संविदा के मूल्य की गणना अवार्ड की गई संविदा के मूल्यानुसार की जाएगी।

4.2.2 उपर्युक्त कथन के आधार पर परिकलित प्रतिभू जमा को निम्नलिखित दो भागों में बांट कर तदनुसार जमा किया जाएगा :

- ए) कार्य अवार्ड होने के पश्चात कार्यनिष्पादन गारंटी जमा की जाएगी (प्रतिभू जमा का 50 %) और
- बी) प्रतिधारण राशि को चालू बिलों से वसूल किया जाएगा (प्रतिभू जमा का 50 %)।

4.2.3 **कार्य निष्पादन गारंटी :** संविदाकार कार्य आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर निगम को कार्य निष्पादन गारंटी देंगे। कार्य निष्पादन गारंटी नियोक्ता द्वारा अनुमोदित देश के ही किसी संस्थान द्वारा जारी की जाएगी और यह बैंक गारंटी या एफडीआर या निगम द्वारा तय किए गए अन्य किसी जमा रूप में होनी चाहिए।

4.2.4 सफल बोलीदाता द्वारा कार्यनिष्पादन गारंटी को उपर्युक्त के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा न कर पाना कार्य अवार्ड को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा।

4.2.5 **प्रतिधारण राशि :** प्रतिधारण राशि की कटौती कुल किए गए कार्य के मूल्य के 6 % की दर से चालू बिलों में से तबतक की जाएगी जबतक कि उपर्युक्त के अनुसार परिकलित 50 % की प्रतिभू राशि पूरी नहीं हो जाती। कार्य निष्पादन गारंटी और प्रतिधारण राशि का योग उपर्युक्त के अनुसार परिकलित प्रतिभू राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.2.6 प्रतिधारण राशि 5 लाख रुपए हो जाने के बाद यदि संविदाकार चाहे तो इस राशि को उपर्युक्त के अनुसार बैंक गारंटी में परिवर्तित कर सकता है।

4.2.7 यदि संविदाकार द्वारा प्रतिभू जमा के एक भाग के रूप में किसी बैंक की मियादी जमा रसीद प्रस्तुत की गई हो और उस बैंक का परिसमापन हो जाता है या अन्य किन्हीं कारणों से बैंक उक्त मियादी जमा रसीद का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो इसके कारण होने वाले नुकसान की संविदाकार को भरपाई करनी होगी और इस घाटे को पूरा करने के लिए संविदाकार तत्काल या मांगे जाने पर निगम को अतिरिक्त प्रतिभू प्रस्तुत करेगा।

4.2.8 निगम इस संविदा के अंतर्गत या किसी अन्य संविदा के अंतर्गत या अन्य किन्हीं कारणों से संविदाकार द्वारा देय किसी राशि को उसके प्रतिभू जमा से काट सकता है। यदि इस प्रकार से कटौती किए जाने के कारण उसकी प्रतिभू जमा राशि कम हो जाती है तो संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा इसकी मांग किए जाने की नोटिस के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर इस कमी को पूरा करेगा।

- 4.2.9 FDR / Bank Guarantee shall be accepted only from Scheduled commercial banks in India.
- 4.2.10 No interest will be paid on Security Deposit (Performance Guarantee and Retention Money).

4.3 Refund of Security Deposit

- 4.3.1 The retention money will be refunded to the Contractor after one month from the date of issue of Completion Certificate on receipt of request from the contractor, if as per the Engineer-In-Charge the balance amount of security deposit (Performance Guarantee) is sufficient to cover the Liabilities.
- 4.3.2 After the expiry of the Defects Liability Period, the balance amount of security deposit i.e. the Performance Guarantee shall be refunded by the Engineer-in-Charge to the Contractor. However, if any work remains to be executed under Clause 9 [Defects Liability], the Engineer-in-Charge shall withhold the estimated cost of such rectification work until it is executed.

4.4 Sub-contracts

- 4.4.1 The Contractor shall not sub-contract the work or any portion of the work without the prior written approval of the Engineer-in-Charge. Piece rate work shall not be deemed as sub-contract. Sub contracting does not alter the Contractor's obligations and responsibilities.
- 4.4.2 The Contractor shall not employ Sub-Contractor against whom the Engineer-in-charge raises reasonable objection by notice to the Contractor with supporting particulars.
- 4.4.3 The Contractor shall pay to the Sub-Contractor the amounts shown on the Sub-Contractor's invoices approved by the Contractor. The Corporation may pay, direct to the Sub-Contractor, part or all of such amounts which are due to the Sub-Contractor and for which the Contractor has failed to make the payment. The Contractor shall then repay, to the Corporation, the amount which the Sub-Contractor was directly paid by the Corporation with interest at prevailing rate. If the Contractor fails to repay, the same shall be adjusted against any dues payable to the Contractor along with interest for the intervening period. In this regard the decision of the Engineer-in-charge shall be final.

4.5 Construction Coordination

- 4.5.1 The field activities of the Contractors working at Site will be coordinated by the Engineer-in-Charge and his decision shall be final in resolving any disputes or conflicts between the Contractor and other Contractors regarding scheduling and co-ordination of work.
- 4.5.2 Engineer-in-Charge shall hold periodic meetings with the Contractors working at Site, at a time and a place to be designated by him. The Contractor shall attend such meetings and shall strictly adhere to the decisions taken during the meeting in executing his works.

- 4.2.9 केवल भारत के अनुसूचित बैंको की मियादी जमा रसीद/बैंक गारंटी ही स्वीकार की जाएगी।
- 4.2.10 प्रतिभू जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा (कार्य निष्पादन गारंटी और प्रतिधारण राशि)।

4.3 प्रतिभू जमा राशि की वापसी

- 4.3.1 प्रतिधारण राशि, यदि प्रभारी अभियंता के अनुसार प्रतिभू जमा की शेष राशि (कार्य निष्पादन गारंटी) बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पाई जाती है तो, संविदाकार का अनुरोध प्राप्त होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के एक माह के बाद वापस की जाएगी।
- 4.3.2 दोष बाध्यता अवधि के पूरा हो जाने के पश्चात प्रतिभू जमा की शेष राशि अर्थात् कार्य निष्पादन गारंटी, प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार को वापस की जाएगी। तथापि खण्ड 9 (दोष बाध्यता) के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्य पूरा किए जाने से बच जाता है तो प्रभारी अभियंता ऐसे मरम्मत कार्य के लिए अनुमानित लागत को इस कार्य के पूरा होने तक रोके रखेंगे।

4.4 उप-संविदाएं

- 4.4.1 संविदाकार प्रभारी अभियंता की लिखित पूर्वानुमति के बगैर कार्य या कार्य के किसी भाग को उप-संविदा पर नहीं देंगे। इकाई दर कार्य को उप-संविदा का कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य को उप-संविदा पर दिए जाने से संविदाकार की बाध्यताओं और जिम्मेदारियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 4.4.2 यदि प्रभारी अभियंता एक नोटिस के माध्यम से संविदाकार को किसी उप संविदाकार के बारे में साक्ष्य सहित पर्याप्त कारण बताते हुए आपत्ति व्यक्त करते हैं तो संविदाकार ऐसे उप संविदाकार को नियुक्त नहीं करेंगे।
- 4.4.3 संविदाकार अपने उप संविदाकार को संविदाकार द्वारा अनुमोदित इनवाइसों में लिखी राशि का भुगतान करेंगे। यदि संविदाकार उप संविदाकार की किसी राशि का भुगतान नहीं करता है तो निगम उप संविदाकार को देय इस पूरी राशि या उसके भाग का सीधे भुगतान कर सकता है। उस स्थिति में संविदाकार को उस उप संविदाकार को सीधे भुगतान की गई इस राशि को लागू दर के ब्याज सहित निगम को अदा करना होगा। यदि संविदाकार यह भुगतान करने में असफल रहता है तो इसे संविदाकार को देय राशि में से इस बीच की अवधि के ब्याज सहित काट लिया जाएगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

4.5 निर्माण समन्वय

- 4.5.1 कार्य स्थल पर काम कर रहे संविदाकार व अन्य संविदाकारों के बीच प्रभारी अभियंता द्वारा समन्वय स्थापित किया जाएगा और कार्य समय व कार्यों के बीच आपसी समन्वय को लेकर संविदाकार व अन्य संविदाकारों के बीच के विवाद या मतभेदों को सुलझाने के लिए उनका निर्णय अंतिम होगा।
- 4.5.2 प्रभारी अभियंता समय-समय पर कार्यस्थल पर कार्य कर रहे संविदाकारों के साथ बैठकों का आयोजन करेंगे। इन बैठकों का समय व स्थान प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविदाकार इन बैठकों में भाग लेंगे और अपने कार्य निष्पादन में इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

4.6 Setting out the Work

- 4.6.1 The Engineer-in-Charge shall supply dimensioned drawings, levels and provide all necessary information to enable the Contractor to set out the works. The contractor shall make reasonable efforts to verify its accuracy before its use and the Corporation shall not be responsible for any error at a subsequent stage unless it is found that such error has crept in as a result of incorrect data furnished in writing by the Engineer-in-charge. The Contractor shall protect and preserve all reference baseline and bench marks used in setting out the works till end of the Defects Liability Period unless the Engineer-in-Charge directs their earlier removal.

4.7 Quality Compliance

- 4.7.1 The construction/fabrication and erection of works under the scope of this Contract shall be executed in accordance with the specifications and drawings. The Contractor shall adopt suitable quality assurance program, commensurate with NPCIL QA program.

4.8 Sufficiency of the Accepted Contract Amount

- 4.8.1 The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates and prices quoted in the Schedule of Quantities. The rates and prices quoted by the Contractor in the Schedule of Quantities shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the Contract and all matters and resources necessary for the proper execution and completion of the Works and the remedying of any defects till the end of defect liability period.

4.9 Reporting of Hindrances

- 4.9.1 The Contractor shall record hindrances if any, in the Hindrance register as specified in the sub clause 7.4 [Hindrances]. Hindrances recorded and accepted by the Engineer-in-charge in the register shall be the basis for granting extension of time. The hindrance register shall be in the custody of the Engineer-in-charge.

4.10 Supply of Goods

- 4.10.1 The Contractor shall place purchase order well in time for supply of goods as deemed necessary as per the contract. He shall arrange to give notice sufficient in advance for necessary quality assurance at the place of manufacturing. The contractor shall submit an unpriced copy of Purchase order to Engineer-in-charge in order to ensure that all the requirements of technical specifications have been met.

4.11 Transport of Goods

- 4.11.1 Unless otherwise stated:
- a) the Contractor shall give the Engineer-in-charge not less than 10 days' notice of the date on which any Plant or a major item of other Goods will be delivered to the Site;
 - b) The Contractor shall be responsible for packing, loading, transporting, receiving, unloading, storing and protecting all Goods and other things required for the Works.

4.6 कार्य का प्रारंभ

4.6.1 प्रभारी अभियंता विस्तृत रेखाचित्र, तल आदि की आपूर्ति करेंगे और संविदाकार को कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। संविदाकार इनका प्रयोग करने से पहले इसकी सटीकता की जांच के पर्याप्त प्रयास करेंगे और सिवाए तब जबकि प्रभारी अभियंता द्वारा बताया जाता है कि यह भूल लिखित रूप में गलत आंकड़ों के कारण हुई है, बाद में किसी समय निगम किसी प्रकार की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जब तक प्रभारी अभियंता द्वारा उनके समय-पूर्व निस्तारण के लिए निदेश न दिया जाए, संविदाकार कार्य प्रारंभ करने के समय से लेकर दोष बाध्यता अवधि की समाप्ति तक कार्य प्रारंभ के लिए प्रयोग किए गए सभी संदर्भ आधार व मानक बिंदुओं को परिरक्षित रखेंगे।

4.7 गुणवत्ता अनुपालन

4.7.1 इस संविदा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण/विरचन व स्थापन कार्यों को विनिर्देशों व रेखाचित्रों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। संविदाकार एनपीसीआईएल के गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम अपनाएंगे।

4.8 स्वीकार संविदा राशि की पर्याप्तता

4.8.1 यह मान लिया जाता है कि संविदाकार ने निविदा करने से पहले कार्य की अपनी निविदा और मात्रा अनुसूची में उद्धृत दरों और कीमत के ठीक होने और पर्याप्त होने की स्वयं संतुष्टि कर ली है। संविदाकार द्वारा मात्रा अनुसूची में उद्धृत दर एवं कीमत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, इस संविदा के अंतर्गत उनकी समस्त बाध्यताओं और इस कार्य के उचित निष्पादन व कार्य को पूर्ण करने के लिए और दोष बाध्यता अवधि के अंत तक किसी भी तरह की कमी को दूर करने के लिए है।

4.9 बाधाओं की रिपोर्टिंग

4.9.1 संविदाकार के समक्ष यदि कोई बाधा आती है तो वह उसे उप खण्ड 7.4 (बाधाएं) में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार बाधा रजिस्टर में दर्ज करेगा। इस रजिस्टर में दर्ज की हुई और प्रभारी अभियंता द्वारा सहमति प्रदान की हुई बाधाएं समय सीमा विस्तार के लिए आधार होंगी। बाधा रजिस्टर प्रभारी अभियंता की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

4.10 सामानों की आपूर्ति

4.10.1 संविदा के अनुसार यथा आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए संविदाकार को समय रहते क्रय आदेश डाल देना चाहिए। उन्हें निर्माता कारखानों में आवश्यक गुणवत्ता आश्वासन की नोटिस भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी। संविदाकार क्रय आदेश की कीमतरहित प्रति को प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेंगे ताकि तकनीकी विनिर्देशों की समस्त आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जा सके।

4.11 सामानों का परिवहन

4.11.1 जब तक अन्यथा वर्णित न हो :

ए) संविदाकार को किसी संयंत्र या बड़े सामान की कार्यस्थल पर सुपुर्दगी प्राप्त करने की तारीख के कम से कम 10 दिन पहले प्रभारी अभियंता को सूचना देनी होगी :

बी) संविदाकार कार्य के लिए आवश्यक सामान व अन्य वस्तुओं की पैकिंग, लोडिंग, परिवहन, प्राप्ति, उतराई, भंडारण और सुरक्षा का जिम्मेदार होगा।

4.11.2 The Contractor shall indemnify and hold the Corporation harmless against and from all damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) resulting from the transport of Goods, and pay all claims arising from their transport.

4.12 Contractor's Equipment

4.12.1 The Contractor shall bring only the required equipments for the execution of works and shall be responsible for all his equipments. The equipments when brought to the site shall be in working condition and deemed to be exclusively intended for the execution of this Works. The Contractor shall not remove from the Site any major items of his Equipment without the written consent of the Engineer-in-charge. List of equipments brought to site shall be submitted to the Engineer-in-charge.

4.13 Protection of the Environment

4.13.1 The Contractor shall take all reasonable steps to protect the environment (both on and off the Site) and to avoid damage and nuisance to any people and property resulting from pollution, noise and other consequences of his operations.

4.13.2 Contractor shall not at any time do, cause or permit any nuisance on site or do anything which shall cause unnecessary disturbance to owners, tenants or occupants of other properties near the site and to the general public.

4.13.3 The Contractor shall ensure that emissions, surface discharges and effluent from the Contractor's activities shall not exceed the values stated in the Specification, if any, or prescribed by applicable Law of the land.

4.14 Electricity

4.14.1 Electric power, if available (Refer Schedule A), will be provided by the Corporation at one point (the farthest distance from the work site would be 100 meters). All distribution system and metering unit should be arranged for by the Contractor himself at his own cost, complying with all relevant act/regulations. Charges for energy consumed shall be as per Schedule 'A'. For the purpose of planning, the bidder shall furnish along with his bid, the estimated requirement of electric power for execution of work in terms of maximum demand and daily energy in kWh.

4.14.2 Disruption in supply or non-availability of electricity shall not entitle the Contractor for any claim for compensation either in time or money. He shall make prior arrangements for such contingency to carry on with the work without interruption.

4.14.3 Load required can be changed twice on the request of Contractor during the currency of contract subject to prior approval by Engineer-In-Charge.

4.14.4 Electric power, if available can be provided to one or more places, in case in the opinion of Engineer-in-charge it is absolutely necessary and will accelerate the work.

4.11.2 संविदाकार सामन के परिवहन के परिणामस्वरूप होने वाली सभी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान और खर्च (कानूनी शुल्क व खर्च सहित) के विरुद्ध निगम को सुरक्षित रखेंगे और परिवहन से उत्पन्न हुए सभी दावों को अदा करेंगे।

4.12 संविदाकार के उपकरण

4.12.1 संविदाकार केवल कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक उपकरण ही लाएंगे और अपने उपकरणों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्यस्थल पर लाते समय उपकरण चालू हालत में होने चाहिए और यह माना जाएगा कि उन्हें इस कार्य के निष्पादन के लिए ही लाया गया है। संविदाकार अपने उपकरण के किसी बड़े कलपुर्जे को प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बगैर कार्यस्थल से नहीं हटाएंगे। कार्यस्थल पर लाए गए उपकरणों की सूची प्रभारी अभियंता के पास जमा की जाएगी।

4.13 पर्यावरण का संरक्षण

4.13.1 संविदाकार अपने कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रदूषण, ध्वनि व अन्य कारणों से किसी भी व्यक्ति और संपत्ति को होने वाले नुकसान और उपद्रव से बचाएंगे और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए (कार्यस्थल पर व कार्यस्थल से परे दोनों जगहों पर) हर संभव प्रयत्न करेंगे।

4.13.2 संविदाकार कार्यस्थल पर किसी भी समय किसी भी प्रकार का उपद्रव न तो करेंगे न उसका कारण बनेंगे और न ही अनुमति देंगे अथवा ऐसा कुछ करेंगे जो कि कार्यस्थल के आस-पास के मकान-मालिकों, किराएदारों या अन्य सम्पत्तियों में रह रहे लोगों या आम जनता को बेवजह परेशान करे।

4.13.3 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला उद्भासन सतही रिसाव और बहि-स्त्रावी यदि विनिर्देशों में उल्लिखित हो तो उसकी मात्रा से अधिक न हो अथवा देश के कानूनों के अनुसार अनुमन्य से अधिक न हो।

4.14 बिजली

4.14.1 यदि बिजली उपलब्ध हुई (अनुसूची ए का संदर्भ लें) तो निगम द्वारा एक बिंदु पर उपलब्ध कराई जाएगी (कार्यस्थल से अधिकतम दूरी 100 मीटर होगी)। समस्त वितरण प्रणाली और मापन यूनिट आदि की व्यवस्था, संविदाकार द्वारा अपने खर्चे पर, सभी संबंधित कानूनों/विनियमों का अनुपालन करते हुए, स्वयं की जाएगी। उपभोग की गई बिजली का प्रभार अनुसूची "ए" के अनुसार लिया जाएगा। आयोजना के उद्देश्य से बोलीदाता को इस कार्य के निष्पादन के लिए बिजली की अनुमानित अधिकतम और प्रतिदिन की आवश्यकता को अपनी बोली के साथ ही किलोवाट प्रतिघंटा के अनुसार उद्धृत करना होगा।

4.14.2 विद्युत आपूर्ति में बाधा या विद्युत की अनुपलब्धता के कारण संविदाकार को समय विस्तार या आर्थिक, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा। उन्हें इस प्रकार की आपात् स्थिति में निर्बाध रूप से कार्य करने की पहले से ही व्यवस्था करनी होगी।

4.14.3 संविदा की अवधि के दौरान प्रभारी अभियंता की पूर्वानुमति से संविदाकार को दो बार लोड बदलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

4.14.4 प्रभारी अभियंता की राय में अतिआवश्यक होने और कार्य की गति में तेजी लाने के लिए यदि बिजली उपलब्ध हो तो एक या अधिक स्थानों पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

4.15 Work during Night or on Sundays and Holidays

4.15.1 Prior written permission of the Engineer-in-Charge shall be taken whenever any works are proposed to be carried out during night or on Sundays or on authorized Holidays except when the work is unavoidable or absolutely necessary for safety of life or property of works, in which case the Contractor shall immediately inform the Engineer-in-Charge accordingly.

4.16 Material obtained from Excavation

4.16.1 Materials of any kind obtained from dismantling of a structure, excavation on the Site etc. shall remain the property of the Corporation and shall be disposed off as the Engineer-in-Charge may direct.

4.17 Treasure, Trove, Fossils, etc.

4.17.1 All fossils, coins, articles of value or antiquity, and structures and other remains or items of geological or archaeological interest found on the Site from dismantling of structure, excavation etc shall be placed under the care and authority of the Corporation. The Contractor shall take reasonable precautions to prevent Contractor's Personnel or other persons from removing or damaging any of these findings. Incase where in the work or part thereof is suspended by the Corporation for protection of such articles, then the sub-clause 7.9(Suspension of Work for a period up to 90 days) or sub-clause 7.10 (Prolonged Suspension of Work (beyond 90 days)) shall be applicable, as the case may be.

4.18 Site Drainage

4.18.1 All water which may accumulate on the Site during the progress of the works, or in trenches and excavated areas, from causes other than the Excepted Risks (as defined in the Definitions) shall be removed from the Site to the satisfaction of the Engineer-in-Charge and at cost of the Contractor.

4.19 Protection of Trees

4.19.1 Trees designated by the Engineer-in-Charge shall be protected from damage during the course of the works and earth level within 1 metre of each such tree shall not be changed. Where necessary, such trees shall be protected by providing temporary fencing. Where tree uprooting is unavoidable, procedures as directed by the Engineer-in-Charge shall be strictly complied with.

4.19.2 The Contractor shall plant and maintain trees during the currency of Contract, as specified in schedule A.

4.20 Security of the site

4.20.1 The Contractor shall provide and maintain at his own expense all lights, guards, fencing, watch and ward when and where necessary or required by the Engineer-in-Charge for protection of materials and the works or for the safety and convenience of those employed on the Works or the public.

4.20.2 The Contractor shall be responsible for keeping unauthorized persons off the site.

4.21 Co-operation and Facilities to Other Contractors

4.21.1 The Contractor shall co-operate and share the Site with other Contractors, public authorities, utilities, and with the Corporation as instructed by the Engineer-in-charge during the currency of the contract. The Corporation may modify the schedule of work for other Contractors and shall notify the Contractor of any such modification.

4.15 रात्रि में या रविवार और अवकाश के दिनों में कार्य

4.15.1 जब कभी रात्रि में या रविवार को या प्राधिकृत अवकाश वाले दिन किसी कार्य को किया जाना प्रस्तावित हो तो प्रभारी अभियंता की पूर्वानुमति ली जाएगी, सिवाए तब जबकि कार्य करना अपरिहार्य अथवा जीवन की रक्षा या कार्य की संपत्ति की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो और ऐसी परिस्थिति में संविदाकार तदनुसार प्रभारी अभियंता को तत्काल सूचित करेगा।

4.16 खुदाई में प्राप्त वस्तुएं

4.16.1 किसी ढांचे को गिराते समय या स्थल की खुदाई आदि करते समय प्राप्त समस्त वस्तुएं निगम की संपत्ति होंगी और उनका निपटान प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार किया जाएगा।

4.17 संपदा, खजाना, पुरातन वस्तुएं आदि

4.17.1 स्थल में ढांचों को गिराते समय, खुदाई आदि करते समय स्थल से प्राप्त सभी प्राचीन वस्तुएं, सिक्के, पुरातन मूल्य वाले सामान, और भूगर्भ शास्त्र या पुरातन शास्त्र की रुचि वाली वस्तुएं निगम की निगरानी व प्राधिकार में रखी जाएंगी। ऐसी प्राप्त वस्तुओं को अपने आदमियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा अन्यत्र ले जाने या क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए संविदाकार को पर्याप्त उपाय करने होंगे। जब कभी ऐसी वस्तुओं को बचाने के लिए निगम कार्य को या उसके भाग को रोक देता है तो उपखण्ड 7.9 (90 दिनों की अवधि तक कार्य का निलंबन) या उपखण्ड 7.10 (दीर्घावधि के लिए कार्य का निलंबन), जैसा भी मामला हो, लागू होगा।

4.18 कार्य स्थल की जल निकासी

4.18.1 कार्य की प्रगति के दौरान संभावित खतरों (जो परिभाषा खण्ड में परिभाषित किए गए हैं) के अलावा या खाइयों और खुदाई वाले स्थानों में जो भी पानी इकट्ठा होता है, उसे, प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के स्तर तक और संविदाकार के खर्चे पर कार्यस्थल से निकाला जाएगा।

4.19 पेड़ों का बचाव

4.19.1 प्रभारी अभियंता द्वारा चिह्नित किए गए पेड़ों की कार्य के दौरान रक्षा की जाएगी और ऐसे प्रत्येक पेड़ के चारों तरफ 1 मीटर की दूरी तक के भूमि तल को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसे पेड़ों के चारों तरफ अस्थाई बाड़ लगाकर उनकी रक्षा की जाएगी। जहां कहीं पेड़ों को जड़ से उखाड़ना अनिवार्य हो, प्रभारी अभियंता द्वारा बताई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

4.19.2 संविदा की अवधि के दौरान संविदाकार अनुसूची "ए" के विनिर्देशों के अनुसार पेड़ लगाएंगे और अनुरक्षण करेंगे।

4.20 कार्य स्थल की सुरक्षा

4.20.1 जब कभी प्रभारी अभियंता सामग्री और कार्य अथवा कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों या आम जनता की सुरक्षा और सहूलियत के लिए आवश्यक या अनिवार्य समझें तो संविदाकार को अपने खर्चे पर समस्त रोशनी, गार्ड, बाड़, निगरानी दल उपलब्ध कराना होगा और इसे बनाए रखना होगा।

4.20.2 अनधिकृत व्यक्तियों को कार्यस्थल से दूर रखने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

4.21 अन्य संविदाकारों के साथ सहयोग व सुविधाएं

4.21.1 संविदा की कार्यावधि के दौरान संविदाकार प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुसार अन्य संविदाकारों, सरकारी प्राधिकारियों, सुविधादाताओं और निगम के साथ सहयोग और साझा करेंगे। निगम अन्य संविदाकारों के कार्य की समय-सूची में संशोधन कर सकता है और यदि कोई ऐसा संशोधन किया जाता है तो उसे संविदाकार को सूचित किया जाएगा।

4.21.2 The Contractor shall, in accordance with the requirements of the Engineer in-Charge, afford all reasonable facilities to other Contractors engaged contemporaneously on separate contracts. Similarly the departmental labour and labour of any other authorized agency or statutory body which may be employed or deployed at the Site for execution of any other work may also be extended co-operation and facility by the contractor.

4.22 Training of Apprentice

4.22.1 The Contractor as well as his Sub-Contractor shall provide training during the currency of the Contract, to such number of Apprentices (given in Schedule A) as engaged/employed by the Corporation. The Contractor shall train them as required under The Apprentices Act, 1961. The Corporation shall make payment to apprentices as required under the Act.

4.23 Water Supply

4.23.1 **Water Supply:** The Contractor shall make his own arrangements for water required for the work and nothing will be paid for the same. This will be subject to the following conditions:

- (i) That the water used by the Contractor shall be sufficient for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. The quality of water shall be in accordance with the specifications.
- (ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of the Contractor if the arrangements made by the Contractor for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in-Charge, unsatisfactory.

4.23.2 **Departmental Water Supply:** Water, if available, (Refer schedule A) may be supplied to the Contractor by the Corporation subject to the following conditions:

- (i) The water charges as stipulated in Schedule A shall be recovered from the Contractor.
- (ii) The Contractor shall make his own arrangement for water connection and laying of pipelines from existing mains of source of supply and metering. The distance of the available water supply shall not be more than 100 metres from the work site.
- (iii) The Corporation do not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the Contractor to make alternative arrangements for water at his own cost in the event of any temporary breakdown in the Corporation's water mains so that the progress of his work is not held up for want of water. No claim of damage or refund/reimbursement of water charges will be entertained on account of such breakdown.

4.24 Land

4.24.1 **Land for Contractor's Office, Stores, Workshop etc.:** The Engineer-in-Charge shall, at his discretion and for the duration of the Contract, make available at site, land for construction of Contractor's field office, workshop, stores, assembling yard, etc required for execution of the Contract. Leveling and dressing of site, any construction of temporary roads, offices, workshops, etc. as per plan approved by the Engineer-in-Charge shall be done by the Contractor at his own cost.

4.21.2 संविदाकार प्रभारी अभियंता की आवश्यकताओं के अनुरूप तर्कसंगत सुविधाओं को उस संविदा के साथ-साथ पृथक संविदा पर कार्य कर रहे अन्य संविदाकारों के साथ वहन करेंगे। इसी प्रकार विभागीय मजदूर या किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी या स्वायत्त निकाय, जिन्हें कार्यस्थल पर किसी अन्य कार्य निष्पादन के लिए लगाया गया हो, द्वारा नियोजित या तैनात मजदूरों को भी संविदाकार द्वारा सहयोग व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

4.22 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

4.22.1 संविदा की अवधि के दौरान संविदाकार और उसके उप संविदाकार निगम द्वारा कार्य पर लगाए गए/नियुक्त किए गए प्रशिक्षुओं को (अनुसूची ए में बताया गया है) प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। संविदाकार उन्हें प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रशिक्षित करेंगे। निगम इस अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षुओं को भुगतान करेगा।

4.23 जल आपूर्ति

4.23.1 **जलापूर्ति:** कार्य के लिए आवश्यक पानी आपूर्ति की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं करनी होगी और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

- (i) संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी प्रभारी अभियंता के संतोष के अनुरूप समुचित मात्रा में होगा। पानी की गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार होगी।
- (ii) यदि प्रभारी अभियंता की राय में संविदाकार द्वारा पानी के प्रापण के लिए की गई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है तो प्रभारी अभियंता संविदाकार के खर्च और जिम्मेदारी पर पानी की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

4.23.2 **विभागीय जलापूर्ति:** यदि पानी उपलब्ध हो (अनुसूची ए का संदर्भ लें) तो, निगम द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार संविदाकार को पानी की आपूर्ति की जा सकती है :

- (i) संविदाकार से अनुसूची ए के अनुसार जल प्रभार की वसूली की जाएगी।
- (ii) पानी की आपूर्ति के लिए उपलब्ध मुख्य स्रोत से जल संपर्क व पाइप लाइन बिछाने के कार्य और मीटर लगाने की व्यवस्था संविदाकार द्वारा स्वयं की जाएगी। उपलब्ध पानी के मुख्य स्रोत से कार्यस्थल की दूरी 100 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- (iii) निगम निर्बाध जलापूर्ति की गारंटी नहीं देता है और संविदाकार को निगम के मुख्य जलस्रोत से आपूर्ति के अस्थाई रूप से बंद हो जाने की स्थिति में अपने खर्च पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी की कमी के कारण उनके कार्य की प्रगति न रुके। इस प्रकार की रूकावट के कारण क्षति या जल प्रभार की वापसी/प्रतिपूर्ति के किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.24 भूमि

4.24.1 **संविदाकार के कार्यालय, भंडार, कार्यशाला आदि के लिए भूमि :** प्रभारी अभियंता स्वविवेक से और संविदा की अवधि के लिए संविदा के निष्पादन हेतु आवश्यक संविदाकार के कार्यस्थल कार्यालय, कार्यशाला, भंडार, एसंबलिंग यार्ड आदि के निर्माण के लिए स्थल पर भूमि उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार स्थल का समतलीकरण साफ-सफाई, किसी भी अस्थाई सड़क, कार्यालयों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण संविदाकार के अपने खर्च पर किया जाएगा।

4.24.2 **Land for Contractor's Colony:** Land will be given, if available, (Refer schedule A) by the Corporation for the Contractor's colony. Where ever applicable the Contractor may indicate the requirement of land for the colony along with his tender. Land will be made available for the period of Contract. The Contractor shall make his own arrangement for water supply, electric supply, sanitation, access road and general cleanliness of his colony. All these amenities shall be got approved by the Engineer-in-Charge prior to construction of the camp. The Contractor shall not permit any of his personnel to maintain any living quarters within the Corporation's land other than the land allotted for colony. In case the land allotted for setting up the camp / colony is on lease, the contractor shall pay the appropriate municipal taxes / duties as applicable.

4.24.3 In respect of any land allotted to the Contractor for purposes of or in connection with the Contract, the Contractor shall be a licensee subject to the following and such other terms and conditions as may be imposed by licensor:-

- (i) that he shall pay a nominal license fee of Re.1 per hectare per year or part of a year for use and occupation, in respect of each and every separate area of land allotted to him.
- (ii) that such use or occupation shall not confer any right of tenancy of the land to the Contractor.
- (iii) that the Contractor shall be liable to vacate the land on demand by the Engineer-in-Charge.
- (iv) that the Contractor shall have no right to any construction over this land without the written permission of the Engineer-in-Charge. In case, he is allowed to construct any structure he shall have to demolish and clear the same before handing over the completed work unless agreed to the contrary.

On completion of work, the Contractor shall handover the land duly cleaned to the Engineer-in-Charge. Until and unless the Contractor has handed over the vacant possession of land allotted to him for the above purposes, the payment of his final bill shall not be made. The Contractor shall be made liable to pay at the rate of **Rs. 5,000 per week** as a penalty for the use and occupation of land beyond 6 months from the date of physical completion of work.

5 STAFF, LABOUR AND INDUSTRIAL SAFETY

5.1 Engagement of Staff and Labour

5.1.1 The Contractor shall not employ any person who has not completed eighteen years of age. He shall employ labour in sufficient numbers to maintain the required rate of progress and to complete the contract in the stipulated completion time. He shall engage skilled and experienced workmen to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to ensure workmanship as per the Contract.

4.24.2 संविदाकार की कॉलोनी के लिए भूमि : यदि उपलब्ध हो (अनुसूची ए का संदर्भ लें) तो, निगम द्वारा संविदाकार की कॉलोनी के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। जहां कहीं लागू हो, संविदाकार कॉलोनी के लिए आवश्यक भूमि की सूचना अपनी निविदा के साथ दे सकता है। यह भूमि संविदा की अवधि तक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, शौचालय, आवागमन मार्ग और अपनी कॉलोनी की साफ-सफाई की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं करनी होगी। कैम्प में इन सभी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करने से पहले प्रभारी अभियंता का अनुमोदन लिया जाएगा। संविदाकार अपने किसी कर्मचारी को कॉलोनी के लिए आबंटित भूमि के अलावा निगम की भूमि पर किसी प्रकार की आवासीय व्यवस्था करने की अनुमति नहीं देंगे। यदि इस कैम्प/कॉलोनी के लिए आबंटित की गई भूमि पट्टे पर ली गई हो तो संविदाकार यथा आवश्यक उपयुक्त पालिका कर/शुल्कों का भुगतान करेंगे।

4.24.3 संविदा के कार्य के लिए अथवा संविदा के संबंध में संविदाकार को आबंटित भूमि के लिए संविदाकार एक लाइसेंस होंगे और यह निम्नलिखित निबंधनों व शर्तों तथा लाइसेंस प्रदाता द्वारा लगाई गई ऐसी ही अन्य निबंधन व शर्तों के अधीन होगा :

- (i) उन्हें आबंटित किए गए प्रत्येक क्षेत्र की भूमि के उपयोग व कब्जे के लिए प्रतिवर्ष या उससे कम अवधि के लिए पृथक-पृथक 1 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से नाममात्र का लाइसेंस शुल्क अदा करना होगा।
 - (ii) इस प्रकार के उपयोग या कब्जे के कारण संविदाकार को उस जमीन की किराएदारी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
 - (iii) प्रभारी अभियंता द्वारा आदेशित किए जाने पर संविदाकार उस भूमि को खाली करने के लिए बाध्य होगा।
 - (iv) संविदाकार को प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बगैर इस भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि, उसे किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो वह अपने पूर्ण किए गए कार्य की सुपुर्दगी के बाद जब तक कि कुछ अन्यथा न कहा जाए, इसे गिरा देगे।
- कार्य समाप्त हो जाने के बाद संविदाकार इस जमीन की विधिवत् साफ-सफाई करा कर प्रभारी अभियंता को सुपुर्द करेंगे। जब तक कि संविदाकार उपर्युक्त कार्यों के लिए उनको आबंटित भूमि का हस्तांतरण कर उसे खाली नहीं करते, उनके अंतिम बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। संविदाकार को कार्य के भौतिक रूप से पूरा हो जाने के 6 माह के बाद भूमि के उपयोग व कब्जे के लिए रु. 5,000 प्रति सप्ताह की दर से पेनॉल्टी राशि चुकानी होगी।

5. कर्मचारी, मजदूर व औद्योगिक संरक्षा

5.1 कर्मचारी व मजदूरों को काम पर लगाना

5.1.1 संविदाकार 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेंगे। कार्य की आवश्यक गति को बनाए रखने व कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त संख्या में मजदूरों की भर्ती करनी होगी। वे कार्य को संविदा के अनुरूप पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अभियंता को संतोषप्रद लगने वाले कुशल व अनुभवी कामगारों की भर्ती करेंगे।

- 5.1.2 The Contractor shall, unless otherwise provided in the Contract, make his own arrangements for the engagement of all staff and labour (local or other) and for their payment, housing, catering, transport etc.
- 5.1.3 Contractor shall employ their workmen, preferably from amongst the project affected eligible persons. Contractor, if asked by Engineer-in-Charge shall submit regularly in a prescribed performa, a list of such project affected persons employed by him throughout the contract period.
- 5.1.4 The contractor shall indemnify that the labour / workmen engaged by him are trained and certified for intended work.

5.2 Rates of Wages and Conditions of Labour

- 5.2.1 The Contractor shall pay to labour employed by him either directly or through Sub-Contractors wages in accordance with the rules, regulations and the law in force relating to the payment of wages for the workers.
- 5.2.2 The Contractor shall pay not less than the minimum wages declared from time to time by Central or State Government, whichever is higher.
- 5.2.3 The Contractor shall intimate the Engineer-in-charge well in advance the date of payment to the workers. A representative on behalf of Engineer-in-charge shall be present at the time of payment disbursement. Contractor shall obtain certificate of witness of payment by representative of Engineer-in-charge.

5.3 Persons in the Service of Corporation and other Contractors

- 5.3.1 The Contractor shall not recruit, or attempt to recruit, staff and labour from amongst the Corporation's Personnel without prior approval of Engineer-in-charge.
- 5.3.2 The Contractor shall not recruit, either on full-time or part-time basis, the staff and labour from other Contractors, working with the Corporation, without prior approval of Engineer-in-charge.

5.4 Labour Laws

- 5.4.1 The Contractor and his Sub-Contractors shall abide at all times by all existing labour enactment and rules, regulations, notifications, amendments and bye laws etc. issued by the State or Central Government or local administrative authorities applicable therein issued from time to time during the subsistence of contract. The Contractor shall keep the Corporation indemnified, in case any action is taken against the Corporation by the competent authority on account of contravention of any of the provisions of any Act or rules made there under, regulations or notifications including amendments.
- 5.4.2 In the event of the Contractor committing a default or breach of any of the provisions of the aforesaid Contractor's Labour Regulations as amended from time to time the corporation may impose penalty for each of such default as necessary. The Engineer-in-charge shall deduct such amount from bills or security deposit of the Contractor. The decision of the Engineer-in-Charge in this respect shall be final and binding.

- 5.1.2 जब तक संविदा में अन्यथा वर्णित न हो, संविदाकार अपने कर्मचारियों व मजदूरों (स्थानीय अथवा अन्य) की भर्ती स्वयं करेंगे और उनके वेतन, आवास, भोजन, परिवहन आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
- 5.1.3 संविदाकार अपने कामगारों की भर्ती में परियोजना से प्रभावित, योग्य लोगों को वरीयता देंगे। प्रभारी अभियंता द्वारा मांगे जाने पर संविदाकार अपने पास नियुक्त किए गए ऐसे परियोजना प्रभावित लोगों की सूची निर्धारित प्रपत्र में भरकर पूरी संविदा अवधि के दौरान नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- 5.1.4 संविदाकार इस बात की गारंटी देंगे कि उनके द्वारा काम पर लगाए गए मजदूर/कामगार उस काम के लिए प्रशिक्षित व प्रमाणित हैं।
- 5.2 मजदूरी की दरें व शर्तें**
- 5.2.1 संविदाकार सीधे स्वयं द्वारा या उप संविदाकार के माध्यम से नियोजित किए गए मजदूरों को कामगारों की मजदूरी के संबंध में लागू नियमों, विनियमों व कानूनों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेंगे।
- 5.2.2 संविदाकार, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गई न्यूनतम मजदूरी से जो भी अधिक हो, उससे कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेंगे।
- 5.2.3 संविदाकार अपने कामगारों को भुगतान किए जाने की तारीख के बारे में प्रभारी अभियंता को समय रहते सूचना देंगे। भुगतान वितरण के समय प्रभारी अभियंता का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। संविदाकार प्रभारी अभियंता के इस प्रतिनिधि से भुगतान किए जाने का प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे।
- 5.3 निगम व अन्य संविदाकारों के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति**
- 5.3.1 संविदाकार प्रभारी अभियंता की पूर्वानुमति के बगैर निगम के व्यक्तियों में से अपने स्टॉफ या मजदूरों की न तो भर्ती करेंगे और न ही भर्ती का प्रयास करेंगे।
- 5.3.2 संविदाकार प्रभारी अभियंता की पूर्वानुमति के बगैर निगम के लिए कार्य कर रहे किसी अन्य संविदाकार के कर्मचारियों व मजदूरों की पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक, किसी प्रकार की भर्ती नहीं करेंगे।
- 5.4 श्रम कानून**
- 5.4.1 संविदाकार व उसके उपसंविदाकारों को संविदा की अवधि में राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी और उन पर हमेशा लागू होने वाले श्रम अधिनियमों व नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, संशोधनों व उप कानूनों का अनुपालन करना होगा। संविदाकार, किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं व संशोधनों के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण निगम के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखेगा।
- 5.4.2 यदि संविदाकार द्वारा उपर्युक्त संविदाकार के मजदूरों से संबंधित समय-समय पर संशोधित विनियमों के किन्हीं भी प्रावधानों का पालन नहीं करता है या उनका उल्लंघन करता है तो निगम ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए यथा आवश्यक पेनॉल्टी अधिरोपित कर सकता है। प्रभारी अभियंता इस राशि को संविदाकार की प्रतिभू जमा राशि में से काट लेंगे। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

- 5.4.3 The employees of the Contractor and the Sub-Contractor in no case shall be treated as the employees of the Corporation at any point of time.
- 5.4.4 List of some of the Major laws applicable to establishments engaged in building and other construction work are listed below. For details, latest versions of relevant Acts and laws should be referred.
- Workmen Compensation Act, 1923
 - Payment of Gratuity Act, 1972
 - Employees P.F and Miscellaneous Provision Act, 1952:
 - Maternity Benefit Act, 1951:
 - Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970
 - Minimum Wages Act, 1948
 - Payment of Wages Act, 1936
 - Equal Remuneration Act, 1979
 - Payment of Bonus Act, 1965:
 - Industrial Disputes Act, 1947
 - Industrial Employment's (Standing Orders) Act, 1946:
 - Trade Unions Act, 1926:
 - Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986:
 - Inter-State Migrant workmen's (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1979
 - The Building and Other Construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and the Cess Act, 1996
 - Factories Act, 1948
 - Employees State Insurance Act, 1948
 - Atomic Energy Factories Rules, 1996
- 5.4.5 Contractor shall at his own expense comply with or cause to be complied with Model Rules for Labour Welfare as appended to these conditions or rules framed by the Government from time to time for the protection of health and for making sanitary arrangements for workers employed directly or indirectly on the works. In case the Contractor fails to make arrangements as aforesaid, the Engineer-in-Charge shall be entitled to do so and recover the cost thereof from the Contractor.
- 5.4.6 Failure to comply with Model Rules for Labour Welfare (as annexed) and to grant of maternity benefits to female workers shall make the Contractor liable to pay to the Corporation as a penalty an amount not exceeding Rs.5000/- for each default or materially incorrect statement.
- 5.4.7 The Contractor shall be liable to pay his contribution and the employees contribution to the State Insurance Scheme in respect of all labour employed by him for the execution of the Contract, in accordance with the provisions of "The Employees State Insurance Act, 1948" as amended from time to time. The Contractor shall submit to the Corporation the copy of monthly Challans of payments made for PF and ESI.

- 5.4.3 संविदाकार और उप संविदाकार के कर्मचारी किसी भी समय पर किसी भी रूप में निगम के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे।
- 5.4.4 इमारतों व अन्य निर्माण कार्यों में रत स्थापनाओं के लिए लागू कुछ प्रमुख कानूनों की सूची नीचे दी जा रही है। विस्तृत विवरण के लिए संबंधित अधिनियमों के अद्यतन संस्करण का संदर्भ लिया जाना चाहिए।
- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
 - उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972
 - कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
 - मातृत्व लाभ अधिनियम, 1951
 - ठेका श्रम (विनियम व उन्मूलन) अधिनियम, 1970
 - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
 - मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
 - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1979
 - बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
 - औद्योगिक नियोजन का (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
 - श्रमिक संघ अधिनियम, 1926
 - बाल श्रम (निषेध व विनियम) अधिनियम, 1986
 - अंतर-राज्य निर्वासित कामगार (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
 - इमारती व अन्य निर्माण कार्य श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम, 1996 और अधिभार अधिनियम 1996
 - फैक्टरी अधिनियम, 1948
 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 - परमाणु ऊर्जा फैक्टरी नियमावली, 1996
- 5.4.5 कार्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा और साफ-सफाई का इंतजाम करने के लिए संविदाकार मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए गए व इन शर्तों के साथ-साथ संलग्न किए गए आदर्श नियमों या समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का स्वयं के खर्चे पर अनुपालन करेंगे या अनुपालन करवाएंगे। यदि संविदाकार उपर्युक्त के अनुसार व्यवस्था करने में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता को इस प्रकार की व्यवस्था करने का अधिकार होगा इस पर आने वाली लागत को संविदाकार से वसूल किया जाएगा।
- 5.4.6 मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए गए आदर्श नियमों (परिशिष्ट के अनुसार) का अनुपालन न करने पर या महिला कामगारों को मातृत्व लाभों को न देने पर संविदाकार, ऐसी प्रत्येक गलती या गलत तथ्य विवरण के लिए निगम को अधिकतम 5000/- की पेनॉल्टी चुकाने के लिए बाध्य होंगे।
- 5.4.7 समय-समय पर संशोधित " कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948" के प्रावधानों के अनुरूप संविदाकार द्वारा अपने अंशदान व इस संविदा के निष्पादन के लिए उनके द्वारा नियोजित किए गए मजदूरों का अंशदान राज्य बीमा में देने के लिए बाध्य होंगे। संविदाकार द्वारा किए गए जीवन बीमा व कर्मचारी सुरक्षा बीमा के भुगतान के मासिक चालान की प्रति निगम के पास जमा की जाएगी।

- 5.4.8 The Engineer-in-Charge shall have the powers to deduct any sum from the amount due to contractor for making good the loss suffered by worker(s) by reason of non-fulfillment of the conditions of contract or non-payment / short payment of wages or non-observance of the Labour laws / regulations.
- 5.4.9 In every case in which by virtue of the provisions sub-section(1) of Section 12, of the Workmen's Compensation Act, 1923, the Corporation is obliged to pay compensation to a workman employed by the Contractor, in execution of the works, the Corporation without prejudice to its right under sub-section (2) of section 12 of the said act, shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by the Corporation to the Contractor whether under this contract or any other contract at the same unit or any other units of the Corporation.
- 5.4.10 The decision of the Engineer-in-Charge in such matters based on reports from the Inspecting Officers as defined in the Contractor's Labour Regulation as appended to these conditions shall be final and binding and deduction(s) for recovery of such penalty may be made from any amount payable to the Contractor.

5.5 Facilities for Staff and Labour

- 5.5.1 Unless otherwise stated, the Contractor shall provide and maintain all necessary accommodation and welfare facilities for the Contractor's Personnel. Model Rules for Labour Welfare, as annexed shall be referred in this regard.

5.6 Health and Industrial Safety

- 5.6.1 The Contractor shall at all times take all reasonable precautions to maintain the health and safety of the Contractor's Personnel. The Contractor shall ensure first-aid facilities available at all times at the work site. Other facilities in collaboration with local health authorities like medical staff, sick bay, ambulance, etc. shall be provided as required. The Contractor shall also make suitable arrangements for necessary welfare and hygiene requirements and for the prevention of epidemics.
- 5.6.2 The Contractor shall comply, as statutory requirement, to all provisions of "AERB (Atomic Energy Regulatory Board) Safety Guide for Works Contract" i.e., document No. AERB/SG/IS-1 amended from time to time and other safety requirements as applicable to specific site. A copy of guide is attached herewith. In addition to the above the following requirements of Industrial safety be complied with.
- 5.6.3 The Contractor shall at his own expense arrange & provide for the safety provisions as appended to these conditions (AERB Safety Guide) and the facilities in respect of all labour directly or indirectly employed for execution of the works or as required by the Engineer-in-Charge. In case, the Contractor fails to make arrangements and provide necessary facilities as per guidelines, the Engineer-in-Charge shall be entitled to do so at the risk and cost of the contractor and recover the cost from the Contractor with penalty as defined in Schedule (A). The total amount of penalties for non-compliance under this Para 5.6.3, shall be subject to a maximum of 2% of the contract value.

- 5.4.8 संविदा की शर्तों को पूरा न करने या मजदूरी का भुगतान न करने/कम भुगतान करने या श्रम कानूनो/विनियमों का अनुपालन न करने के कारण मजदूरों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए संविदाकार को देय राशि में से किसी भी राशि की कटौती करने का प्रभारी अभियंता को अधिकार होगा।
- 5.4.9 ऐसे प्रत्येक मामले में जहां कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उप धारा (1) के प्रवृत्त होने के कारण निगम, संविदाकार द्वारा इस कार्य के निष्पादन के लिए नियोजित किए गए कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होता है तो निगम, उपर्युक्त अधिनियम के अनुच्छेद 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत इसको प्राप्त अधिकार के पूर्वाग्रह के बगैर इस राशि को या उसके किसी भाग को प्रतिभू जमा या निगम द्वारा संविदाकार को इस संविदा या उसी इकाई की अन्य संविदा अथवा निगम की किसी अन्य इकाई में चल रही संविदा के अंतर्गत देय किसी राशि में से कटौती करने की स्वतंत्रता होगी।
- 5.4.10 ऐसे मामलों में, इन शर्तों में उद्धृत संविदाकार के श्रम विनियमों के अंतर्गत परिभाषित जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी अभियंता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा और ऐसी पेनाल्टी की वसूली के लिए संविदाकार को देय राशि में से कटौती (कटौतियां) की जा सकती हैं।

5.5 स्टाफ व मजदूरों के लिए सुविधाएं

- 5.5.1 जब तक कि अन्यथा वर्णित न हो, संविदाकार के कर्मचारियों के लिए संविदाकार द्वारा सभी आवश्यक आवासीय व कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में श्रमिक कल्याण के लिए संलग्न आदर्श नियमों का संदर्भ लिया जाएगा।

5.6 स्वास्थ्य एवं औद्योगिक संरक्षा

- 5.6.1 संविदाकार अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए हरसंभव सावधानी बरतेंगे। संविदाकार कार्यस्थल पर सदैव प्राथमिक उपचार की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। यथा आवश्यक अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा स्टाफ, सिकबे, एम्बुलेंस आदि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से उपलब्ध कराई जाएंगी। संविदाकार आवश्यक कल्याणकारी व साफ-सफाई संबंधी आवश्यकताओं तथा महामारी को फैलने से रोकने के लिए भी उचित व्यवस्था का प्रबंध करेंगे।
- 5.6.2 संविदाकार समय-समय पर संशोधित "कार्य संविदाओं के लिए एईआरबी (परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद) संरक्षा दिग्दर्शिका" जिसकी दस्तावेज संख्या एईआरबी/एसजी/आईएस-1 है, के समस्त प्रावधानों और संयंत्र स्थल विशेष के लिए लागू अन्य संरक्षा आवश्यकताओं का सांविधिक आवश्यकता के रूप में अनुपालन करेंगे। इस दिग्दर्शिका की एक प्रति को इसके साथ संलग्न किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त औद्योगिक संरक्षा संबंधी निम्नलिखित आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया जाएगा।
- 5.6.3 संविदाकार को इस कार्य के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित मजदूरों के लिए अपने खर्च पर इन शर्तों (एईआरबी संरक्षा दिग्दर्शिका) के साथ उल्लिखित संरक्षा उपायों अथवा प्रभारी अभियंता की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करेंगे व उपलब्ध कराएंगे। यदि संविदाकार यह व्यवस्था करने और दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता को संविदाकार के खर्च व जोखिम पर यह व्यवस्था करने और संविदाकार से अनुसूची (ए) की परिभाषा के अनुसार पेनाल्टी सहित इसकी कीमत वसूलने का अधिकार होगा। इस पैरा 5.6.3 के अनुसार अनुपालन न करने पर लगाई गई पेनाल्टी की कुल राशि कुल संविदा मूल्य की अधिकतम 2 % तक हो सकती है।

- 5.6.4 The Contractor shall provide mandatory Industrial Safety Training to all workmen. In case, where it is specified in the schedule A, the same shall be provided by the Corporation.
- 5.6.5. The Contractor shall provide and maintain all lights, fencing, guards, warning signs and caution board and similar items as required to ensure safe working conditions at work site.
- 5.6.6 The Contractor and his Sub-Contractor shall comply with the instructions given by departmental safety officer or his representative(s) regarding safety precautions, protection measures and housekeeping, etc.
- 5.6.7 The Contractor shall provide proper access and working platforms for all place of work as per laid down standards or as advised by Engineer-in-charge.
- 5.6.8 The Contractor shall ensure all floor openings in his work are guarded / barricaded during the course of work and at the end of each day's work.
- 5.6.9 All Contractors, working at plant site, must meet statutory requirements as well as regulatory requirements applicable to the plant in general and NPCIL in particular, especially the requirements as per Factory Act, Atomic Energy Factories Rule-1996 (AEFR-1996), safety guidelines for Job Hazard Analysis (JHA) & AERB notifications on Industrial & Fire safety.
- 5.6.10 All Contractors' safety professionals must be well aware about Acts, Rules, concerned with Industrial Safety and practices particularly applicable to the plant and to that effect they have to undergo an assessment at the plant within 7 days of their placement at the plant and that will be at the cost of the Contractor and then only he / she would be given permanent entry pass to plant and considered in the required strength of safety professionals.
- 5.6.11 All Personal Protection Equipments (PPE) procured and provided to workers shall conform to relevant Indian Standards and should be maintained in good condition by suitable storage, maintenance and inspection. Contractor shall promote safe work practices at work in plant.
- 5.6.12 The Contractor shall be held responsible for non-compliance of any of the safety measures, injuries, fatalities and compensation arising out of such situations or accidents.
- 5.6.13 Contractor shall be responsible for safety of all his employees during execution of the contract. As per Workmen's Compensation Act, 1923 (amended in 2000), the Contractor will ensure the payment of compensation to his employees in case of an accident as early as possible within the time frame permitted by the law of land.
- 5.6.14 The Contractor shall employ sufficient number of qualified safety professionals required for the safe execution of the job. The minimum number shall not be less than the minimum number that is specified in Schedule (A).
- 5.6.15 The Contractor should deploy safety professionals as defined above, failing which the Corporation shall outsource or deploy such person at the cost and risk of the Contractor. Penalty, as defined in Schedule (A) shall also be recovered in addition to the cost for non-deployment of safety professionals.

- 5.6.4 संविदाकार अपने सभी कामगारों को अनिवार्य औद्योगिक संरक्षा प्रशिक्षण दिलवाएंगे। जहां कहीं अनुसूची ए में विनिर्देशित हो, यह प्रशिक्षण निगम द्वारा दिलाया जाएगा।
- 5.6.5 कार्य स्थल पर सुरक्षित कार्य दशाएं सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार द्वारा समस्त लाइटें, बाड़, चेतावनी चिह्न और सावधान बोर्ड व इसी प्रकार के अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जाएंगे व अनुरक्षित किए जाएंगे।
- 5.6.6 संविदाकार व उपसंविदाकार को विभागीय संरक्षा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि(यों)द्वारा संरक्षा सावधानी, बचाव के उपायों व गृहसज्जा आदि के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- 5.6.7 संविदाकार कार्य करने के समस्त स्थानों पर निर्धारित दिशा निर्देशों या प्रभारी अभियंता की सलाह के अनुसार उचित रास्ते व कार्य करने का प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे।
- 5.6.8 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य के तल के सभी खुले स्थानों पर कार्य के दौरान व कार्य की समाप्ति के बाद बैरीकेटिंग या गार्डिंग लगी हो।
- 5.6.9 संयंत्र स्थल पर कार्य करने वाले सभी संविदाकारों को संयंत्र के लिए सामान्य रूप से और विशेष रूप से एनपीसीआईएल के लिए लागू सांविधिक और विनियमन आवश्यकताओं विशेषतः फैक्टरी ऐक्ट, परमाणु ऊर्जा फैक्टरी नियमावली-1996 (ईएफआर-1996), कार्य के खतरों का विश्लेषण (जेएचए) व औद्योगिक एवं अग्निशमन संरक्षा पर आईआरबी की अधिसूचना की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- 5.6.10 संविदाकार के संरक्षा से संबंधित सभी कर्मचारियों को औद्योगिक संरक्षा और अनुपालन से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों आदि की, विशेषतः संयंत्र संबंधी पूरी जानकारी होनी चाहिए और संयंत्र स्थल पर नियुक्ति के 7 दिनों के भीतर संविदाकार के खर्च पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा और केवल इसके बाद ही उन्हें संयंत्र में प्रवेश करने के लिए स्थाई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और उन्हें संरक्षा संबंधित कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- 5.6.11 कामगारों हेतु प्रापण किए गए व उन्हें उपलब्ध कराए गए समस्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) भारतीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए और इनका उचित भंडारण, अनुरक्षण व निरीक्षण आदि करते हुए अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। संविदाकार संयंत्र स्थल में कार्य करने के दौरान सुरक्षित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देंगे।
- 5.6.12 किसी भी प्रकार के संरक्षा उपायों के अनुपालन न करने, चोट लगने, गंभीर रूप से घायल होने और ऐसी किसी भी स्थिति या दुर्घटना के कारण दी जाने वाले क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकार जिम्मेदार होंगे।
- 5.6.13 संविदा के निष्पादन की अवधि के दौरान संविदाकार अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (वर्ष 2000 में संशोधित) के अनुसार संविदाकार अपने किसी कर्मचारी के साथ घटित दुर्घटना की क्षतिपूर्ति का भुगतान देश के कानूनों द्वारा निर्धारित अनुमन्य समय-सीमा में यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5.6.14 संविदाकार दिए गए काम को सुरक्षित ढंग से पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हताप्राप्त संरक्षा कार्मिकों का नियोजन करेंगे। ऐसी नियुक्तियों की न्यूनतम संख्या अनुसूची (ए) में विनिर्देशित न्यूनतम संख्या से कम नहीं होगी।
- 5.6.15 संविदाकार द्वारा उपरिपरिभाषित संरक्षा कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर निगम संविदाकार के खर्च व जोखिम पर इन कर्मचारियों की बाहर से नियुक्ति करेगा। संरक्षा कर्मचारियों की तैनाती न करने के कारण होने वाले खर्च की वसूली के साथ-साथ अनुसूची (ए) में परिभाषित पेनाल्टी भी वसूल की जाएगी।

5.6.16 The Contractor shall prepare industrial safety procedure for approval by corporation and ensure the industrial safety requirements have been established prior to execution of whole or part of work.

5.7 Contractor's Supervision for compliance

5.7.1 The Contractor shall provide all necessary supervision to plan, arrange, direct, manage, inspect and test the work for acceptance by Engineer-in-charge throughout the execution of the Works, and as long thereafter as is necessary to fulfill the Contractor's obligations.

5.7.2 Supervision shall be done by a sufficient number of qualified persons having adequate knowledge of the language for communications (defined in Sub-Clause 1.3 [Law and Language]) and of the operations to be carried out (including the methods and techniques required, the hazards likely to be encountered and methods of preventing accidents), for the satisfactory and safe execution of the Works.

5.8 Contractor's Personnel

5.8.1 The Contractor shall employ the key personnel as per the Schedule of Key Personnel as referred to at the time of submission of tender document to carry out or supervise the functions stated in the Schedule or other personnel approved by the Engineer-in-charge. If the Contractor himself not have sufficient knowledge and experience to be capable of receiving instructions or cannot give his full attention to the works, the Contractor shall at his own expense, employ his accredited agent as Site-in-charge approved by the Engineer-In-Charge. The Engineer-in-charge shall have full powers to suspend execution of work in case of violation of this clause and the contractor shall be held responsible for such delay.

5.8.2 The Contractor's Personnel shall be appropriately qualified, skilled and experienced in their respective trades or occupations. The Engineer-in-charge may require the Contractor to remove (or cause to be removed) any person employed on the Site or Works, including the Contractor's Representative if applicable, who:

- (a) persists in any misconduct or lack of care,
- (b) carries out duties incompetently or negligently,
- (c) fails to conform with any provisions of the Contract, or
- (d) persists in any conduct which is prejudicial to safety, health, or the protection of the environment.

The Contractor shall then appoint (or cause to be appointed) a suitable replacement person.

5.9 Records of Contractor's Personnel

5.9.1 The Contractor shall furnish to the Engineer-in-Charge, fortnightly, a distribution return of the number and description by trades of the workers employed on the works. Along with this return, the Contractor shall also submit a statement of number of local people employed, to the Engineer-in-charge.

5.6.16 संविदाकार निगम से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक संरक्षा प्रक्रिया तैयार करेंगे और संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग का काम प्रारंभ करने से पहले औद्योगिक संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की स्थापना सुनिश्चित करेंगे।

5.7 अनुपालन हेतु संविदाकार का पर्यवेक्षण

5.7.1 कार्य निष्पादन की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रभारी अभियंता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संविदाकार द्वारा कार्य की योजना, व्यवस्था, निर्देशन, प्रबंध, निरीक्षण और परीक्षण आदि के लिए आवश्यक पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और इसे संविदाकार की बाध्यता के पूरा होने तक जारी रखा जाएगा।

5.7.2 पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को लगाया जाएगा जिन्हें कार्य को संतोषप्रद व सुरक्षित ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक वार्तालाप के लिए माध्यम भाषा (उप खण्ड 1.3 (कानून और भाषा) में परिभाषित) और किए जाने वाले कार्य (कार्य करने के लिए आवश्यक विधि व तकनीक, कार्य के दौरान आने वाले संभावित खतरे और दुर्घटनाओं से बचने के तरीके सहित) आदि की पर्याप्त जानकारी हो।

5.8 संविदाकार के कर्मचारी

5.8.1 अनुसूची में दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए संविदाकार द्वारा, निविदा को जमा करते समय निविदा दस्तावेज की प्रमुख-कर्मचारी-अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रमुख कर्मचारियों की अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित अन्य कर्मचारियों को नियोजित किया जाएगा। यदि संविदाकार के पास स्वयं निर्देशों को समझने या कार्य पर पूरा ध्यान दे पाने की पर्याप्त क्षमता के लिए आवश्यक ज्ञान व अनुभव न हो तो संविदाकार को अपने खर्च पर, प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित, एक प्रतिनिधि की कार्यस्थल प्रभारी के रूप में नियुक्ति करनी होगी। इस प्रावधान का उल्लंघन होने पर प्रभारी अभियंता को कार्यनिष्पादन निलंबित करने का पूरा अधिकार होगा और इसके कारण होने वाले विलंब के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा।

5.8.2 संविदाकार के कर्मचारियों को उनकी ट्रेड या नियुक्त किए गए काम के लिए उचित रूप से योग्यता प्राप्त, कार्य-कुशल व अनुभवी होना चाहिए। प्रभारी अभियंता आवश्यक होने पर संविदाकार से, नियोजित किए गए किसी कर्मचारी को कार्य-स्थल या कार्य से हटाने (या हटाने का प्रयोजन) के लिए कह सकते हैं। यदि लागू हो तो इसमें संविदाकार के वे प्रतिनिधि भी शामिल होंगे जो :

- (ए) किसी प्रकार के कदाचार में शामिल हों या जो सावधानी न बरतते हों,
- (बी) अपने कार्यों को अकुशलता या लापरवाही से करते हों
- (सी) संविदा के किन्ही प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त न हों
- (डी) संरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण संरक्षण के हितों के विपरीत कोई आचरण करते हों,

ऐसी स्थिति में संविदाकार को एक उपयुक्त वैकल्पिक नियुक्ति(नियुक्ति में सहायता) करनी होगी।

5.9 संविदाकार के कर्मचारियों का रिकार्ड

5.9.1 संविदाकार इस कार्य के लिए अपने यहां नियोजित कर्मचारियों की संख्या और आर्बाइटिट ट्रेड विवरण सहित रिपोर्ट को प्रत्येक पखवाड़े प्रभारी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट के साथ-साथ संविदाकार अपने यहां नियोजित किए गए स्थानीय कर्मचारियों की संख्या भी प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेगा।

- 5.9.2 The Contractor shall also submit on the 4th and 19th of every month to the Engineer-in-charge a true statement showing in respect of the preceding fortnight,
- (i) the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them and
 - (ii) the number of female workers who have been allowed maternity benefit as provided in the Maternity Benefit Act, 1961 or Rules made there under and the amount paid to them.
- 5.9.3 The Contractor shall submit the compliance report in the format appended.

5.10 Disorderly Conduct

- 5.10.1 The Contractor shall at all times take all reasonable precautions to prevent any unlawful, riotous or disorderly conduct by or amongst the Contractor's Personnel, and to preserve peace and protection of persons and property on and near the Site.

5.11 Foreign Personnel

- 5.11.1 The Contractor may depute in to the country any foreign personnel who are necessary for the execution of the Works to the extent allowed by the applicable Laws. The Contractor shall ensure that these personnel are provided with the required residence visas and work permits. The Corporation will, if requested by the Contractor, use its best endeavours with regards to issuing of necessary letters in a timely and expeditious manner to assist the Contractor in obtaining any local, state, national, or government permission required for bringing in the Contractor's personnel.
- 5.11.2 The foreign personnel shall have to comply with the security procedures of the corporation.
- 5.11.3 The Contractor shall be responsible for the return of all such staff and labour to the place from where they were recruited or to their domicile. The Contractor shall be responsible till the time they have left the country.

5.12 Other Compliance

- 5.12.1 The Contractor shall fulfill and comply with all the requirements, if any, notified by the government or municipal authorities or agencies so authorized in this regard, in respect of supply of foodstuff, water and to take measures against insect & pest nuisance. Failure, on the part of the Contractor shall attract penalty in addition to the action as may be initiated by the state government or municipal authorities or agencies so authorized by the Government.
- The Contractor shall not do anything or permit its employees or worker deployed by him, at the site or office, which is specifically or generally prohibited by law, rules or regulations framed by the central or state government or Municipal authorities.
- The rules and regulations framed by the government authorized agencies, state or central government in regards to alcoholic liquor, Arms and ammunitions and the labor legislation shall be followed /complied in its letter & spirit, by the Contractor.

5.9.2 संविदाकार पिछले पखवाड़े की निम्नलिखित सत्य जानकारी भी हर माह की 4थी व 19वीं तारीख को प्रभारी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेगा:

- (i) उक्त पखवाड़े में घटित हुई दुर्घटनाओं जिनमें उन परिस्थितियों का विवरण भी दिया जाए जिनके कारण यह दुर्घटनाएं हुईं और इनके कारण हुए नुकसान व चोट आदि का विवरण तथा
- (ii) उन महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ प्रदान किया गया और उन्हें भुगतान की गई कुल धनराशि।

5.10 अनुशासनहीन आचरण

5.10.1 संविदाकार कार्यस्थल व इसके आस-पास अपने कर्मचारियों के बीच होने वाले किसी भी गैरकानूनी, उग्रवादी या अनुशासनहीन आचरण को रोकने और शांति बनाए रखने व जान-माल की रक्षा के लिए सदैव हर संभव प्रयास करेंगे।

5.11 विदेशी कर्मिक

5.11.1 संविदाकार, यदि कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तो लागू कानूनों की सीमा में किसी विदेशी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकता है। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन लोगों के पास आवश्यक निवास वीजा व कार्य परमिट हो। संविदाकार द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर निगम संविदाकार के कर्मचारियों को देश में लाने के लिए आवश्यक स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय या सरकारी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक पत्र आदि शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का पूरा प्रयास करेगा।

5.11.2 विदेशी व्यक्तियों को निगम की सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करना होगा।

5.11.3 ऐसे समस्त स्टॉफ व मजदूरों को वापस जहां से वह आए थे या उनके निवास तक पहुंचाना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। उनके देश छोड़ कर जाने तक संविदाकार जिम्मेदार रहेगा।

5.12 अन्य अनुपालन

5.12.1 खाद्य पदार्थ, जल की आपूर्ति और कीड़े-मकोड़ों आदि से बचाव के लिए सरकार या नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों या प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई अधिसूचना जारी की जाती है तो संविदाकार उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा व उसका अनुपालन करेगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में संविदाकार पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है और सरकार या नगर पालिका द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

संविदाकार कार्यस्थल पर अथवा अपने कार्यालय में विशेष रूप से या सामान्य रूप से केंद्र या राज्य सरकार या नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए कानून, नियमों या विनियमों के अंतर्गत निषिद्ध किए गए किसी कार्य को न तो स्वयं करेंगे और न ही इस कार्य के लिए लगाए गए अपने कर्मचारियों या कामगारों को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति देंगे।

संविदाकार, सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा शराब, अस्त्र-शस्त्र और श्रम कानून का पूर्णरूपेण पालन करेंगे।

5.13 House Keeping

5.13.1 The contractor shall maintain the cleanliness of the work site and labour colony on a day to day basis. Failing to maintain cleanliness of work place, Engineer-in-charge will have full power to maintain the cleanliness at the risk and cost of the contractor.

6 PLANT, MATERIALS AND QUALITY ASSURANCE

6.1 Tools, Plants & Equipments

- 6.1.1 The Contractor shall arrange at his own expense all tools, plant and equipment (hereinafter referred to as T&P) required for execution of the work, except the item listed in Schedule (C) which may be given to him on hire (if the same can be spared) by the Corporation at rates shown in that Schedule. In case the Contractor requires some or all items of T&P listed in Schedule (C), he shall indicate his requirements at the time of submitting his tender. The Corporation's T&P hired by the Contractor shall be transported at his expense from the place of issue to the Site and back.
- 6.1.2 If the Contractor requires any item of T&P on hire from the Corporation over and above the requirements indicated by him at the time of submitting his tender, the Corporation will, if such item is available, hire it to the Contractor at a rate to be fixed by the Engineer-in-Charge.
- 6.1.3 When T&P is hired on daily rates, the period of hire will be reckoned from the commencement of the day of issue upto the end of the day of return (including all holidays) irrespective of the actual hour of issue and return. Daily hire charges will be based on eight working hours or part thereof per day and for any additional use of T&P at rates fixed for the purpose. The Contractor will be exempted from levy of any charges for the number of days he is called upon in writing by the Engineer-in-charge to suspend execution of the work, provided the Corporation's T&P in question has, in fact remained idle with the Contractor due to suspension.
- 6.1.4 The Contractor shall be responsible for care and custody of the Corporation's T&P (including employment of security guards) during the period for which the Corporation's T&P remains with him. Any damage (fair wear and tear excepted) to any of the equipments shall be made good at the Contractor's expense to the satisfaction of the Engineer-in-Charge unless such damage is caused because of negligence of crew provided by the Corporation. The Contractor responsibility shall exclude any damage due to Excepted Risks, provided always that the Contractor has taken precautions necessary to protect it from such risks.
- 6.1.5 The Corporation's T&P hired to the Contractor shall be returned to the place of issue (unless otherwise directed by the Engineer-in-charge) on completion /termination of the work or relevant section of the work. The Corporation shall be entitled to terminate the hire after giving 7 days notice without assigning any reason whatsoever and the Contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever on account of termination of hire of the Corporation's T&P by the Corporation.

5.13 गृह सज्जा

5.13.1 संविदाकार कार्यस्थल व मजदूरों की कॉलोनी की दैनिक साफ-सफाई करवाएंगे। कार्यस्थल की साफ-सफाई न रखने पर प्रभारी अभियंता को संविदाकार के जोखिम व खर्च पर साफ-सफाई करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. संयंत्र, सामग्री और गुणवत्ता आश्वासन

6.1 औजार, संयंत्र व उपकरण

6.1.1 कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक समस्त औजारों, संयंत्रों व उपकरणों (जिन्हें इसके बाद टी एण्ड पी कहा गया है) की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं और अपने खर्च पर करनी होगी। निगम द्वारा अनुसूची (सी) में अनुसूचित टी एण्ड पी को उन्हें इस अनुसूची में वर्णित दरों पर किराए पर उपलब्ध कराया जा सकता (बशर्ते कि ये खाली हों) है। यदि संविदाकार को अनुसूची (सी) में अनुसूचित टी एण्ड पी में से कुछ सामान या सभी सामान की आवश्यकता है तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं को निविदा जमा करते समय दर्शाना होगा। संविदाकार द्वारा किराए पर ली गई निगम की टी एण्ड पी को जारी करने के स्थान से लेकर कार्यस्थल तक ले जाने और कार्यस्थल से वापस लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था संविदाकार को अपने खर्च पर करनी होगी।

6.1.2 यदि संविदाकार अपनी निविदा में दर्शाए गई टी एण्ड पी के अतिरिक्त कोई अन्य सामान निगम से किराए पर लेना चाहता है और यदि वह सामान उपलब्ध है तो निगम इसे प्रभारी अभियंता द्वारा तय की गई दरों पर संविदाकार को किराए पर देगा।

6.1.3 जहां पर टी एण्ड पी को दैनिक आधार पर किराए पर दिया जाता है वहां किराए का समय जारी किए जाने वाले दिन से लेकर वापसी वाले दिन तक (सभी छुट्टियों सहित) जोड़ा जाएगा और यह वास्तविक रूप से सामान जारी करने या वापस करने के समय के आधार पर नहीं होगा। दैनिक किराए का शुल्क एक दिन के आठ कार्य घंटे या प्रतिदिन उसके किसी भाग के आधार पर होगा और टी एण्ड पी के इस अवधि के बाद के उपयोग का शुल्क उसके लिए तय की गई दरों के आधार पर निश्चित किया जाएगा। जब कभी प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप से संविदाकार को कार्य निष्पादन बंद करने के लिए कहा जाता है तब संविदाकार को उतने दिनों के किराया शुल्क से छूट दी जाएगी बशर्ते कि ऐसे निलंबन के कारण संविदाकार को दी गई निगम की वह टी एण्ड पी वास्तव में काम में न ली गई हो।

6.1.4 जब तक निगम की टी एण्ड पी संविदाकार के पास रहती है तब तक संविदाकार उसकी सुरक्षा व देखभाल (सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति सहित) के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी उपकरण को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति (सामान्य घिसावट आदि को छोड़कर), सिवाए तब जब कि ऐसी क्षति निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए उस उपकरण के कर्मियों की लापरवाही के कारण हो, को प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के स्तर तक संविदाकार अपने खर्च पर ठीक कराएगा। यदि कोई क्षति संभाव्य जोखिम के कारण होती है और संविदाकार उस जोखिम से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतता है तो यह क्षति संविदाकार की जिम्मेदारी में नहीं आएगी।

6.1.5 कार्य या कार्य के संबंधित भाग के समाप्त होने/ निरस्त किए जाने पर संविदाकार को किराए पर दी गई निगम की टी एण्ड पी को जारी किए जाने वाले स्थान पर ही वापस (जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जाएं) किया जाएगा। निगम को इस किराए के प्रस्ताव को 7 दिनों का नोटिस दे कर, बगैर कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा और निगम द्वारा निगम की टी एण्ड पी को संविदाकार को किराए पर दिया जाना निरस्त करने के कारण संविदाकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या अन्यथा उसके कारण किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

- 6.1.6 When the T&P is hired on hourly rates, a Log Book shall be maintained by the Engineer-in-charge or any representative of the Engineer-in-Charge, for recording hours during which the items have been utilized for each day. The log book shall be daily attested by the Contractor or his authorized representative. In case the Contractor contests correctness of any entry and/or fails to sign the Log Book, the decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on him. Hire charges shall be calculated in accordance with the entries in the Log Book. Hourly rate specified shall be charged for every hour or part thereof.
- 6.1.7 The hire charges (along with the taxes as applicable) payable by the Contractor shall be recovered from the Contractor's running account / final bills.
- 6.1.8 If the Corporation / other Contractors hire T&P from the Contractor, a reasonable rate as mutually agreed between the Contractor and the Engineer-in-charge shall be payable.

6.2 Workmanship

- 6.2.1 The Contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workman like manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The Contractor shall also confirm compliance to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work to the Engineer-in-Charge for his acceptance.
- 6.2.2 The works to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, include all labour, materials, tools, plant and equipment, and transport, which may be required in execution and completion of the works. The descriptions given in the Schedule of Quantities shall, unless otherwise stated, be held to include waste on materials, carriage and cartage, carrying in return of empties, hoisting, setting, fitting and fixing in position and all other labour necessary in and for the full and entire execution and completion as aforesaid in accordance with good engineering practice and recognized principles.
- 6.2.3 In the case of any class of work for which there is no such specifications as referred to above, such work shall be carried out in accordance with Bureau of Indian Standards Specifications. In case there is no such specification in Bureau of Indian Standards, the work shall be carried out as per ASTM/ BS or manufacturers' specifications. In case there are no such specifications as referred to the above the work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-Charge.
- 6.2.4 The furnishing of engineering data by the Contractor shall be in accordance with the Schedule as specified in the technical specifications. The review of engineering data by the Engineer-in-charge shall not limit the Contractor towards any of his responsibilities and liabilities for mistakes and deviations, if any, from the requirements specified under these specifications and documents.

- 6.1.6 जब कभी टी एण्ड पी को घंटों के आधार पर किराए पर दिया जाए, प्रभारी अभियंता या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा एक लॉग बुक में उस सामान के प्रतिदिन प्रयोग के घंटों को दर्ज किया जाएगा। इस लॉग बुक को प्रतिदिन संविदाकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि संविदाकार इस लॉगबुक में की गई किसी प्रविष्टि की सत्यता पर प्रश्न उठाता है या लॉग बुक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो प्रभारी अभियंता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व उस पर बाध्यकारी होगा। किराए के शुल्क का आकलन लॉग बुक में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर किया जाएगा। विनिर्दिष्ट की गई प्रति घंटा दर को प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए लगाया जाएगा।
- 6.1.7 संविदाकार द्वारा देय किराया प्रभार को (समस्त लागू करें सहित) संविदाकार के चालू खाते/अंतिम बिल से वसूल किया जाएगा।
- 6.1.8 यदि निगम या अन्य संविदाकारों द्वारा संविदाकार से टी एण्ड पी को किराए पर लिया जाता है तो संविदाकार व प्रभारी अभियंता द्वारा आपसी विचार-विमर्श से तय की गई तार्किक दर देय होगी।

6.2 कार्यकुशलता

- 6.2.1 संविदाकार संपूर्ण कार्य और कार्य के प्रत्येक भाग को चाहे वह सामग्री से संबंधित हो अथवा प्रत्येक संबंधित विनिर्देशों से, का सख्ती से पालन करते हुए इष्टतम व पूरी कुशलता के साथ करेंगे। संविदाकार अभिकल्प, रेखाचित्र और कार्य के संबंध में दिए गए लिखित अनुदेशों का प्रभारी अभियंता की स्वीकृति के स्तर तक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 6.2.2 जब तक इन शर्तों में अन्यथा वर्णित न हो, इस संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में कार्य के निष्पादन और पूर्णता के लिए आवश्यक सभी मजदूर, सामग्री, औजार, संयंत्र और उपकरण, तथा परिवहन शामिल हैं। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, मात्रा अनुसूची में दिए गए विवरण में, सामग्री का कचरा, कैरिज एवं कार्टिज, खाली डब्बों को हटाना, ऊपर उठाना, लगाना, फिक्स करना और अन्य सभी प्रकार के कार्य जो कि उपरोक्त कार्य को बेहतरीन इंजीनियरी कला और मान्य सिद्धांतों के अनुसार हर प्रकार से पूरा करने के लिए आवश्यक हों, शामिल हैं।
- 6.2.3 यदि कार्य की किसी श्रेणी के लिए उपर्युक्त की तरह कोई विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं तो उस कार्य को भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशानुसार पूरा किया जाएगा। यदि भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश न हों तो उस कार्य को एएसटीएम/मानक ब्यूरो या निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि उपर्युक्त में से कोई भी विनिर्देश उपलब्ध न हों तो उस कार्य को प्रभारी अभियंता के निर्देशों व आवश्यकता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
- 6.2.4 संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभियांत्रिकी आंकड़े तकनीकी विनिर्देशों में विनिर्देशित अनुसूची के अनुरूप होने चाहिए। अभियांत्रिक आंकड़ों की प्रभारी अभियंता द्वारा की गई समीक्षा संविदाकार को इन विनिर्देशों व दस्तावेजों में व्यक्त की गई आवश्यकताओं में यदि किसी प्रकार की भूल या विचलन हुआ हो तो, उनके प्रति उसकी किसी भी जिम्मेदारियों व बाध्यताओं को कम नहीं करती है।

- 6.2.5 The Contractor shall carry out the manufacture of Plant, the production and manufacture of Materials, and all other execution of the Works:
- (a) In the manner (if any) specified in the Contract,
 - (b) In a proper workmanlike and careful manner, in accordance with recognized good practices, and
 - (c) With properly equipped facilities.

6.3 Quality Assurance

6.3.1 To ensure that the construction/fabrication and erection of works under the scope of this Contract whether executed within the Contractor's works or at any other place of work are in accordance with the specifications, the Contractor shall adopt suitable quality assurance program commensurate with NPCIL QA program to control such activities at all stages necessary. Such program shall be outlined by the Contractor in a QA Manual and shall be finally accepted by the Engineer-in-Charge after discussions before commencement of work. A quality assurance program of the Contractor shall generally cover but not limited to the following:

- (a) His organisation structure for the management and implementation of the proposed quality assurance program including interfaces.
- (b) Documentation control system.
- (c) Qualification and certification data for Contractor's key personnel.
- (d) The procedure for purchase of materials, parts, components and selection of Sub-Contractors' services including vendor selection, source inspection, incoming raw material inspection, verification of materials purchased etc.
- (e) System for construction / fabrication and site erection controls through QA plans.
- (f) Control of non-conforming items and system for corrective and preventive actions.
- (g) Inspection and test procedures both for construction and erection.
- (h) Control of calibration and testing of inspection measuring and testing equipment.
- (i) System of indication and appraisal of inspection status.
- (j) System of quality audits
- (k) System of intimation by the Contractor and approval by the Engineer-in-Charge of stages of inspection.
- (l) System for maintenance of records.
- (m) System for handling, storage, preservation and delivery of items
- (n) A quality assurance plan detailing out the specific quality control procedure to be adopted for controlling the quality characteristics relevant to each item of work.

The Contractor shall deploy personnel as per QA Structure defined in special conditions of contract, failing which the Corporation shall outsource or deploy such person at the cost and risk of the Contractor.

6.2.5 संविदाकार संयंत्र का निर्माण, उत्पादन और सामग्री का निर्माण तथा अन्य कार्यों का निष्पादन :

- (ए) संविदा में वर्णित रीति (यदि कोई हो) से करेंगे।
- (बी) मान्य बेहतर विधि से पूरी कुशलता व सावधानी पूर्वक और
- (सी) उचित उपकरणों की सहायता से करेंगे।

6.3 गुणवत्ता आश्वासन

6.3.1 इस संविदा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण/विरचन व स्थापन के कार्यों का, चाहे वे संविदाकार के कार्यस्थल में किए जाएं या अन्य किसी कार्यस्थल पर किए जाएं, का विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार को एनपीसीआईएल के गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अनुरूप कोई उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम अपनाना होगा ताकि सभी चरणों में इस प्रकार की गतिविधियों पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण रखा जा सके। संविदाकार एक गुणवत्ता आश्वासन पुस्तिका में ऐसे गुणवत्ता आश्वासन की रूपरेखा तैयार करेंगे और प्रभारी अभियंता कार्य प्रारंभ होने से पहले इस पर विचार-विमर्श कर इसे अंतिम स्वीकृति देंगे। संविदाकार के गुणवत्ता कार्यक्रम में सामान्यतया निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए परंतु यह केवल यहीं तक सीमित नहीं होगा :

- (ए) इंटरफेस सहित प्रस्तावित गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम को लागू करने व उसका प्रबंधन करने के लिए उनका संगठनात्मक ढांचा।
- (बी) प्रलेखीकरण नियंत्रण प्रणाली
- (सी) संविदाकार के प्रमुख व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता व प्रमाणन के आंकड़े
- (डी) सामग्री, पाटर्स, कल-पुर्जे आदि खरीदने की विधि और वेंडर चयन सहित उप संविदाकार चुनने का तरीका, स्रोत की जांच, लिए जाने वाले कच्चे माल की जांच, क्रय की गई सामग्री का सत्यापन आदि।
- (ई) गुणवत्ता आश्वासन योजना के माध्यम से निर्माण/विरचन और स्थल स्थापन के लिए प्रणाली।
- (एफ) अविश्वसनीय सामानों का नियंत्रण और उसके लिए उपचारी व निरोधक कार्रवाई के लिए प्रणाली।
- (जी) निर्माण व स्थापन दोनों के लिए निरीक्षण व परीक्षण प्रक्रिया।
- (एच) निरीक्षण मापन व परीक्षण उपकरणों के कैलिब्रेशन व परीक्षण का नियंत्रण।
- (आई) निरीक्षण स्थिति को दर्शाने व मूल्यांकन करने की प्रणाली।
- (जे) गुणवत्ता ऑडिट की प्रणाली।
- (के) निरीक्षण के विभिन्न चरणों की संविदाकार द्वारा जानकारी देने और प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदन देने की प्रणाली।
- (एल) रिकार्डों के अनुरक्षण की प्रणाली।
- (एम) सामान की हैंडलिंग, भंडारण, परिरक्षण और सुपुर्दगी की प्रणाली।
- (एन) कार्य के प्रत्येक मद के अनुरूप गुणवत्ता विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली विशिष्ट नियंत्रण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाली गुणवत्ता आश्वासन योजना।

संविदाकार संविदा की विशेष शर्तों में परिभाषित गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के अनुसार व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। ऐसा न करने पर निगम संविदाकार के खर्च व जोखिम पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा।

- 6.3.2 The Contractor shall be required to submit the relevant Quality Assurance Document within three weeks of completion of works which shall include relevant test reports connected with all engineering controls adopted by him during the construction. The Engineer-in-Charge or his duly authorized representative reserves the right to carry out Quality Audit and Quality Surveillance of the systems and procedures of the Quality Management and Control Activities of the Contractor / his vendor.
- 6.3.3 The QA Manager appointed by the Contractor shall report administratively to Project Manager but functionally (on technical matters) to the Head Quarters of the Contractor's Company. QA staff shall be responsible only for quality control and they should not be deployed for execution of the work.

6.4 Materials & Samples

- 6.4.1 The Contractor shall, at his own expense, provide all materials required for the works, other than the material which are to be issued by the Corporation.
- 6.4.2 The Contractor shall, at his own expense and without delay, supply to the Engineer-in-Charge samples in accordance with QA program of materials proposed to be used in the works. The Engineer-in-Charge shall, within 7 days of supply of samples or within such further period as he may require, intimate to the Contractor in writing, whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his approval fresh samples complying with the specifications laid down in the Contract at his cost.

6.5 Inspection

- 6.5.1 The Corporation's Personnel shall at all reasonable times:
- a) Have full access to all parts of the Site and to all places from which natural Materials are being obtained, and
 - b) During production, manufacture and construction (at the Site and elsewhere), be entitled to examine, inspect, measure and test the materials and workmanship, and to check the progress of manufacture of Plant and production and manufacture of Materials.
- 6.5.2 The Contractor shall give the Corporation's Personnel full opportunity to carry out these activities, including providing access, facilities, permissions and safety equipment along with required manpower. No such activity shall relieve the Contractor from any obligation or responsibility.
- 6.5.3 The Contractor shall give notice to the Engineer-in-charge whenever any work is ready and before it is covered up, put out of sight, or packaged for storage or transport. The Engineer-in-charge shall then either carry out the examination, inspection, measurement or testing without unreasonable delay, or promptly give notice to the Contractor that the Engineer-in-charge does not require to do so. If the Contractor fails to give the notice, he shall, if and when required by the Engineer-in-charge uncover the work and thereafter reinstate and make good, all at the Contractor's cost.

- 6.3.2 संविदाकार को कार्य पूर्ण हो जाने के तीन सप्ताह के भीतर संबंधित गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेज जमा करने होंगे जिनमें निर्माण कार्य के दौरान उनके द्वारा उपयोग में लिए गए सभी अभियांत्रिक नियंत्रणों से संबंधित परीक्षण रिपोर्टें शामिल होंगी। प्रभारी अभियंता या उनके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को संविदाकार/उसके वेंडर के गुणवत्ता प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया प्रणालियों और विधियों का गुणवत्ता ऑडिट और गुणवत्ता निगरानी करने का अधिकार होगा।
- 6.3.3 संविदाकार द्वारा नियुक्त किए गए गुणवत्ता प्रबंधक प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए परियोजना प्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे परंतु कार्यात्मक मामलों के लिए (तकनीकी मामलों के लिए) संविदाकार की कंपनी के मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। गुणवत्ता आश्वासन स्टाफ केवल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदाई होगा और उसे कार्य निष्पादन के लिए काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
- 6.4 सामग्री और नमूने**
- 6.4.1 संविदाकार, केवल निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के अलावा कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्री अपने खर्च पर उपलब्ध कराएंगे।
- 6.4.2 संविदाकार अपने खर्च पर, बगैर किसी विलंब के, कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित सामग्री के नमूनों को गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी अभियंता को उपलब्ध कराएगा। प्रभारी अभियंता इन नमूनों की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर या जो भी समय उन्हें आवश्यक हो, के भीतर संविदाकार को लिखित रूप से सूचित करेंगे कि वे इन नमूनों को अनुमोदित करते हैं अथवा नहीं। यदि नमूनों का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो संविदाकार अपने खर्च पर, संविदा में वर्णित विनिर्देशों के अनुसार तत्काल नए नमूनों को प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेंगे।
- 6.5 निरीक्षण**
- 6.5.1 निगम के कर्मचारियों को सभी औचित्यपूर्ण समय पर :
- (ए) कार्यस्थल के सभी स्थानों और प्राकृतिक सामग्री प्राप्त करने वाले स्थानों पर प्रवेश की सुविधा होगी, और
- (बी) उत्पादन, विनिर्माण और निर्माण के समय (कार्यस्थल व अन्य जगहों पर) सामग्री व कार्यकुशलता के परीक्षण, निरीक्षण, मापन और जांच का तथा संयंत्र के निर्माण व सामग्री के उत्पादन और विनिर्माण की निगरानी का अधिकार होगा।
- 6.5.2 संविदाकार इन कार्रवाइयों को करने के लिए निगम के कर्मचारियों को श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रवेश, सुविधाएं, अनुमति और संरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऐसी किसी भी कार्रवाई के कारण संविदाकार किसी जिम्मेदारी और बाध्यता से उन्मोचित नहीं होंगे।
- 6.5.3 जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे ढके जाने, नजरों से ओझल किए जाने या भंडारण अथवा परिवहन के लिए पैक किए जाने से पहले संविदाकार प्रभारी अभियंता को नोटिस देंगे। तब प्रभारी अभियंता या तो बगैर किसी अनावश्यक विलंब के परीक्षण, निरीक्षण, मापन, या जांच करेंगे अथवा संविदाकार को तत्काल सूचित करेंगे कि प्रभारी अभियंता को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संविदाकार सूचना नहीं देता है तो जब कभी प्रभारी अभियंता द्वारा कहा जाए, उसे अपने खर्च पर कार्य को वापस खोलना होगा और पुनः यथास्थान अच्छी हालत में लगाना होगा।

6.6 Testing

- 6.6.1 This Sub-Clause shall apply to all tests specified in the Contract.
- 6.6.2 Except as otherwise specified in the Contract, the Contractor shall provide all apparatus, assistance, documents and other information, electricity, equipment, fuel, consumables, instruments, labour, materials, and suitably qualified and experienced staff, as are necessary to carry out the specified tests efficiently. The Contractor shall agree, with the Engineer-in-charge the time and place for the specified testing of any Plant, Materials and other parts of the Works.
- 6.6.3 The Engineer-in-charge shall give the Contractor not less than 24 hours' notice of the Engineer's intention to attend the tests. If the Engineer-in-charge does not attend at the time and place agreed, the Contractor may proceed with the tests, unless otherwise instructed by the Engineer-in-charge.
- 6.6.4 If the Engineer-in-charge requires this Plant, Materials or workmanship to be retested, in case of any doubt, the tests shall be repeated under the same terms and conditions. The cost of such additional tests shall be mutually agreed upon.

6.7 Rejection

- 6.7.1 The Engineer-in-Charge shall have full powers to instruct the removal of any or all of the materials brought to Site by the Contractor which are not in accordance with the Contract specifications or do not conform in character or quality to samples approved by him. In case of default on the part of the Contractor in removing rejected materials, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to have them removed by other means. The Engineer-in-Charge shall have full powers to procure other proper materials to be substituted for rejected materials, in the event of the Contractor refusing to comply. All costs, which may accrue upon such removal and/or substitution, shall be borne by the Contractor. The decision of Engineer-in-charge shall be final and binding.

6.8 Remedial Work

- 6.8.1 The Engineer-in-charge may instruct the Contractor to:
- (a) Remove from the Site and replace any Plant or Materials which is not in accordance with the Contract,
 - (b) Remove and re-execute any other work which is not in accordance with the Contract, and
 - (c) Execute any work which is urgently required for the safety of the Works, whether because of an accident, unforeseeable event or otherwise.
- 6.8.2 The Contractor shall comply with the instruction within a reasonable time, or immediately if urgency is specified under sub-paragraph (c) above.
- 6.8.3 If the Contractor fails to comply with the instruction, the Corporation shall be entitled to employ and pay other persons to carry out the work at the risk and cost of the Contractor.

6.9 Ownership of Plant and Materials

- 6.9.1 Except otherwise specified in the Contract, each item of Plant and Materials shall, to the extent consistent with the Laws of the Country, become the property of the Corporation at whichever is the earlier of the following times, free from liens and other encumbrances:

6.6 परीक्षण

- 6.6.1 यह उप-खण्ड संविदा में विनिर्देशित सभी तरह के परीक्षणों पर लागू होता है।
- 6.6.2 जब तक कि संविदा में अन्यथा वर्णित न हो, संविदाकार, विनिर्देशित परीक्षणों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक सभी औजार, सहायता, कागजात व अन्य सूचनाएं, बिजली, उपकरण, ईंधन, उपभोज्य सामग्री, यंत्र, श्रमशक्ति, सामग्री और उपयुक्त योग्यता प्राप्त एवं अनुभवी स्टॉफ आदि उपलब्ध कराएंगे। संविदाकार को किसी संयंत्र, सामग्री व कार्य के अन्य भागों के विनिर्देशित परीक्षण के समय व स्थान के बारे में प्रभारी अभियंता से सहमत होना होगा।
- 6.6.3 प्रभारी अभियंता संविदाकार को परीक्षण करने के कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देंगे। यदि प्रभारी अभियंता सहमत हुए समय और स्थान पर नहीं पहुंचते हैं तो जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, संविदाकार परीक्षण शुरू कर सकते हैं।
- 6.6.4 यदि किसी संदेह के कारण प्रभारी अभियंता इस संयंत्र, सामग्री या कार्यकुशलता का पुनः परीक्षण करना चाहें तो ऐसा परीक्षण उन्हीं शर्तों व निबंधनों के अधीन होगा। ऐसे अतिरिक्त परीक्षण के खर्च के लिए आपसी बातचीत से सहमति बनाई जा सकती है।

6.7 अस्वीकृति

- 6.7.1 प्रभारी अभियंता को संविदाकार द्वारा संयंत्र पर लाई गई किसी ऐसी या सभी सामग्री जो संविदा के विनिर्देशों के अनुसार न हो अथवा उनके द्वारा अनुमोदित नमूनों के गुण-धर्म के अनुरूप न हो, को हटाए जाने का निर्देश देने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि इन अस्वीकार की गई सामग्री को संविदाकार नहीं हटाता है तो प्रभारी अभियंता को उसे किसी अन्य साधन से हटवाने की छूट होगी। यदि संविदाकार अनुपालन करने से मना करता है तो प्रभारी अभियंता को अस्वीकार की गई सामग्री के विकल्प के रूप में उचित सामग्री का प्रापण करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस प्रकार से सामग्री को हटाए जाने/ वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के कारण होने वाले समस्त खर्च को संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

6.8 उपचारी कार्य

- 6.8.1 प्रभारी अभियंता संविदाकार को निर्देश दे सकते हैं :
- (ए) वह ऐसे संयंत्र या सामग्री को कार्यस्थल से हटाए जो कि संविदा के अनुरूप नहीं है,
- (बी) संविदा के अनुरूप न किए गए किसी कार्य को हटाने अथवा पुनः किए जाने के लिए, तथा
- (सी) किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए जो किसी दुर्घटना, पूर्वानुमान न की जा सकने वाली घटनाओं या अन्य किसी कारण से कार्य की संरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक हो।
- 6.8.2 संविदाकार को उचित समय-सीमा में निर्देशों का अनुपालन करना होगा या ऊपर सब-पैरा (सी) में उल्लिखित आपात् स्थिति हो तो तत्काल अनुपालन करना होगा।
- 6.8.3 यदि संविदाकार निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निगम को यह कार्य करने के लिए संविदाकार के जोखिम व खर्च पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने व भुगतान करने का अधिकार होगा।

6.9 संयंत्र व सामग्री का स्वामित्व

- 6.9.1 जब तक कि संविदा में अन्यथा विनिर्देशित न हो, देश के कानूनों द्वारा अनुमन्य सीमा के अनुकूल संयंत्र व सामग्री का प्रत्येक सामान निम्नलिखित समय में से जो भी पहले हो, उस समय से धारणाधिकार और अन्य ऋणभार से मुक्त, निगम की संपत्ति हो जाता है :

- (a) When it is incorporated in the Works;
 - (b) When the Contractor is paid the corresponding value of the Plant and Materials.
 - (c) When the secured advance is paid for materials received.
- 6.9.2 Material issued by the Corporation to the Contractor for incorporating in the work either free of cost or chargeable basis shall remain the property of Corporation.

6.10 Octroi, Cess, Taxes, Royalties, etc.

- 6.10.1 All charges on account of octroi, cess, VAT, service tax, royalty, terminal or Sales Tax and other duties on materials obtained for the works from any source (excluding materials supplied by the Corporation) shall be borne by the Contractor.
- 6.10.2 In pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the Corporation in respect of any material used by the Contractor in the works then in such a case, the Corporation shall be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the Contractor.
- 6.10.3 Any increase in rate of or new statutory levies, customs duty, VAT, service tax, octroi and other duties during the currency of the contract shall be reimbursed by the Corporation on submission of documentary proof for payments.

6.11 Urgent Works

- 6.11.1 If, by reason of an emergency arising in connection with and during the execution of the Contract, any protective or remedial work is necessary as a matter of urgency to prevent damage to the Works, the Contractor shall immediately carry out such work.
- 6.11.2 If the Contractor is unable or unwilling to do such work immediately, the Corporation may do or cause such work to be done as the Corporation may determine is necessary in order to prevent damage to the Works.
- 6.11.3 If the work done by the Corporation was to be executed by the Contractor under the Contract, the reasonable costs incurred by the Corporation in connection therewith shall be paid by the Contractor to the Corporation.

6.12 Materials Issued by the Corporation

- 6.12.1 Materials to be supplied by the Corporation are shown in Schedule B which also stipulates quantum, place of issue and rate(s) to be charged in respect thereof. The Corporation shall, at its risk and cost, provide these materials at the time and place specified in the Contract. The Contractor shall then visually inspect them, and shall promptly give notice to the Engineer-in-charge of any shortage, defect or default in these materials. Unless otherwise agreed by both Parties, the Corporation shall immediately rectify the notified shortage, defect or default.
- 6.12.2 The Contractor shall bear the cost of loading, transporting to Site, unloading, storing under cover as required, assembling and joining the several parts together as necessary and incorporating or fixing materials in the works including all preparatory work of whatever description as may be required.

- (ए) जब यह कार्य में शामिल किया जाए
 - (बी) जब संविदाकार को संयंत्र व सामग्री का मूल्य भुगतान कर दिया गया हो।
 - (सी) जब प्राप्त की गई सामग्री का प्रतिभूति अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो।
- 6.9.2 निगम द्वारा संविदाकार को काम में उपयोग करने के लिए निःशुल्क या प्रभार आधार पर जारी की गई सामग्री निगम की संपत्ति बनी रहेगी।

6.10 चुंगी, उपकर, कर, रॉयल्टी आदि

- 6.10.1 कार्य के लिए किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई सामग्री (निगम द्वारा आपूर्त की गई सामग्री को छोड़कर) पर लगने वाले चुंगी, उपकर, वैट, सेवाकर, रॉयल्टी, टर्मिनल या बिक्रीकर व अन्य शुल्कों का वहन संविदाकार द्वारा किया जाएगा।
- 6.10.2 यदि सांविदाकार द्वारा कार्य के लिए उपयोग की जा रही किसी सामग्री के लिए किसी कानून, अधिसूचना या आदेश के अधीन या उनके अनुपालन में किसी प्रकार की रॉयल्टी, उपकर या इसी प्रकार का अन्य कोई भुगतान निगम द्वारा भुगतानयोग्य बनता है तो ऐसे मामले में निगम को उपर्युक्त परिस्थितियों में भुगतान की गई राशि को संविदाकार को देय राशि में से वसूल करने का अधिकार होगा।
- 6.10.3 संविदा की अवधि के दौरान कोई नया सांविधिक शुल्क, सीमाशुल्क, वैट, सेवाकर, चुंगी आदि आने अथवा उनकी दरों में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी या परिवर्तन होने की स्थिति में भुगतान के कागजाती साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर निगम द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.11 तात्कालिक कार्य

- 6.11.1 यदि संविदा से संबंधित और संविदा निष्पादन की अवधि के दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने के कारण कार्य को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसी बचाव या उपचारी कार्य को तत्काल आधार पर किए जाने की आवश्यकता होती है तो संविदाकार को ऐसा कार्य तत्काल करना होगा।
- 6.11.2 यदि संविदाकार ऐसे कार्य को तत्काल करने का इच्छुक नहीं है या करने में असमर्थ है तो उस कार्य को नुकसान से बचाने के लिए निगम उस कार्य को जैसा वह उचित समझे, स्वयं कर सकता है या दूसरे से करवा सकता है।
- 6.11.3 यदि निगम द्वारा किए गए कार्य को संविदा के अंतर्गत संविदाकार द्वारा निष्पादित किया जाना था तो उस कार्य को करवाने में निगम द्वारा खर्च की गई औचित्यपूर्ण राशि संविदाकार द्वारा निगम को भुगतान की जाएगी।

6.12 निगम द्वारा जारी सामग्री

- 6.12.1 निगम द्वारा जारी की जाने वाली सामग्री को अनुसूची बी में दर्शाया गया है जिसमें मात्रा, जारी किए जाने का स्थान और उस पर लगाए जाने वाले प्रभार की दर के बारे में भी उल्लेख किया गया है। निगम इस सामग्री को अपने जोखिम व खर्च पर संविदा में विनिर्देशित समय व स्थान पर उपलब्ध कराएगा। संविदाकार उसी समय इसे देख कर निरीक्षण करेंगे और यदि इस सामग्री की मात्रा में कोई कमी, दोष या खराबी हो तो तत्काल प्रभारी अभियंता को सूचित करेंगे। जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हुई हो, निगम सूचित की गई मात्रा में कमी, दोष या खराबी को तत्काल दूर करेगा।
- 6.12.2 संविदाकार लदाई, कार्यस्थल तक परिवहन, उतराई, यथाआवश्यक कवरयुक्त भंडारण, यथाआवश्यक विभिन्न भागों को एक साथ लगाना व जोड़ना या कार्य में सामग्री को फिक्स करना व सभी कार्यपूर्व-तैयारियों सहित आवश्यक सभी कार्यों की लागत संविदाकार को वहन करनी होगी।

6.13 Material Accounting

- 6.13.1 The contractor shall account for all materials issued as free / chargeable by the Corporation. He shall also maintain account for the materials suggested by the Engineer-in-charge and procured by him. The material account must be submitted as and when required by the engineer-in-charge and on completion of the contract. Retention money shall be released only after completion of material accounting.
- 6.13.2 The actual consumption of quantity of materials shall be calculated based on the measurements with reference to the standard formula /Bureau of Indian Standards/approved cutting plan as applicable on the basis of drawings and specifications. The permissible returnable wastage and invisible wastage shall be as per schedule 'B'.
- 6.13.3 In case of supply and erection package, the details of returnable wastage / quantities shall be discussed during pre bid meetings for all the items involved.
- 6.13.4 The contractor shall prepare and submit reconciliation statement indicating the quantities of material issued to him and/or procured by him and the quantities of material consumed as per design and drawings including permissible wastage to the satisfaction of the Engineer-in-charge within 15 days of the issue of written notice by him.
- 6.13.5 The contractor shall be liable to be charged penalty in addition to the cost of material at market rate landing at NPCIL stores incase he fails to submit the reconciliation statement and/or deposit the excess material issued to him over the theoretical consumption including the permissible wastage back to the NPCIL stores.

6.14 Mega Power Project Concessions

- 6.14.1 The Contractor shall include all concessions in taxes and duties available under Mega Power Project, if applicable as per NIT. The Corporation's responsibility will be limited to the extent of issuing necessary certificates. Contractor shall arrange all the other requisites for availing the benefits under the Mega Power Project at no extra cost to the Corporation.

7 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION

7.1 Commencement of Work and completion time

- 7.1.1 The execution of the works shall commence from the date of commencement as mentioned in the work order and the completion period for the work shall also be reckoned from the said date. The time allowed for execution of the works or the extended time in accordance with these conditions shall be the **essence of the Contract**.

6.13 सामग्री का लेखाकरण

- 6.13.1 संविदाकार निगम द्वारा जारी किए गए निःशुल्क/शुल्कयोग्य सभी सामग्री का लेखा-जोखा रखेंगे। वह प्रभारी अभियंता द्वारा परामर्शित व उनके द्वारा प्रापण की गई सामग्री का भी लेखा-जोखा रखेंगे। सामग्री का यह लेखा प्रभारी अभियंता द्वारा मांगे जाने पर और संविदा की समाप्ति के समय प्रस्तुत किया जाएगा। सामग्री लेखाकरण पूर्ण हो जाने के बाद ही धारित राशि वापस की जाएगी।
- 6.13.2 सामग्री की वास्तविक उपयोग की गई मात्रा की गणना रेखाचित्र और विनिदेशों के अनुसार मानक सूत्र/भारतीय मानक ब्यूरो/अनुमोदित कटिंग प्लान, जो भी लागू हो, के आधार पर किया जाएगा। अनुज्ञेय वापसीयोग्य कचरा और अदृश्य कचरा अनुसूची "बी" के अनुसार होगा।
- 6.13.3 आपूर्ति व ढांचा खड़ा करने का पैकेज होने की स्थिति में वापसीयोग्य कचरे के विवरण/मात्रा के बारे में सभी शामिल मदों के लिए आयोजित की जाने वाली बोली पूर्व बैठक में चर्चा की जाएगी।
- 6.13.4 प्रभारी अभियंता द्वारा नोटिस दिए जाने के 15 दिनों के भीतर संविदाकार द्वारा उसे जारी किए गए/ संविदाकार द्वारा प्रापण किए गए सामान तथा अभिकल्प व रेखाचित्रों के अनुसार अनुज्ञेय कचरे सहित उपयोग में लिए गए सामान की मात्रा का प्रभारी अभियंता को संतुष्ट करने योग्य मिलान विवरण तैयार किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा।
- 6.13.5 यदि संविदाकार मिलान विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तथा अथवा/अनुज्ञेय कचरे सहित सैद्धांतिक रूप से उपयोग की गई मात्रा से अधिक मात्रा को वापस एनपीसीआईएल भंडार में जमा नहीं करता है तो संविदाकार पर उस सामग्री की बाजार दर के अनुसार एनपीसीआईएल भंडार में पहुंचाने की कीमत के साथ-साथ दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।

6.14 मेगा पावर परियोजना रियायत

- 6.14.1 यदि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार लागू हो तो संविदाकार करों व शुल्कों में मिलने वाले समस्त मेगापावर परियोजना रियायतों को शामिल करेंगे। निगम की जिम्मेदारी केवल आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने तक ही सीमित होगी। संविदाकार को मेगापावर परियोजना रियायतें प्राप्त करने के लिए शेष आवश्यकताएं स्वयं पूरी करनी होगी और इसके लिए निगम कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करेगा।

7. प्रारंभ, विलंब और निलंबन

7.1 कार्य का प्रारंभ व पूर्णता समय

- 7.1.1 कार्य के निष्पादन का प्रारंभ कार्य आदेश में वर्णित कार्य प्रारंभ करने की तारीख से किया जाएगा और कार्य समाप्ति का समय भी उक्त तारीख से ही माना जाएगा। कार्य निष्पादन के लिए अनुमन्य समय या इन शर्तों के अनुसार विस्तारित समय **संविदा का तत्त्व** होगी।

7.1.2 If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid; the Corporation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the Bid security absolutely.

7.2 Program

7.2.1 The Contractor shall submit a detailed resource based time program for physical & financial progress of the Works to the Engineer-in-charge for his approval, within 30 days after Commencement of Works as defined in sub-clause 7.1. The Contractor shall also submit a revised program whenever the previous program is inconsistent with actual progress or with the Contractor's obligations.

7.2.2 Each program shall include:

- (a) the order in which the Contractor intends to carry out the Works, including the anticipated timing of each stage or activity or milestone of design, submission of Contractor's Documents, procurement, manufacture of Plant, delivery to Site, construction, erection and testing including resource mobilization details,
- (b) Sub-Contractor wise detailed breakup of the above stages of work,
- (c) the sequence and timing of inspections and tests specified in the Contract, and
- (d) a supporting report which includes:
 - (i) a general description of the working methodology which the Contractor intends to adopt for the major stages / activities, in the execution of the Works, and
 - (ii) Contractor's resource mobilization details stating reasonable estimate of the number of each class of Contractor's Personnel and of each type of Contractor's Equipment, required on the Site for each major stage/ activity.

7.2.3 The program shall define as mentioned above, intermediate milestones which will form the basis for, monitoring the progress and initiating such corrective measures as may be decided by the Engineer-in-charge which shall be final and binding.

7.2.4 Within 15 days of receipt of the program, the Engineer-in-charge shall give notice to the Contractor, stating the extent to which the program does not comply with the Contract. In absence of the same, the Contractor shall proceed in accordance with the program, subject to his other obligations under the Contract.

7.2.5 The Corporation's Personnel shall be entitled to rely upon such program when planning their activities.

7.2.6 If, at any time, the Engineer-in-charge gives notice to the Contractor that a program fails to comply with the Contract or to be consistent with actual progress and the Contractor's stated intentions, the Contractor shall submit a revised program to the Engineer without any further delay.

7.2.7 It is expected that e-governance will be largely adopted for submission of programs / reports during execution of work.

7.1.2 यदि संविदाकार उपर्युक्त के अनुसार कार्य निष्पादन आरंभ करने में असफल रहता है तो निगम किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय के पूर्वाग्रह के बगैर बोली प्रतिभू राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7.2 कार्यक्रम

7.2.1 संविदाकार उप-खण्ड 7.1 में परिभाषित कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता के अनुमोदन हेतु कार्य का संसाधन आधारित विस्तृत भौतिक व वित्तीय प्रगति का समय कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। जब कभी पिछला कार्यक्रम वास्तविक प्रगति या संविदाकार की बाध्यताओं से भिन्न हो जाए तो संविदाकार को एक संशोधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत करना होगा।

7.2.2 प्रत्येक कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (ए) प्रत्येक चरण या कार्रवाई या अभिकल्प के मीलस्तंभ में लगने वाला संभावित समय, संविदाकार के दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, प्रापण, संयंत्र के निर्माण, कार्यस्थल पर सुपुर्दगी, निर्माण, स्थापन व संसाधन जुटाने के विवरण एवं परीक्षण सहित वह क्रम जिसके अनुसार संविदाकार कार्य पूरा करना चाहता है।
- (बी) कार्य के उपर्युक्त चरणों का उप-संविदाकार वार विस्तृत विवरण।
- (सी) संविदा के विनिर्देशों के अनुसार निरीक्षणों व परीक्षणों का क्रम व समय तथा
- (डी) एक सहायक रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित शामिल हों :
 - (i) कार्य के निष्पादन में प्रमुख चरणों/गतिविधियों के लिए संविदाकार द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति का सामान्य विवरण और
 - (ii) संविदाकार का संसाधन संग्रहण विवरण जिसमें कार्यस्थल पर प्रत्येक प्रमुख चरण/गतिविधि के लिए आवश्यक संविदाकार के कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी और संविदाकार के प्रत्येक किस्म के उपकरण का उचित आकलन शामिल हो।

7.2.3 जैसा कि ऊपर बताया गया है, कार्यक्रम में कार्य की प्रगति के मानीटरन और उन निवारक उपायों, जिन्हें प्रभारी अभियंता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा और जो अंतिम व बाध्यकारी होंगे, के लिए आधार का कार्य करने वाले माध्यमिक मीलस्तंभों को परिभाषित किया जाएगा।

7.2.4 यह कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता संविदाकार को नोटिस देंगे जिसमें बताया जाएगा कि यह कार्यक्रम किस हद तक संविदा का अनुसरण नहीं करता है। यदि संविदाकार को यह नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो वह कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ा सकता है परंतु यह इस संविदा की उसकी अन्य बाध्यताओं के अधीन होगा।

7.2.5 निगम के कर्मचारियों को अपनी कार्रवाई योजना बनाते समय इस कार्यक्रम को ध्यान में रखना होगा।

7.2.6 यदि किसी समय प्रभारी अभियंता संविदाकार को नोटिस देते हैं कि अमुक कार्यक्रम संविदा के अनुसार नहीं चल रहा है या वास्तविक प्रगति और संविदाकार द्वारा दिए गए कथन के अनुरूप नहीं है तो संविदाकार बगैर कोई और विलंब किए प्रभारी अभियंता के समक्ष एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

7.2.7 अपेक्षा की जाती है कि कार्य निष्पादन के दौरान कार्यक्रम/रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस को अपनाया जाएगा।

7.3 Early Detection of Hindrances

- 7.3.1 The Contractor shall intimate the Engineer-in-charge at the earliest opportunity, of specific likely future events or circumstances that may adversely affect the quality of the work, increase in the Contract Price or delay the execution of works. The Engineer-in-charge may require the Contractor to provide an estimate of the expected effect of the event or circumstance on the Contract Price and Completion Date. The estimate is to be provided by the Contractor as soon as reasonably possible.
- 7.3.2 The information provided by the Contractor can be used by the Engineer-in-Charge for considering his proposals to overcome the eventualities or reduce the effect on execution and completion of work as per contract conditions.

7.4 Hindrances

- 7.4.1 The Contractor is required to record the hindrance if any, while carrying out the construction work as well as executing the work in respect of design, engineering, procurement and supply related issues, in the hindrance register maintained by the Engineer-in-charge. The Contractor shall record hindrances in the Hindrance Register(s) and get it approved/endorsed by the Engineer-in-Charge, as the case may be.
- 7.4.2 Hindrances recorded in the register shall form the basis for granting extension of time. The format of the hindrance register is **annexed**.

7.5 Rate of Progress

- 7.5.1 The Contractor shall submit a report on rate of progress of work at the desired frequency, as requested by engineer-in charge.

If, at any time Engineer-in-charge notices that the:

- (a) Actual progress is too slow to complete within the Time for Completion, and/or
- (b) Progress has fallen or will fall behind the current program under Sub-Clause 7.2

then the Engineer-in-charge may instruct the Contractor to submit the revised program, as envisaged in Sub-Clause 7.2, along with supporting report describing the revised methods which the Contractor proposes to adopt in order to expedite progress and complete the interim milestones as per the given schedule as well as complete the whole work within the time stipulated in the contract.

- 7.5.2 Unless the Engineer-in-charge notifies otherwise, the Contractor shall adopt these revised methods, which may require increases in the working hours and/or in the numbers of Contractor's Personnel and/or Goods, at the risk and cost of the Contractor.

7.6 Extension of Time for Completion

- 7.6.1 Request for extension of time, has to be made by the Contractor in writing within 15 days of the occurrence of the event causing delay. The Contractor shall indicate the period for which extension is desired, in such request.

7.3 प्रतिबाधाओं की यथाशीघ्र पहचान

- 7.3.1 संविदाकार कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली, संविदा की कीमत को बढ़ाने वाली या कार्य के निष्पादन में विलंब कर सकने वाली किसी संभावित विशिष्ट घटना या परिस्थितियों की प्रभारी अभियंता को यथा शीघ्र सूचना देंगे। प्रभारी अभियंता संविदाकार से ऐसी घटना या परिस्थिति के कारण संविदा की कीमत में होने वाली वृद्धि या कार्यपूर्णता में होने वाले विलंब का अनुमान मांग सकते हैं। संविदाकार को जितना जल्दी संभव हो, यह अनुमान प्रभारी अभियंता को उपलब्ध कराना होगा।
- 7.3.2 संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रभारी अभियंता ऐसी घटनाओं के कारण कार्य के निष्पादन और संविदा की शर्तों के अनुसार कार्यपूर्णता पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने या उसे न्यूनतम रखने के प्रस्तावों पर विचार करते समय उपयोग कर सकते हैं।

7.4 प्रतिबाधाएं

- 7.4.1 निर्माण कार्य के दौरान अथवा कार्य के निष्पादन के दौरान अभिकल्प, अभियंत्रण, प्रापण व आपूर्ति संबंधी मुद्दों से संबंधित यदि कोई प्रतिबाधाएं आती हैं तो संविदाकार उन्हें प्रभारी अभियंता द्वारा रखे गए प्रतिबाधा रजिस्टर (रों) में दर्ज करेंगे और इसे प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित/पृष्ठांकित, जैसा भी मामला हो, करवाएंगे।
- 7.4.2 इस रजिस्टर में दर्ज की गई प्रतिबाधाओं के आधार पर ही समय का विस्तार देने पर विचार किया जाएगा। प्रतिबाधा रजिस्टर का प्रारूप परिशिष्ट में दिया गया है।

7.5 प्रगति की दर

- 7.5.1 संविदाकार, कार्य प्रगति दर की रिपोर्ट को प्रभारी अभियंता द्वारा वांछित आवृत्ति पर प्रस्तुत करेगा।

यदि किसी समय प्रभारी अभियंता के संज्ञान में आता है कि :

- (ए) वास्तविक प्रगति कार्य को समय पर पूर्ण करने के हिसाब से काफी धीमी है और/या
(बी) प्रगति उपखण्ड 7.2 के अधीन वर्तमान कार्यक्रम से धीमी पड़ गई है या धीमी होने वाली है

तो, प्रभारी अभियंता संविदाकार को उपखण्ड 7.2 के अनुसार संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही संविदाकार को सहायक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कार्य प्रगति दर को तेज करने और दी गई अनुसूची के अनुसार माध्यमिक मीलस्तंभों को पूरा करने और साथ ही सम्पूर्ण कार्य को संविदा में बताई गई अवधि के भीतर पूरा करने के लिए संविदाकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित संशोधित विधि का विवरण दिया जाएगा।

- 7.5.2 जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, संविदाकार इन संशोधित विधियों को अपनाएंगे। इसमें कार्यघंटे बढ़ाने और/अथवा संविदाकार के कामगारों की संख्या बढ़ाने और/अथवा सामान बढ़ाने आदि की आवश्यकता पड़ सकती है और इसे संविदाकार के जोखिम व खर्च पर किया जाएगा।

7.6 कार्यपूर्णता समय का विस्तार

- 7.6.1 समय के विस्तार का अनुरोध संविदाकार द्वारा विलंब करने वाली घटना घटित होने के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप से किया जाएगा। ऐसे अनुरोध में संविदाकार को मांगी जाने वाली विस्तार-अवधि का वर्णन भी करना होगा।

- 7.6.2 All such events or requests shall be considered and analysed by the Engineer-in-charge within 30 days before completion period of the contract and the decision regarding the extension of time is to be communicated to the Contractor before completion date.
- 7.6.3 The absence of any request or application from the Contractor for extension of time shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension by the Engineer-in-charge and this shall be binding on the Contractor.
- 7.7 Compensation for delay**
- 7.7.1 Compensation for delay shall be levied in the contracts where the estimated cost put to tender is above Rs. 5 Lakhs.
- 7.7.2 If the Contractor fails to maintain the required progress or to complete the work and clear the site on or before the Contract or agreed extended date of completion, the Contractor shall, without prejudice to any other right or remedy of the Corporation on account of such breach, pay as agreed compensation amount calculated as stipulated below or such smaller amount as be fixed by the Corporation on the Contract Value of the work for every week that the progress remains below that specified in contract document or that the work remains incomplete.
- 7.7.3 These delay damages shall be the amount calculated by the Corporation on the Contract Value of the work for every week that the progress remains below that specified in contract document or that the work remains incomplete.
- 7.7.4 The term 'Contract Value' shall be the value at contract rates of the work as ordered. This shall exclude the value of the part of works which has been taken over and put in use by the Corporation.
- 7.7.5 The delay damages would be as follow:-
- (a) Completion period (originally stipulated) not exceeding 1 year - 1% of Contract Value per week.
 - (b) Completion period (originally stipulated) exceeding 1 year and not exceeding 3 years -1/2% of the Contract Value per week.
 - (c) Completion period (originally stipulated) exceeding 3 years – 1/4% of Contract Value per week.
- 7.7.6 However, the total amount due under this Sub-Clause shall not exceed 5% of the total value of the Contract value or of the Contract Value of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified.
- 7.7.7 These delay damages shall be the only damages due from the Contractor for such default, other than in the event of termination under Clause 13 [Contract Termination by Corporation] prior to completion of the Works. These damages shall not relieve the Contractor from his obligation to complete the Works, or from any other duties, obligations or responsibilities which he may have under the Contract.
- 7.7.8 The amount of compensation shall be adjusted or set off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract(s) with same unit or any other unit(s) of the Corporation.

- 7.6.2 ऐसी सभी घटनाओं या अनुरोधों पर प्रभारी अभियंता को संविदा समाप्ति की तारीख के 30 दिनों से पहले ही विचार करना होगा और समय-विस्तार के बारे में लिए गए निर्णय से संविदाकार को संविदा-पूर्णता तारीख से पहले अवगत करना होगा।
- 7.6.3 प्रभारी अभियंता द्वारा उचित व तर्कपूर्ण समय-विस्तार देने के लिए संविदाकार से किसी प्रकार का अनुरोध या आवेदन प्राप्त होना कोई शर्त नहीं है और संविदाकार इसका पालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 7.7 विलंब की क्षतिपूर्ति**
- 7.7.1 जिन संविदाओं के लिए निविदा में दिया गया मूल्य रु. 5 लाख से अधिक हो, उन संविदाओं में विलंब की क्षतिपूर्ति का प्रभार जोड़ा जाएगा।
- 7.7.2 यदि संविदाकार आवश्यक प्रगति बनाए रखने में या संविदा की पूर्णता तारीख अथवा विस्तारित समय की तारीख तक कार्य पूरा कर कार्यस्थल को खाली करने में असफल रहता है तो, ऐसे उल्लंघन के लिए निगम के किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय के पूर्वग्रह के बगैर संविदाकार आगे बताए गए आकलन के हिसाब से अथवा निगम द्वारा निर्धारित की गई अल्पतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा या ऐसे प्रत्येक सप्ताह जिसमें कार्य प्रगति दर संविदा दस्तावेज में दिए गए विनिर्देशों की अपेक्षा धीमी रही है या कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संविदा मूल्य पर निगम द्वारा तय की गई राशि का भुगतान करेगा।
- 7.7.3 ये विलंब क्षतियां वह राशि होगी जो निगम द्वारा संविदा दस्तावेज के विनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह की धीमी प्रगति के अथवा अपूर्ण कार्य के संविदा मूल्य के हिसाब से आकलित की जाए।
- 7.7.4 "संविदा मूल्य" शब्द से तात्पर्य यथा आदेशित कार्य की संविदा दर के मूल्य से है। इसमें कार्य का वह भाग शामिल नहीं है जिसे निगम द्वारा अपने अधिकार में लेकर उपयोग किया जाना प्रारंभ किया जा चुका हो।
- 7.7.5 विलंब क्षतियां निम्नलिखित होंगी :-
- (ए) कार्यपूर्णता समय (मूलतः अनुबद्ध) 1 वर्ष से अधिक न हो - संविदा मूल्य का 1 % प्रति सप्ताह।
 - (बी) कार्यपूर्णता समय (मूलतः अनुबद्ध) 1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से अधिक न हो- संविदा मूल्य का 1/2 % प्रति सप्ताह।
 - (सी) कार्यपूर्णता समय (मूलतः अनुबद्ध) 3 वर्ष से अधिक हो- संविदा मूल्य का 1/4 % प्रति सप्ताह।
- 7.7.6 तथापि इस उपखण्ड के अंतर्गत देय कुल राशि संविदा मूल्य अथवा किसी मद या मद समूह जिसके लिए पृथक कार्यपूर्णता समय निर्धारित किया गया हो, के संविदा मूल्य की कुल राशि से 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 7.7.7 संविदाकार द्वारा भुगतान की जाने वाली ये क्षतियां केवल वही क्षतियां होंगी जो खण्ड 13 (निगम द्वारा संविदा को निरस्त किया जाना) के अंतर्गत कार्य समाप्ति से पहले निरस्त किए जाने के अलावा हों। ये क्षतियां संविदाकार को कार्य समाप्त करने की बाध्यता अथवा संविदा के अधीन प्रदत्त किन्हीं अन्य दायित्वों, बाध्यताओं या जिम्मेदारियों से उन्मोचित नहीं करेंगी।
- 7.7.8 क्षतिपूर्ति की राशि को संविदाकार को इस संविदा के अधीन या उसी इकाई अथवा निगम की किसी अन्य इकाई (यों) में देय राशि में समायोजित की जाएगी अथवा घटा दी जाएगी।

7.8 Incentives

7.8.1 The time allowed for execution of the works as specified in the work order is the essence of the contract. However if the work is required to be completed in compressed period before the stipulated date of completion then the contractor may be eligible for the incentive. Refer Schedule A for applicability of the Incentive clause. This clause shall be operated only with prior approval of CMD, NPCIL.

7.8.2 For early completion of the contract work before the stipulated date of completion, an incentive amount / percentage which shall be decided by the Engineer-in-charge will be paid. If the incentive is to be apportioned between the various milestones to complete the work the same shall be decided by the Engineer-in-charge while drawing the construction schedule. The incentive amount shall be subject to a maximum percentage (as specified in Schedule A) of the contract value.

For this purpose the term 'Contract Value' shall be the value at contract rates of the work as agreed upon in the contract.

7.9 Suspension of work for period upto 90 days

7.9.1 The Engineer-in-charge may at any time instruct the Contractor to suspend progress of part or all of the Works. During such suspension, the Contractor shall protect, store and secure such part or all of the Works against any deterioration, loss or damage. No compensation shall be paid for suspension upto the period of 30 days.

7.9.2 The Contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-Charge, suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer-in-Charge may consider necessary for any of the following reasons:

- (i) On account of any default of the Contractor, or
- (ii) For proper execution of the Works or part thereof for reasons other than the default of the Contractor;

7.9.3 If the suspension is ordered for reasons (ii) above ,

- (i) Contractor shall be entitled to an extension of the time equal to the period of each such suspension plus 25% for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part, and;
- (ii) if the total cumulative period of all such suspension exceeds 30 days, the Contractor shall, in addition, be entitled to compensation for the period of suspension beyond 30 days, as mentioned in the Schedule A.

However the Contractor shall submit within 10 days his claim to the Engineer-in-Charge for every 15 days of suspension, over and above 30 days.

7.8 प्रोत्साहन

7.8.1 कार्य आदेश में कार्य के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत समय संविदा का तत्व है। तथापि यदि कार्य को निर्धारित समय से कम समय में पूरा किया जाना हो तो संविदाकार प्रोत्साहन का हकदार माना जा सकता है। प्रोत्साहन खण्ड के लागू होने के बारे में अनुसूची ए का संदर्भ लें। इस खण्ड को केवल एनपीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पूर्वानुमोदन पर ही लागू किया जा सकता है।

7.8.2 संविदा कार्य को कार्यपूर्णता की निर्धारित तारीख से पहले पूरा करने के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा निश्चित की गई एक प्रोत्साहन राशि/प्रतिशत, का भुगतान किया जाएगा। यदि प्रोत्साहन राशि को कार्य पूर्ण करने के लिए तय किए गए विभिन्न मील स्तंभों में बांटा जाना हो तो यह प्रभारी अभियंता द्वारा निर्माण अनुसूची बनाते समय निर्धारित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि संविदा मूल्य के अधिकतम प्रतिशत (अनुसूची ए के विनिर्देशों के अनुसार) तक होगी।

इस प्रयोजन के लिए "संविदा मूल्य" शब्द से तात्पर्य संविदा में तय किए गए कार्य की संविदा दर का मूल्य होगा।

7.9 90 दिनों की अवधि तक कार्य का निलंबन

7.9.1 प्रभारी अभियंता किसी भी समय संविदाकार से कार्य के किसी भाग या पूरे कार्य का ही काम रोक देने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। ऐसे निलंबन में संविदाकार को कार्य के उस भाग या पूरे कार्य को खराब होने, नुकसान होने या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण, भंडारण व सुरक्षा करनी होगी। 30 दिनों तक कार्य को निलंबित रखने के लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

7.9.2 संविदाकार को प्रभारी अभियंता से लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद अपने काम को या कार्य के भाग को उस समय तक और उस रीति से बंद करना होगा जैसा कि प्रभारी अभियंता निम्नलिखित में से किसी एक कारण की वजह से आवश्यक समझते हों :-

- (i) संविदाकार की किसी गलती के कारण, या
- (ii) संविदाकार की किसी गलती को छोड़कर अन्य किसी कारण से कार्य या उसके भाग के उचित कार्यनिष्पादन के लिए।

7.9.3 यदि निलंबन आदेश उपर्युक्त कारण (ii) के मद्देनजर दिया गया हो तो,

- (i) ऐसे प्रत्येक निलंबन के लिए संविदाकार निलंबन अवधि के बराबर के समय विस्तार का हकदार होगा और इसके साथ-साथ उसे संविदा में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट अवधि वाली और निलंबित कार्य जिनका एक भाग है, मर्दों या मर्दों के समूह के कार्य को पूरा करने के लिए 25 % और समय दिया जाएगा और ;
- (ii) यदि इस प्रकार के निलंबन की कुल संचित अवधि 30 दिनों से अधिक होती है तो संविदाकार इसके साथ-साथ 30 दिनों से अधिक की समयावधि के लिए अनुसूची ए के वर्णन के अनुसार क्षतिपूर्ति का हकदार होगा।
तथापि संविदाकार को 30 दिनों से अधिक की अवधि के प्रत्येक 15 दिनों के लिए अपना दावा 10 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करना होगा।

7.10 Prolonged Suspension of work (beyond 90 days)

- 7.10.1 If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-Charge for more than 90 days at a time, except when suspension is ordered for reason 7.9.2 (i) above, the Contractor may after receipt of such order serve a written notice to the Engineer-in-Charge requiring permission from him, to treat the suspension, where it affects only a part of the works as deletion of such part and if the same is accepted by Engineer-in-charge then it will be dealt under Clause 11[Variations and Adjustments] and no compensation on account of suspension shall be paid.
- 7.10.2 Where the suspension affects the whole of the Works or part thereof and the suspension of the part of the work is not treated as deletion as above, then the Contractor may serve a notice to Engineer-in-charge requiring permission within 10 days from the date of receipt of said notice by Engineer-in-charge to demobilize the labour/staff and remove plant and equipment or any part thereof.
- 7.10.3 In case Engineer-in-charge agrees to the Contractor's request then the Contractor shall be at liberty to demobilize the labour/staff and remove plant and equipment or any part thereof hypothecated to the Corporation under this contract to any other works site of the Contractor for carrying on his other works, after giving an undertaking through an indemnity bond to bring back to the Site the labour /staff and plant and equipment as may be necessary for completion of the works, immediately after the suspension is revoked. If such plant and equipment are not brought back, the Contractor shall forthwith repay the amount of the loan outstanding with interest. The security deposit from the contractor may also be forfeited.
- 7.10.4 In case the Engineer-in-charge does not agree to the contractor's request to demobilize, the contractor shall be continued to be paid the compensation as per sub-clause 7.9.3 (ii) provided the Contractor submits his claim in accordance to the clause supported by details to the Engineer-in-Charge.
- 7.10.5 In addition to above compensation the Contractor shall be entitled to an extension of the time equal to the period of such suspension plus 25% for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part.

7.11 Payment for Plant and Materials in Event of Suspension

- 7.11.1 The Contractor shall be entitled to payment of the value of Plant and/or Materials, meant to be incorporated in works which have not been delivered to Site, if:
- (a) the work on Plant or delivery of Plant and/or Materials has been suspended for more than the 30 days except when suspension is ordered for reason 7.9.2 (i) above and
 - (b) the Contractor has marked the Plant and/or Materials as the Corporation's property in accordance with the Engineer's instructions.

Under the above situation Corporation shall make payment to the Contractor on production of documentary evidence to the effect that he has marked/ purchased these items for Corporation and make him responsible to deliver these items to Corporation either during suspension or after revoking suspension.

7.10 कार्य का दीर्घ अवधि के लिए निलंबन (90 दिनों से अधिक)

- 7.10.1 यदि उपर्युक्त 7.9.2 (i) में बताए गए कारणों से भिन्न अन्य किसी कारण से प्रभारी अभियंता के आदेश पर कार्य या उसके किसी भाग को 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राप्त होने के पश्चात संविदाकार प्रभारी अभियंता को, यदि यह निलंबन केवल कार्य के किसी एक भाग को प्रभावित करता हो तो ऐसे भाग को निरस्त किए जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए लिखित नोटिस भेज सकता है और यदि इसे प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंधित कार्रवाई खण्ड 11 (विचलन व समायोजन) के अंतर्गत की जाएगी और निलंबन के लिए किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 7.10.2 जब निलंबन संपूर्ण कार्य को या उसके किसी भाग को प्रभावित करता है और कार्य के उस भाग के निलंबन को उपर्युक्त तरीके से निरस्त नहीं माना जाता है तो संविदाकार प्रभारी अभियंता से उक्त नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपने कर्मचारियों/मजदूरों को वापस भेजने व संयंत्र और उपकरण या उनके किसी भाग को हटाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रभारी अभियंता को नोटिस भेज सकता है।
- 7.10.3 यदि प्रभारी अभियंता संविदाकार के अनुरोध से सहमत हो जाते हैं तो संविदाकार, अपने कर्मचारियों/मजदूरों को वापस भेजने व इस संविदा के अंतर्गत निगम के पास बंधक रखे गए संयंत्र और उपकरण या उनके किसी भाग को, एक बंधपत्र के माध्यम से वचन देते हुए कि निलंबन समाप्त किए जाने के तत्काल बाद कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों/मजदूरों और संयंत्र व उपकरणों को कार्यस्थल पर वापस लाया जाएगा, अपने किसी अन्य कार्यस्थल पर काम करने के लिए भेजने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि ऐसे संयंत्र व उपकरण वापस नहीं लाए जाते हैं तो संविदाकार लिए गए ऋण का ब्याज समेत तत्काल भुगतान करेगा। संविदाकार द्वारा जमा की गई प्रतिभू राशि भी जब्त की जा सकती है।
- 7.10.4 यदि प्रभारी अभियंता संविदाकार के वापसी के इस अनुरोध से सहमत नहीं होते हैं तो संविदाकार को उप खण्ड 7.9.3 (ii) के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती रहेगी बशर्ते कि वह इस खण्ड के अनुसार विवरण सहित अपना दावा प्रभारी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करे।
- 7.10.5 उपर्युक्त क्षतिपूर्ति के साथ-साथ संविदाकार निलंबन की अवधि के बराबर की अवधि के समय विस्तार और कार्य की उन मदों या मद समूहों जिनके लिए संविदा में अलग से समय का विनिर्देश दिया गया हो और निलंबित कार्य जिसका एक भाग हो, उस कार्य को पूरा करने के लिए 25 % और अधिक समय का हकदार होगा।

7.11 निलंबन की स्थिति में संयंत्र व सामग्री के लिए भुगतान

- 7.11.1 संविदाकार कार्यस्थल पर प्राप्त न किए गए ऐसे संयंत्र और/या सामग्री जिसे कार्य में शामिल किया जाना था, के मूल्य के भुगतान का हकदार होगा बशर्ते कि :
- (ए) संयंत्र पर कार्य या संयंत्र और/या सामग्री की सुपुर्दगी को 30 दिनों से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया हो, सिवाय तब जब कि निलंबन उपर्युक्त 7.9.2(i) के कारण आदेश किया गया हो और
 - (बी) संविदाकार ने संयंत्र और/या सामग्री को प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुरूप निगम की संपत्ति के रूप में चिह्नित कर दिया हो।

उपर्युक्त परिस्थितियों के अंतर्गत निगम संविदाकार को इन वस्तुओं को निगम के लिए चिह्नित/क्रय करने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर भुगतान करेगा और इन वस्तुओं को या तो निलंबन की अवधि में अथवा निलंबन वापस लिए जाने के बाद निगम को सुपुर्द किए जाने के लिए संविदाकार की जिम्मेदारी निश्चित करेगा।

7.12 Resumption of Work

7.12.1 After the permission or instruction to proceed with the work is given, the Contractor and the Engineer-in-charge shall jointly examine the Works and the Plant and Materials affected by the suspension. The Contractor shall make good any deterioration or defect in or loss of the Works or Plant or Materials, which has occurred during the suspension after receiving from the Engineer-in-charge an instruction to this effect.

8 CORPORATION'S TAKING OVER

8.1 Completion Certificate

8.1.1. The Contractor shall as soon as the work is complete in all respects give notice to the Engineer-in-charge for his acceptance. The Engineer shall, within 30 days after receiving the Contractor's application:

- i) Shall inspect the work and shall furnish the Contractor with a certificate of completion indicating
 - (a) Date of completion
 - (b) Defects to be rectified by the Contractor and/ or
 - (c) Items for which payment shall be made at reduced rates.

When separate periods of completion have been specified for items or groups of items, the Engineer-in-Charge shall issue separate completion certificates for such item or groups of items.

- ii) Reject the application, giving reasons and specifying the work required to be done by the Contractor to enable to Completion Certificate to be issued. The Contractor shall then complete this work before issuing a further notice under this Sub-Clause.

8.1.2 The contractor shall remove all the temporary material/equipment and clear the work place as per the directives of Engineer-in-charge. Contractor shall also ensure that all permanent structure has been adequately cleaned for use by others, failing which the Engineer-in-charge will have sufficient reasons to make the place good to use at the risk and cost of the contractor.

9 DEFECTS LIABILITY

9.1 Rectification of Defects

9.1.1 The defect liability period shall commence from the date of completion as certified by the Engineer-in-charge. The Contractor shall be responsible to make good and rectify at his own expense within such period as may be stipulated by the Engineer-in-Charge in his communication to Contractor, any defect which may develop or may be noticed before the expiry of the defect liability period as mentioned in Schedule (A).

7.12 कार्य का पुनःप्रारंभ

7.12.1 तब प्रारंभ करने की अनुमति या निर्देश दिए जाने के पश्चात संविदाकार व प्रभारी अभियंता संयुक्त रूप से कार्य का और निलंबन के कारण प्रभावित संयंत्र व सामग्री का परीक्षण करेंगे। संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर निलंबन की अवधि में कार्य या संयंत्र या सामग्री में आई किसी भी खराबी या दोष या नुकसान को ठीक करेंगे।

8. निगम द्वारा ग्रहण

8.1 पूर्णता प्रमाणपत्र

8.1.1 जैसे ही कार्य सभी प्रकार से पूर्ण हो जाता है, संविदाकार प्रभारी अभियंता को इसे स्वीकार करने का नोटिस देगा। संविदाकार का आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता :

(i) कार्य का निरीक्षण करेंगे और संविदाकार को एक कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र देंगे जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जाएंगे

(ए) कार्य पूर्णता की तारीख

(बी) संविदाकार द्वारा दूर किए जाने वाले दोष और/या

(सी) उन मदों का नाम जिनके लिए कम दरों पर भुगतान किया जाना है।

जब किन्हीं मदों या मदों के समूहों के लिए अलग से कार्य पूर्णता की अवधि विनिर्दिष्ट की गई हो तो प्रभारी अभियंता ऐसी मदों या मदों के समूहों के लिए पृथक कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

(ii) कारण बताते हुए और कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संविदाकार द्वारा किए जाने के लिए शेष कार्य का विशिष्ट उल्लेख करते हुए आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। तब इस उप-खण्ड के अंतर्गत आगे कोई नोटिस भेजने से पहले संविदाकार को यह कार्य पूरा करना होगा।

8.1.2 संविदाकार को सभी अस्थाई सामग्री/उपकरण को हटाना होगा और प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार कार्यस्थल को साफ करना होगा। संविदाकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्थाई ढांचे दूसरों के उपयोग के लिए पर्याप्त साफ किए गए हों। ऐसा न करने पर प्रभारी अभियंता के पास उस स्थान को प्रयोग हेतु संविदाकार के खर्च व जोखिम पर ठीक करवाने के लिए पर्याप्त कारण होंगे।

9. दोष बाध्यता

9.1 दोषों को दूर करना

9.1.1 दोष बाध्यता अवधि प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाणित किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी। प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार को दी गई सूचना में वर्णित अवधि के दौरान होने वाली किसी प्रकार की खराबी या अनुसूची (ए) में वर्णित दोष बाध्यता अवधि के समाप्त होने से पहले संज्ञान में आई किसी खराबी को संविदाकार अपने खर्च पर ठीक करवाने और उस कमी को दूर करने का जिम्मेदार होगा।

- 9.1.2 The Contractor shall on receiving the intimation shall execute all work required to rectify defects or damage, as may be notified by the Corporation on or before the expiry date of the Defects Liability Period for the Works.
- 9.1.3 If the Contractor fails to carry out the aforesaid work within the period fixed by the Engineer-in-charge after serving the notice to the Contractor, all work referred to in this Sub-Clause shall be executed at the risk and cost of the Contractor.
- 9.1.4 The Corporation shall be entitled to an extension of the Defects Liability Period for the Works or a section of work for a period equal to the period during which the Works or section of work cannot be used by the Corporation due to reasons of a defect or by reason of a damage attributable to the Contractor.
- 9.1.5 Any rectification of defect which is not attributable to the Contractor but requested by the Engineer-in-charge for doing so, shall be carried out by the Contractor at the cost of Corporation on a mutually agreed basis.
- 9.1.6 Unless otherwise specified in the contract, at the end of Defect Liability period the contractors liability ceases except for Latent Defects, if applicable as per Schedule "A". The latent defect for this purpose shall mean any defects which exists but has not surfaced at the time of testing and has not manifested during defect liability period. The Contractors liability for Latent Defects warranty for the plant and equipment including spares shall be limited to a period of 5 (five) years from the end of Defect Liability period of the respective plant and equipment including spares. A written communication in this regards shall be submitted by the contractor.

10 MEASUREMENT AND EVALUATION

10.1 Records & Measurement

- 10.1.1 Engineer-in-Charge shall, except as otherwise stated, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the Contract.
- 10.1.2 All items having a financial value shall be entered in Measurement Book, Field Book etc. prescribed by the Corporation so that a complete record is obtained of all work executed under the Contract. However, where the computerized system is used for billing by the Corporation, all above records will be maintained in the computer system (WCMS) and a hard copy generated will be kept as a record after the acceptance by the Contractor.
- 10.1.3 Measurement shall be taken jointly by the Engineer-in-Charge or his authorized representative and by the Contractor or his authorized representative from time to time.

- 9.1.2 कार्य की दोष बाध्यता अवधि के पूरा होने वाले दिन या उससे पहले यदि निगम द्वारा अधिसूचित किया जाता है तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर संविदाकार ऐसे समस्त दोषों या नुकसान को दूर करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों का निष्पादन करेगा।
- 9.1.3 यदि उपर्युक्त कार्य को प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार को अधिसूचित किए जाने के बाद तय की गई समय-सीमा में पूरा नहीं किया जाता है तो इस उपखण्ड में संदर्भित समस्त कार्य को संविदाकार के जोखिम व खर्च पर पूरा किया जाएगा।
- 9.1.4 निगम को कार्य या कार्य के किसी भाग की दोष बाध्यता अवधि को, किसी दोष के कारण या संविदाकार की वजह से कार्य को हुए नुकसान के कारण कार्य या कार्य के किसी भाग का निगम द्वारा प्रयोग न किए जा सकने के समय के बराबर की अवधि तक के लिए, विस्तारित करने का अधिकार होगा।
- 9.1.5 कोई दोष जिसके लिए संविदाकार जिम्मेदार नहीं है परंतु प्रभारी अभियंता द्वारा उसे ठीक करने का अनुरोध किया जाए तो संविदाकार द्वारा ऐसे दोष को आपसी सहमति के आधार पर तय निगम के खर्च पर ठीक किया जाएगा।
- 9.1.6 जब तक कि संविदा में अन्यथा वर्णित न हो, अनुसूची "ए" के अनुसार लागू होने पर गुप्त दोषों के सिवाए दोष बाध्यता अवधि की समाप्ति के बाद संविदाकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। इस प्रयोजन से गुप्त दोषों से तात्पर्य उन दोषों से है जो मौजूद तो थे परंतु परीक्षण के दौरान नहीं दिखे और दोष बाध्यता अवधि के दौरान प्रकट नहीं हुए। संविदाकार की संयंत्र और स्पेयर सहित उपकरणों के लिए गुप्त दोष वारंटी बाध्यता संबंधित संयंत्र व स्पेयर सहित उपकरणों की दोष बाध्यता अवधि के समाप्त होने के बाद से 5 वर्ष तक के लिए सीमित होगी। इस संबंध में संविदाकार द्वारा लिखित सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

10. मापन व मूल्यांकन

10.1 अभिलेख व मापन

- 10.1.1 जब तक अन्यथा वर्णित न हो, संविदा के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य प्रभारी अभियंता द्वारा मापन कर अभिनिश्चित व अवधारित किया जाएगा।
- 10.1.2 वित्तीय मूल्य वाली सभी मदों को निगम द्वारा विहित मापन पुस्तिका, फील्ड पुस्तिका आदि में दर्ज किया जाएगा ताकि इस संविदा के अंतर्गत किए गए समस्त कार्यों का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। तथापि, जहां पर बिलिंग आदि के लिए निगम द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है वहां पर सभी उपर्युक्त रिकॉर्डों को कंप्यूटर प्रणाली (डब्ल्यू सी एम एस) में रखा जाएगा और संविदाकार की स्वीकृति के बाद एक हार्ड कॉपी तैयार कर रिकार्ड के रूप में रखी जाएगी।
- 10.1.3 यह मापन प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि तथा संविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर किया जाएगा।

- 10.1.4 Whenever the Engineer-in-charge requires any part of the Works to be measured, reasonable notice shall be given to the Contractor's Representative, who shall:
- (a) Promptly assist the Engineer-in-charge in making the measurement along with a qualified official, and
 - (b) supply any particulars requested by the Engineer-in-charge
- 10.1.5 The Contractor shall without extra charge, provide all assistance such as appliance, labour and other things necessary for measurements.
- 10.1.6 Measurements shall be signed and dated by both the parties from time to time on the Site during the progress of the Work.
- 10.1.7 If the Contractor objects to any of the measurements recorded on behalf of the Corporation, a notice to that effect shall be made with reasons and submitted to Engineer-in-charge for decision in this regard. After receiving this notice, the Engineer-in-charge shall review the records and either confirms or varies them and certifies the payment of the undisputed part. The decision of Engineer-in-Charge on such dispute or difference or interpretation shall be final and binding on both the parties.
- 10.1.8 If the Contractor fails to attend or send his authorized representative for measurement after such a notice or fails to counter-sign or to record his objections within a week from the date of measurement, then measurements taken by the Engineer-in-Charge or by his authorized representative shall be taken to be the correct measurement of the work.
- 10.1.9 When the contract includes lump-sums in respect of parts of the work, the Contractor shall be entitled for payment in respect of such items of work involved or the part of the work in question, at the same lumpsum price as are payable under this contract for such items.
- 10.1.10 If in the opinion of the Engineer-in-Charge, part of the work in question is not payable by measurements; the Engineer-in-Charge may pay the amount commensurate to the value of work done based on lumpsum amount quoted. In such a case, the Engineer-in-Charge would provide a certificate which shall be final and conclusive against the Contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.
- 10.1.11 Recording of measurements will not relieve the Contractor of his responsibilities and liabilities over any recorded excess measurements or noticed defects till the completion of the defect liability period.

10.2 Method of Measurement

- 10.2.1 Except where any general or detailed description of the work in quantities expressly shows to the contrary, schedule of quantities shall be deemed to have been prepared and measurements taken in accordance with the procedure set forth in Schedule of Rates /Specification, notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of Measurement or any general or local custom.

- 10.1.4 जब कभी प्रभारी अभियंता को कार्य के किसी भाग के मापन की आवश्यकता पड़ती है, वह संविदाकार के प्रतिनिधि को औचित्यपूर्ण नोटिस देंगे और वह :
- (ए) तुरंत एक योग्य कर्मचारी के साथ मापन कार्य में प्रभारी अभियंता की सहायता करेंगे और
- (बी) प्रभारी अभियंता द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
- 10.1.5 संविदाकार बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के मापन के लिए आवश्यक हर प्रकार की सहायता जैसे यंत्र, मजदूर व अन्य चीजें उपलब्ध कराएंगे।
- 10.1.6 कार्यस्थल पर कार्य की प्रगति के दौरान दोनों पक्षों द्वारा समय-समय पर मापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे व तारीख डाली जाएगी।
- 10.1.7 यदि संविदाकार द्वारा निगम की ओर से किए गए किसी मापन पर आपत्ति की जाती है तो इस संबंध में कारण बताते हुए एक नोटिस प्रभारी अभियंता के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यह नोटिस मिलने के बाद प्रभारी अभियंता रिकॉर्डों की समीक्षा करेंगे और या तो उसकी पुष्टि करेंगे अथवा भिन्न राय होने की स्थिति में अविवादित भाग के भुगतान के लिए प्रमाणपत्र जारी करेंगे। ऐसे विवादों या भिन्नताओं में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा व दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 10.1.8 यदि इस प्रकार का नोटिस दिए जाने के बाद संविदाकार मापन के लिए उपस्थित नहीं होता है या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को नहीं भेजता है अथवा प्रतिहस्ताक्षर नहीं करता है या मापन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियों को दर्ज नहीं करवाता है तो प्रभारी अभियंता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया मापन कार्य का सही मापन माना जाएगा।
- 10.1.9 यदि कार्य के किसी भाग के लिए संविदा में एकमुश्त राशि को शामिल किया गया हो तो शामिल कार्य की उस मद के लिए अथवा प्रश्नगत कार्य के लिए संविदाकार ऐसी मद के लिए संविदा में देय उसी एकमुश्त राशि के भुगतान का हकदार होगा।
- 10.1.10 यदि प्रभारी अभियंता की राय में प्रश्नगत कार्य का भाग मापन के अनुसार भुगतानयोग्य नहीं है तो प्रभारी अभियंता पूर्ण किए गए कार्य को उद्धृत एकमुश्त राशि के हिसाब से आकलित कर तदनुरूप राशि का भुगतान कर सकते हैं। ऐसे किसी मामले में प्रभारी अभियंता इस प्रावधान के अंतर्गत संविदाकार को देय राशि या राशियों के लिए संविदाकार के पक्ष में एक अंतिम व निष्कर्षी प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
- 10.1.11 मापन दर्ज हो जाने के कारण किसी प्रकार का अधिक मापन दर्ज हो जाने या संज्ञान में आई खराबियों के प्रति संविदाकार की जिम्मेदारियां व बाध्यताएं दोष बाध्यता अवधि तक समाप्त नहीं होंगी।

10.2 मापन की विधियां

- 10.2.1 जब तक कि कार्य की सामान्य व विस्तृत मात्राओं में किसी प्रकार की स्पष्ट प्रतिकूलता न दिखाई दे, यह माना जाएगा कि मात्रा अनुसूची को बताई गई दर/विनिर्देश अनुसूची के अनुरूप तैयार किया व मापन किया गया है। यह संबंधित मानक मापन की विधि या अन्य सामान्य या स्थानीय मापन रीतियों के किसी भी प्रावधान से मुक्त होगा।

10.2.2 In the case of items which are not covered by the Schedule of Rates / Specification, measurement shall be taken in accordance with the relevant Standard Method of Measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed.

11 VARIATIONS AND ADJUSTMENTS

11.1 Right to Vary

11.1.1 Variations may be initiated by the Engineer-in-charge at any time prior to issuing the Completion Certificate for the Works, by an instruction for the Contractor to submit a proposal. The Contractor shall submit a proposal for variation for approval of Engineer-in-charge.

11.1.2 Each Variation may include:

- a) changes to the quantities of any item of work included in the Contract,
- b) changes to the quality and other characteristics of any item of work,
- c) deletion of any work which forms part of the scope given in the contract, or
- d) any additional work, Plant, Materials or services necessary for the Works, including any associated Tests on Completion and exploratory work.

11.1.3 The time for completion of the works shall, in the event of variations resulting in additional cost over the Contract value being ordered be extended as follows, if requested by the Contractor:

- (a) in the proportion which the additional cost of the extra, additional or substituted work, bears to the original Contract Sum; plus
- (b) 25% of the time calculated in (a) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-Charge.

11.2 Payment for Variations

11.2.1 Variation permitted beyond the tendered quantity for individual items shall be as follows,

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| • Excavation items | : | ±100% |
| • All other items | : | ±50% |

11.2.2 Any variation above the tendered quantity but within the above specified limit shall be paid as per the rates as provided in the contract in the Schedule of quantities.

11.2.3 In case the quantities to be executed is beyond the variation limits above or extra, additional or substituted work, the contractor shall give notice to the corporation of his intention to claim a varied rate or price supported by proper analysis within 14 days of the date of instruction for executing varied work, extra, additional work or substituted work, and before the commencement of such work.

10.2.2 जो मदें दर/विनिर्देश की अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उनका मापन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संबंधित मापन के लिए जारी मानक मापन विधि से किया जाएगा और यदि किसी मद के लिए इस प्रकार का मानक उपलब्ध न हो तो आपसी सहमति के आधार पर तय की गई विधि का प्रयोग किया जाएगा।

11 विचलन व समायोजन

11.1 विचलन का अधिकार

11.1.1 कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र को जारी करने से पहले किसी भी समय प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देकर विचलन की पहल की जा सकती है। संविदाकार विचलन के लिए प्रभारी अभियंता के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

11.1.2 प्रत्येक विचलन में निम्नलिखित शामिल किए जा सकते हैं :

- ए) संविदा में शामिल किसी कार्य की मद की मात्र में परिवर्तन
- बी) कार्य की किसी मद की गुणवत्ता व अन्य विशेषताओं में परिवर्तन
- सी) संविदा में दिए गए कार्यक्षेत्र के किसी भाग के कार्य को रद्द करना, या
- डी) कार्य पूर्ण होने पर कोई संबद्ध और अन्वेषण कार्य सहित कार्य के लिए आवश्यक कोई अतिरिक्त कार्य, संयंत्र, सामग्री या सेवाएं।

11.1.3 यदि विचलन के कारण संविदा आदेशित संविदा मूल्य में वृद्धि होती है तो संविदाकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर कार्य की पूर्णता समयावधि को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जाएगा :-

- (ए) अतिरिक्त, विस्तारित अथवा एवजी कार्य की अतिरिक्त कीमत का संविदा की मूल कीमत के अनुपात में ; इसके साथ-साथ
- (बी) उपर्युक्त (ए) के अनुसार आकलित समय का 25 % या इससे अधिक समय जो प्रभारी अभियंता द्वारा उचित समझा जाए।

11.2 विचलन के लिए भुगतान

11.2.1 प्रत्येक मद विशेष के लिए निविदा मात्रा से अधिक अनुमत विचलन निम्नलिखित है :-

- खुदाई वाले कामों के लिए : $\pm 100 \%$
- अन्य सभी मदों के लिए : $\pm 50 \%$

11.2.2 निविदा मात्रा से अधिक किंतु उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर किए गए किसी विचलन के लिए संविदा की मात्रा अनुसूची में तय की गई दरों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

11.2.3 यदि किए जाने वाले कार्य की मात्रा विचलन मात्रा से अधिक है या अतिरिक्त, विस्तारित अथवा एवजी है तो संविदाकार विचलन, अतिरिक्त, विस्तारित अथवा एवजी कार्य को निष्पादित करने का निर्देश प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर और ऐसे कार्य को प्रारंभ करने से पहले विचलन दर से या उचित विश्लेषण के समर्थन के आधार पर दावा करने के अपने इरादे के बारे में निगम को सूचित करेगा।

- 11.2.4 In case of quantities beyond variation limits, the Engineer-in-charge shall determine the rates, after due consideration to the rate analysis submitted by the contractor. These provisions shall also be applicable for decrease in rates.
- 11.2.5 For determining the rates for extra, altered or substituted item, where in such item with similar specification is available in the schedule of quantities then the same rate shall be applied. In case the item is not available within the same schedule of quantities but are available in other parts / modules of the contract, then the lowest rate among the rates in other part / module shall be considered.
- 11.2.6 In case the rates for extra, altered or substituted item are not available in any part or Module of Schedule of quantities then the rate shall be determined based on Market rates, approved by the Engineer-in-charge.
- 11.2.7 Deletion of any item / any part of work of schedule of quantities shall also form part of the variation limit.
- 11.2.8 If the over all net contract value is less than 75% of the contract value, then a suitable compensation shall be assessed mutually and paid to the contractor based on case to case basis.
- 11.2.9 In case the quoted rates are more than 25% of the estimated departmental rates the corporation has got a right to negotiate such rates with prospective bidder for execution of quantity beyond the tendered quantity before award of work.

11.3 Contract Price Adjustment

- 11.3.1 The rates quoted by the tenderer shall be the Base Price, which will be subjected to PRICE ADJUSTMENTS in accordance with the conditions and formula prescribed herein and further subject to satisfying the requirements specified in this clause only. This clause is applicable only to the contracts where stipulated completion period is more than 12 months.
- 11.3.2 For contract(s) where completion period as stipulated in NIT or work order is less than and upto 12 (twelve) months and where there is a delay which is attributed to the Corporation, due to which the period of the contract exceeds 12 months, the contract price adjustments is applicable for the extended period. (For example, where the original contract period is 10 months and there is extension for 3 months, then adjustment is payable for one month i.e. 13th month only). However the Subscript value of "0" defined in 11.3.4 above shall be the indices of the month in which the Mid period (50% in terms of days) of the extended contract period falls on.
- 11.3.3 The "Contract Price" as awarded shall be the Base Price, unless other wise specified.
- A certain fixed percentage of the base price shall not be subject to any price adjustment. The balance percentage to be specified shall be of Identified Components towards Labour, Material(s) (not being material supplied/or services rendered at fixed prices by the Corporation) and P.O.L. and shall be subjected to Price Adjustment. The fixed component shall be 15% of the contract value, and is not subjected to price adjustments. However other components shall vary from contract to contract depending upon the scope of work(s) and this information is furnished by the Corporation in Schedule A (refer clause 11.3.4).

- 11.2.4 यदि मात्रा विचलन सीमा से अधिक हो तो प्रभारी अभियंता संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दर विश्लेषण पर समुचित विचार कर दरें निश्चित करेंगे। यही प्रावधान दरों को घटाने के लिए भी लागू होंगे।
- 11.2.5 अतिरिक्त, विस्तारित अथवा एवजी मदों की दरों के निर्धारण के लिए यदि समान प्रकार के विनिर्देशों वाली मदें मात्रा अनुसूची में उपलब्ध हों तो वही दरें लागू की जाएंगी। यदि ये मदें उस मात्रा अनुसूची में उपलब्ध न हों परंतु संविदा के अन्य भाग/ मोड्यूल में उपलब्ध हों तो अन्य भाग/मोड्यूल की दरों में से न्यूनतम दरों पर विचार किया जाएगा।
- 11.2.6 यदि अतिरिक्त, विस्तारित अथवा एवजी मदों के लिए मात्रा अनुसूची के किसी भी भाग या मोड्यूल में दरें उपलब्ध न हों तो दरों का निर्धारण प्रभारी अभियंता के अनुमोदन से बाजार दर पर किया जाएगा।
- 11.2.7 मात्रा अनुसूची की किसी मद/ किसी भाग या मोड्यूल को रद्द किया जाना भी विचलन सीमा का एक हिस्सा होगा।
- 11.2.8 यदि सकल निवल संविदा मूल्य, संविदा मूल्य के 75 % से कम हो तो मामला-दर-मामला आधार पर दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से उपयुक्त क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाएगा और संविदाकार को भुगतान किया जाएगा।
- 11.2.9 यदि उद्धृत दरें विभागीय अनुमानों से 25% से अधिक हो तो कार्य का अवार्ड किए जाने से पहले निविदा की गई मात्रा से अधिक मात्रा के निष्पादन की दरों के बारे में निगम को प्रत्याशी बोलीदाताओं के साथ मोल-भाव करने का अधिकार होगा।

11.3 संविदा कीमत समायोजन

- 11.3.1 निविदाकार द्वारा उद्धृत दरें आधार कीमत होंगी जो कि आगे बताई गई शर्तों व सूत्र के अनुसार कीमत समायोजन के विषयाधीन होंगी और साथ ही केवल इस खण्ड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन भी होंगी। यह खण्ड केवल उन्हीं संविदाकारों के लिए लागू है जिनका कार्यपूर्णता समय 12 माह से अधिक निर्धारित किया गया है।
- 11.3.2 ऐसी संविदा (ओं) जिनका निविदा आमंत्रण सूचना या कार्य आदेश में निर्धारित समय 12 माह या उससे कम है और जहां निगम की वजह से हुए विलंब के कारण संविदा का समय 12 माह से अधिक हो गया हो, संविदा कीमत समायोजन विस्तारित समय के लिए भी लागू होगा। (उदाहरण के लिए यदि संविदा का मूल समय 10 माह है और 3 माह का समय-विस्तार दिया जाता है तो केवल 1 माह के लिए अर्थात् 13वें महीने के लिए समायोजन का भुगतान देय होगा)। तथापि उपर्युक्त 11.3.4 में परिभाषित "0" का अधोलिखित मूल्य विस्तारित संविदा समय के मध्य में (कुल दिनों का 50 %) जो माह आ रहा हो, उस माह का स्थान मान होगा।
- 11.3.3 जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अवार्ड की गई "संविदा कीमत" आधार कीमत होगी। आधार कीमत का एक निश्चित तय प्रतिशत किसी प्रकार के समायोजन के विषयाधीन नहीं होगा। विनिर्दिष्ट किया जाने वाला शेष प्रतिशत मजदूरी, वस्तु (एं) (वे वस्तुएं जो निगम द्वारा आपूर्त नहीं की जा रही हैं/ निश्चित दरों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं) और पेट्रोल, तेल, स्नेहकों के लिए चिह्नित घटक होंगे और कीमत समायोजन के विषयाधीन होंगे। तय घटक संविदा मूल्य का 15 % होंगे और कीमत समायोजन के विषयाधीन नहीं होंगे। तथापि अन्य घटक प्रत्येक संविदा के कार्यक्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होंगे और यह सूचना निगम द्वारा अनुसूची ए (कृपया खण्ड 11.3.4 का संदर्भ लें) में वर्णित की गई है।

11.3.4 The actual amount of price adjustment shall be determined by satisfying the conditions specified herein.

The price adjustment formula for the various components of the Contract Price shall be construed as stipulated hereinafter. The formula designed for governing and calculating the price adjustment to be applied to the contract price shall be as follows:

$$ACV_1 = CV (F + l_u \times L_{u1}/L_{u0} + l_s \times L_{s1}/L_{s0} + m \times M_1/M_0 + n \times N_1/N_0 + o \times O_1/O_0 + p \times P_1/P_0 + q \times Q_1/Q_0 + d \times D_1/D_0)$$

Where:

ACV₁ - Adjusted contract price i.e., value of work done after application of above price adjustment formula.

CV - Base contract price, subject to price adjustment, i.e. the value of the work done in the given period for which the Price Adjustment is to be calculated excluding cost of material supplied or services rendered at fixed prices by the Corporation and the cost of extra items, rates for which have been worked out based on market rates.

F - Fixed component i.e. 15% of contract value, which is not subjected to any adjustment under this formula or otherwise.

l_u - Unskilled Labour component (Defined in Schedule A) expressed as percentage of the contract value which will be subjected to adjustment.

l_s - Skilled labour component (Defined in Schedule A) expressed as percentage of the contract value which will be subject to adjustment.

m, n, o, p - Various material component (bought by the contractor) expressed as percentage of the contract value (defined in Schedule A), which will be subject to adjustment. The sum of m, n, o, p along with F, d, labour (l_u and l_s) and q should sum up to one.

'q' - Component for all the other materials (other than m, n, o, and p) expressed as percentage of contract value, as defined in Schedule A.

d - P. O. L. component expressed as percentage of the contract value, as defined in Schedule A, which will be subject to adjustment.

M, N, O, P - Corresponding published price indices of various materials based on All India Wholesale Price Index for Individual Commodities /Group Items for the period under consideration published by Economic advisor to Government of India, Ministry of Industry & Commerce.

Q - Wholesale price indices applicable to all commodities for the period under consideration as published by Economic Advisor to Government of India, Ministry of Industry & Commerce.

11.3.4 कीमत समायोजन की वास्तविक राशि को यहां आगे वर्णित शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

संविदा कीमत के विभिन्न घटकों का कीमत समायोजन सूत्र का अर्थ इसके आगे दिए गए वर्णन के अनुसार होगा। संविदा कीमत के कीमत समायोजन को शासित करने व उसकी गणना करने के लिए बनाया गया लागू सूत्र निम्नलिखित है :

$$ACV_1 = CV(F + lu \times Lu_1/Lu_0 + ls \times Ls_1/Ls_0 + m \times M_1/M_0 + n \times N_1/N_0 + o \times O_1/O_0 + p \times P_1/P_0 + q \times Q_1/Q_0 + d \times D_1/D_0)$$

जहां पर :

- ACV_1 - समायोजित संविदा कीमत अर्थात उपर्युक्त कीमत समायोजन सूत्र लगाने के बाद किए गए कार्य का मूल्य।
- CV - कीमत समायोजन के विषयाधीन आधार संविदा कीमत अर्थात एक निश्चित समय में किए गए कार्य का मूल्य जिसके लिए कीमत समायोजन की गणना की जानी है। इसमें निगम द्वारा निश्चित दरों पर उपलब्ध कराई गई सामग्री व प्रदत्त सेवाएं और अतिरिक्त मदों की कीमत जिनकी दरों की गणना बाजार दर के आधार पर की गई है, शामिल नहीं हैं।
- F - निश्चित घटक अर्थात संविदा मूल्य का 15 % जो इस सूत्र अथवा अन्यथा किसी बात के विषयाधीन नहीं है।
- lu - अकुशल मजदूर घटक (अनुसूची ए में परिभाषित) जिसे संविदा मूल्य के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है और जो समायोजन के विषयाधीन होगा।
- ls - कुशल मजदूर घटक (अनुसूची ए में परिभाषित) जिसे संविदा मूल्य के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है और जो समायोजन के विषयाधीन होगा।
- m,n,o,p - विभिन्न सामग्री घटक (संविदाकार द्वारा खरीदे गए) जिसे संविदा मूल्य के प्रतिशत (अनुसूची ए में परिभाषित) में व्यक्त किया गया है और जो समायोजन के विषयाधीन होगा। F , d , मजदूर (lu और ls) के साथ m,n,o,p का योग और q का मान एक होना चाहिए।
- q - समस्त अन्य सामग्रियों का घटक (m,n,o और p के अलावा) जिसे अनुसूची ए में परिभाषित संविदा मूल्य के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है।
- d - P.O.L घटक जिसे अनुसूची ए में परिभाषित संविदा मूल्य के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है और जो समायोजन के विषयाधीन होगा।
- $M,,N,,O,,P$ - विभिन्न सामग्रियों के लिए भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा विशिष्ट माल/ समूह मदों की विचाराधीन अवधि के लिए प्रकाशित अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तदनुरूप प्रकाशित कीमत सूची।
- Q - विचाराधीन अवधि के लिए भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित एवं सभी वस्तुओं पर लागू होने वाली थोक मूल्य सूची।

- L - Minimum wages in Rupees of a labour fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the month under consideration (where in subscript 'u' and 's' denotes the unskilled and skilled labour respectively).
- D - Petrol prices of the nearest petrol pump (defined in Schedule A) applicable as on the last date of the month under consideration.

SUBSCRIPT:

- '0' - refers to the values of the above-mentioned Minimum Wages/ Material indices/ Petrol price applicable to previous month prior to the date of submission of tenders (In case of two part tender the date of submission of Part 1 shall be taken).
 - '1' - refers to the values of corresponding Minimum Wages, Material indices/ petrol price as applicable for the month prior to the month in which the work is executed for which adjustment is applicable, respectively.
- 11.3.5 The value of fixed component 'F' will remain unchanged and fixed and shall not be disputed.
- 11.3.6 Price Adjustment(s) shall be calculated for the quantum of works executed during the month of the bill.
- 11.3.7 Additional, altered or substituted items of work, derived from the agreed Bill of quantities and rates attached in work order will also attract price adjustment as per this clause. No price adjustment for the cost of material issued and/or services provided by the Corporation shall be applicable, which are issued at fixed rates to the Contractor. Extra, altered or substituted item for which the rate has been derived from the market rate, shall not be subject to price adjustment within 12 months from the actual commencement of execution or date of its communication to the contractor whichever is earlier.
- 11.3.8 In the case of materials brought to site for which any secured advance is included in the bill, the full assessed value of such advance shall be added to the cost of work shown in the bill for operation of this Clause. Similarly, when such materials are incorporated in the work and secured advance is deducted from the bill, the full assessed value should be deducted from the cost of the work shown in the bill, running or final.
- 11.3.9 In case of advance payment is given for the work done but not measured the full value of such unmeasured work shall be added to the cost of work shown in the bill for operation of this Clause. When such work is measured and paid the full value of such work shall be deducted from the cost of work shown in the bill, running or final.
- 11.3.10 Every month after the award of Contract, the Contractor shall submit to the Engineer-in-Charge, a written notice of the changes, if any, that have occurred in the specified indices of Material/petrol prices and in minimum wages for labour during the previous month containing the effective date of such change, the extent of change etc. with authenticated documentary evidence (as described above) of the relevant published indices/petrol price/minimum wages to substantiate the price adjustment claim.

- L - किसी कानून के, सांविधिक नियम या आदेश के अधीन विचाराधीन माह की अंतिम तारीख को लागू होने वाली एक मजदूर की रूपयों में न्यूनतम मजदूरी (जहां पर उपाक्षर "u" और "s" क्रमशः अकुशल व कुशल मजदूरों को व्यक्त करते हैं।)
- D - विचाराधीन माह की अंतिम तारीख को निकटतम पेट्रोल पंप (अनुसूची ए में परिभाषित) में उपलब्ध पेट्रोल की कीमत दर।

उपाक्षर :

- 'o' - से संदर्भ निविदा जमा करने की तारीख (दो भागों वाली निविदा के मामले में भाग-1 को जमा करने की तारीख मानी जाएगी।) के पहले वाले माह में लागू उपर्युक्त न्यूनतम मजदूरी/सामग्री सूची/ पेट्रोल की कीमत दर के मूल्य से है।
- 'I' - से संदर्भ क्रमशः उस तदनु रूप न्यूनतम मजदूरी/सामग्री सूची/पेट्रोल कीमत दर से है जो समायोजन योग्य कार्य का निष्पादन किए जाने वाले महीने से पहले वाले माह में थी।

- 11.3.5 निश्चित घटक "F" का मूल्य अपरिवर्तित व निश्चित रहेगा और इस पर कोई विवाद नहीं किया जाएगा।
- 11.3.6 कीमत समायोजन(नों) की गणना बिल दिए जाने वाले माह के दौरान निष्पादित कार्य की मात्रा के आधार पर किया जाएगा।
- 11.3.7 इस खण्ड के अनुसार कार्य आदेश के साथ संलग्न मात्रा और दर के सहमत बिल में से निकाली गई अतिरिक्त, परिवर्तित या एवजी कार्य की मदों पर भी कीमत समायोजन लागू होगा। निगम द्वारा संविदाकार को निश्चित कीमत पर जारी की गई सामग्री और/या प्रदत्त सुविधाओं की कीमतों पर कीमत समायोजन लागू नहीं होगा। उन अतिरिक्त, परिवर्तित या एवजी कार्य की मदों जिनके लिए दरों को बाजार दर के आधार पर लिया गया है, कार्य निष्पादन आरंभ के वास्तविक समय या इसके लिए संविदाकार को सूचित किए जाने की तारीख में से जो भी पहले हो, के 12 महीनों तक कीमत समायोजन के विषयाधीन नहीं होंगी।
- 11.3.8 यदि कार्यस्थल पर कोई ऐसी सामग्री लाई जाती है जिसके लिए प्राप्त किए गए प्रतिभूत अग्रिम को बिल में जोड़ा गया हो तो इस खण्ड को लागू करने के लिए ऐसे अग्रिम के संपूर्ण आकलित मूल्य को बिल में दर्शाई गई कार्य की कीमत में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार जब ऐसी सामग्री को कार्य में जोड़ लिया गया हो और लिए गए प्रतिभूत अग्रिम को बिल से घटा दिया गया हो तो संपूर्ण आकलित मूल्य को चालू या अंतिम बिल में दर्शाई गई कार्य की कीमत में से घटा दिया जाएगा।
- 11.3.9 यदि किए गए कार्य के लिए अग्रिम भुगतान किया गया हो परंतु उसका मापन न किया गया हो तो इस खण्ड को प्रभावी करने के लिए ऐसे मापन न किए गए कार्य के संपूर्ण मूल्य को बिल में दर्शाए गए कार्य की कीमत में जोड़ दिया जाएगा। यदि ऐसे कार्य का मापन कर लिया गया हो और भुगतान कर दिया गया हो तो इस कार्य के संपूर्ण मूल्य को चालू या अंतिम बिल में दर्शाई गई कार्य की कीमत में से घटा दिया जाएगा।
- 11.3.10 संविदा अवार्ड होने के बाद संविदाकार, हर माह प्रभारी अभियंता के समक्ष पिछले माह सामग्री/पेट्रोल दरों या मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की विशिष्ट सूची में हुए परिवर्तनों की जानकारी, ऐसे परिवर्तनों की प्रभावी तारीख, परिवर्तन की सीमा, प्रकाशित संबंधित सूची/पेट्रोल दर/ न्यूनतम मजदूरी का अधिप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य (यथा उपर्युक्त) ताकि कीमत समायोजन दावे को मजबूती मिल सके, आदि की जानकारी वाली लिखित सूचना प्रस्तुत करेगा।

11.3.11 Provided further that such payment/refund shall not be operative and payable after the Schedule expiry of the contract period including authorized extended contract period.

11.3.12 In case where the reasons for extension of the contract is attributable to the force majeure and Contractor, the Contractor shall be paid the contract price adjustment for the extended period at the frozen indices applicable for the month preceding to the last date of stipulated completion period or extended completion period attributable to Corporation whichever is later. In case the prevailing price indices are lower than the frozen indices, as stated above, the lower shall be considered.

11.3.13 For this purpose, the total delayed period shall be apportioned between delays due to the Corporation, force majeure events and / or the Contractor in the following order:

1. Delay caused by the Corporation will be allowed considering as if this delay due to the Corporation happened first, immediately after stipulated contract completion period, irrespective of actual point in time in which such delay by Corporation occurs.
2. Followed by delay due to Force Majeure,
3. Delay due to Contractor

11.3.14 The total adjusted contract price shall be:

(Sigma) ACV1 + Other elements of Contract Price, if any

11.3.15 Except as provided herein, no other expenditure incurred by the Contractor, under any Clause(s) / item(s) due to any reason whatsoever, shall be payable to the Contractor.

11.3.16 Bids specifying provisions other than those specified above run the risk of rejection.

12 CONTRACT PRICE AND PAYMENT

12.1 Mobilisation Advance

12.1.1 Mobilisation Advance shall be granted to the Contractor, if required by him, with the conditions mention herein being fulfilled.

12.1.2 Advance shall be granted where the estimated cost of work put to tender is Rs.10 Crores or more.

12.1.3 The amount of mobilisation advance shall be limited to 15% of the contract value and shall be granted under following two categories:

- i) Lumpsum Advance against a non-revokable Bank guarantee acceptable to the Corporation which shall be 10% of the contract value.
- ii) over and above (i) an Advance at 90% of the purchase price of New Plant and Equipment acquired for the work and brought to site, against production of documents in support thereof and that such plant and equipment are hypothecated in favour of the Corporation in the form required by the Corporation. Further this new plant and equipment

- 11.3.11 साथ ही यह भी कि इस प्रकार का भुगतान/ धन वापसी प्राधिकृत विस्तारित संविदा अवधि सहित संविदा अवधि की अनुसूचित समाप्ति तारीख के बाद लागू और देय नहीं होगा।
- 11.3.12 उन मामलों में जहां संविदा समय का विस्तार अपरिहार्य कारणों और संविदाकार के कारण हुआ हो, संविदाकार को विस्तारित अवधि के लिए संविदा कीमत समायोजन का भुगतान, वर्णित कार्य पूर्णता अवधि की आखिरी तारीख या निगम की वजह से विस्तारित कार्य पूर्णता अवधि की आखिरी तारीख में से जो तारीख बाद में पड़ती हो, उस तारीख से पहले वाले महीने की लागू सूची को अंतिम मानते हुए किया जाएगा। यदि वर्तमान कीमतें उपर्युक्त कथन के अनुसार बनने वाली कीमतों से कम हों तो कम वाली कीमतों पर विचार किया जाएगा।
- 11.3.13 इस उद्देश्य से कुल विलंबित अवधि को निगम के कारण हुए विलंब, अपरिहार्य घटनाओं के कारण हुए विलंब और/या संविदाकार के कारण हुए विलंब में निम्नलिखित क्रम से विभाजित किया जाएगा :
1. निगम के कारण हुए विलंब को इस प्रकार माना जाएगा कि मानो यह विलंब उद्धृत संविदा अवधि के फौरन बाद सबसे पहले हुआ हो। भले ही निगम के कारण हुआ यह विलंब वास्तविकता में किसी भी समय हुआ हो।
 2. इसके बाद अपरिहार्य कारणों से हुआ विलंब लिया जाएगा।
 3. संविदाकार के कारण हुआ विलंब।
- 11.3.14 कुल समायोजित संविदा कीमत निम्नलिखित होगी :
(सिगमा) $ACV1 +$ संविदा मूल्य के अन्य कोई घटक, यदि हों तो।
- 11.3.15 सिवाय तब जबकि यहां बताया गया हो, संविदाकार द्वारा किसी भी अन्य खण्ड (डों)/मदों के अधीन चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो, खर्च की गई राशि का संविदाकार को भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 11.3.16 जिन बोलियों में उपर्युक्त प्रावधानों से इतर अन्य प्रावधान विनिर्दिष्ट किए गए हों, को निरस्त किए जाने की संभावना है।

12. संविदा कीमत व भुगतान

12.1 संग्रहण अग्रिम

- 12.1.1 यदि संविदाकार को आवश्यकता हो तो संविदाकार को आगे बताई गई शर्तों को पूरा करने पर संग्रहण अग्रिम दिया जाएगा।
- 12.1.2 संग्रहण अग्रिम की मंजूरी तब दी जाएगी जब निविदा में कार्य की अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो,।
- 12.1.3 संग्रहण अग्रिम की अधिकतम राशि संविदा मूल्य का 15 % होगी और इसकी मंजूरी निम्नलिखित दो श्रेणियों में की जाएगी :
- i) निगम को स्वीकारयोग्य कुल संविदा मूल्य की 10 % राशि की अप्रतिहस्तांतरणीय बैंक-गारंटी के विरुद्ध एकमुश्त अग्रिम।
 - ii) कार्य के लिए खरीदे गए और कार्य-स्थल पर लाए गए नए संयंत्र व उपकरण की उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त, कार्य के लिए खरीदे गए और कार्यस्थल पर लाए गए नए संयंत्र व उपकरण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और उस संयंत्र व उपकरण को निगम के पास निगम के पास वांछित रूप में बंधक रखने पर क्रय कीमत का 90 % अग्रिम।

for which mobilisation advance applied for are not in excess of requirement and price there of considered to be reasonable by the Engineer-in-Charge. (Subject to maximum of 5% of the contract value)

- 12.1.4 The mobilization advance shall be interest bearing, and simple interest rate shall be charged on mobilization advance. The rate of interest to be charged on mobilization advance shall be as mentioned in the Schedule A.
- 12.1.5 The Contractor shall ensure that the bank guarantee is valid and enforceable until the advance payment has been repaid, but its amount shall be progressively reduced by the amount repaid by the Contractor as indicated in the Payment Certificates. If the terms of the bank guarantee specify its expiry date, and the advance payment has not been repaid within 30 days prior to the expiry date, the Contractor shall extend the validity of the guarantee till the advance payment is repaid failing the Bank guarantee may be encashed by the Corporation.
- 12.1.6 When advance granted is more than Rs.2 Crores, it shall be released in two or more equal installments as deemed necessary. The subsequent installments shall be released only on submission of proof of bonafide utilisation of earlier installments by the Contractor and to the satisfaction of Engineer-in-Charge
- 12.1.7 Unless stated otherwise in the Contract, the advance payment shall be repaid through percentage deductions from the payments against the running bills determined by the Engineer-in-charge. as follows:
The recovery of advances shall be regulated in suitable installments commencing from 2nd RA bill or after 10% of the work is completed whichever is earlier. The payment of mobilization advance by itself shall not be considered as one of RA bill for this purpose. The entire amount of advance with interest shall be recovered before 80% of the work is completed.
- 12.1.8 Interest on the advance shall be calculated on each installment of recovery from the date of its payment as Mobilisation Advance till the preceding day of recovery from running / final bills.
- 12.1.9 Where advance payment to Contractor against running bills is to be made after effecting the recovery of Mobilisation Advance installment from the bill, the interest for advance payment shall be calculated till the preceding day of passing the bill.
- 12.1.10 If the amount payable under any interim bill is not sufficient to cover all deduction to be made for sums advanced and other sums deductible therefrom, the balance outstanding shall be deducted from subsequent bills.

12.2 Payment of Running Bills

- 12.2.1 Running bills shall be submitted, monthly by the Contractor for the work executed during the previous month along with all supporting documents on the format prescribed by the Corporation. The Engineer-in-Charge shall then arrange to have the bill verified. Where ever applicable (as

साथ ही यह कि जिस संयंत्र व उपकरण के लिए संग्रहण अग्रिम का आवेदन किया गया है वे आवश्यकता से अधिक नहीं हैं और प्रभारी अभियंता उनकी क्रय कीमत को औचित्यपूर्ण मानते हों। (कुल संविदा मूल्य का अधिकतम 5 % के विषयाधीन)

- 12.1.4 संग्रहण अग्रिम ब्याजयुक्त होगा और इस पर साधारण ब्याज लगाया जाएगा। संग्रहण अग्रिम पर लगने वाले ब्याज के बारे में अनुसूची ए में बताया गया है।
- 12.1.5 संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संग्रहण अग्रिम की चुकौती किए जाने तक बैंक गारंटी वैध और प्रवर्तनीय हो परंतु इसकी जितनी राशि को क्रमशः जैसे जैसे संविदाकार चुकाता जाएगा, भुगतान प्रमाण पत्र के वर्णन के अनुसार उतनी राशि को कम किया जाएगा। यदि बैंक गारंटी में इसकी समाप्ति की तारीख विनिर्दिष्ट हो और संग्रहण अग्रिम राशि की चुकौती इसकी समाप्ति की तारीख से 30 दिनों से पहले न की गई हो तो संविदाकार को बैंक गारंटी की समय सीमा तब तक के लिए बढ़वानी होगी जब तक कि संग्रहण अग्रिम की चुकौती न हो जाए। ऐसा न करने पर निगम द्वारा बैंक गारंटी को नकदीकृत कराया जा सकता है।
- 12.1.6 जब मंजूर किए गए अग्रिम की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक हो तो इसे दो या अधिक किश्तों में, जैसा भी उचित समझा जाए, रिलीज़ किया जाएगा। बाद वाली किश्तों को केवल तब ही रिलीज़ किया जाएगा जबकि संविदाकार पहले जारी की गई किश्त के वास्तविक उपयोग के साक्ष्य से प्रभारी अभियंता को संतुष्ट कर दे।
- 12.1.7 जब तक कि अन्यथा वर्णित न हो, अग्रिम भुगतान की वापसी को प्रभारी अभियंता के निर्धारण के अनुसार चालू बिलों से प्रतिशत कटौती के माध्यम से निम्नलिखित विधि से लिया जाएगा :
अग्रिम की वसूली का विनियमन उचित किश्तों में दूसरे चालू बिल या कार्य का 10 % भाग पूरा हो जाने के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, से आरंभ किया जाएगा। संग्रहण अग्रिम का भुगतान स्वयं में इस कार्य के लिए चालू बिल नहीं माना जाएगा। अग्रिम की ब्याज सहित पूरी राशि को कार्य का 80 % भाग पूरा होने से पहले वसूल कर लिया जाएगा।
- 12.1.8 अग्रिम पर लगने वाले ब्याज की गणना संग्रहण अग्रिम के भुगतान वाली तारीख से लेकर चालू /अंतिम बिल के भुगतान से पहले वाली तारीख तक प्रत्येक वसूली किश्त पर की जाएगी।
- 12.1.9 जब संविदाकार को किसी चालू बिल के विरुद्ध अग्रिम राशि का भुगतान बिल से संग्रहण अग्रिम की किश्त की वसूली के बाद किया जाना हो तो अग्रिम भुगतान राशि पर लगने वाले ब्याज की गणना बिल पास किए जाने से पहले वाली तारीख तक की जाएगी।
- 12.1.10 यदि किसी अंतरिम बिल के भुगतान की राशि दिए गए सभी अग्रिमों के लिए की जाने वाली कटौतियों तथा अन्य कटौतियां के लिए पर्याप्त न हो तो शेष देय राशि की कटौती अगले बिलों से की जाएगी।

12.2 चालू बिलों का भुगतान

- 12.2.1 संविदाकार द्वारा पिछले माह निष्पादित किए गए कार्य के चालू बिल को समस्त सहायक दस्तावेजों के साथ निगम द्वारा विहित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद प्रभारी अभियंता इस बिल का सत्यापन कराने की व्यवस्था करेंगे।

defined in Schedule A) the Contractor will submit the bills in a soft form, which shall be in the format as required by the Engineer-in-charge.

12.2.2 Payment "On Account" for amount admissible shall be made upon the Engineer-in-Charge certifying the sum to which the Contractor is considered entitled by way of interim payment for the following:-

(a) For Works :All work executed, after deducting there from the amounts already paid, the retention money and such other amounts as may be deductible or recoverable in terms of the Contract.

(b) For Materials: The Contractor on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer-in-charge 75% percent of the cost (as assessed by the Engineer-in-Charge) of any materials which are in the opinion of the Engineer-in-Charge reasonably required in accordance with the Contract and have been brought to Site for incorporation in the Works and are safeguarded against loss due to any cause whatsoever to the satisfaction of the Engineer-in-Charge but have not been so incorporated. However, in case of perishable materials the Contractor shall provide an insurance cover for the full cost. No secured advance shall be payable on high risk material such as glass, sand, petrol/ diesel etc. The advance payments under this shall be adjusted as and when materials are utilised in the Works.

12.2.3 Payment of the Contractor's on account bill shall be made by the Corporation within 25 days from the date of submission of the bill by the Contractor along with all the supporting documents subject to the certification of the same by the Engineer-in-charge. If in the opinion of the Engineer-in-Charge it is likely to take more time for payment, an advance payment of 75% of the net bill amount shall be released to the Contractor, within 3 working days and balance payment shall be released within 30 days from the date of submission of bill.

12.2.4 Any interim bill paid, relating to work done or materials delivered, may be modified or corrected by any subsequent interim bills or by the final bill. Any Certificate of the Engineer-in-Charge supporting an interim payment shall not be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the Contract.

12.3 Over payments and Under Payments

12.3.1 Wherever any claim for the payment of a sum of money to the Corporation arises under this Contract against the Contractor, the same may be deducted from any sum due to the Contractor under this Contract or any other Contract with the Corporation or from his security deposit; or he shall pay the claim on demand.

12.3.2 The Corporation reserves the right to carry out post payment audit and technical examination of the final bill including all supporting vouchers, abstracts etc. The Corporation further reserves the right to enforce recovery of any overpayment when detected, notwithstanding the fact that the amount of the final bill may be included by one of the parties as an item of dispute before the dispute resolution board for this Contract.

जहां कहीं लागू हो (जैसा कि अनुसूची ए में बताया गया है) संविदाकार अपने बिलों को प्रभारी अभियंता द्वारा अपेक्षित प्रारूप के अनुसार सॉफ्ट प्रति के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

12.2.2 प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद संविदाकार को देय "ऑन एकाउंट" भुगतान राशि को अंतरिम भुगतान के रूप में निम्नलिखित तरीके से भुगतान किया जाएगा :-

- (ए) कार्यों के लिए : पहले भुगतान की जा चुकी राशि, प्रतिधारण राशि और संविदा की शर्तों के अनुसार अन्य कोई घटाई जाने वाली या वसूली जाने वाली राशि को घटाकर सभी निष्पादित कार्यों के लिए।
- (बी) सामग्री के लिए : प्रभारी अभियंता द्वारा विनिर्देशित तरीके से तैयार किए गए करारनामे पर संविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर कोई ऐसी सामग्री, जिसकी प्रभारी अभियंता की राय में संविदा के अनुसार तर्कसम्मत आवश्यकता है और जिसे कार्यों में शामिल करने के लिए कार्यस्थल पर लाया जा चुका है और जो किसी भी कारण से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुसार सुरक्षित की जा चुकी है परंतु अभी तक कार्य में शामिल नहीं की गई है, की कीमत (प्रभारी अभियंता के मूल्यांकन के अनुसार) का 75 %। तथापि खराब हो जाने वाली सामग्री के मामले में संविदाकार को पूरी कीमत का बीमा कवर उपलब्ध कराना होगा। उच्च जोखिम वाली सामग्री जैसे ग्लास, बालू, पेट्रोल/डीजल आदि के लिए कोई निश्चित प्रतिभूति अग्रिम देय नहीं होगा। इसके अधीन अग्रिम भुगतान को सामग्री का कार्य के लिए प्रयोग किए जाते समय समायोजन किया जाएगा।

12.2.3 संविदाकार के "ऑन एकाउंट" बिल का भुगतान संविदाकार द्वारा सभी संबंधित दस्तावेजों सहित बिल जमा करने और प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिल जमा करने के बाद से 25 दिनों के अंदर निगम द्वारा किया जाएगा। यदि प्रभारी अभियंता की राय में बिल के भुगतान में इससे अधिक समय लगने की संभावना हो तो 3 कार्यदिवसों के भीतर संविदाकार को अग्रिम के रूप में निवल बिल राशि की 75 % राशि रिलीज़ कर दी जाएगी और शेष राशि का भुगतान बिल जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

12.2.4 किए गए कार्य या सौंपी गई सामग्री से संबंधित किसी भी भुगतानकृत अंतरिम बिल को बाद में किसी भी अंतरिम बिल से या अंतिम बिल से संशोधित किया या सुधारा जा सकता है। प्रभारी अभियंता द्वारा अंतरिम भुगतान के समर्थन में जारी किया गया प्रमाणपत्र इस बात का अंतिम साक्ष्य नहीं माना जाएगा कि अमुक बिल से संबंधित कार्य या सामग्री संविदा के अनुरूप है/हैं।

12.3 अधिक भुगतान या कम भुगतान

12.3.1 इस संविदा के अधीन संविदाकार के विरुद्ध निगम को भुगतान की जाने वाली किसी राशि का जब कभी कोई दावा बने तो वह राशि संविदाकार को इस संविदा या निगम के अधीन किसी अन्य संविदा के अंतर्गत देय किसी राशि या उसकी प्रतिभू जमा राशि में से काटी जा सकती है ; अथवा मांगे जाने पर संविदाकार इस दावे का भुगतान करेगा।

12.3.2 निगम के पास सभी सहायक वाउचरों, सार संक्षेपों सहित अंतिम बिल का भुगतान पश्च लेखा परीक्षण व तकनीकी परीक्षण कराने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा अंतिम बिल को इस संविदा के विवाद समाधान बोर्ड के समक्ष दोनों में से किसी पक्ष द्वारा एक विवादित मुद्दा बनाए जा सकने की वास्तविकता के बावजूद भी ज्ञात होने पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का निगम का अधिकार सुरक्षित है।

- 12.3.3 If as a result of such audit and technical examination any overpayment is discovered in respect of any work done by the Contractor or alleged to have been done by him under the Contract, it shall be recovered by the Corporation from the Contractor by any or all of the legal methods prescribed above. If any under-payment is discovered, the amount shall be duly paid to the Contractor by the Corporation.
- 12.3.4 Provided that the aforesaid right of the Corporation to adjust over payments against amounts due to the Contractor under any other Contract with the Corporation shall not extend beyond the period of three years from the date of payment of the final bill or in case the final bill is a MINUS bill, from the date the amount payable by the Contractor under the MINUS final bill is communicated to the Contractor.
- 12.3.5 Any amount due to the Contractor under this Contract for under-payment may be adjusted against any amount then due or which may at any time thereafter become due before payment is made to the Contractor, from him to the Corporation on any other Contract or account whatsoever.

12.4 Time limit for Payment of Final Bill

- 12.4.1 The final bill shall be submitted by the Contractor within 90 days of physical completion of the works. Payment of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and at rates as approved by the Engineer-in-Charge, shall be made within the period specified hereunder. The period shall be reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in-Charge along with the all acceptable supporting documents.
- (i) If the tendered value of work is upto Rs. 5 Crores : 3 months
 - (ii) If the tendered value of work exceeds Rs. 5 Crores : 6 months
- 12.4.2 The engineer-in-charge shall intimate for, if any, corrections in the final bill to Contractor. The Contractor should re-submit the bill, with corrections within the 30 days of its return by the Engineer-in-charge. The re-submitted bill will be checked and paid within the period as indicated in sub-clause 12.4.1 (i) and (ii) above (as the case may be).
- 12.4.3 After payment of the amount of the final bill as aforesaid has been made, the Contractor may, if he so desires, reconsider his position in respect of the disputed portion of the final bill and if he fails to do so within 90 days, his disputed claim shall be dealt with as provided in the Contract.

12.5 Delayed Payment

- 12.5.1 Interest at a pre-specified rate (as defined in Schedule A) shall be paid on the balance amount of the bill if not paid within the time limit specified for running and final bills as specified in sub-clause 12.2 and sub-clause 12.4 respectively. Disputed portion of bill (if any) will not attract any interest.

- 12.3.3 यदि इस प्रकार के लेखा व तकनीकी परीक्षणों से इस संविदा के अंतर्गत संविदाकार द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए अधिक भुगतान किए जाने या उसके द्वारा लिए जाने के आरोप का मामला सामने आता है तो उपर्युक्त वर्णित सभी या किसी एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निगम द्वारा संविदाकार से इसकी वसूली की जाएगी। यदि कोई कम भुगतान किए जाने के मामले का पता चलता है तो निगम द्वारा वह राशि संविदाकार को विधिवत् भुगतान की जाएगी।
- 12.3.4 बशर्ते कि निगम के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार द्वारा देय अधिक भुगतान की गई राशि के समायोजन का निगम का उपर्युक्त अधिकार अंतिम बिल भुगतान किए जाने की तारीख से अथवा यदि अंतिम बिल ऋणात्मक बिल हो तो संविदाकार को इस ऋणात्मक बिल के भुगतान के लिए जारी की गई सूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि से अधिक न हो।
- 12.3.5 कम भुगतान किए जाने की स्थिति में संविदाकार को देय राशि को, उस समय संविदाकार के ऊपर बकाया किसी राशि अथवा इसके बाद संविदाकार को भुगतान किए जाने से पहले किसी भी समय यदि किसी अन्य संविदा या खाते के अंतर्गत संविदाकार द्वारा निगम को किसी राशि का भुगतान किया जाना हो तो, उसके साथ समायोजित किया जाएगा।

12.4 अंतिम बिल के भुगतान की समय सीमा

- 12.4.1 संविदाकार, कार्य के वास्तविक समापन के 90 दिनों के भीतर अंतिम बिल प्रस्तुत करेंगे। बिल की गैर-विवादित मदों और विवादित मदों के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित मात्रा व दरों के आधार पर आगे विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान किया जाएगा। इस अवधि का प्रारंभ संविदाकार द्वारा सभी स्वीकारयोग्य दस्तावेजों सहित अंतिम बिल को प्रभारी अभियंता के पास जमा किए जाने वाली तारीख से माना जाएगा।

(i) 5 करोड़ रुपए तक के मूल्य वाली निविदाओं के लिए : 3 माह

(ii) 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली निविदाओं के लिए : 6 माह

- 12.4.2 यदि अंतिम बिल में कोई सुधार किया जाना हो तो प्रभारी अभियंता संविदाकार को इसकी सूचना देंगे। संविदाकार इस बिल में संशोधन कर इसे प्रभारी अभियंता द्वारा वापस किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनः प्रस्तुत करेंगे। इस पुनः प्रस्तुत किए गए बिल की जांच की जाएगी और उपर्युक्त उपखण्ड 12.4.1(i) व (ii) (जैसा भी मामला हो) में वर्णित अवधि के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा।

- 12.4.3 उपर्युक्त विधि से अंतिम बिल के भुगतान के बाद संविदाकार यदि चाहे तो अंतिम बिल के विवादित भाग के बारे में अपनी स्थिति पर पुनः विचार कर सकता है और यदि वह 90 दिनों के भीतर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके विवादित दावे पर संविदा के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

12.5 विलंबित भुगतान

- 12.5.1 यदि चालू और अंतिम बिलों का भुगतान क्रमशः उप खण्ड 12.2 एवं 12.4 में वर्णित समय-अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो शेष देय राशि पर पूर्व-विनिर्दिष्ट दर (अनुसूची ए की परिभाषा के अनुसार) से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। बिल के विवादित भाग (यदि कोई हो तो) के लिए कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

13 CONTRACT TERMINATION BY CORPORATION

13.1 Foreclosure of contract

- 13.1.1 If at any time after acceptance of the tender / during execution of work the Corporation shall decide to abandon or reduce the scope of the works for any reason whatsoever and hence not require the whole or any part of the works to be carried out, the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the Contractor and the Contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full, but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.
- 13.1.2 The Contractor shall be paid at contract rates full amount for works executed at Site, on submission of the claim and review & approval of the claim by the Engineer-in-Charge.
- 13.1.3 The Corporation may in addition to above, compensate a reasonable amount to the Contractor on mutual agreement basis based on submission of the claim and review of the claim by the Engineer-in-Charge.

13.2 Determination/Cancellation of Contract

13.2.1 If the Contractor :

- (a) at any time makes default in proceeding with the works with due diligence and continues to do so after 7 days notice in writing from the Engineer-in-Charge; or
- (b) commits default in complying with any of the terms and conditions of the Contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge; or
- (c) fails to complete the works or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) of completion, and does not complete them within the period specified in a notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge; or
- (d) shall offer, or give or agree to give to any person in the Corporation's service or to any other person on his behalf any gift, bribe, gratuity, commission, other thing of value or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other Contract for the Corporation; or
- (e) shall enter into a contract with the Corporation in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have previously been disclosed in writing to the Accepting Authority/Engineer-in-Charge; or
- (f) shall obtain a Contract with the Corporation as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering; or

13 निगम द्वारा संविदा निरस्त करना

13.1 संविदा का समयपूर्व समापन

13.1.1 यदि निविदा के स्वीकार किए जाने/कार्य निष्पादन के दौरान किन्हीं कारणों से निगम कार्य को बंद करने अथवा सीमित करने का निर्णय लेता है और जिसके कारण कार्य या उसके किसी भाग को जारी रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो प्रभारी अभियंता संविदाकार को इस आशय का नोटिस देंगे और संविदाकार, इस संविदा को पूर्ण रूप से निष्पादित करने पर जो भी लाभ या फायदा प्राप्त करते परंतु इस कार्य का पूर्वसमापन किए जाने के कारण उसे वह लाभ न होने की क्षतिपूर्ति के किसी दावे के हकदार नहीं होंगे।

13.1.2 संविदाकार द्वारा दावा प्रस्तुत किए जाने और उस दावे की प्रभारी अभियंता द्वारा समीक्षा व अनुमोदन किए जाने पर कार्य स्थल पर संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जा चुके कार्य के लिए संविदा की दरों पर पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।

13.1.3 उपर्युक्त के साथ-साथ संविदाकार द्वारा दावा प्रस्तुत किए जाने और प्रभारी अभियंता द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद संविदाकार को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आपसी सहमति के आधार पर तय की गई औचित्यपूर्ण राशि का भुगतान किया जा सकता है।

13.2 संविदा का परिनिर्धारण/निरस्तीकरण

13.2.1 यदि संविदाकार :

- (ए) किसी भी समय अपने कार्य को वांछित अध्यवसायपूर्वक निष्पादित न करने का दोषी पाया जाता है और प्रभारी अभियंता द्वारा 7 दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद भी लगातार ऐसी गलतियां करता रहता है ; या
- (बी) संविदा के किन्हीं निबंधन व शर्तों का अनुपालन न करने का दोषी पाया जाता है और इन गलतियों में सुधार नहीं करता है या प्रभारी अभियंता द्वारा 7 दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी सुधार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है ; या
- (सी) कार्य को पूर्ण करने में या कार्य की मदों को तारीखवार कार्यपूर्णता तारीख (खों) पर या उससे पहले पूर्ण करने में असफल रहता है और इस संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा एक नोटिस के माध्यम से दी गई विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्ण नहीं करता है ; या
- (डी) निगम की सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को कोई उपहार, घूस, उपदान, कमीशन, या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु या किसी प्रकार का विशेष महत्व का प्रलोभन या कार्य करने या कार्य करने के लिए तैयार होने या कार्य कर देने पर या निगम की इस संविदा या किसी अन्य संविदा को दिलाने या निष्पादन कराने से संबंधित किसी कार्य के लिए तत्पर होने के लिए पारितोषिक का प्रस्ताव, या प्रदान या प्रदान करने के लिए सहमत होगा; या
- (ई) निगम के साथ कोई ऐसी संविदा करता है जिसमें ऐसे कमीशन का भुगतान किया गया है या उसके द्वारा या उसकी जानकारी में भुगतान किए जाने की सहमति हुई है जिसमें उस कमीशन और उसके भुगतान के निबंधनों और शर्तों के बारे में स्वीकृति प्राधिकारी/प्रभारी अभियंता को लिखित में पूर्वसूचित न किया गया हो ; या
- (एफ) गलत निविदा या प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के अन्य अमान्य तरीके अपनाने के परिणामस्वरूप निगम के साथ संविदा प्राप्त की गई हो ; या

- (g) being an individual, or if a firm, any partner thereof, shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for purpose of amalgamation or reconstruction) under any insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors; or
- (h) being a company, shall pass a resolution or the Court shall make an order for the liquidation of its affairs, or a receiver or manager on behalf of the debenture holders shall be appointed or circumstances shall arise which entitle the Court or debenture holders to appoint a receiver or manager; or
- (i) shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days; or
- (j) assigns, transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work shall not be deemed to be subletting) or attempts to assign, transfer or sublet the entire works or any portion thereof without the prior written approval of the Engineer-in-Charge; or
- (k) indulges in criminal proceedings / activities with the employees of the Corporation or any other sub contractor;
the Engineer-in-charge may, upon giving 7 days' notice to the Contractor, terminate the Contract and expel the Contractor from the Site. The Corporation's election to terminate the Contract shall not prejudice any other rights of the Corporation, under the Contract or otherwise.

13.2.2 The Engineer-in-charge shall on such determination / cancellation have powers to:

- (a) take possession of the Site and any materials, constructional plant, implements, stores, etc. thereon; and /or
- (b) carry out the incomplete work by any means at the risk and cost of the Contractor.

13.2.3 On giving a notice to the Contractor, the Engineer-in-Charge by virtue of the powers vested in him can;

- (a) take possession of or
- (b) use as on hire

all or any tools, plants, materials and stores, in or upon the works or the Site thereof belonging to the Contractor and intended to be used for the execution of the works or any part thereof.

The payments for the above would be as per the contract rates or in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof shall be final, and binding on the Contractor.

- (जी) व्यक्तिगत रूप से या यदि फर्म है तो उसके भागीदार को किसी भी समय दीवालिया घोषित कर दिया जाए या उसकी परिसंपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए या उसके प्रशासन का आदेश पारित कर दिया जाए या तत्समय प्रभावी किसी दीवालिया कानून के अधीन परिसमापन या प्रशमन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए (समामेलन या पुनर्गठन के लिए स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा) या स्वयं की सहूलियत या हितों के समनुदेशन या अपने ऋणदाताओं के लाभ के लिए प्रशमन या व्यवस्था करे या ऐसा करने का तात्पर्य हो या तत्समय लागू किसी दीवालिया कानून के अंतर्गत उसकी परिसंपत्तियों की जब्ती का कोई आवेदन किया गया हो या उसके ऋणदाताओं के लाभ के लिए कोई ट्रस्ट विलेख किया जाए ; या
- (एच) कंपनी होने के नाते, कोई संकल्प पारित किया जाए या न्यायालय द्वारा कंपनी के मामलात के परिसमापन का आदेश पारित किया जाए, या डिबेंचर धारकों की तरफ से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाए या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिनके कारण न्यायालय या डिबेंचर धारकों को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करना पड़े ; या
- (आई) उसके सामान पर शुल्क तामील हो जाए और यह 21 दिनों की अवधि तक लगा रहे ; या
- (जे) प्रभारी अभियंता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बगैर कार्य या कार्य के किसी भाग को सौंपने, अंतरण करने, किराए पर देने (प्रति-कार्य आधार पर मजदूरों को काम पर लगाना या सामग्री सहित मजदूरों को काम पर न लगाया जाना काम को किराए पर देना नहीं माना जाएगा) या सौंपने, अंतरण करने या किराए पर देने का प्रयास करे ; या
- (के) निगम के कर्मचारियों या किसी अन्य उप संविदाकार के कर्मचारियों के साथ आपराधिक प्रवृत्तियों/गतिविधियों में लिप्त हो जाता है ;
तो प्रभारी अभियंता संविदाकार को 7 दिनों का नोटिस देकर संविदा को निरस्त कर सकते हैं और
संविदाकार को कार्यस्थल से निष्कासित कर सकते हैं। निगम द्वारा संविदा को निरस्त करने के चयन से इस संविदा के अधीन या अन्यथा निगम के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13.2.2 ऐसे परिनिर्धारण/निरस्तीकरण के बाद प्रभारी अभियंता को अधिकार होगा कि वे :

- (ए) कार्यस्थल और किसी सामग्री, निर्माण संयंत्र, लगाए जाने वाले उपकरण, भंडार आदि को उस समय से अपने कब्जे में ले लें; और/या
- (बी) अपूर्ण कार्य को संविदाकार के जोखिम व खर्च पर किसी भी तरह पूरा करवाएं।

13.2.3 संविदाकार को नोटिस दिए जाने के बाद, प्रभारी अभियंता उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर ;

कार्य में या कार्य के लिए प्रयुक्त या कार्यस्थल पर लगे या कार्य और कार्य के किसी भाग के निष्पादन के लिए संविदाकार के सभी या किन्हीं औजारों, संयंत्रों, सामग्री व भंडार का

(ए) कब्जा ले सकते हैं या

(बी) किराए पर लेने की तरह प्रयोग कर सकते हैं

उपर्युक्त का भुगतान संविदा की दरों के आधार पर किया जाएगा या यदि यह लागू न हो तो प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित करने के बाद तत्कालीन बाजार दर पर किया जाएगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा व संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

13.2.4 Otherwise the Engineer-in-Charge may order the Contractor to remove such tools, plant, materials or stores from the premises. If the Contractor fails to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge may remove them at the Contractor's expense or sell them on account of the Contractor and his risk in all respects.

In such case, the certificate of the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expense of any such sale shall be final and conclusive against the Contractor.

13.2.5 On determination/ cancellation of the Contract in full or in part, the Engineer-in-charge shall determine what amount, if any, is recoverable from the Contractor for completion of works or part of the works or in case the works or part of the works is not completed, the loss or damage suffered by the Corporation. In determining the amount, credit shall be given to the Contractor for the value of the work executed by him upto the time of cancellation, the value of Contractor's material taken over and incorporated in the work, and use of tools, tackles and machinery belonging to the Contractor.

13.2.6 Any excess expenditure incurred or to be incurred by the Corporation in completing the works or part of the works or the loss or damage suffered or may be suffered by the Corporation as aforesaid after allowing such credit shall be recovered from any money due to the Contractor on any account, and if such money is not sufficient the Contractor shall be called upon in writing to pay the same within 30 days.

13.2.7 If the Contractor shall fail to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer-in-Charge shall have the right to retain any or all of the Contractor's unused materials, construction plant, implements, temporary buildings etc. till the balance outstanding from the Contractor is recovered in accordance with the provisions of the Contract.

13.2.8 In the event of anyone or more of the above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the Contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the Contract. In case action is taken under any of the provision aforesaid, the Contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually executed under this Contract unless and until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid so certified.

13.2.9. Any sums in excess of the amounts due to the Corporation and unsold materials, construction plant, etc, shall be returned to the Contractor, provided, always that the cost or anticipated cost of completion by the Corporation of the works or part of the works is less than the amount which the Contractor would have been paid had he

- 13.2.4 अन्यथा प्रभारी अभियंता संविदाकार को इन सभी औजारों, संयंत्र, सामग्री या भंडार को उस क्षेत्र से हटाने का आदेश दे सकते हैं। यदि संविदाकार ऐसी किसी आवश्यकता को पूर्ण करने में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता को यह सामान हटवाने या संविदाकार की ओर से व उसके जोखिम पर बेचने का हर प्रकार से अधिकार होगा।
ऐसे मामलों में इस प्रकार सामान हटाने पर किए गए व्यय और इसकी बिक्री से प्राप्त धन व खर्च के बारे में प्रभारी अभियंता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र संविदाकार के लिए अंतिम व निर्धारक होगा।
- 13.2.5 ऐसी संविदा के पूर्णरूपेण या उसके किसी भाग के परिनिर्धारण/निरस्तीकरण किए जाने पर प्रभारी अभियंता उस पूरे कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने के लिए अथवा यदि कार्य या उसके किसी भाग का कार्य पूर्ण न किया गया हो तो इसके कारण निगम को होने वाले नुकसान या क्षति के लिए संविदाकार से वसूलीयोग्य राशि का परिनिर्धारण करेंगे। इस राशि का निर्धारण करते समय निरस्त किए जाने तक संविदाकार द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्य, संविदाकार की जब्त की गई व कार्य में प्रयोग की गई सामग्री और उपयोग में लाए गए संविदाकार के औजारों व मशीनरी आदि के मूल्य का भी हिसाब लगाया जाएगा।
- 13.2.6 उपर्युक्त प्रकार से हिसाब लगाने के बाद कार्य या उसके किसी भाग को पूर्ण करने के लिए अथवा निगम को हुए अथवा संभावित नुकसान या क्षति की वसूली संविदाकार को किसी भी प्रकार की देय किसी राशि में से की जाएगी और यदि यह राशि पर्याप्त नहीं होती है तो संविदाकार को इस राशि को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
- 13.2.7 यदि संविदाकार उपर्युक्त 30 दिनों की अवधि में वांछित भुगतान करने में असफल रहता है तो जब तक संविदा के प्रावधानों के अनुसार संविदाकार से वसूल की जाने वाली शेष राशि प्राप्त न हो जाए, तब तक के लिए प्रभारी अभियंता को संविदाकार की अप्रयुक्त किसी या समस्त सामग्री, निर्माण संयंत्र, औजार, अस्थाई भवन आदि को जब्त करने का अधिकार होगा।
- 13.2.8 यदि प्रभारी अभियंता द्वारा उपर्युक्त में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं तो संविदाकार, किसी सामग्री की खरीददारी या प्रापण अथवा कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए किए गए किसी करार या संविदा के लिए दिए गए किसी अग्रिम आदि संबंधी किसी नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा। यदि उपर्युक्त किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाती है तो संविदाकार को, इस संबंध में किए गए अथवा इस संविदा के अधीन निष्पादित किसी कार्य के लिए किसी राशि की वसूली या भुगतान का प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य का निष्पादन और भुगतान योग्य मूल्य का लिखित प्रमाणन किए जाने तक अधिकार नहीं होगा और वह केवल प्रमाणित धनराशि का भुगतान पाने का ही हकदार होगा।
- 13.2.9 निगम को देय किसी राशि से अधिक राशि और बेची न गई सामग्री, निर्माण संयंत्र आदि संविदाकार को वापस किए जाएंगे बशर्ते कि निगम द्वारा पूर्ण कराए जाने वाले कार्य या कार्य के भाग की कीमत इस कार्य को संविदाकार द्वारा पूर्ण किए जाने पर उसे भुगतान की जाने वाली कीमत से हर हालत में कम हो। यह लाभ संविदाकार को प्रोद्भूत नहीं किया जाएगा।

completed the works or part of the works, such benefit shall not accrue to the Contractor.

13.2.10 In case any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by this clause become exercisable and the same are not exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the Contractor and the liability of the Contractor for compensation shall remain unaffected.

13.3 Termination of Contract on death

13.3.1 If the Contractor is an individual or a proprietary concern and the individual or the proprietor dies and if the Contractor is a partnership concern and one of the partners dies, then, unless the Engineer-in-Charge is satisfied that the legal representatives of the individual Contractor or of the proprietor of the proprietary concern and in the case of partnership, the surviving partners, are capable of carrying out and completing the Contract, the Engineer-in-Charge shall be entitled to cancel the Contract as to its incomplete part without the Corporation being in any way liable to payment of any compensation to the estate of the deceased Contractor and /or to the surviving partners of the Contractor's firm on account of the cancellation of the contract.

13.3.2 The decision of the Engineer-in-Charge that the legal representatives of the deceased Contractor or the surviving partners of the Contractor's firm cannot carry out and complete the Contract shall be final and binding on the parties in the event of such cancellation, the Corporation shall not hold the estate of the deceased Contractor and/or the surviving partners of the Contractor's firm liable for damages for not completing the Contract.

14 RISK AND RESPONSIBILITY

14.1 Liability for damage, defects or imperfections and rectifications thereof

14.1.1 If the Contractor or his workman or employees shall injure or destroy any part of the building in which they may be working or any building, road, fence, etc. contiguous to the premises on which the work or any part of it is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, the Contractor shall, upon receipt of a notice in writing in that behalf make the same good at his own expense.

14.1.2 If it shall appear to the Engineer-in-Charge or his Representative at any time during construction or re-construction or prior to the expiration of the Defects Liability Period, that any work has been executed with unsound, imperfect or unskilled workmanship or that any materials or articles provided by the Contractor for execution of the work are not in accordance with the Contract, the contractor shall forthwith rectify or remove and re-construct the work so specified in whole or in part within the time limit specified by the Engineer-in-charge.

13.2.10 यदि इस खण्ड द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रदत्त शक्तियां प्रयोगयोग्य हो जाती हैं और उनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन शक्तियों का प्रयोग न किया जाना इनमें से किन्हीं शर्तों का माफ किया जाना नहीं माना जाएगा और भविष्य में संविदाकार द्वारा की गई किसी गलती के लिए इनका प्रयोगयोग्य होना समाप्त नहीं होगा और क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकार की बाध्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13.3 मृत्यु होने की दशा में संविदा की समाप्ति

13.3.1 यदि संविदाकार कोई व्यक्ति या स्वामित्व फर्म है और यदि उस व्यक्ति या स्वामी की मृत्यु हो जाती है और यदि संविदाकार कोई साझेदारी फर्म है और उसके किसी एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो जब तक कि प्रभारी अभियंता संतुष्ट नहीं होते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उस संविदाकार या स्वामित्व फर्म का कानूनी प्रतिनिधि और साझेदारी फर्म के मामले में जीवित भागीदार, इस संविदा को चलाने व पूर्ण करने में सक्षम है, प्रभारी अभियंता को संविदाकार्य के शेष भाग को रद्द करने का अधिकार होगा और निगम किसी भी प्रकार से दिवंगत संविदाकार के उत्तराधिकारी को और/या संविदाकार की फर्म के जीवित भागीदार को संविदा के रद्द किए जाने के कारण किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा।

13.3.2 दिवंगत संविदाकार के कानूनी प्रतिनिधि या संविदाकार की फर्म के भागीदार का संविदा को चलाने व पूर्ण करने में सक्षम न होने का प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। संविदा को इस प्रकार रद्द किए जाने पर निगम दिवंगत संविदाकार के उत्तराधिकारी और/या संविदाकार की फर्म के जीवित भागीदार को संविदा पूर्ण न किए जाने की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

14 जोखिम व जिम्मेदारी

14.1 क्षति, दोष या कमी और उसे दूर करने की जिम्मेदारी

14.1.1 यदि संविदाकार या उसके कामगार या कर्मचारी, जिस भवन में कार्य कर रहे हैं उस भवन के किसी भाग या कार्य या कार्य के किसी भाग को निष्पादित किए जाने वाले परिसर के निकट स्थित किसी भवन, सड़क, चारदिवारी आदि को नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं या कार्य के दौरान कोई क्षति हो जाती है तो संविदाकार इस संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त होने पर उसे अपने खर्च पर दुरुस्त कराएंगे।

14.1.2 यदि निर्माण के दौरान या पुर्ननिर्माण के दौरान या दोष बाध्यता अवधि के समाप्त होने से पहले किसी भी समय प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रतीत होता है कि कार्य को सफाई से, ठीक प्रकार से या कुशलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया गया है या संविदाकार द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराई गई कोई सामग्री या वस्तु संविदा के अनुरूप नहीं है तो संविदाकार तत्काल ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को पूर्णरूपेण या उसके किसी भाग को प्रभारी अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सुधारेंगे या उसे हटाएंगे।

- 14.1.3 Failing which, the Engineer-in-Charge may rectify or remove and re-execute the work and/or remove and replace with others, the materials or articles complained of, as the case may be, by other means at the risk and expense of the Contractor.
- 14.1.4 In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the competent authority may consider reasonable during the preparation of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment.
- 14.1.5 In case of repairs and maintenance works, splashes and droppings from white washing, painting etc; shall be removed and surfaces cleaned simultaneously with completion of these items of work in individual rooms, quarters or premises, etc. where the work is done, without waiting for completion of all other items of work in the Contract. In case the Contractor fails to comply with the requirements of this clause, the Engineer-in-Charge shall have the right to get the work done by other means at the cost of the Contractor. Before taking such action however, the Engineer-in-Charge shall give 3 days notice in writing to the Contractor.

15 INSURANCE

15.1 General Requirements for Insurances

- 15.1.1 The Contractor shall provide in the joint names of the Corporation and the Contractor, insurance cover from the date of commencement of work to the end of the Defects Liability Period. The Contractor is liable to take Contractor's all risk policy for the whole contract value. The insurance amount shall also cover third party liability to the extent, if any as specified in Schedule A. In addition to this the contractor shall also take Workmen Compensation Policy for workmen.
- 15.1.2 Policies /certificates of insurance shall be delivered in original by the Contractor to the Engineer-in-charge before the date of commencement of work. In case of failure by the Contractor, no payment against the running bill shall be released till the submission of the policies / certificates of insurance. All such insurances shall provide for compensation to be payable in the types and proportions for which these policies are intended.
- 15.1.3 The Contractor shall provide premium receipts to the Engineer-in-Charge from time to time, as a proof that he has paid the necessary premiums for keeping the policies alive till expiry of the Defects Liability Period.
- 15.1.4 The Contractor shall ensure that similar insurance policies are taken out by his Sub-Contractors(if any) and shall be responsible for any claims or losses to the Corporation resulting from their failure to obtain adequate insurance protection in connection thereof. The Contractor shall produce or cause to be produced by his Sub-Contractors (if any) as the case may be, the relevant policy or policies and premium receipts as and when required by the Engineer-in-Charge.

- 14.1.3 ऐसा न होने पर प्रभारी अभियंता, जैसा मामला हो, अन्य साधनों की सहायता से, संविदाकार के खर्च व जोखिम पर, उस कार्य को ठीक करवा या हटवा सकते हैं और कार्य को पुनः निष्पादित और/अथवा शिकायत वाली सामग्री या वस्तुओं को हटवा कर अन्य सामग्री या वस्तुओं को लगवा सकते हैं।
- 14.1.4 ऐसे मामलों में "ऑन एकाउंट बिल" या अंतिम बिल तैयार करते समय प्रभारी अभियंता, संविदा के अधीन कार्य की लागू मद दर को स्वीकार न कर इन मदों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त मानी गई कमतर दरों को, यदि वे मर्दान् संरक्षा के लिए खतरा न हों और मद व ढांचे की उपयोगिता देखते हुए स्वीकार कर सकते हैं अथवा वह कार्य को बगैर किसी भुगतान के पूर्णरूपेण निरस्त कर सकते हैं।
- 14.1.5 मरम्मत व अनुरक्षण कार्यों में पुताई व रंगाई करते समय फैलने व छिटकने वाले रंग-रोगन आदि को कमरों, क्वार्टरों व परिसरों, जहां पर कार्य किया जा रहा हो वहां से मदवार कार्य समाप्त करने के साथ-साथ ही संविदा के अन्य कार्यों को समाप्त करने तक प्रतीक्षा किए बगैर हटाया जाएगा व सतह को साफ किया जाएगा। यदि संविदाकार इस खण्ड के अनुपालन में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता को यह कार्य संविदाकार के खर्च पर किसी अन्य माध्यम से करवाने का अधिकार होगा। तथापि ऐसी कार्रवाई करने से पहले प्रभारी अभियंता संविदाकार को 3 दिनों का लिखित नोटिस देंगे।

15. बीमा

15.1 बीमों के लिए सामान्य आवश्यकताएं

- 15.1.1 संविदाकार अपने व निगम के संयुक्त नाम पर कार्य प्रारंभ होने की तारीख से दोष बाध्यता अवधि तक के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। संविदाकार के लिए संविदा की कुल कीमत के लिए समस्त जोखिम पॉलिसी लेना अनिवार्य है। इस बीमा राशि में जिस सीमा तक अनुसूची ए में विनिर्दिष्ट हो उस सीमा तक तीसरे पक्ष की बाध्यताओं के लिए भी सुरक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त संविदाकार को अपने कामगारों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी भी लेनी होगी।
- 15.1.2 कार्य प्रारंभ करने से पहले संविदाकार बीमा की पॉलिसी/प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेंगे। यदि संविदाकार ऐसा नहीं करते हैं तो पॉलिसी/ प्रमाणपत्र जमा किए बगैर संविदाकार को उनके चालू बिलों के विरुद्ध किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये सभी बीमे उस प्रकार और अनुपात में क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे जिनके लिए ये पॉलिसी ली गई हैं।
- 15.1.3 संविदाकार इन पॉलिसियों को दोष बाध्यता अवधि तक चलाते रहने के साक्ष्य स्वरूप प्रीमियमों के भुगतान की रसीदों को प्रभारी अभियंता के पास समय-समय पर जमा करेंगे।
- 15.1.4 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उनके उप संविदाकारों (यदि कोई हो तो) द्वारा भी इसी प्रकार की पॉलिसी कराई गई हैं और संबंधित पर्याप्त बीमा सुरक्षा के अभाव के कारण निगम पर किए जाने वाले किसी दावे या नुकसान के जिम्मेदार होंगे। प्रभारी अभियंता द्वारा मांगे जाने पर अपने उप संविदाकारों (यदि कोई हो तो) द्वारा संबंधित बीमा पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदों को उपलब्ध कराने या करवाने के लिए संविदाकार जिम्मेदार होंगे।

15.1.5 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Engineer-in-charge.

15.1.6 Both parties shall comply with all conditions of the insurance policies.

15.1.7 All risks of loss of or damage to physical property and of personal injury and death which arise during and in consequence of the execution of the Contract shall be the responsibility of the Contractor. However this shall not include excepted risks which are not covered under the above said insurance policies. All consequential loss with reference to insurance claims shall be borne by the contractor.

16 FORCE MAJEURE

16.1 Definition of Force Majeure

16.1.1 In this Clause, "Force Majeure" means an exceptional event or circumstance:

- a) Which is beyond a Party's control,
- b) Which such Party could not reasonably have provided against before entering into the Contract,
- c) Which, having arisen, such Party could not reasonably have avoided or overcome, and
- d) Which is not substantially attributable to the other Party.

Force Majeure may include, but is not limited to, exceptional events or circumstances of the kind listed below, so long as conditions (a) to (d) above are satisfied:

- i. war, hostilities (whether war be declared or not), invasion, act of foreign enemies,
- ii. rebellion, terrorism, revolution, insurrection, military or usurped power, or civil war,
- iii. riot, commotion, disorder, strike or lockout by persons other than the Contractor's Personnel,
- iv. munitions of war, explosive materials, ionising radiation or contamination by radio-activity, except as may be attributable to the Contractor's use of such munitions, explosives, radiation or radio-activity, and
- v. natural catastrophes such as earthquake, hurricane, typhoon, tsunami or volcanic activity.

16.2 Consequence of Force Majeure

16.2.1 If the Contractor is prevented from performing its substantial obligations under the Contract by Force Majeure, and suffers delay and/or incurs Cost by reason of such Force Majeure, the Contractor may be eligible to

- (a) An extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 7.6 [Extension of Time for Completion], and

15.1.5 प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के बगैर बीमा की शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।

15.1.6 दोनों पक्ष बीमा की सभी शर्तों का अनुपालन करेंगे।

15.1.7 वास्तविक संपत्ति को होने वाले सभी जोखिमों या नुकसान और संविदा के निष्पादन के दौरान और परिणामस्वरूप लोगों को लगने वाली चोटों व मृत्यु आदि संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। तथापि जो संभावित जोखिम उपर्युक्त बीमा पॉलिसी के सुरक्षा दायरे से बाहर हों, इसमें शामिल नहीं हैं। बीमा दावों से संबंधित सभी प्रकार की परिणामी क्षति संविदाकार द्वारा पूरी की जाएगी।

16. अपरिहार्यताएं

16.1 अपरिहार्यता की परिभाषा

16.1.1 इस खण्ड में "अपरिहार्यता" से तात्पर्य एक अपवादस्वरूप घटना या परिस्थिति से है जो ;

- ए) किसी पक्ष के नियंत्रण से परे है।
 - बी) जिसका पार्टी द्वारा संविदा करने से पहले तार्किक रूप से प्रावधान नहीं किया जा सकता था।
 - सी) जिसे ऐसी घटना हो जाने के बाद पार्टी द्वारा तार्किक रूप से बचाया नहीं जा सकता था या दूर नहीं किया जा सकता था।
 - डी) जिसके लिए स्पष्टतया किसी दूसरी पार्टी को दोषी नहीं माना जा सकता।
- उपर्युक्त (ए) से (डी) तक की शर्तें पूरी होने की स्थिति में अपरिहार्यता में निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों को शामिल किया जा सकता है परंतु यह मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं है :
- i. युद्ध, आक्रमण (युद्ध घोषित किया गया हो या न किया गया हो), चढ़ाई, विदेशी शत्रुओं द्वारा किया जाने वाला कृत्य।
 - ii. विद्रोह, आतंकवाद, क्रांति, विघटनकारी कार्रवाई, सैनिक या सत्ता हथियाना, या गृहयुद्ध।
 - iii. दंगा, संक्षोभ, अराजकता, हड़ताल या संविदाकार के कामगारों के अलावा अन्य लोगों द्वारा तालेबंदी।
 - iv. युद्ध सामग्री, विस्फोटक सामग्री, आयनीकरण विकिरण या रेडियो सक्रियता द्वारा संदूषण, सिवाय तब जबकि ऐसी युद्ध सामग्री, विस्फोटक, विकिरण या रेडियो सक्रियता संविदाकार के कारण हो।
 - v. प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान, चक्रवात, सुनामी या ज्वालामुखी गतिविधियां।

16.2 अपरिहार्यता के परिणाम

16.2.1 यदि अपरिहार्यता के कारण संविदाकार को इस संविदा के अधीन अपने प्रमुख कार्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचती है और उसे ऐसी अपरिहार्यता के कारण विलंब और/अथवा धन व्यय होता है तो संविदाकार निम्नलिखित का हकदार माना जा सकता है :

- (ए) यदि उप-खण्ड 7.6 (कार्यपूर्णता समय का विस्तार) के अधीन कार्यपूर्णता विलंबित होती है या विलंबित होने वाली हो तो ऐसे विलंब के लिए समय का विस्तार और

- (b) if the event or circumstance is of the kind described in sub-paragraphs (a) to (d) of Sub-Clause 16.1 [Definition of Force Majeure] and, in the case of sub-paragraphs (i) to (v), occurs in the Country, payment of any such costs of rectifying or replacing the Works and/or Goods damaged or destructed by Force Majeure, to the extent they are not indemnified through the insurance policy referred to in Clause 15 [Insurance].

16.2.2 The Contractor shall, as may be directed in writing by the Engineer-in-Charge, remove from the Site any debris and so much of the Works as shall have been damaged, taking to the Corporation's store such Corporation's T&P, articles and/or materials as may be directed.

16.3 Duty to Minimise Delay

16.3.1 The Contractor shall, as may be directed in writing by the Engineer-in-Charge, proceed with the erection and completion of the Works under and in accordance with the provisions and conditions of the Contract.

16.3.2 Each Party shall at all times use all reasonable endeavours to minimise any delay in the executing of the Contract as a result of Force Majeure. A Party shall give notice to the other Party when it ceases to be affected by the Force Majeure.

17 CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION

17.1 Contractor's Claims

17.1.1 The Contractor may be granted extension of time and compensation under the following delay events, for the portion of delay attributable to Corporation :

- (a) if the Contractor suffers delay as a result of failure by the Corporation to give right or possession of site as per the sub-clause 2.1 (Possession of site),
- (b) if the Contractor suffers delay from executing the work due to error or incorrect data furnished by the Engineer-in-charge, as per the clause 4.6 (Setting out the work)
- (c) if there is a substantial delay in issue of drawings by the Corporation and affects the progress of work.
- (d) if there is a substantial delay in issue of material agreed as per the contract to be supplied by Corporation and affects the progress of work

17.1.2 The contractor shall be eligible, based on reported and agreed delays attributable to the corporation, to extension of time for the full delay subject to the provisions of Sub-Clause 7.6 [Extension of Time for Completion] and in addition for Compensation for the same period which would be mutually agreed based on the initiation made by the Contractor with proper supporting documents. The Contractor shall serve an notice for claim within 90 days after the Contractor became aware, should have become aware, of the event or circumstance, as stated under (a) to (d) above. The settlement of the claims shall be made at the end of the completion of contract.

(बी) यदि घटना या परिस्थितियां उप-खण्ड 16.1 (अपरिहार्यता की परिभाषा) के उप पैरा (ए) से (डी) के वर्णन के प्रकार की हों और देश में उप पैराग्राफ (i) से (v) की स्थिति हो तो कार्यों को दुरुस्त करने व स्थानापन्न करने में आने वाले खर्च और/या अपरिहार्यता के कारण क्षतिग्रस्त या नष्ट वस्तुओं के मूल्य का, जिस सीमा तक खण्ड 15 (बीमा) में संदर्भित बीमा पॉलिसी द्वारा क्षतिपूर्ति न किया जा रहा हो, भुगतान किया जाएगा।

16.2.2 संविदाकार प्रभारी अभियंता के लिखित निर्देशानुसार कार्यस्थल से मलबा हटाएंगे और कार्य का क्षतिग्रस्त भाग जैसे कि निगम की क्षतिग्रस्त टीएण्डपी, वस्तुएं और/या सामग्री को निर्देशानुसार निगम के भंडार तक पहुंचाएंगे।

16.3 न्यूनतम विलंब का दायित्व

16.3.1 संविदाकार प्रभारी अभियंता के लिखित निर्देशों के अनुसार संविदा के अधीन व इसके प्रावधानों व शर्तों के अनुरूप कार्य का स्थापन व पूर्ण करेंगे।

16.3.2 सभी पक्षों को सदैव अपरिहार्य कारणों से होने वाले विलंब को न्यूनतम करने के लिए सभी औचित्यपूर्ण प्रयास करने होंगे। जब किसी भी पक्ष पर अपरिहार्य कारणों का प्रभाव खत्म हो जाए तो उसे अन्य पक्ष को सूचित करना होगा।

17. दावा, विवाद और माध्यस्थता

17.1 संविदाकार का दावा

17.1.1 निगम के कारण हुई निम्नलिखित विलंबकारी घटनाओं के आधार पर संविदाकार को समय का विस्तार स्वीकृत किया जा सकता है व क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

(ए) यदि विलंब उपखण्ड 2.1(कार्यस्थल का कब्जा) के अनुसार निगम के संविदाकार को कार्यस्थल का अधिकार या कब्जा देने में असफल रहने के कारण होता है।

(बी) यदि प्रभारी अभियंता द्वारा उपखण्ड 4.6(कार्य का प्रारंभ) के अनुसार उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भूल या गलती के कारण संविदाकार को कार्य का निष्पादन करने में विलंब होता है।

(सी) यदि निगम द्वारा रेखाचित्र उपलब्ध करवाने में पर्याप्त विलंब होता है और कार्य की प्रगति प्रभावित होती हो।

(डी) यदि संविदा के अनुसार सहमत की गई सामग्री को जारी करने में निगम द्वारा विलंब किया जाता है और इससे कार्य की प्रगति प्रभावित होती हो।

17.1.2 रिपोर्ट किए गए और सहमत किए गए निगम के कारण हुए विलंब के लिए संविदाकार पूरे विलंब के समय के विस्तार का उपखण्ड 7.6 (कार्यपूर्णता के लिए समय विस्तार) के विषयाधीन हकदार होगा और इसके साथ ही संविदाकार द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर इस अवधि के लिए दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तय क्षतिपूर्ति का भी हकदार होगा। संविदाकार को उपर्युक्त (ए) से (डी) में वर्णित घटनाओं या परिस्थितियों के बारे में ज्ञात होने पर, जिस समय तक ज्ञात हो जाना चाहिए था, के बाद से 90 दिनों के भीतर अपने दावे का नोटिस देंगे। इन दावों का निपटान संविदा की समाप्ति के समय किया जाएगा।

- 17.1.3 If the Contractor fails to give notice of a claim within period of 90 days, the Contractor shall not be eligible to additional payment, and the Corporation shall be discharged from all liability in connection with the claim. Otherwise, the following provisions of this Sub-Clause shall apply.
- 17.1.4 The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to substantiate any claim, either on the Site or at another location acceptable to the Engineer. Without admitting the Corporation's liability, the Engineer-in-charge may, after receiving any notice under this sub-clause, monitor the record-keeping and/or instruct the Contractor to keep further contemporary records. The Contractor shall permit the Engineer-in-charge to inspect all these records, and shall (if instructed) submit copies to the Engineer-in-charge.
- 17.1.5 Within 15 days after the Contractor gives notice, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer-in-charge, the Contractor shall send to the Engineer-in-charge a fully detailed claim which includes full supporting particulars of the basis of the claim. If the event or circumstance giving rise to the claim has a continuing effect:
- (a) this claim shall be considered as interim;
 - (b) the Contractor shall send further interim claims at monthly intervals, giving the accumulated delay and/or amount claimed, and such further particulars as the Engineer-in-charge may reasonably require; and
 - (c) the Contractor shall send a final claim within 30 days after the end of the effects resulting from the event or circumstance, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer-in-charge.

The Engineer-in-charge shall examine and accumulate all claims received under this clause, for settlement of the claim immediately after the close of the contract.

In case Contractor, at the end of the contract, has dispute over the claim admitted by the Engineer-in-charge he may consider that the claim is rejected by the Engineer and any of the Parties may refer it to the Dispute Board in accordance with Sub-Clause 17.4 [Obtaining Dispute Resolution Board's Decision].

17.2 Dispute Resolution

17.2.1 Disputes if not resolved at the level of Engineer-in-charge, will be referred to a committee appointed by the CMD, NPCIL, before the matter is referred to Dispute Resolution Board.

17.3 Appointment of the Dispute Resolution Board

17.3.1 The present sub-clause 17.3 and the forth coming sub-clauses 17.4, 17.5, 17.6 and 17.7 relating to appointment of dispute resolution board, obtaining Dispute resolution Board's decision, amicable settlement, Failure to comply to with Dispute resolution Board's decision and expiry of Dispute resolution board's appointment shall not be applicable in respect of a

- 17.1.3 यदि संविदाकार 90 दिनों की अवधि के भीतर अपने दावे का नोटिस देने में असफल रहता है तो संविदाकार किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा और निगम इस दावे से संबंधित प्रत्येक बाध्यता से मुक्त होगा। अन्यथा उपखण्ड के निम्नलिखित प्रावधान लागू हो जाएंगे।
- 17.1.4 संविदाकार दावे पुख्ता करने के लिए आवश्यक सभी तत्कालीन रिकार्डों को या तो कार्यस्थल पर अथवा प्रभारी अभियंता को स्वीकार्य स्थान पर सुरक्षित रखेगा। प्रभारी अभियंता, निगम की बाध्यता को स्वीकार किए बगैर इस उपखण्ड के अंतर्गत किसी नोटिस के प्राप्त होने पर इन रिकार्डों के रख-रखाव का मॉनीटरन करेंगे और/अथवा संविदाकार को और भी तत्कालीन रिकार्ड रखने के निर्देश देंगे। संविदाकार प्रभारी अभियंता को इन सभी रिकार्डों के निरीक्षण की अनुमति देंगे और इनकी प्रतियां (यदि निर्देश दिए जाएं) प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेंगे।
- 17.1.5 संविदाकार द्वारा नोटिस दिए जाने के 15 दिनों या जो भी समय संविदाकार द्वारा प्रस्तावित और प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाए, के भीतर संविदाकार प्रभारी अभियंता को एक विस्तृत दावा भेजेंगे जिसमें दावे के आधार को पूर्ण समर्थन देने वाले सभी विवरण होंगे। यदि दावा किए जाने वाली घटनाएं या परिस्थितियां आगे भी जारी रहती हैं तो :
- (ए) इस दावे को अंतरिम माना जाएगा;
 - (बी) संविदाकार अगले अंतरिम दावों को एक-एक माह के अंतराल से भेजता रहेगा जिसमें संचित विलंब और/अथवा दावा की गई धनराशि और प्रभारी अभियंता द्वारा मांगा गया अन्य कोई औचित्यपूर्ण विवरण दिया जाएगा; और
 - (सी) संविदाकार इन घटनाओं या परिस्थितियों का प्रभाव समाप्त होने के 30 दिनों या संविदाकार द्वारा प्रस्तावित और प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित ऐसी किसी अवधि के भीतर एक अंतिम दावा प्रस्तुत करेंगे।
- प्रभारी अभियंता इस खण्ड के अंतर्गत प्राप्त सभी दावों का संविदा की समाप्ति के तत्काल बाद निपटान करने के लिए निरीक्षण करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे।
- यदि संविदा की समाप्ति के बाद संविदाकार को प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार किए गए दावों के संबंध में कोई विवाद है तो वह इस दावे को प्रभारी अभियंता द्वारा निरस्त किया गया मान सकते हैं और दोनों में से कोई भी पक्ष इसे उप खण्ड 17.4 (विवाद समाधान बोर्ड का निर्णय प्राप्त करना) के अनुसार विवाद बोर्ड के पास भेज सकता है।

17.2 विवाद समाधान

- 17.2.1 यदि प्रभारी अभियंता के स्तर से किसी विवाद का समाधान नहीं होता है तो मामले को विवाद समाधान बोर्ड के पास संदर्भित किए जाने से पहले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनपीसीआईएल द्वारा नियुक्त एक समिति के पास भेजा जाएगा।

17.3 विवाद समाधान बोर्ड की नियुक्ति

- 17.3.1 यदि संविदा अवार्ड किए जाने के समय संविदा का मूल्य 100 करोड़ रुपयों से कम हो तो विवाद समाधान बोर्ड की नियुक्ति, विवाद समाधान बोर्ड का निर्णय मांगना, सौहार्दपूर्ण समझौता, विवाद समाधान बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में असफल रहना और विवाद समाधान बोर्ड की समाप्ति से संबंधित यह उप खण्ड 17.3 और आगे आने वाले उप खण्ड 17.4, 17.5, 17.6 तथा 17.7 लागू नहीं होंगे। इस संबंध में यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि 100 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य वाली संविदाओं के लिए खण्ड 17.3 से लेकर 17.7 लागू होंगे। उन मामलों में जहां संविदा का

contract having the total value of less than Rs. 100 Crores at the time of award of contract. With a view to clarify the doubt, if any, it is declared that clause 17.3 to 17.7 shall be applicable in respect of the contract having value more than Rs. 100 Crores. In such cases, where the value of the contract is less than Rs. 100 Crores, the disputes, differences shall be settled and decided in accordance with clause 17.8 of this General Conditions of Contract.

- 17.3.2 If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works, including any dispute as to any certificate, determination, instruction, opinion or valuation by the Engineer-in-charge, either Party may refer the dispute in writing to the Dispute resolution board for its decision, with copies to the other Party.
- 17.3.3 The Dispute Resolution Board (DRB) shall be established by signature of the Dispute Resolution Board Agreement ("the Board Agreement") which shall be made effective from the same time as the signature of the Contract Agreement.
- 17.3.4 The Board shall comprise three Members experienced in the type of work involved and in the interpretation of document. One Member shall be selected by each of the Corporation and the Contractor and approved by the other.
- 17.3.5 The third Member shall be selected by the other two and approved by the parties. The third Member shall serve as Chairman of the Board.
- 17.3.6 The terms of the remuneration of each of the three members, including the remuneration of any expert whom the Dispute Resolution Board consults, shall be mutually agreed upon by the Parties when agreeing the terms of appointment of the member or such expert (as the case may be). Each Party shall be responsible for paying one-half of this remuneration.
- 17.3.7 In the event of death, disability, or resignation of any Member, such Member shall be replaced in the same manner as the Member being replaced was selected. If for whatever other reason a Member shall fail or be unable to serve, the Chairman (or failing the action of the Chairman then either of other Members) shall inform the parties and such non-serving Member shall be replaced in the same manner as the Member being replaced was selected. Replacement shall be considered complete when the new Member signs the Board Agreement. Throughout any replacement process the Members not being replaced shall continue to serve and the Board shall continue to function and its activities shall have the same force and effects as if the vacancy had not occurred.

17.4 Obtaining Dispute Resolution Board's Decision

- 17.4.1 The DRB shall be deemed to have received any reference on the date when it is received by the chairman of the DRB.
- 17.4.2 Both Parties shall promptly make available to the DRB all such additional information, further access to the Site, and appropriate facilities, as the DRB may require for the purposes of making a decision on such dispute. The DRB shall be deemed to be not acting as arbitrator(s).
- 17.4.3 If the Dispute Resolution Board has given its decision as to a matter in

मूल्य 100 करोड़ रुपयों से कम है, विवाद, भिन्नताओं को संविदा की इन सामान्य शर्तों के खण्ड 17.8 के अनुरूप निर्णीत किया जाएगा।

17.3.2 यदि पक्षों के बीच, प्रभारी अभियंता के किसी प्रमाणपत्र, परिनिर्धारण, निर्देश, राय या मूल्यांकन सहित संविदा का या कार्य के निष्पादन संबंधी कोई विवाद (चाहे किसी भी प्रकार का हो) हो तो दोनों में से कोई भी पक्ष इस विवाद का निर्णय कराने के लिए विवाद समाधान बोर्ड को लिखित रूप में सूचना देकर संदर्भित कर सकता है और इसकी प्रति अन्य पक्ष को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

17.3.3 विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) का गठन विवाद समाधान बोर्ड करार ("बोर्ड करार") पर हस्ताक्षर के साथ किया जाएगा और यह संविदा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही प्रभावी हो जाएगा।

17.3.4 बोर्ड समान प्रकार के कार्यों व दस्तावेजों के अर्थग्रहण में अनुभव रखने वाले तीन सदस्यों का होगा। निगम व संविदाकार के एक-एक सदस्य का चयन एक-दूसरे के अनुमोदन से किया जाएगा।

17.3.5 तीसरे सदस्य का चयन इन दो सदस्यों द्वारा और उसका अनुमोदन इन पक्षों द्वारा किया जाएगा। तीसरा सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

17.3.6 इन तीनों सदस्यों में से विवाद समाधान बोर्ड द्वारा परामर्श के लिए बुलाए गए किसी अन्य विशेषज्ञ सहित प्रत्येक सदस्य का पारिश्रमिक ऐसे सदस्यों या विशेषज्ञ (जैसा भी मामला हो) की नियुक्ति की शर्तों पर सहमति देते समय ही पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तय किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष को इस पारिश्रमिक की आधी राशि का भुगतान करना होगा।

17.3.7 किसी सदस्य की मृत्यु, अपंगता या त्यागपत्र के कारण उस सदस्य के स्थानापन्न सदस्य की नियुक्ति उसी प्रकार से की जाएगी जैसे उस सदस्य की नियुक्ति की गई थी। यदि कोई सदस्य, चाहे किसी भी कारण से सेवाएं देने में असफल या असमर्थ रहता है तो अध्यक्ष (अध्यक्ष द्वारा न किए जाने पर दोनों में से किसी भी सदस्य द्वारा) सेवाएं न प्रदान करने वाले इस सदस्य की दोनों पक्षों को सूचना देंगे और इस सदस्य के स्थानापन्न का चयन ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से सदस्य का चयन किया गया था। नए सदस्य द्वारा बोर्ड करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद स्थापन्न प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी। किसी भी प्रकार की स्थानापन्न पूर्ति प्रक्रिया के दौरान जिस सदस्य के स्थानापन्न की प्रक्रिया पूर्ण न हुई हो, वह सदस्य लगातार सेवा करता रहेगा और बोर्ड क्रियाशील रहेगा तथा इसकी कार्रवाइयों में ठीक वही शक्ति व प्रभाव रहेगा मानों यह रिक्ति हुई ही न हो।

17.4 विवाद समाधान बोर्ड का निर्णय प्राप्त करना

17.4.1 जिस तारीख को डीआरबी के अध्यक्ष को किसी संदर्भित मामले की प्राप्ति हो जाती है, यह मान लिया जाएगा कि यह मामला उसी तारीख को डीआरबी को प्राप्त हो गया है।

17.4.2 दोनों पक्ष, ऐसे विवादों पर निर्णय देने के लिए डीआरबी द्वारा वांछित सूचनाएं, कार्यस्थल में प्रवेश और अन्य यथायोग्य सुविधाएं, यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। डीआरबी को मध्यस्थ (थॉ) के रूप में काम करने वाला नहीं माना जाएगा।

17.4.3 यदि डीआरबी किसी विवादित मामले में दोनों पक्षों को अपना निर्णय दे देता है और किसी भी पक्ष द्वारा डीआरबी का निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपनी असंतुष्टि का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो वह निर्णय अंतिम निर्णय बन जाएगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

dispute to both Parties, and no notice of dissatisfaction has been given by either Party within 30 days after it received the DRB's decision, then the decision shall become final and binding upon both Parties.

- 17.4.4 Any dispute on which the Board has not issued a Recommendation within 45 days of its final hearing on the dispute, or regarding which the Recommendation (s) are not accepted, may be referred in writing by either party to arbitration in accordance with this Clause, by written notice to the other party with copies to the the Board. Such notice shall state that it is being made pursuant to this Clause and shall establish the entitlement of the party giving it to commence arbitration provided that no such arbitration may be commenced until such notice is given. Such reference shall be made within 15 days of receipt of the Board's recommendation (s), or within 15 days of the day on which said period of 45 days expired, as the case may be, failing which reference any recommendation (s) previously rejected or not accepted shall be deemed accepted despite such previous rejection or non-acceptance and shall be final and binding upon the parties.
- 17.4.5 All Recommendations, which have become final and binding, shall be implemented by the parties forthwith; such implementation shall include any relevant action of the Engineer-in-charge.
- 17.4.6 Whether or not accepted or deemed accepted, all of the Recommendations shall be admissible in any subsequent dispute resolution procedure, including any arbitration or any litigation having any relation to the dispute or disputes to which the Recommendation(s) relate.
- 17.4.7 Unless the Contract has already been repudiated or terminated, the Contractor shall, in every case, continue to proceed with the Works with all due diligence and the Contractor and the Corporation shall give effect forthwith to every decision of the Engineer-in-charge unless and until the same shall be revised, as hereinafter provided, in an arbitral award.

17.5 Amicable Settlement

- 17.5.1 Where notice of dissatisfaction has been given under Sub-Clause 17.4[Obtaining Dispute Resolution Board's Decision] above, both Parties shall attempt to settle the dispute amicably before the commencement of arbitration. However, unless both Parties agree otherwise, arbitration may be commenced on or after the 60th day after the day on which a notice of dissatisfaction and intention to commence arbitration was given, even if no attempt at amicable settlement has been made.

17.6 Failure to Comply with Dispute Resolution Board's Decision

- 17.6.1 In the event that a Party fails to comply with a final and binding DRB decision, then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have, refer the failure itself to arbitration under sub-clause 17.8 [Arbitration]. Sub-clause 17.4 [Obtaining Dispute Resolution Board's Decision] and sub-clause 17.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference.

17.4.4 अंतिम सुनवाई के 45 दिनों के बाद तक उस विवाद पर बोर्ड द्वारा कोई संस्तुति न दिए जाने या जिसके बारे में दी गई संस्तुति(यां) स्वीकार न किए जाने वाले किसी विवाद को, अन्य पक्ष को लिखित नोटिस और उसकी प्रति बोर्ड को देते हुए, इस खण्ड के अनुसार मध्यस्थ को संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार की नोटिस में उल्लिखित होगा कि यह इस खण्ड के अनुसार किया जा रहा है और यह नोटिस माध्यस्थ कार्यवाई प्रारंभ करने का नोटिस देने वाले पक्ष की हकदारी स्थापित करेगी परंतु जब तक यह नोटिस न दिया जाए इस प्रकार की कोई मध्यस्थ कार्यवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। इस प्रकार का संदर्भ बोर्ड की संस्तुति (यां) प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अथवा उक्त 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद से 15 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा। ऐसा संदर्भ न किए जाने पर इससे पहले निरस्त की गई या स्वीकार न की गई कोई संस्तुति(यां) स्वीकार संस्तुति मान ली जाएगी भले ही इसे पहले निरस्त या अस्वीकृत माना गया हो और यह दोनों पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होंगी।

17.4.5 अंतिम व बाध्यकारी बनीं ऐसी सभी संस्तुतियों को दोनों पक्षों द्वारा तत्काल लागू किया जाएगा ; इस अनुपालन में प्रभारी अभियंता द्वारा की जाने वाली तत्संबंधी कार्यवाई भी शामिल है।

17.4.6 चाहे स्वीकार या स्वीकार मानी गई या न मानी गई हों, ये सभी संस्तुतियां, बाद के किसी मध्यस्थ कार्यवाई या इस विवाद अथवा जिन विवादों से यह संस्तुति(यां) संबंधित हो, उससे संबंधित किसी वादकरण सहित किसी भी विवाद समाधान प्रक्रिया में ग्राह्य होंगी।

17.4.7 जब तक कि किसी संविदा को निराकृत या निरस्त न मान लिया गया हो, संविदाकार प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कुशलता के साथ कार्य करना जारी रखेगा और संविदाकार तथा निगम प्रभारी अभियंता के प्रत्येक निर्णय, जब तक कि उसमें आगे मध्यस्थ अवार्ड में बताए गए कोई संशोधन न किए जाएं, को तत्काल प्रभावी करेंगे।

17.5 मैत्रीपूर्ण परिनिर्धारण

17.5.1 जब उपर्युक्त उप-खण्ड 17.4 (विवाद समाधान बोर्ड का निर्णय प्राप्त करना) के अंतर्गत असंतुष्टि की नोटिस दिया जाता है तो मध्यस्थता कार्यवाई प्रारंभ होने से पहले दोनों पक्ष विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तथापि, जब तक दोनों पक्ष अन्यथा सहमत न हों, असंतुष्टि और मध्यस्थता कार्यवाई की इच्छा का नोटिस दिए जाने की तारीख के बाद वाले दिन से 60वें दिन या उसके बाद से मध्यस्थता कार्यवाई प्रारंभ की जा सकती है भले ही मैत्रीपूर्ण समाधान का कोई प्रयास न किया गया हो।

17.6 विवाद समाधान बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में असफल रहना

17.6.1 यदि कोई पक्ष अंतिम व बाध्यकारी डीआरबी निर्णय के अनुपालन में असफल रहता है तो अन्य पक्ष अपने अन्य किसी अधिकार के पूर्वाग्रह के बगैर ऐसे अननुपालन को उपखण्ड 17.8(मध्यस्थता) के अंतर्गत माध्यस्थ को स्वयं ही संदर्भित कर सकता है। उपखण्ड 17.4 (विवाद समाधान बोर्ड का निर्णय प्राप्त करना) और उपखण्ड 17.5 (मैत्रीपूर्ण परिनिर्धारण) पर ऐसे संदर्भ लागू नहीं होंगे।

17.7 Expiry of Dispute Resolution Board's Appointment

17.7.1 If a dispute arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works and there is no DRB in place, whether by reason of the expiry of the DRB's appointment or otherwise:

- (a) Sub-Clause 17.4 [Obtaining Dispute Resolution Board's Decision] and Sub-Clause 17.5 [Amicable Settlement] shall not apply, and
- (b) the dispute may be referred directly to arbitration under Sub-Clause 17.8 [Arbitration].

17.8 Arbitration

17.8.1 Any dispute not settled amicably and in respect of which the DRB's decision (if any) has not become final and binding shall be finally settled by arbitration. Unless otherwise agreed by both Parties:

- i) For contracts with foreign contractors:
 - a) International arbitration with proceedings administered by the international arbitration institution appointed by the corporation, in accordance with the rules of arbitration of the appointed institution;;
 - b) the place of arbitration shall be the city where the headquarters of the appointed arbitration institution is located or such other place selected in accordance with the applicable arbitration rules; and
 - c) the arbitration shall be conducted in the language for communications defined in Sub-Clause 1.3 ; and
- ii) For contracts with domestic contractors, arbitration with proceedings conducted in accordance with the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996:
 - a) All questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions herein before contained in this Contract or as to the quality of the workmanship or materials used on the work or arising out of the terms and conditions of the Contract whether during the progress of the work or after the completion or abandonment thereof, at the request of the aggrieved party in writing, shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Chairman & Managing Director, Nuclear Power Corporation of India Ltd, in respect of the contracts entered for and on behalf of the Corporation, by any Officer / Authority of the Corporation.
 - b) When it appears to the person that there exists an element of a settlement which may be acceptable to the parties, he shall submit them to parties for their observation. He may reformulate the terms of a possible settlement in the light of their observations.
 - c) If the parties reach agreement of the dispute, they may draw up and sign a written settlement agreement. They may request the person to draw up or assist them in drawing up the settlement agreement.
 - d) If settlement agreement shall have the same status and effect as if it is an arbitral award on agreed terms on the substance of the dispute rendered by an arbitral tribunal under section 30 of the Act.

17.7 विवाद समाधान बोर्ड की नियुक्ति का समापन

17.7.1 यदि पक्षों के बीच संविदा के या संविदा से संबंधित अथवा कार्य के निष्पादन को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है और डीआरबी का नियुक्तिकाल समाप्त हो जाने के कारण या अन्यथा कोई डीआरबी गठित नहीं है तो

- (ए) उप-खण्ड 17.4 (विवाद समाधान बोर्ड का निर्णय प्राप्त करना) और उप-खण्ड 17.5 (मैत्रीपूर्ण परिनिर्धारण) लागू नहीं होंगे और
- (बी) इस विवाद को उप-खण्ड 17.8 (मध्यस्थता) के अंतर्गत सीधे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

17.8 मध्यस्थता

17.8.1 कोई ऐसा विवाद जिसे मैत्रीपूर्ण ढंग से परिनिर्धारित न किया जा सके और जिसके लिए डीआरबी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी न हुआ हो, को, जब तक दोनों पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न हो, अंतिम रूप से मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा :

- i) विदेशी संविदाकारों के साथ की गई संविदा के लिए :
 - ए) अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता जिसकी प्रक्रिया निगम द्वारा नियुक्त अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान द्वारा नियुक्त संस्थान के मध्यस्थता नियमों के अनुसार की जाएगी ;
 - बी) मध्यस्थता का स्थान वह शहर जहां नियुक्त मध्यस्थता संस्थान का मुख्यालय हो अथवा कोई ऐसा स्थान जो मध्यस्थता के लागू नियमों के अनुसार चुना गया हो ; और
 - सी) मध्यस्थता की कार्यवाही उप-खण्ड 1.3 में परिभाषित भाषा के माध्यम से की जाएगी ; और
- ii) भारतीय संविदाकारों के साथ की गई संविदाओं के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता व समझौता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत की जाएगी।
 - ए) निगम की ओर से और निगम के वास्ते निगम के किसी अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा की गई संविदाओं के लिए संविदा में इससे पहले वर्णित विनिर्देशों, अभिकल्पों, रेखाचित्रों के अर्थ अथवा कार्यकुशलता या कार्य के लिए प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता या संविदा के नियमों व शर्तों से संबंधित सभी प्रश्नों व विवादों को, चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान उठें या या कार्य पूर्णता अथवा कार्य छोड़ने के पश्चात सामने आएँ, प्रभावित पक्ष के लिखित अनुरोध पर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति की एकल मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा।
 - बी) ऐसे व्यक्ति को जब यह प्रतीत होता हो कि परिनिर्धारण का कोई तत्व ऐसा है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो सकता है तो वह उसे दोनों पक्षों की राय जानने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। उनकी राय के अनुसार वह इस संभावित परिनिर्धारण की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है।
 - सी) यदि दोनों पक्षों विवाद पर समझौता कर लेते हैं तो वे एक लिखित परिनिर्धारण समझौता तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वे उस व्यक्ति से परिनिर्धारण समझौता तैयार करने या तैयार करने में मदद करने का अनुरोध कर सकते हैं।
 - डी) इस परिनिर्धारित समझौते की स्थिति व प्रभाव ठीक वैसा ही होगा जैसे कि यह इस अधिनियम के अनुच्छेद 30 के अधीन किसी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल द्वारा विवाद के तथ्यों के आधार पर सहमत की गई शर्तों का मध्यस्थ अवार्ड हो।

- e) If a settlement does not appear possible, the person, after consultation with the parties, will give a written declaration that further efforts at Conciliation are no longer justified and the person proceedings are terminated.
- f) When Conciliation proceedings have become infructuous or have been terminated, the party, which initiated the Conciliation, shall refer the disputes for Arbitration. The reference to Arbitration should be made preferably within 30 days of the termination of Conciliation Proceedings.
- g) The Arbitration shall be conducted in accordance with the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. For Contracts costing upto Rs. 10 Crores, a Sole Arbitrator shall be appointed. For Contracts costing over Rs. 10 Crores, a Committee of Arbitrators shall be appointed composed of one Arbitrator to be by the Contractor, one to be by the Owner and the third Arbitrator, who will act as a Chairman but not as umpire, to be chosen jointly by the two nominees. The decision of majority of Arbitrators shall be final and binding on both parties.

- ई) यदि कोई परिनिर्धारण संभव प्रतीत नहीं होता है तो दोनों पक्षों से परामर्श करने के बाद वह व्यक्ति लिखित घोषणा करेगा कि समझौते के और प्रयास अब औचित्यपूर्ण नहीं हैं और उसकी कार्रवाई समाप्त होती है।
- एफ) जब समझौता कार्यवाही निष्फल हो जाए या समाप्त कर दी जाए तो वह पक्ष जिसने समझौते की शुरुआत की हो, इस विवाद को मध्यस्थ के पास संदर्भित करेगा। मध्यस्थ को संदर्भित किए जाने की कार्यवाही यथासंभव समझौता कार्यवाही समाप्त किए जाने के 30 दिनों के भीतर कर दी जानी चाहिए।
- जी) मध्यस्थ की कार्यवाही भारतीय मध्यस्थ व समझौता अधिनियम 1996 के अनुरूप की जाएगी। 10 करोड़ रुपये तक की संविदाओं के लिए एक एकल मध्यस्थों नियुक्त किया जाएगा। 10 करोड़ से अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए मध्यस्थों की एक समिति नियुक्त की जाएगी जिसमें एक मध्यस्थ की नियुक्ति संविदाकार द्वारा, एक की मालिक द्वारा और तीसरे मध्यस्थ जो कि अध्यक्ष की तरह परंतु निर्णायक की तरह नहीं, कार्य करेगा, का चयन संयुक्त रूप से दोनों नामांकितों द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थों के बहुमत का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा।

18 SCHEDULES

SCHEDULE 'A'

Sr. No.	Clause Reference No.	ITEM	STIPULATION
1	NIT 37.1	Applicability of Mega Power Project Concession	Yes / No
2	1.1.1	Accepting Authority	
3	2.1.3	Time by which possession of site will be given	
4	4.14.1	Availability of Electricity	Yes / No
5	4.14.1	The rate at which electricity will be charged	Rs. _____ unit
6	4.19.2	Number of trees to be planted by the contractor	___Nos
7	4.22.1	Number of Apprentices to be trained by the contractor	___Nos
8	4.23.2	Availability of Departmental water supply	Yes / No
9	4.23.2 (i)	Water charges	Rs. _____ Ltr
10	4.24.2	Land availability for contractor's colony	Yes / No
11	5.6.3	Penalty, for not providing arrangements and facilities as per safety guidelines	Rs. _____
12	5.6.4	Industrial Safety Training to be provided by Corporation	Yes / No
13	5.6.14	Minimum number of safety professionals to be employed by Contractor	___Nos
14	5.6.15	Penalty, for not deploying the minimum number of safety professionals	Rs. _____ per person
15	7.8.1	Applicability of the Incentive clause	Yes / No
16	7.8.2	Maximum percentage of the contract value, which shall be paid as incentive.	___%
17	7.9.3	Compensation for suspension (entire work) beyond 30 days (per day rate)	Rs. _____/ Day
18	9.1.1	Defect Liability Period	
		For the contracts other than maintenance contracts mentioned below	12 months
		For contracts such as housekeeping, annual repairs, dismantling roads, horticulture, service contracts etc.	___months
19	9.1.6	Applicability of liability towards Latent defect	Yes/no
20	11.3.4	Various Component expressed as a percentage of contract value	
		Unskilled labour component (lu)	___%

18. अनुसूचियां

अनुसूची "ए"

क्र. सं	खण्ड संदर्भ संख्या	मद	अनुबंध
1.	एनआईटी 37.1	मेगापॉवर परियोजना रियायतों की प्रयोज्यता	हां/नहीं
2.	1.1.1	स्वीकृति प्राधिकारी	
3.	2.1.3	जिस समय तक कार्यस्थल का कब्जा दिया जाएगा	
4.	4.14.1	बिजली की उपलब्धता	हां/नहीं
5.	4.14.1	बिजली प्रभार की दर	रु..... इकाई
6.	4.19.2	संविदाकार द्वारा रोपे जाने वाले पेड़ों की संख्यासंख्या
7.	4.22.1	संविदाकार द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्यासंख्या
8.	4.23.2	विभागीय जलापूर्ति की उपलब्धता	हां/नहीं
9.	4.23.2(i)	जल प्रभार	रु.....लीटर
10.	4.24.2	संविदाकार की कॉलोनी के लिए भूमि की उपलब्धता	हां/नहीं
11.	5.6.3	संरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर दण्ड	रु.....
12.	5.6.4	निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाली औद्योगिक संरक्षा प्रशिक्षण	हां/नहीं
13.	5.6.14	संविदाकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यूनतम संरक्षा कार्मिकों की संख्यासंख्या
14.	5.6.15	न्यूनतम संरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति न करने पर दण्ड	प्रतिव्यक्ति रु.....
15.	7.8.1	प्रोत्साहन प्रावधान की प्रयोज्यता	हां/नहीं
16.	7.8.2	प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने वाला संविदा मूल्य का अधिकतम प्रतिशत	-----%
17.	7.9.3	30 दिनों से अधिक अवधि के निलंबन (संपूर्ण कार्य)के लिए की जाने वाली क्षतिपूर्ति (दैनिक आधार पर)	-----रु. / दिन
18.	9.1.1	दोष बाध्यता अवधि	
		निम्नलिखित अनुरक्षण संविदाओं से इतर अन्य संविदाओं हेतु	12 महीने
		गृह सज्जा, वार्षिक मरम्मत, सड़कों की तुड़ाई, बागवानी, सेवा संविदाओं आदि की संविदाओं के लिए	---महीने
19.	9.1.6	अप्रकट दोषों के लिए बाध्यता की प्रयोज्यता	हां/नहीं
20.	11.3.4	संविदा मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए विभिन्न घटक	
		अकुशल श्रमिक घटक (एल.यू)	----%

Sr. No.	Clause Reference No.	ITEM	STIPULATION
		Skilled labour component (ls)	__%
		Material component	
		_____(m)	__%
		_____(n)	__%
		_____(o)	__%
		_____(p)	__%
		All other materials (q)	__%
		P.O.L Component(d)	__%
		Nearest Petrol pump to be considered for petrol prices (P.O.L)	ADDRESS
21	12.1.4	The rate of interest to be charged for mobilisation advance	__%
22	12.2.1	Applicability to submit the bills and measurement in Computerised form	Yes / No
23	12.5.1	Interest for delayed payment	__%
24	15.1.1	Amount of Third party liability to be covered in Insurance	Rs_____

क्र. सं	खण्ड संदर्भ संख्या	मद	अनुबंध
		कुशल श्रमिक घटक (एल.एस)	----%
		सामग्री घटक	
		----- (एम)	----%
		----- (एन)	----%
		----- (ओ)	----%
		----- (पी)	----%
		अन्य सभी सामग्री (क्यू)	----%
		पी.ओ.एल घटक (डी)	----%
		पेट्रोल की कीमतों को निर्धारित करने के लिए निकटतम पेट्रोल पंप (पी.ओ.एल)	पता
21	12.1.4	संग्रहण अग्रिम पर लगाया जाने वाला ब्याज	----%
22	12.2.1	कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में बिलों व मापनों को जमा करने की प्रयोज्यता	हां/नहीं
23	12.5.1	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	----%
24	15.1.1	बीमें में शामिल की जाने वाली तीसरे पक्ष की बाध्यता की राशि	रु.-----

SCHEDULE 'B'

MATERIAL ISSUED TO THE CONTRACTOR

(The Engineer-in-Charge to indicate permissible wastage before issue of tender duly approved by the Competent Authority)

Sl. No. (approx.)	Particulars	Unit	Rate at which Material will be issued	Maximum Invisible wastage (Non-Returnable) %	Maximum permissible wastage (Returnable in case of free issue) %*	Qty. to be issued
1	2	3	4	5	6	7

* This percentage can vary as per the cutting plan approved by Engineer-in-Charge

Signature of Issuing Officer:

Date:

Signature of Contractor:

Date :

अनुसूची "बी"

संविदाकार को जारी की जाने वाली सामग्री

(प्रभारी अभियंता निविदा जारी किए जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित अनुमन्य अनुपयोगी हो सकने वाली सामग्री को दर्शाएंगे)

क्रम सं.	विवरण	इकाई	वह दर जिस पर सामग्री जारी की जाएगी	अधिकतम अदृश्य अनुपयोगी सामग्री (वापसी योग्य नहीं)	अधिकतम अनुमन्य अनुपयोगी सामग्री (वापसी योग्य, यदि निःशुल्क जारी हो)	जारी की जाने वाली मात्रा (लगभग)
				%	%*	
1	2	3	4	5	6	7

* यह प्रतिशत प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित कटिंग योजना के अनुसार बदल सकता है।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर :
तारीख : -----

संविदाकार के हस्ताक्षर :
तारीख :-----

SCHEDULE 'C'

TOOLS AND PLANT TO BE HIRED TO THE CONTRACTOR

Sr.no.	Particulars	Number available	Hire charges per Unit per working day Rs.	Frequency of Maintenance	Value Per Unit	Place of Issue	Number Reqd. by the Contractor.
1	2	3	4	5	6	7	8

Tools and Plants are not expected to be hired out to the Contractor. If, however, any tools and plants are available at the time of performing the work the same may be hired out at rates to be decided by the Engineer-In-Charge. The Corporation reserves the right not to hire out any T&P and to withdraw at any time such T&P hired out.

The Contractor shall ask the Engineer-In-Charge the value of tools & Plants for which these have to be insured and carry out the insurance accordingly in case insurance not available with NPCIL.

Signature of the Issuing Officer
Date.....

Signature of Contractor
Date.....

FORMAT FOR 'HINDRANCE REGISTER'

Sr.No	Nature of hindrance	Date of occurrence	Date of removal	Period of hindrance	Overlapping period if any	Net extension	Dated sign of Contractor with name	Dated sign of Engr. with name	Remarks

अनुसूची "सी"

संविदाकार को किराए पर दिए जाने वाले औजार व संयंत्र

क्रम संख्या	विवरण	उपलब्ध संख्या	प्रति नग प्रति कार्य दिवस किराया प्रभार रु.	अनुरक्षण की आवृत्ति	प्रति नग मूल्य	जारी करने का स्थान	संविदाकार द्वारा वांछित नगों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

संविदाकार को औजार व संयंत्र किराए पर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। तथापि, यदि, कार्य निष्पादित किए जाते समय कोई औजार या संयंत्र उपलब्ध है तो उसे प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किराए पर दिया जा सकता है। किसी भी टी एण्ड पी को किराए पर देने और किराए पर दी गई उस टी एण्ड पी को किसी भी समय वापस लेने का निगम का अधिकार सुरक्षित है।

संविदाकार प्रभारी अभियंता से इन टीएण्डपी के लिए किए जाने वाले बीमा मूल्य पूछेंगे और यदि एनपीसीआईएल ने उनका बीमा न कराया हो तो, तदनुसार बीमा कराएंगे।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर :

तारीख : -----

संविदाकार के हस्ताक्षर :

तारीख :-----

" प्रतिबाधा रजिस्टर का प्रारूप"

क्रम संख्या	प्रतिबाधा की प्रकृति	घटित होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख	प्रतिबाधा रहने की अवधि	अतिच्छादी अवधि, यदि कोई हो तो	कुल समयविस्तार	संविदाकार के तारीख व नाम सहित हस्ताक्षर	प्रभारी अभियंता के तारीख व नाम सहित हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

19. CONTRACTORS` LABOUR REGULATIONS AND FORMS

1. Definitions:

In these regulations, unless otherwise expressed or indicated, the following words and expression shall have the meaning hereby assigned to them:

- (a) "**Workmen**" means any person employed by the contractor, directly or indirectly through a sub-contractor, to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person-
 - 1. Who is employed mainly in managerial or administrative capacity; or
 - 2. Who, being employed in supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercise either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested in him, functions mainly of managerial nature;
 - 3. Who is an out worker, that is to say, a person to whom any article or materials are given out by or on behalf of the principal employer to be made up, cleaned washed, altered, ornamental finished, repaired, adopted or otherwise processed for sale for the purposes of the trade or business of the principal employer and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the control and management of the principal employer.
 - (b) "**Fair Wage**" means wages, which shall include wages for weekly day of rest and other allowances, whether for time or piece work, after taking into consideration prevailing market rates for similar employments in the neighborhood but shall not be less than the minimum rates of wages fixed under The Minimum Wages Act.
 - (c) "**Contractor**" for the purpose of these regulations shall include an agent or sub-contractor employing labour on the work taken on contract.
 - (d) "**Inspecting Officer**" means any Labour Enforcement Officer, or Assistant Labour Commissioner of the Chief Labour Commissioner's Organisation.
 - (e) "**Form**" means a form appended to these Regulations.
2. **Notice of commencement:** The Contractor shall, within **SEVEN** days of commencement of the work, furnish in writing to the Inspecting Officer of the area concerned the following information:
- (a) Name and situation of the work
 - (b) Contractors` name and address
 - (c) Particulars of the Department for which the work is undertaken

19. ठेका श्रमिक विनियम व प्रपत्र

1. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा उद्धृत या दर्शाया न जाए, निम्नलिखित शब्द व अभिव्यक्तियां इसके बाद उनके आगे दिए गए अर्थ को व्यक्त करेंगी :

(ए) **"कामगार"** से तात्पर्य संविदाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उप संविदाकार के माध्यम से कुशल, अर्धकुशल या अकुशल शारीरिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए किराए पर या पारितोषिक पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति से है, चाहे नियुक्ति की शर्तें वर्णित हों या लागू की गई हों परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है :-

1. जो मुख्यतया प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में नियुक्त किया गया हो ; या
2. जो पर्यवेक्षक श्रेणी में नियुक्त होने के कारण पांच सौ रुपए प्रतिमाह से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा हो या अपने दायित्वों की प्रकृति के कारण पद से संबद्ध अथवा उसे प्रदत्त शक्तियों के कारण केवल प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता हो।
3. जो बाहरी कामगार हो, अर्थात् जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से संवारने, सफाई करने, धुलाई करने, रद्दोबदल करने, सजाने, मरम्मत करने, अपनाने या अन्यथा व्यापार या वाणिज्यिक कारणों से बिक्री हेतु तैयार करने के लिए किसी वस्तु या सामग्री को उसके घर में या मुख्य नियोक्ता के नियंत्रण व प्रबंधन से बाहर किसी अन्य परिसर में दिया जाता है।

(बी) **"न्यायपूर्ण मजदूरी"** से तात्पर्य समय अथवा टुकड़ा कार्य की साप्ताहिक छुट्टी व अन्य भत्ते शामिल करते हुए तय की गई उस मजदूरी से है जो समान नियुक्ति के लिए आस-पास चल रही बाजार दर पर विचार करते हुए परंतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निश्चित की गई दरों से कम न हो।

(सी) इन विनियमों के लिए **"संविदाकार"** से तात्पर्य किसी ऐसे एजेंट या उप-संविदाकार से है जो संविदा के कार्य के लिए मजदूरों की नियुक्ति करता हो।

(डी) **"निरीक्षण अधिकारी"** से तात्पर्य किसी भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी या प्रमुख श्रम आयुक्त संगठन के सहायक श्रम आयुक्त से है।

(ई) **"प्रपत्र"** से तात्पर्य इन विनियमों के साथ लगे हुए प्रपत्र से है।

2. प्रारंभ की सूचना : संविदाकार कार्य प्रारंभ करने के सात दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के निरीक्षण अधिकारी को लिखित रूप से निम्नलिखित की सूचना देगा :

- (ए) कार्य का नाम व प्रस्थिति
- (बी) संविदाकार का नाम व पता
- (सी) उस विभाग का नाम जिसका कार्य किया जा रहा है

- (d) Name and address of sub-contractors as and when they are appointed
- (e) Commencement and probable duration of the work
- (f) Number of workers employed and likely to be employed
- (g) "Fair wages" for different categories of workers

3 (i) **Number of hours of work which shall constitute a normal working day:-**

The number of hours which shall constitute a normal working day for an adult shall be NINE hours. The working day of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals, if any, for rest, it shall not spread over more than twelve hours on any day; when an adult worker is made to work for more than NINE hours on any day or for more than FORTY EIGHT hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be paid wages at double at ordinary rate of wages.

(ii) **Weekly day of rest :**

Every worker shall be given a weekly day of rest which shall be fixed and notified at least TEN days in advance. A worker shall not be required or allowed to work on the weekly rest day unless he has or will have a substituted rest day, on one of the five day immediately before or after the rest day. Provided that no substitution shall be made which will result in the worker working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

Where in accordance with the foregoing provisions a worker works on the rest day and has been given a substituted rest day he shall be paid wages for the work done on the weekly rest day at the overtime rate of wages.

NOTE : The expression "ordinary rate of wages" means the fair wage the worker is entitled to.

4. **Display of notice regarding Wages, Weekly Day of Rest etc.:**

The Contractor shall, before he commences his work on Contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clean and legible condition in conspicuous places on the works, notice in English and in the local Indian Language spoken by majority of workers, giving the rate of fair wages, the hours of work for which such wages are payable, the weekly rest days workers are entitled to and name and address of the Inspecting Officer. The Contractor shall send a copy each of such notices to the Inspecting Officers.

5. **Fixation of Wage Periods :**

The Contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable. No wage period shall normally exceed one week.

- (डी) जब कभी उप संविदाकार नियुक्त किया जाए जो उनके नाम व पते
- (ई) कार्य के प्रारंभ की तारीख व संभावित अवधि
- (एफ) नियुक्त किए गए या संभावित नियुक्त कर्मचारियों की संख्या
- (जी) विभिन्न श्रेणियों के कामगारों की "न्यायपूर्ण" मजदूरी।

3. (i) **कार्य के उन घंटों की संख्या जिन्हें एक सामान्य कार्य दिवस माना जाएगा :-**

एक वयस्क के लिए एक सामान्य कार्यदिवस के कार्यघंटों की संख्या नौ घंटे होगी। एक वयस्क कामगार के कार्यदिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि विश्राम के लिए यदि कोई विराम हो तो उसे शामिल करते हुए एक दिन में यह कुल बारह घंटों से अधिक न हो ; जब किसी कामगार को किसी एक दिन में नौ घंटों से अधिक या एक सप्ताह में अड़तालिस घंटों से अधिक समय के लिए काम पर लगाया जाता है तो उसे इस अतिरिक्त काम के लिए सामान्य मजदूरी की दर से दुगुनी दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ii) **साप्ताहिक विश्राम का दिन :**

प्रत्येक कामगार को सप्ताह में एक दिन विश्राम के लिए दिया जाएगा। इसे निर्धारित कर कम से कम दस दिन पहले अधिसूचित किया जाएगा। किसी कामगार को इस विश्राम वाले दिन काम करने की आवश्यकता नहीं होगी और जब तक कि उसे वैकल्पिक विश्राम दिवस न दिया जाए या न दिया जाने वाला हो, उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतु इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी नहीं होगी कि कामगार को बगैर किसी पूर्ण दिवस विश्राम के लगातार दस दिनों से अधिक कार्य करना पड़े।

जब कभी पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार कोई कामगार विश्राम के दिन में काम करता है और उसके बदले में उसे एक दिन का विश्राम दिया जाता है तो उसे साप्ताहिक विश्राम वाले दिन के काम के लिए समयोपरि दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

नोट : अभिव्यक्ति " मजदूरी की सामान्य दर" से तात्पर्य कामगार की हकदारी वाली न्यायपूर्ण मजदूरी से है।

4. **मजदूरी, साप्ताहिक छुट्टी आदि की सूचना का प्रदर्शन :**

संविदाकार द्वारा संविदा कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्यस्थल के महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी व अधिकतर मजदूरों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाषा में स्वच्छ व स्पष्ट रूप से पढ़े जाने योग्य लिखावट में न्यायपूर्ण मजदूरी, कार्य के घंटे जिनके लिए इस मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, मजदूरों की साप्ताहिक छुट्टी जिसके लिए वे पात्र हैं और निरीक्षण अधिकारी का नाम व पता आदि की सूचना प्रदर्शित और अद्यतन की जाएगी तथा लगातार प्रदर्शित व अद्यतन रखी जाएगी।

5. **मजदूरी अवधि का निर्धारण :**

संविदाकार भुगतानयोग्य मजदूरी की भुगतान अवधि निर्धारित करेगा। सामान्यतया कोई भी भुगतान अवधि एक सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

6. Payment of Wage:

- (i) Wages due to every worker shall be paid to him direct. All wages shall be paid in current coins or currency or in both.
- (ii) Wages of every worker employed on the Contract shall be paid where the wage period is one week, within THREE days from the end of the Wage period; and in any other case before the expiry of the 7th day or 10th day from the end of the wage period according as the number of workers does not exceed 1,000 or exceeds 1,000.
- (iii) When employment of any worker is terminated by or on behalf of the Contractor, the wages earned by him shall be paid before expiry of the day succeeding the one on which his employment is terminated.
- (iv) Payment of wages shall be made at the work site on a working day except when the work is completed before expiry of the wage period, in which case final payment shall be made at the work site within 48 hours of the last working day and during normal time.

NOTE : The term "working day" means a day on which the work on which labour is employed, is in progress.

7. Register of Workmen :

A register of workmen shall be maintained in the Form appended to these regulations and kept at the work site or as near to it as possible, and relevant particulars of every workman shall be entered therein within THREE days of his employment. (Ref. Appendix I)

8. Employment Card:

The Contractor shall issue an employment card in the Form appended to these regulations to each worker on the day of work or entry into his employment. If a worker already has any such card with him issued by the previous employer, the contractor shall merely endorse that Employment Card with relevant entries. On termination of employment the Employment Card shall again be endorsed by the Contractor and returned to the worker. (Appendix II)

9. Register of Wages etc. :

- (i) A Register of Wages-Cum-Muster Roll in the Form appended to these regulations shall be maintained and kept at the work site or as near to it as possible. (Appendix III).

6. मजदूरी का भुगतान :

- (i) प्रत्येक मजदूर को उसकी देय मजदूरी का भुगतान उसी मजदूर को सीधे किया जाएगा। सभी मजदूरी तत्समय प्रचालित सिक्कों या रुपयों या दोनों में की जाएगी।
- (ii) संविदा पर नियुक्त किए गए सभी कामगारों की मजदूरी, यदि वह साप्ताहिक अवधि वाली हो तो मजदूरी अवधि समाप्त होने के बाद से तीन दिनों के भीतर भुगतान की जाएगी। अन्य सभी मामलों में मजदूरों की संख्या 1000 से कम या 1000 से अधिक होने पर मजदूरी अवधि समाप्त होने के क्रमशः 7वें और 10वें दिन से पहले भुगतान की जाएगी।
- (iii) जब कभी संविदाकार द्वारा या उसकी ओर से किसी कामगार का नियोजन समाप्त किया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान उसकी नियुक्ति समाप्त की जाने वाली तारीख से पहले वाले दिन कर दिया जाएगा।
- (iv) जब कार्य की समाप्ति मजदूरी अवधि से पहले हो जाए तो ऐसे मामलों में अंतिम मजदूरी भुगतान अंतिम कार्यदिवस के 48 घंटों के भीतर सामान्य कार्यसमय में कार्यस्थल पर कार्यदिवस में किए जाने के अलावा मजदूरी का भुगतान कार्य स्थल पर कार्य दिवस में ही किया जाएगा।

नोट : अभिव्यक्ति "कार्यदिवस" से तात्पर्य उस दिन से है जब कार्य के लिए नियोजित मजदूर वाला कार्य प्रगति पर हो।

7. कामगारों का रजिस्टर :

कामगारों के लिए इन विनियमों के साथ लग हुए प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर पोषित किया जाएगा व इसे कार्यस्थल के यथा संभव निकटस्थ स्थान पर रखा जाएगा तथा प्रत्येक मजदूर से संबंधित विवरण उसके नियोजन के तीन दिनों के भीतर इस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। (संदर्भ परिशिष्ट I)

8. कर्मचारी कार्ड :

संविदाकार इन विनियमों के साथ लगे हुए प्रारूप के अनुसार अपने कामगारों को प्रत्येक कार्य दिवस पर अथवा नियोजित किए जाने के समय एक नियोजन कार्ड जारी करेगा। यदि किसी कामगार के पास उसके किसी पहले नियोक्ता का दिया गया कोई कार्ड पहले से ही मौजूद हो तो संविदाकार उस नियोजन कार्ड में मात्र संबंधित प्रविष्टियां पृष्ठांकित कर देगा। नियोजन समाप्त हो जाने पर संविदाकार द्वारा इसमें पुनः पृष्ठांकन कर इसे कामगार को वापस कर दिया जाएगा। (परिशिष्ट II)

9. मजदूरी आदि का रजिस्टर :

- (i) संविदाकार इन विनियमों के साथ लगे हुए प्रारूप के अनुसार एक मजदूरी-सह-उपस्थिति रजिस्टर पोषित किया जाएगा और कार्यस्थल के यथा संभव निकटस्थ स्थान पर रखा जाएगा। (परिशिष्ट III)

- (ii) A wage slip in the Form appended to these regulations shall be issued to every worker employed by the Contractor at least a day prior to disbursement of wages. (Appendix IV).

10. Fines and deductions which may be made from Wages:

- (i) Wages of a worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the following:
 - (a) fines;
 - (b) deductions for absence from duty; i.e. from the place of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent;
 - (c) deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody, or for loss of money which he is required to account for, where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default;
 - (d) deductions for recovery of advances or for adjustment or overpayment of wages, Advance granted shall be entered in a register; and
 - (e) any other deduction which the Corporation may from time to time allows.
- (ii) No fines shall be imposed on any worker say in respect of such acts and omissions on his part as has been approved by the Chief Labour Commissioner.
- (iii) No fine shall be imposed on a worker and no deductions for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing causes against such fines or deductions.
- (iv) The total amount of fines which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the wages payable to him in respect of that wage period.
- (v) No fine imposed on a worker shall be recovered from him in installments, or after expiry of sixty days from the date on which it was imposed. Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.
- (vi) The contractor shall maintain both in English & the local Indian language a list, approved by the Chief Labour Commissioner, clearly stating the acts and omissions for which penalty or fine may be imposed on a workman and display it in a good condition in a conspicuous place on the work site. (Appendix V)

- (ii) संविदाकार द्वारा नियोजित किए गए प्रत्येक कामगार के लिए संविदाकार इन विनियमों के साथ लगे हुए प्रारूप के अनुसार, मजदूरी वितरण से कम से कम एक दिन पहले एक मजदूरी पर्ची जारी करेंगे। (परिशिष्ट IV)
- 10. मजदूरी से काटे जा सकने योग्य दण्ड व कटौतियां :**
- (i) सिवाए निम्नलिखित के, एक कामगार की मजदूरी में से किसी प्रकार कटौती किए बिना उसे भुगतान किया जाएगा :
- (ए) दण्ड ;
- (बी) कार्य से ; अर्थात् जिस स्थान पर कार्य करने के लिए उसे नियोजित किया गया है, वहां से अनुपस्थिति होने पर कटौती। ऐसी कटौती की राशि उसकी अनुपस्थिति अवधि के समानुपात में होगी।
- (सी) किसी कर्मचारी को विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिए दी गई किसी वस्तु के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा गुम हो जाने पर, या उसकी जिम्मेदारी में रखे गए धन में हुए नुकसान के लिए की जाने वाली कटौती, जबकि इस प्रकार की क्षति या नुकसान स्पष्ट तौर पर उसकी लापरवाही या भूल के कारण हुआ हो।
- (डी) अग्रिम की वसूली या मजदूरी के समायोजन अथवा अधिक भुगतान के लिए कटौती, मंजूर किए गए अग्रिम का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए ; और
- (ई) निगम द्वारा समय-समय पर अनुमत कोई अन्य कटौती ।
- (ii) मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी कृत्य या चूक के लिए किसी कामगार पर कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा ।
- (iii) किसी कामगार पर किसी क्षति या नुकसान के लिए कोई दण्ड या मजदूरी से कटौती तब तक अधिरोपित नहीं की जा सकती जब तक कि उस कामगार को ऐसे दण्ड या कटौती के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न प्रदान किया गया हो।
- (iv) एक कामगार पर किसी एक मजदूरी अवधि में उस मजदूरी अवधि की देय मजदूरी में से अधिकतम एक रूप में तीन पैसे के बराबर राशि का कुल दण्ड ही अधिरोपित किया जा सकता है।
- (v) किसी कामगार पर लगाए गए किसी दण्ड को उससे किशतों में, या दण्ड अधिरोपण की तारीख के साठ दिनों के बाद वसूल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दण्ड को उसी दिन से लगाया गया माना जाएगा जिस दिन दण्ड लगाए जाने वाला कृत्य या चूक की गई हो।
- (vi) संविदाकार मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित व अंग्रेजी और स्थानीय भारतीय भाषा में तैयार की गई ऐसी सूची रखेंगे जिसमें स्पष्टतया उन कृत्यों या चूकों का वर्णन हो जिनके लिए एक कामगार पर दण्ड का अधिरोपण किया जा सकता है और इसे कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगाया जाएगा व इसे भली प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। (परिशिष्ट v)

- (vii) The Contractor shall maintain a register of fines and the register of deductions for damage or loss in the Forms appended to these regulations which should be kept at the place of work.(Appendix VI & VII).

11. Register of Accidents :

The Contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars.

- (a) Full particulars of the labourers who met with accident.
- (b) Rate of Wages
- (c) Sex
- (d) Age
- (e) Nature of accident and cause of accident
- (f) Time and date of accident
- (g) Date and time when admitted in hospital
- (h) Date of discharge from the hospital
- (i) Period of treatment and result of treatment
- (j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer
- (k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act
- (l) Date of payment of compensation
- (m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid
- (n) Authority by whom the compensation was assessed
- (o) Remarks

12. Preservation of Registers :

The Register of workmen and the Register of Wages-cum- Muster Roll required to be maintained under these Regulations shall be preserved for 3 years after the date on which the last entry is made therein.

13. Enforcement :

The Inspecting Officer shall either on his own motion or on a complaint received by him carry out investigations, and send a report to the Engineer-In-Charge specifying the amounts representing Workers' dues and amount of penalty to be imposed on the Contractor for breach of these Regulations, that have to be recovered from the Contractor, indicating full details of the recoveries proposed and the reasons therefore. It shall be obligatory on the part of the Engineer-In-Charge on receipt of such a report to deduct such amounts from payment due to the Contractor.

14. Disposal of amounts recovered from the Contractor :

The Engineer-In-Charge shall arrange payment to workers concerned within FORTY FIVE days from receipt of a report from the Inspecting Officer except in cases where the Contractor had made an appeal under Regulation 16 of these Regulations. In cases where there is an appeal, payment of workers dues would be arranged by the Engineer-In-Charge, wherever such payments arise, within THIRTY days from the date of receipt of the decision of the Regional Labour Commissioner (RLC).

संविदाकार इन विनियमों के साथ लगे हुए प्रारूप के अनुसार एक दण्ड रजिस्टर व क्षति या नुकसान के लिए एक कटौती रजिस्टर तैयार करेंगे जिसे कार्य-स्थल पर रखा जाना चाहिए। (परिशिष्ट VI व VII)।

11. दुर्घटना रजिस्टर :

संविदाकार कार्यस्थल की सुविधा के अनुसार उपयुक्त प्रारूप में एक दुर्घटना रजिस्टर पोषित करेंगे परंतु उसमें निम्नलिखित विवरण होना आवश्यक हैं :

- (ए) दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक का पूरा विवरण
- (बी) मजदूरी की दर
- (सी) लिंग
- (डी) उम्र
- (ई) दुर्घटना की प्रकृति व कारण
- (एफ) दुर्घटना का समय व तारीख
- (जी) अस्पताल में भर्ती कराने की तारीख व समय
- (एच) अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की तारीख
- (आई) उपचार की अवधि व उपचार का परिणाम
- (जे) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित धनार्जन क्षमता की कमी व अपंगता का प्रतिशत
- (के) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत भुगतान योग्य दावा
- (एल) क्षतिपूर्ति के भुगतान की तारीख
- (एम) भुगतान की गई राशि व जिस व्यक्ति को भुगतान की गई, उसका विवरण
- (एन) क्षतिपूर्ति निर्धारण करने वाले प्राधिकारी का नाम
- (ओ) अभ्युक्तियां

12. रजिस्ट्रों का परिरक्षण :

इन विनियमों के अंतर्गत पोषित किए जाने वाले कामगार रजिस्टर व मजदूरी-सह-उपस्थिति रजिस्ट्रों को उनमें की गई आखिरी प्रविष्टि की तारीख से तीन साल बाद तक परिरक्षित किया जाएगा।

13. प्रवर्तन :

निरीक्षण प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेंगे और प्रभारी अभियंता के पास अपनी रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें कामगार को देय राशि और इन विनियमों का अनुपालन न करने के लिए संविदाकार पर लगाए जाने वाले दण्ड व प्रस्तावित वसूली और उसके कारणों का पूरा विवरण दर्शाया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रभारी अभियंता संविदाकार को देय राशि में से इस राशि की कटौती करने के लिए बाध्य होंगे।

14. संविदाकार से वसूल की गई राशि का वितरण :

केवल इन विनियमों के विनियम 16 के अंतर्गत संविदाकार द्वारा अपील दायर किए गए मामलों के अलावा निरीक्षण अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के **पैंतालिस** दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता संबंधित कामगारों को भुगतान किए जाने की व्यवस्था करेंगे। यदि कोई अपील दायर गई हो तो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आरएलसी) का निर्णय प्राप्त होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर, जहां कहीं ऐसा भुगतान किया जाना हो, प्रभारी अभियंता द्वारा भुगतान कराने की व्यवस्था की जाएगी।

15. **Welfare Fund :**

All moneys that are recovered by the Engineer-In-Charge by way of workers dues, which could not be disbursed to workers within the time limit prescribed above, due to reasons such as whereabouts of workers not being known, death of workers, etc. and also amounts recovered as penalty, shall be credited to a Fund to be kept under the custody of the Corporation for such benefit and welfare of workmen employed by Contractors.

16. **Appeal against decision of Inspecting Officer:**

Any person aggrieved by a decision of the Inspecting Officer may appeal against such decision to the Regional Labour Commissioner concerned within THIRTY days from the date of the decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Engineer-in-Charge. The decision of the Regional Labour Commissioner shall be final and binding upon the Contractor and the workmen.

17. **Representation of parties:**

- (i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these Regulations by an officer of a registered trade union of which he is a member or by an officer of a Federation of Trade Unions to which the said trade union is affiliated or where the workman is not a member of any registered trade union, by an official of a registered trade union, connected with, or by any other workman employed in, the industry in which the worker is employed.
- (ii) A contractor shall be entitled to be represented in any investigation enquiry under these Regulations by an officer of an association of Contractors of which he is a member or by an officer of a Federation associations of contractors to which the said association is affiliated where the contractor is not a member of any association of contractors, by an officer of association of employers, connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the contractor is engaged.
- (iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in investigation or enquiry under these Regulations.

18. **Inspection of Books and other Documents:**

The Contractor shall allow inspection of the Registers and other documents prescribed under these Regulations by Inspecting Officers and the Engineer-in-charge or his authorised representative at any time and by the worker or his agent on receipt of due notice at convenient time.

15. हितकारी निधि :

प्रभारी अभियंता द्वारा कामगारों को देय राशि के रूप में वसूल की गई ऐसी सम्पूर्ण राशि जिसे उपर्युक्त समय सीमा के भीतर कामगारों को किन्हीं कारणों जैसे कामगारों का पता-ठिकाना न मिलने, मृत्यु हो जाने आदि के कारण वितरित नहीं किया गया हो और दण्ड के रूप में वसूल की गई राशि को निगम के अभिरक्षण में संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों के लाभ व कल्याण के लिए बनाई गई निधि में जमा किया जाएगा।

16. निरीक्षण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील :

निरीक्षण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास उस निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को एक प्रति अग्रसारित करते हुए उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। संविदाकार व कामगारों पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

17. पक्षों का प्रतिनिधित्व :

- (i) इन विनियमों के अंतर्गत की जाने वाली किसी जांच या पूछ-ताछ में कामगार, किसी ऐसी ट्रेड यूनियन जिसका वह सदस्य है, के अधिकारी द्वारा, अथवा ऐसी ट्रेड यूनियन, जिस ट्रेड यूनियनों के फेडरेशन के साथ संबद्ध हो, उसके अधिकारी द्वारा, अथवा यदि कामगार किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य न हो तो किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन से संबंधित अधिकारी द्वारा या संविदाकार जिस उद्योग से संबद्ध है, उसके किसी कर्मचारी द्वारा, प्रतिनिधित्व कराने का हकदार होगा।
- (ii) इन विनियमों के अंतर्गत की जाने वाली किसी जांच या पूछ-ताछ में संविदाकार, संविदाकारों की किसी ऐसी एसोसिएशन जिसका वह सदस्य है, के अधिकारी द्वारा, अथवा संविदाकारों की एसोसिएशनों की फेडरेशन जिसके साथ उक्त एसोसिएशन संबद्ध हो, उसके अधिकारी द्वारा, अथवा यदि संविदाकार किसी पंजीकृत संविदाकार एसोसिएशन का सदस्य न हो तो किसी नियोक्ता एसोसिएशन से संबंधित अधिकारी द्वारा या संविदाकार जिस उद्योग से संबद्ध है, उसके किसी अन्य संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हकदार होगा।
- (iii) कोई भी पक्ष इन विनियमों के अंतर्गत की जाने वाली जांच या पूछ-ताछ में किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हकदार नहीं होगा।

18. बही व अन्य कागजातों का निरीक्षण :

संविदाकार इन विनियमों के अंतर्गत विहित रजिस्ट्रों व अन्य कागजातों की निरीक्षण अधिकारी और प्रभारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय और उनके कर्मचारी या उनके एजेंट द्वारा आवश्यक नोटिस प्राप्त होने पर उपयुक्त समयानुसार जांच किए जाने की अनुमति देंगे।

19. **Interpretation, etc. :**

On any question as to the application interpretation or effect of these Regulations, the decision of the Chief Labour Commissioner or Deputy Chief Labour Commissioner (Central) shall be final and binding.

20. **Amendments**

Central Government may from time to time, add to or amend these Regulations and issue such directions as it may consider necessary for the proper implementation of these Regulations or for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.

19. व्याख्या आदि :

लागू होने, व्याख्या या इन विनियमों की प्रभावशीलता से संबंधित किसी प्रकार की शंका होने पर मुख्य श्रम आयुक्त या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

20. संशोधन :

केंद्रीय सरकार यदि इन विनियमों के उचित अनुपालन के लिए आवश्यक समझे या इनके प्रशासन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे दूर करने के लिए समय-समय पर इन विनियमों में संयोजन या संशोधन कर सकती है।

Appendix – I

Register of workmen

(Regulation 7)

- i) Name and address of the Contractor_____
- ii) Number and date of Contract_____
- iii) Name and address of the Department awarding the contract _____
- iv) Nature of the Contract and location of the work _____
- v) Duration of the Contract _____

Sr. No	Name and Surname of the workers	Age & Sex	Father's/ Husband's Name	Nature of Employment & Designation	Permanent Home Address of Employee (Village, Distt. Thana)	Present Address	Date of Commencement of employment	Date of termination or leaving of employment	Signature or thumb impression of the employee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट -1
कामगार रजिस्टर
(विनियम 7)

- i) संविदाकार का नाम व पता-----
- ii) संविदा का क्रमांक व तारीख-----
- iii) संविदा अवार्ड करने वाले विभाग का नाम व पता-----
- iv) संविदा की प्रकृति व कार्य की अवस्थिति-----
- v) संविदा की अवधि -----

क्रमांक	कामगार का नाम व उपनाम	उम्र व लिंग	पिता/पति का नाम	नियोजन की प्रकृति व पदनाम	कर्मचारी का स्थाई आवास पता (गांव, जिला, थाना)	वर्तमान पता	सेवा प्रारंभ करने की तारीख	सेवा समाप्त या छोड़ने की तारीख	हस्ताक्षर अथवा कर्मचारी के अंगूठे का निशान	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Appendix – 2
EMPLOYMENT CARD
(Regulation 8)

- i) Name and Sex of the worker _____
- ii) Father's/Husband's Name _____
- iii) Address _____
- iv) Age or Date of Birth _____
- v) Identification mark _____
- vi) Name and sex of the worker _____

Particulars of next of kin (Wife/Husband and Children, if any, or of dependent next of kin in case the worker has no wife / husband or child)

Name _____

Full Address of Dependent _____

(Specify, Village, Distt and State) _____

परिशिष्ट - 2
नियोजन कार्ड
(विनियम 8)
i) कामगार का नाम व लिंग -----
ii) पिता/पति का नाम-----
iii) पता-----
iv) उम्र या जन्मतिथि-----
v) पहचान का चिह्न-----
vi) कामगार का नाम व लिंग-----
उत्तराधिकारी का विवरण (पत्नी/पति व बच्चे, यदि कोई हों, अथवा यदि कामगार के पति/पत्नी न हों तो आश्रित उत्तराधिकारी का विवरण)
नाम -----
आश्रित का पूरा पता-----
(गांव, जिला व शहर का विशेष रूप से उल्लेख करें।)-----

Sr N o.	Name and address of employer (specify whether a contractor or a sub- Contractor)	Particul ars of locatio n of work site and descrip tion of work done	Total period for which the worker is employe d (fromto)	Actual numb er of days worke d	Leave taken (No. days should be specifi ed)	Nature of work done by the worker	Wag e peri od	Wage rate with particulars of unit in case of piece work	Total wage earned by the worker during the period shown under Col. 5	Rem arks	Signature of the employer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N.B. For a worker employed at one time piece work basis and at another on daily wages, relevant entries in respect of each type of employment should be made separately.

क्रमांक	नियोक्ता का नाम व पता (कृपया स्पष्ट करें कि संविदाकार है या उप संविदाकार)	कार्यस्थल की स्थिति व किए गए कार्य का विवरण	कामगार को नियोजित किए जाने की कुल अवधि (- --से----तक)	वास्तविक रूप से किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या	ली गई छुट्टी (दिनों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करें)	कामगार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति	मजदूरी अवधि	मजदूरी की दर और फुटकर कार्य के मामले में प्रति इकाई विवरण सहित	कॉलम 5 में दिखाई गई अवधि के दौरान अर्जित कुल मजदूरी	अभ्युक्ति	नियोजक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ध्यानयोग्य : यदि एक कामगार को किसी समय फुटकर कार्य आधार पर और किसी अन्य समय दैनिक मजदूरी आधार पर रखा जाता है तो प्रत्येक प्रकार की नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रविष्टियां की जाएंगी।

Appendix – 3

REGISTER OF WAGES - CUM - MUSTER ROLL (Regulation 9)

- i) Name & Address of the contractor _____
- ii) Number and date of Contract _____
- iii) Name and address of the Department awarding the Contract _____
- iv) Nature of the Contract and location of the work _____
- v) Duration of the Contract _____
- vi) Wage Period _____

परिशिष्ट - 3

मजदूरी रजिस्टर-सह-उपस्थिति पंजी

(विनियम 9)

i) संविदाकार का नाम व पता -----

ii) संविदा का क्रमांक व तारीख -----

iii) संविदा अवार्ड करने वाले विभाग का नाम व पता -----

iv) संविदा की प्रकृति व कार्य का स्थान -----

v) संविदा की अवधि -----

vi) मजदूरी अवधि -----

						Fair Wages Payable			Wages Paid		Overtime Worked				Deduction from wages								
Sr No.	Name and Surname of the worker	Father 's/ Husb ands Name	Sex	Designation/ Nature of work	Daily attendanc e (No. of Units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Total Attendance	Basic	D.A. & other allowance	Basic	D.A. & other allowance	Date	No. of Hrs.	Over time wages earned	Total wages paid	Fine	Deduction for Damage or loss	House Rent	Recovery of	Other deductions	Net Wages payable	Date of Payment	Signature / Thumb impression of worker	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Reasons to be recorded in Col. 24

						न्यायोचित देय मजदूरी		मजदूरी अवधि	अतिरिक्त समय कार्य			मजदूरी से कटौती											
क्रमांक	कामगार का नाम व उपनाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदनाम/कार्य की प्रकृति	प्रतिदिन उपस्थिति (इकाई वार 1,2,3,4,5,6,7)	कुल उपस्थिति	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते	तारीख	कुल घंटे	अर्जित अतिरिक्त समय मजदूरी	कुल मजदूरी अवधि	दण्ड	नुकसान या क्षति पूर्ति के लिए कटौती	आवास किराया	की वसूली	अन्य कटौतियां	निवल देय मजदूरी	भुगतान की तारीख	कामगार के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

कारणों को कॉलम क्रमांक 24 में दर्ज किया जाए।

Appendix-4
WAGE SLIP

(Regulation 9)

- i) Name of the Contractor _____
- ii) Place _____

1.	Name of the Workers with father`s/ husband`s name	:
2.	Nature of Employment	:
3.	Wage period	:
4.	Rate of Wages Payable	:
5.	Total attendance/Unit of work done	:
6.	Date on which overtime worked	:
7.	Overtime Wages	:
8.	Gross Wages Payable	:
9.	Total Deductions (indicating nature of deductions)	:
10.	Net Wages Payable	:

Contractor's Signature/
Thumb Impression

Employees` Signature/
Thumb Impression

परिशिष्ट - 4

मजदूरी पर्ची

(विनियम 9)

i) संविदाकार का नाम-----

ii) स्थान -----

1. कामगार का नाम व पिता/पति का नाम :
2. नियोजन की प्रकृति :
3. मजदूरी अवधि :
4. देय मजदूरी की दर :
5. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की इकाई :
6. अतिरिक्त कार्य की तारीख :
7. अतिरिक्त कार्य मजदूरी की दर :
8. सकल देय मजदूरी :
9. कुल कटौती(कटौती की प्रकृति दर्शाएं) :
10. देय निवल मजदूरी :

संविदाकार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

Appendix - 5

LIST OF ACTS AND OMISSIONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED

(REGULATION NO. 10 VI)

In accordance with rule 10 (vi) Contractor's Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work both in English and local Language.

1. Willful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with other.
2. Theft, fraud or dishonesty in connection with the Contractors beside a business or property of Corporation.
3. Taking or giving bribes or any illegal gratifications.
4. Habitual late attendance.
5. Drunkenness fighting, riotous or disorderly or indifferent behavior.
6. Habitual negligence.
7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked.
8. Habitual indiscipline.
9. Causing damage to work in the progress or to property of the Corporation or of the Contractor.
10. Sleeping on duty.
11. Malingering or slowing down work .
12. Giving of false information regarding name, age father's name etc.,
13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
14. Unauthorized use of employer's property for manufacturing or making of unauthorised articles at the work place.
15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Corporation and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.

परिशिष्ट - 5

दण्ड अधिरोपण योग्य कार्य व चूकों की सूची

(विनियम संख्या 10 VI)

नियम 10 (vi) के अनुसार संविदाकार कामगार विनियमों को अंग्रेजी व स्थानीय दोनों भाषाओं में कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

1. चाहे स्वयं या अन्य के साथ मिल कर जानबूझ कर अवज्ञा या आज्ञापालन न करना।
2. निगम के व्यापार या सम्पत्ति के साथ-साथ संविदाकार के संबंध में किसी प्रकार की चोरी, धोखा या बेइमानी।
3. घूस या अन्य अवैध परितोषण लेना या देना।
4. आदतन विलंब से उपस्थित होना।
5. शराब पी कर लड़ाई, दंगाकारी या अमर्यादित या असामान्य व्यवहार करना।
6. आदतन लापरवाही।
7. ज्वलनशील पदार्थों या अन्य वस्तुओं के भंडारण स्थान के निकट या आस-पास धूम्रपान करना।
8. आदतन अनुशासनहीनता।
9. निगम या संविदाकार की संपत्ति अथवा कार्य की प्रगति को क्षति पहुंचाना।
10. कार्य के दौरान सोना।
11. बीमारी का बहाना करना या धीरे कार्य करना।
12. अपने नाम, पिता के नाम, उम्र आदि के बारे में गलत सूचनाएं देना।
13. नियोजक द्वारा आपूर्त मजदूरी कार्ड को आदतन गुम करना।
14. नियोजक की संपत्ति का अनधिकृत प्रयोग कर कार्य-स्थल पर अनधिकृत रूप से किसी वस्तु का निर्माण करना।
15. निर्माण व अनुरक्षण कार्यों में किसी कुशल श्रमिक द्वारा ऐसी खराब कारीगरी करना जिसे निगम द्वारा अनुमोदित न किया जाए और जिसके लिए संविदाकार को मरम्मत कार्य करने को विवश होना पड़े।

16. Making false complaints and/or misleading statements.
17. Engaging on trade within the premises of the establishments.
18. Any unauthorised divulgence of business affairs of the employees.
19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.
20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.
21. Threatening or intimidating any workman or employer during the working hours within the premises.

16. झूठी शिकायतें करना और / अथवा भ्रामक तथ्य देना।
17. स्थापना के परिसर में किसी कारोबार में लिप्त होना।
18. कर्मचारियों के कार्य-व्यापार के बारे में अनधिकृत रूप से सूचनाएं देना।
19. नियोजक के प्राधिकरण के बगैर स्थापना के परिसर में किसी प्रकार का राशि संग्रहण अथवा राशि संग्रहण के लिए प्रचार करना।
20. परिसर के भीतर नियोजक की पूर्वानुमति के बगैर किसी प्रकार की सभा आयोजित करना।
21. किसी कामगार या नियोजक को परिसर के भीतर कार्यदिवस में किसी प्रकार की धमकी देना या उकसाने वाली कार्रवाई करना।

Appendix –6

REGISTER OF FINES

Regulation No. 10 (vii)

Sr. No.	Name	Father's/ Husband's Name	Sex	Department	Nature and date of offence for fines imposed	Whether workman showed offence cause against fine or not, if so enter data	Rate of wages	Date and amount of fine imposed	Date on which fine realised	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट - 6

दण्ड रजिस्टर

विनियम संख्या 10 (vii)

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	विभाग	अधिरोपित दण्ड के अपराध की प्रकृति व तारीख	क्या कामगार को अपराध के विरुद्ध दण्ड के कारण बताए गए, यदि हां तो संबंधित विवरण दर्शाएं	मजदूरी की दर	अधिरोपित दण्ड की राशि व तारीख	दण्ड की वसूली की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Appendix – 7

3. REGISTER OF DEDUCTIONS FOR DAMAGES OR LOSS CAUSED TO THE CORPORATION BY THE NEGLECT OR DEFAULT OF THE EMPLOYED PERSONS.

Regulation No. 10 (vii)

Sr. No.	Name	Father's / Husband's Name	Sex	Department	Damage or loss caused with date	Whether worker showed cause against deduction, if so enter date	Date & amount of deduction imposed	Number of installment if any	Date on which total amount realized	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट - 7

3. नियोजित व्यक्तियों की लापरवाही या गलती के कारण निगम को हुए नुकसान या क्षति के लिए की जाने वाली कटौती का रजिस्टर

विनियम संख्या 10 (vii)

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	विभाग	किया गया नुकसान या क्षति व उसकी तारीख	क्या कामगार को इस कटौती का कारण बताया गया, यदि हां तो उसकी तारीख	अधिरोपित की कटौती की तारीख व राशि	किश्तों की संख्या यदि कोई हो तो	कुल राशि की वसूली पूरी होने की तारीख	अभ्युक्ति यां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20. MODEL RULES FOR LABOUR WELFARE

1. **Definitions:**

- (a) "Work Place" means a place at which, on an average, twenty or more workers are employed.
- (b) "Large work place" means a place at which, on an average 500 or more workers are employed.

2. **First Aid :**

At every workplace, there shall be maintained in a readily accessible place first aid appliances including an adequate supply of sterilized dressings and sterilized cotton wool as prescribed in the Factory Rules of the State in which the work is carried on. The appliances shall be kept in good order and in large work-places, they shall be placed under the charge of a responsible person who shall be readily available during working hours.

At large workplaces, where hospital facilities are not available within easy distance of the works First Aid Posts shall be established and be run by trained compounders.

Where large workplaces are remotely situated and far away from regular hospitals, an indoor ward shall be provided with one bed for every 260 employees.

Where large workplaces are situated in cities, towns or in their suburbs and no beds are considered necessary owing to proximity of city or town hospitals, suitable transport shall be provided to facilitate removal of urgent cases to these hospitals. At other workplaces, some conveyance facilities shall be kept readily available to take injured person or person suddenly taken seriously ill, to the nearest hospital.

At large workplaces these shall be provided and maintained an ambulance room of the prescribed sizes, containing the prescribed equipment and in the charge of such medical and nursing staff as may be prescribed. For the purpose the relevant provisions of the Factory Rules of the State Government of the area where the work is carried on may be taken as the prescribed standard.

3. **Accommodation for Labour :**

The Contractor shall during the progress of the works provide, erect and maintain necessary temporary living accommodation and ancillary facilities for labour at his own expense and to standards and scales as approved by the Engineer-in-Charge.

20. मजदूरों के कल्याण के लिए आदर्श नियम

1. परिभाषाएं :

- (ए) "कार्य स्थल" से तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर औसतन बीस या अधिक मजदूर नियोजित हों।
- (बी) "विशाल कार्य स्थल" से तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर औसतन 500 या अधिक कामगार नियोजित हों।

2. प्राथमिक चिकित्सा :

प्रत्येक कार्य स्थल के तत्काल सुलभ स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें कार्य स्थल के राज्य में लागू फैक्टरी नियमों में किए गए वर्णन के अनुसार पर्याप्त मात्रा में विसंक्रामित पट्टियां व विसंक्रामित रुई की आपूर्ति रखी जाएगी। इन उपकरणों को अच्छी हालत में रखा जाएगा और विशाल कार्य स्थलों पर इन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति की निगरानी में रखा जाएगा। यह व्यक्ति कार्य समय के दौरान हर समय उपलब्ध रहेगा।

विशाल कार्य स्थलों पर जहां अस्पताल सुविधाएं कार्य के सुलभ निकट उपलब्ध न हों, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकियां स्थापित की जाएंगी और इन्हें प्रशिक्षित कम्पाउंडरों द्वारा चलाया जाएगा।

यदि विशाल कार्यस्थल दूर-दराज स्थित हों और नियमित अस्पतालों से उनकी दूरी अधिक हो, तो प्रति 260 व्यक्तियों पर एक बिस्तर वाला इंडोर वार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

जहां कहीं विशाल कार्यस्थल शहर, कस्बों या उनके उपनगरों में स्थित हो और शहर या कस्बों के अस्पताल नजदीक होने के कारण ऐसे बिस्तरों की आवश्यकता न महसूस की गई हो, वहां आपात् मामलों को इन अस्पतालों में तत्काल अंतरित करने के लिए उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। अन्य कार्यस्थलों पर घायलों या अचानक बीमार पड़ गए व्यक्तियों को निकटतम अस्पताल तक ले जाने के लिए तत्काल सुलभ हो सकने वाली उपयुक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

विशाल कार्यस्थलों पर निर्धारित आकार का एक एम्बुलेंस कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा और इसे अनुरक्षित किया जाएगा। इसमें निर्धारित उपकरण लगे होंगे और इसे विहित चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए कार्य स्थल के क्षेत्र की राज्य सरकार के फैक्टरी नियमों के संबंधित प्रावधानों को निर्धारित मानक माना जाएगा।

3. श्रमिकों का आवास :

कार्य की प्रगति के दौरान संविदाकार, अपने श्रमिकों के लिए, प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार, स्वयं के खर्च पर आवश्यक अस्थाई आवास व आनुषंगिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे व इनका अनुरक्षण करेंगे।

4. **Drinking water :**

In every workplace, there shall be provided and maintained at suitable places easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.

Where drinking water is obtained from an intermittent public water supply each workplace shall be provided with storage where drinking water shall be stored.

Every water supply storage shall be at a distance of not less than 15 meters from any latrine drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well, which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap door which shall be dust and water-proof.

A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

5. **Washing and Bathing Places :**

Adequate washing and bathing places shall be provided separately for man women. Such places shall be kept in clean and drained condition.

6. **Scale of Accommodation in Latrines and Urinals :**

There shall be provided within the precincts of every workplace latrines and urinals in an accessible place, and the accommodation, separately for each of these, shall not be less than at the following scales:-

	No. of Seats
(a) Where number of persons does not exceed 50	2
(b) Where number of persons exceeds 50 but does not exceed 100	3
(c) For additional persons per 100 or part thereof	3

In particular cases, the Engineer-in-Charge shall have the power to increase the requirement, where necessary.

4. पीने का पानी :

प्रत्येक कार्य स्थल के किसी सुलभ आवागमन स्थान पर श्रमिकों के लिए पीने योग्य पर्याप्त शीतलजल की व्यवस्था की जाएगी व इसका अनुरक्षण किया जाएगा।

ऐसे प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां पीने का पानी सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली द्वारा आंतरिक रूप से प्राप्त किया जाता हो, पीने का पानी रखने के लिए एक भंडारण टैंक उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक जलापूर्ति टैंक किसी शौचालय निकासी या अन्य किसी भी प्रकार के प्रदूषण स्रोत से कम से कम 15 मीटर दूर स्थित होगा। जहां कहीं पानी किसी पहले से बने ऐसे कुएं से निकाला जाना हो जिससे 15 मीटर की दूरी के भीतर ही शौचालय, नाला या कोई अन्य प्रदूषण स्रोत स्थित हो, वहां पर कुएं से पीने का पानी निकालने से पहले इस पानी को भली प्रकार से क्लोरीनीकृत किया जाएगा। ऐसे सभी कुओं को पूरी तरह से ढक कर रखा जाएगा और इसमें एक पूर्णरूपेण धूल व पानी रोधी ट्रेप-डोर लगाया जाएगा।

प्रत्येक ढके हुए कुएं में एक विश्वसनीय पंप फिट किया जाएगा और ट्रेप-डोर पर ताला लगाया जाएगा। इस दरवाजे को केवल सफाई या निरीक्षण के लिए ही खोला जाएगा। सफाई व निरीक्षण कार्य माह में कम से कम एक बार अवश्य किया जाएगा।

5. नहाने और धोने के स्थान :

पर्याप्त संख्या में महिलाओं व पुरुषों के लिए पृथक-पृथक नहाने व धोने के स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्थानों को साफ-सुथरा रखा जाएगा व जल-निकासी की व्यवस्था की जाएगी।

6. शौचालयों व मूत्रालयों में आवास मानदण्ड :

प्रत्येक कार्यस्थल की प्रसीमा के भीतर महिलाओं व पुरुषों के लिए पृथक-पृथक शौचालयों व मूत्रालयों की सुगम स्थानों पर व्यवस्था की जाएगी और महिलाओं व पुरुषों के पृथक-पृथक इन शौचालयों व मूत्रालयों में आवास की व्यवस्था निम्नलिखित मानदण्डों से कम नहीं होगी :-

	सीटों की संख्या
(ए) जब व्यक्तियों की संख्या 50 से कम हो	2
(बी) जब व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक परंतु 100 से कम हो	3
(सी) प्रत्येक अतिरिक्त 100 व्यक्तियों या उसके किसी भाग के लिए	3

किन्हीं विशेष मामलों में यदि आवश्यक हो तो प्रभारी अभियंता को सीटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होगा।

7. Latrines and Urinals :

Except in workplaces provided with water flushed latrines connected with a water-borne sewage system. All latrines shall be provided with receptacles or dry-earth system which shall be cleaned at least four times daily and at least twice during working hours and kept in a strictly sanitary condition. Receptacles shall be tarred inside and outside at least once a year. If women are employed, separate latrine and urinals screened from those for men and marked in the vernacular in conspicuous letters "For Women Only" shall be provided on the scale laid down in rule 6. Those for men shall be similarly marked "For Men Only". A poster showing the figure of a man and of a woman shall also be exhibited at the entrance to latrines for each sex. There shall be adequate supply of water close to latrines and urinals.

8. Construction of Latrines:

Inside walls shall be constructed of masonry or some suitable heat resisting nonabsorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year. The dates of cement washing shall be noted in a register maintained for the purpose and kept available for inspection. Latrines shall have at least thatched roof.

9. Disposal of Excreta :

Unless otherwise arranged for by the local-sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the workplace shall be made by means of a suitable incinerator approved by the local medical health and municipal or cantonment authorities. Alternatively excreta may be disposed off by putting a layer of night soils at the Bottom of pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn into manure).

The Contractor shall, at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Engineer-in-charge to effect proper disposal of soil and other conservancy work in respect of Contractor's work people or employees on the Site. The Contractor shall be responsible for payment of any charges which may be levied by municipal or cantonment authority for execution of such work on his behalf.

10. Provision of shelters during rest :

At every work place there shall be provided free of cost, four suitable sheds, two for meals and two others for rest, separately for use of men and women Labour. Height of each shelter shall not be less than 3 meters from floor level to lowest part of roof. Sheds shall be kept clean and the space provided shall be on the basis of at least 0.5 sq.m. per head.

7. शौचालय व मूत्रालय :

सिवाए ऐसे कार्यस्थलों के जहां फ्लश वाले शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है, सभी शौचालयों में रिसेप्टेकल्स या शुष्क सतह प्रणाली लगाई जाएगी। इन्हें प्रतिदिन कम से कम चार बार और प्रत्येक कार्य समय में कम से कम दो बार साफ किया जाएगा और इन्हें पूर्णरूपेण स्वच्छ हालत में रखा जाएगा। इन रिसेप्टकलों को वर्ष में कम से कम एक बार अंदर बाहर पूरी तरह से तारकोल से पोता जाएगा। यदि महिलाओं को भी काम पर लगाया गया हो तो उनके लिए पुरुषों के शौचालयों से पृथक् शौचालयों व मूत्रालयों की व्यवस्था की जाएगी और इन्हें स्थानीय भाषा के स्पष्ट अक्षरों द्वारा " केवल महिलाओं के लिए" चिह्नित किया जाएगा। इनकी संख्या नियम 6 में वर्णित मानकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार पुरुषों के लिए बनाए गए शौचालयों व मूत्रालयों पर "केवल पुरुषों के लिए" अंकित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग के शौचालयों के प्रवेश द्वार पर पुरुष व महिला का चित्र भी बनाया जाएगा। इन शौचालयों व मूत्रालयों के नजदीक पर्याप्त पानी आपूर्ति की भी व्यवस्था की जाएगी।

8. शौचालयों का निर्माण :

भीतरी दीवारें ईंट-गारे अथवा किसी ऊष्मारोधी अनअवशोषी पदार्थ की बनाई जाएंगी और इसके भीतरी व बाहरी ओर साल में कम से कम एक बार सीमेंट की पुताई की जाएगी। सीमेंट की पुताई की तारीख इस कार्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और यह रजिस्टर निरीक्षण हेतु तैयार रखा जाएगा। शौचालयों की छत कम से कम खपरैल की अवश्य होगी।

9. मल का निस्तारण :

जब तक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कार्यस्थल से मल आदि को स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और महापालिका या कैंटोनमेंट प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित उपयुक्त दाहक की सहायता से दाहन प्रक्रिया द्वारा निस्तारित किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस कार्य के लिए बनाए गए पक्के टैंक की सतह पर चिकनी मिट्टी की पर्त लगाकर इसके ऊपर कचरे या अपशिष्ट की 15 सेमी की पर्त लगाई जाएगी। इसके ऊपर मिट्टी की पर्त चढ़ाकर इसे 15 दिनों के लिए छोड़ दिया जाएगा (इतने समय में यह खाद में परिवर्तित हो जाएगा)।

इस मिट्टी के उचित निस्तारण और संविदाकार के कार्य में लगे लोगों व कार्यस्थल के कर्मचारियों के संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए परिरक्षण संबंधी निर्देशों का संविदाकार अपने खर्च पर अनुपालन करेंगे। उनकी ओर से इस कार्य को किए जाने के लिए महापालिका या कैंटोनमेंट प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का शुल्क लगाए जाने पर संविदाकार उसके भुगतान के जिम्मेदार होंगे।

10. विश्राम के दौरान आराम करने के लिए बसेरा :

प्रत्येक कार्यस्थल पर चार उपयुक्त शेड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। पुरुष व महिला श्रमिकों लिए अलग-अलग इन शेडों में से दो शेड खाना खाने के लिए व दो आराम करने के लिए होंगे। इन शेडों की छतों का सबसे निचला सिरा फर्श से कम से कम 3 मीटर ऊंचा होगा। इन शेडों में हमेशा साफ-सफाई रखी जाएगी और इन शेडों के आकार का आधार प्रति व्यक्ति कम से कम 0.5 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से होगा।

11. **Crèches :**

At a place at which 20 or more women workers are ordinarily employed, there shall be provided at least one hut for use of children under the age of 6 years belonging to such women, Huts shall not be constructed to a standard lower than that of thatched roof, mud floor and wall with wooden plants spread over mud floor and covered with matting.

Huts shall provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean. There shall be two dais in attendance. Sanitary utensils shall be provided to the satisfaction of local medical health and municipal or cantonment authorities. Use of huts shall be restricted to children their attendance and mothers of children.

Where the number of women workers is more than 25 but less than 50, the Contractor shall provide at least one hut and one dai to look after children of women workers.

Size of creche (s) shall vary according to the number of women workers employed.

Creche (s) shall be properly maintained and necessary equipment like toys etc., provided.

12. **Canteen :**

A cooked food canteen on a moderate scale shall be provided for the benefit of workers wherever it is considered necessary.

13. **Planning :**

Setting and erection of the above mentioned structures shall be approved by the Engineer-in-Charge, and the whole of such temporary accommodation shall at all times during the progress of the works be kept tidy and in a clean and sanitary condition to the satisfaction of the Engineer-in-Charge and at the Contractor's expenses. The Contractor shall conform generally to sanitary requirements of local medical, health and municipal or cantonment authorities and at all times adopt such precautions as may be necessary to prevent soil pollution of the Site.

On completion of the Works the whole of such temporary structures shall be cleared away, all rubbish burnt, excreta or other disposal pits or trenches filled in and effectively sealed off and the whole of site left clean and tidy to the entire satisfaction of the Engineer-in-Charge and at the Contractor's expenses.

11. शिशुगृह :

जिन स्थलों पर सामान्यतया 20 या अधिक महिला कामगार नियोजित रहती हों वहां पर इन महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के उपयोग के लिए कम से कम एक झोपड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। इस झोपड़ी का निर्माण खपरैल की छत, मिट्टी की फर्श और इस फर्श पर लकड़ी के पटरे और पटरों के ऊपर चटाई से कम स्तर का नहीं होगा।

इस झोपड़ी में हवा और रोशनी का उपयुक्त व पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा। इस स्थान को साफ-सुथरा रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी लगाए जाएंगे। यहां पर दो दाइयां होंगी। स्थानीय चिकित्सा व महापालिका या कैंटोनमेंट प्राधिकारियों को संतोषजनक प्रतीत होने योग्य स्वच्छ बरतन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस झोपड़ी का उपयोग शिशुओं, उनके परिचायकों व शिशुओं की माताओं के लिए ही सीमित होगा।

जहां कहीं महिला कर्मचारियों की संख्या 25 से अधिक परंतु 50 से कम हो तो संविदाकार महिला कामगारों के शिशुओं की देखभाल के लिए कम से कम एक झोपड़ी व एक दाई की व्यवस्था करेंगे।

शिशुगृह(गृहों) का आकार नियोजित की गई महिला कामगारों की संख्या के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा।

शिशुगृह(गृहों) को भली प्रकार अनुरक्षित किया जाएगा व आवश्यक उपकरण जैसे खिलौने आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. कैंटीन :

जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत हो, कामगारों के लाभार्थ एक अस्थाई तैयार भोजन कैंटीन उपलब्ध कराई जाएगी।

13. आयोजना :

उपर्युक्त वर्णित निर्माणों की स्थापना व तैयार करने के लिए प्रभारी अभियंता का अनुमोदन लिया जाएगा और कार्य की प्रगति के दौरान ऐसे सभी अस्थाई आवासों को संविदाकार के खर्च पर तैयार किया जाएगा व प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के स्तर तक साफ व स्वच्छ गंदगी रहित रखा जाएगा। संविदाकार सामान्यतया स्थानीय चिकित्सा, स्वास्थ्य व महापालिका या कैंटोनमेंट प्राधिकारियों की अनिवार्यताओं का अनुपालन करेंगे और कार्यस्थल की भूमि को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाने के लिए हमेशा आवश्यक सावधानियां बरतेंगे।

कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात, संविदाकार के खर्चे पर ऐसे सभी अस्थाई निर्माणों को हटाया जाएगा, सभी जलाई गई गंदगी, मल आदि, अन्य निस्तारण गड्ढों या खाइयों को भरा जाएगा व उचित प्रकार से बंद किया जाएगा और पूरे कार्यस्थल को प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के स्तर तक साफ व स्वच्छ हालत में लाया जाएगा।

14. Anti-malarial precautions :

The Contractor shall, at his own expense, conform to all anti-malarial instructions given to him by the Engineer-in-Charge, including filling up any borrow pits which may have been dug by him.

15. Enforcement :

The Inspecting Officer mentioned in the Contractors Labour Regulations or any other officer nominated in his behalf by the Engineer-in-Charge shall report to the Engineer-in-Charge all cases of failure on the part of the Contractor and or his sub-contractors to comply with the provisions of these Rules either wholly or in part and the Engineer-in-Charge shall impose such fines and other penalties as are prescribed in the conditions.

16. Interpretations etc. :

On any question as to the application, interpretation or effect of these Rules, the decision of the Chief Labour Commissioner or Deputy Chief Labour Commissioner(Central) shall be final and binding.

17. Amendments :

Government may, from time to time add to or amend these Rules and issue such directions as it may consider necessary for the proper implementation of these Rules or for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.

14. मलेरिया रोधी सावधानियां :

संविदाकार अपने खर्चे पर, उनके द्वारा खोदे गए अस्थाई गड्ढों को भरने सहित मलेरिया की रोकथाम के संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा दिए जाने वाले समस्त निर्देशों को पूरा करेंगे।

15. प्रवर्तन :

संविदाकार कामगार विनियमों में विनिर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी अथवा प्रभारी अभियंता की ओर से नामित कोई अन्य अधिकारी, संविदाकार या उनके उप संविदाकारों द्वारा इन नियमों के प्रावधानों का पूर्णरूपेण या उनके किसी भाग का अनुपालन करने में असफल रहने की रिपोर्ट प्रभारी अभियंता को देंगे और प्रभारी अभियंता तदनुसार इन शर्तों में वर्णित जुर्माना व दण्ड का अधिरोपण करेंगे।

16. व्याख्या :

इन नियमों के लागू होने, व्याख्या या प्रभाव के बारे में कोई शंका होने पर मुख्य श्रम आयुक्त या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

17. संशोधन

सरकार इन नियमों का उचित अनुपालन अथवा इनके प्रशासन में आने वाली किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन की आवश्यकता समझने पर समय-समय पर इन नियमों में कुछ जोड़ सकती है अथवा संशोधन कर सकती है।

21. AERB Safety Guide

S. NO.	CONTENTS TITLE
1.	INTRODUCTION
2.	GENERAL SAFETY PROVISIONS
3.	TRAFFIC
4.	SAFE MEANS OF ACCESS
5.	EXCAVATION, TRENCHING & EARTH REMOVAL
6.	CONCRETING
7.	DEMOLITION
8.	PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
9.	PAINTING
10.	LIFTING MACHINES & TACKLES
11.	WELDING AND GAS CUTTING
12.	GRINDING
13.	ELECTRICITY
14.	HOUSE KEEPING
15.	FIRE SAFETY
16.	SAFETY WORK PERMIT
17.	WORK IN RADIATION AREA
18.	WORK IN AROUND WATER BODIES
19.	MEDICAL FACILITIES
20.	SAFETY OFFICER & SAFETY CO-ORDINATION
21.	REPORTING OF ACCIDENT
22.	PUBLIC PROTECTION
23.	OTHER STATUTORY PROVISIONS
ANNEXURE:	GUIDELINES AND GENERAL PROCEDURES FOR SUPPLY AND USE OF ELECTRICITY AT SITE
FORMS:	1. FORM FOR COMPLETION CERTIFICATE
	2. APPLICATION FOR SERVICE CONNECTION BY CONTRACTOR

21. परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद संरक्षा दिग्दर्शिका

क्रम संख्या	विषय शीर्षक
1.	प्रस्तावना
2.	सामान्य संरक्षा प्रावधान
3.	यातायात
4.	प्रवेश के सुरक्षित मार्ग
5.	खुदाई, खाई बनाना व मिट्टी हटाना
6.	कंक्रीट की ढलाई
7.	तोड़-फोड़
8.	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
9.	रंगाई
10.	लिफ्टिंग मशीने व टैकल
11.	वेल्डिंग व गैस कटिंग
12.	घिसाई
13.	बिजली
14.	गृह सज्जा
15.	अग्नि संरक्षा
16.	संरक्षा कार्य परमिट
17.	विकिरण क्षेत्र में कार्य
18.	जलीय क्षेत्रों में व उसके आस-पास कार्य
19.	चिकित्सा सुविधाएं
20.	संरक्षा अधिकारी/संरक्षा समन्वयक
21.	दुर्घटना की रिपोर्टिंग
22.	जनता की सुरक्षा
23.	अन्य संवैधानिक प्रावधान
परिशिष्ट :	कार्यस्थल पर बिजली की आपूर्ति व उपयोग के लिए दिशानिर्देश व सामान्य विधियां
प्रपत्र:	1. कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र का प्रपत्र
	2. बिजली सेवा प्राप्त करने के लिए संविदाकार द्वारा दिया जाने वाला आवेदन

1. INTRODUCTION

Many of the works of Department of Atomic Energy at its various sites are executed by the Contractors. During these works, contractors personnel are likely to be exposed to different types of hazards. Similarly, unsafe acts of contractors personnel may generate hazards for Departmental staff and / or workmen of other contractors working at the site. Such unsafe acts may also pose danger to the existing installations and even to members of public. This guide is prepared to facilitate safe working during execution of contract works. It is hoped that units of DAE may issue this guide as a part of contract documents while awarding contracts.

2. GENERAL SAFETY PROVISIONS

- 2.1 The Contractor shall take all safety precautions during the execution of awarded work and shall maintain and leave the site safe at all times. At the end of each working day and at all times when the work is temporarily suspended, he shall ensure that all materials, equipment and facilities will not cause damage to existing property, personal injury or interfere with the other works of the Project or Station. The Contractor shall comply with all applicable provisions of the safety regulations, clean up programme and other measures that are in force at the site.
- 2.2 The Contractor shall provide and maintain all lights, guards, fencing, warning signs, caution boards and other safety measures and provide for vigilance as and where necessary or as required by the Engineer-in-charge or by any duly constituted authority for the protection of workers or for the safety of others. The caution boards shall also have appropriate symbols.
- 2.3 Adequate lighting facilities such as flood lights, hand lights and area lighting shall be provided by the Contractor at the site of work, storage area of materials and equipment and temporary access roads within his working area. The contractor shall obtain written approval of the Engineer-in-charge to the lighting scheme and place of tapping prior to its installation.
- 2.4 The Contractor shall plan his operation so as to avoid interference with the other Departmental works, other contractors or sub-contractors at the site. In case of any interference, necessary co-ordination shall be sought by the contractor from the Department for safe and smooth working.
- 2.5 The Contractor and his sub-contractor, if any, shall comply with the instructions given by the Safety Engineer or his authorised nominee regarding safety precautions, protective measures, house keeping requirements, etc. The Safety Engineer with due intimation to Engineer-In-charge shall have the right to stop the work of the contractor, if in his opinion proceeding with the work will lead to an unsafe and dangerous condition. Engineer-in-charge shall get the unsafe conditions removed or provide protective equipment at the contractors cost. The contractor can employ his own Safety Engineer or nominate one of his officers for liaison with Departmental Safety Engineer, for ensuring compliance of all safety rules.

1. भूमिका

परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न स्थलों के अनेक कार्यों का निष्पादन संविदाकारों द्वारा किया जाता है। इन कार्यों के दौरान संविदाकार के कामगारों का सामना विभिन्न प्रकार के खतरों से होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार संविदाकार के कामगारों द्वारा असुरक्षित कृत्यों से विभागीय कर्मचारियों और / कार्यस्थल पर काम कर रहे अन्य संविदाकारों के कामगारों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे असुरक्षित कृत्यों से मौजूदा इमारतों और यहां तक कि आम जनता को भी खतरा हो सकता है। इस दिग्दर्शिका को संविदा कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षित कार्यप्रणाली अपनाने के लिए तैयार किया गया है। आशा की जाती है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयां संविदा अवार्ड करते समय इन दिशानिर्देशों को संविदा दस्तावेजों के एक भाग के रूप में जारी करेंगी।

2. सामान्य संरक्षा प्रावधान

- 2.1 संविदाकार अवार्ड किए गए कार्य के निष्पादन के दौरान सभी संरक्षा सावधानियां अपनाएंगे और कार्यस्थल को सदैव सुरक्षित दशा में बनाए रखेंगे व छोड़ेंगे। प्रत्येक कार्यदिवस के समाप्त होने पर व कार्य को अस्थाई रूप से लंबित किए जाने पर वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी सामग्री, उपकरण व सुविधाएं मौजूदा संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं, किसी व्यक्ति को चोट न लगे या परियोजना अथवा केंद्र के अन्य कार्यों में कोई बाधा न आए। संविदाकार संरक्षा विनियमों के समस्त लागू प्रावधानों, सफाई कार्यक्रम व कार्यस्थल पर लागू अन्य उपायों का अनुपालन करेंगे।
- 2.2 संविदाकार, प्रभारी अभियंता या विधिवत् नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कामगारों की सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए वांछित सभी लाइटें, गार्ड, बाड़, चेतावनी बोर्ड, सावधानी बोर्ड तथा यथासमय यथाआवश्यक सतर्कता के लिए आवश्यक अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराएंगे। चेतावनी बोर्ड में उपयुक्त प्रतीक चिह्न भी बनें होंगे।
- 2.3 संविदाकार द्वारा अंदर कार्यस्थल पर, सामग्री व उपकरण भंडारण क्षेत्र में व अपने कार्यक्षेत्र में जाने वाली अस्थाई सड़कों पर पर्याप्त रोशनी सुविधाएं जैसे फ्लड लाइटें, हैंड लाइटें, व आस-पास के क्षेत्र के लिए लाइटों आदि की व्यवस्था की जाएगी। इन लाइटों को लगाने से पहले संविदाकार अपनी लाइटिंग योजना व तारों को जोड़ने के स्थानों के बारे में प्रभारी अभियंता से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- 2.4 संविदाकार अपने कार्यों की योजना इस प्रकार बनाएंगे कि इससे अन्य विभागीय कार्यों में, कार्यस्थल पर कार्यरत अन्य संविदाकारों या उप संविदाकारों के कार्यों में व्यवधान न पड़े। यदि कोई ऐसा व्यवधान होता है तो सुरक्षित व सुगम ढंग से कार्यनिष्पादन के लिए संविदाकार विभाग से उचित समन्वय कराने की मांग करेंगे।
- 2.5 संविदाकार और यदि उनके कोई उप संविदाकार हों तो, वे संरक्षा अभियंता अथवा उनके प्राधिकृत नामित द्वारा संरक्षा सावधानियों, बचाव के उपायों, हाउस कीपिंग आवश्यकताओं आदि के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे। संरक्षा अभियंता की राय में यदि कार्य की प्रगति के कारण असुरक्षित व खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो जाने का अंदेशा हो तो उन्हें प्रभारी अभियंता को यथायोग्य सूचित करते हुए संविदाकार के कार्य को रोकने का अधिकार होगा। प्रभारी अभियंता ऐसी असुरक्षित दशाओं को हटवाएंगे अथवा संविदाकार के खर्च पर बचाव के उपकरण उपलब्ध करवाएंगे। सभी संरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय संरक्षा अभियंता के साथ समन्वय करने के

Contractor shall ensure that, all his workmen are aware about the nature of risk involved in their work and have adequate training for carrying out their work safely.

- 2.6 The Contractor shall be held responsible for non-compliance of any of the safety measures and delays, implications, injuries, fatalities and compensation arising out of such situations or incidents.

3. TRAFFIC

- 3.1 The Contractor shall conduct his operations so as to interfere as little as possible, with the use of existing roads at or near locations where the work is being performed.
- 3.2 When interference to traffic is inevitable, notice of such interference shall be given to the Engineer-in-charge well in advance (at least 48 hours) with the details of start of the work and time required, storage of materials, and details of the proposed methods of providing the required facilities for safe and continuous use of roads and obtain his clearance.
- 3.3 The Contractor shall, at his own expense, make such approved temporary provisions as are required to maintain at least one lane of traffic by bridging the excavation, providing ramps over surface obstructions or providing suitable temporary bye-pass around the obstructions. The Contractor shall exercise full care to ensure that no damage is caused by him or his workmen, during the operation, to the existing water supply, sewage, power or telecommunication lines or any other service or works. The Contractor shall be required to provide and erect before construction, substantial barricades, guard-rails and warning signs. He shall furnish, place and maintain adequate warning lights, signals, etc., as required by Engineer-in-charge.

4. SAFE MEANS OF ACCESS

- 4.1 Adequate and safe means of access and exit shall be provided for all work places, at all elevations. Using of scaffolding members (avoiding a ladder) for approach to high elevations shall not be permitted.
- 4.2 Suitable scaffolds shall be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short duration work as can be done safely from ladders. Ladder shall be of rigid construction having sufficient strength for the intended loads and made either of good quality wood or metal and all ladders shall be maintained well for safe working condition. An extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder, if ladder is not securely fixed. If the ladder is used for carrying materials as well, suitable foot holds and hand holds shall be provided on the ladder. The ladder shall be given an inclination not steeper

लिए संविदाकार अपना संरक्षा अधिकारी नियोजित कर सकते हैं या अपने अधिकारियों में से किसी एक को संरक्षा अधिकारी के रूप में नामित कर सकते हैं। संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कामगारों को इस कार्य में मौजूद खतरों के बारे में भली भाँति जानकारी हो और उन्हें अपने कार्यों को सुरक्षित ढंग से करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया हो।

- 2.6 संरक्षा उपायों का अनुपालन न करने तथा किसी विलंब, प्रभाव, चोट, हताहत आदि के लिए और ऐसी परिस्थितियों या घटनाओं के कारण देय क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकार को जिम्मेदार माना जाएगा।

3. यातायात :

- 3.1 संविदाकार अपने कार्यों को इस प्रकार करेंगे कि उससे कार्य निष्पादन क्षेत्र में या उसके आस-पास स्थित मौजूदा सड़कों के उपयोग में यथासंभव न्यूनतम व्यवधान हो।
- 3.2 जब यातायात में व्यवधान को टालना संभव न रहे तो ऐसे व्यवधान के लिए प्रभारी अभियंता को सूचना दी जाएगी (कम से कम 48 घंटे पहले) और इस सूचना में कार्य प्रारंभ किए जाने का समय और कार्य पूरा होने में लगने वाले समय का विवरण, सामग्री का भंडारण व सड़कों के सुरक्षित व सतत उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित विधि का वर्णन किया जाएगा तथा उनकी अनुमति ली जाएगी।
- 3.3 संविदाकार अपने खर्च पर ऐसे अनुमोदित अस्थाई प्रावधानों के लिए आवश्यक, खुदाई के ऊपर पुल का निर्माण कर, बाधा वाले तल के ऊपर रैम्प बनाकर या बाधा के चारों तरफ उपयुक्त अस्थाई बाई पास उपलब्ध कराकर, कम से कम एक लेन यातायात का मार्ग बनाएंगे। संविदाकार, इस कार्य की प्रगति के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए सुनिश्चित करेंगे कि उनके या उनके कामगारों द्वारा मौजूदा जलापूर्ति, जलनिकासी, बिजली या टेलीफोन के तारों को या अन्य किसी सेवाओं या कार्यों को कोई क्षति न पहुंचे। निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले संविदाकार पर्याप्त बैरीकेडिंग, गार्डरेल व चेतावनी बोर्ड लगाएंगे। वे प्रभारी अभियंता की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में चेतावनी लाइटें, सिगनल आदि उपलब्ध कराएंगे व उन्हें अनुरक्षित करेंगे।

4. पहुंचने का सुरक्षित मार्ग

- 4.1 समस्त कार्यस्थलों व उंचाइयों पर पहुंचने व वहां से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त व सुरक्षित रास्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए पाड़ की बल्लियों के (सीढ़ी का प्रयोग करने की बजाए) प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.2 सिवाए कम समय के ऐसे कार्यों के जिन्हें सीढ़ी पर चढ़कर किया जा सके, सभी ऐसे कार्यों के जिन्हें जमीन से या ठोस निर्माण से करना संभव न हो, कामगारों के लिए उपयुक्त पाड़ की व्यवस्था की जाएगी। इच्छित भार वहन करने की क्षमता वाली अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी या धातु की बनी कठोर सीढ़ियों का प्रयोग किया जाएगा और इन्हें सुरक्षित कार्यदशा में बनाए रखने के लिए अनुरक्षित किया जाएगा। यदि सीढ़ी को मजबूती से बांधा न गया हो तो सीढ़ी पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर रखा जाएगा। यदि सीढ़ी का प्रयोग सामग्री ले जाने के लिए भी किया जाना हो तो सीढ़ी पर हाथ व पांव रखने के लिए उपयुक्त स्थान बनाए जाएंगे। सीढ़ी का अधिकतम झुकाव 4 में 1 के आधार पर होगा (1 क्षैतिज व 4 ऊर्ध्व)। हाथों में सामान पकड़ कर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सीढ़ी पर चढ़ते समय दोनों हाथ मुक्त होंगे।

than 1 in 4 (1 horizontal and 4 vertical). Ladders shall not be used for climbing carrying materials in hands. While climbing, both the hands shall be free.

- 4.3 Scaffolding or staging more than 3.5 m above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a standard guard rail properly attached, bolted, braced or otherwise secured at least 1.0m high above the floor or platform of such scaffolding or staging. The guard rail shall extend along the entire exposed length of the scaffolding with only such opening, as may be necessary for the delivery of materials. Standard railing shall have posts not more than 2m apart and an intermediate rail halfway between the floor or platform of the scaffolding and the top rail. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure. Scaffolding and ladder shall conform to relevant IS Specification (IS 3696-1966). Timber / Bamboo scaffolding shall not be used.
- 4.4 Working platforms of scaffolds shall have toe boards at least 15 cm in height to prevent materials from falling down.
- 4.5 A sketch of the scaffolding proposed to be used shall be prepared and approval of the Engineer-in-charge obtained prior to start of erection of scaffolding. All scaffolds shall be examined by Engineer-in-charge, before use.
- 4.6 Working platform, gangways and stairways shall be so constructed that they shall not sag unduly or unequally and if the height of the platform or gangway or stairway is more than 3.5m above ground level or floor level, they shall be closely boarded, shall have adequate width for easy movement of persons and materials and shall be suitably guarded as described in 3.3 above.
- 4.7 The planks used for working platform shall not project beyond the end supports to a distance exceeding four times the thickness of the planks used. The planks shall be rigidly tied at both ends to prevent sliding and slippage. The thickness of the planks shall be adequate to take load of men and materials and shall not collapse.
- 4.8 Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be provided with suitable means to prevent fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing, the minimum height of which shall be 1.0 m, along with 15 cm high sheet obstruction at floor level along the railing.
- 4.9 Safe means of access shall be provided to all working platforms and other elevated working places. Every ladder shall be securely fixed. No single portable ladder shall be over 9m in length. For ladders upto 3m in length the width between side rails in the ladder shall in no case be less than 300 mm. For longer ladders this width shall be increased by at least 20mm for each additional meter of length. Step spacing shall be uniform and shall not exceed 300 mm.

- 4.3 जमीन की सतह से 3.5 मीटर से अधिक ऊंचे झूले की तरह या ऊपर किसी चीज के सहारे लटकाए गए या स्थिर सहारे के साथ तैयार किए गए पाड़ या मचान के चारों तरफ तल या प्लेटफार्म से कम से कम 1.0 मीटर ऊंची मानक गार्डरेल लगाई जाएगी जिसे भली प्रकार से बांधा, बोल्ट किया, जोड़ा या अन्यथा कुछ अन्य तरीके से मजबूत किया जाएगा। यह गार्डरेल सामग्री की आपूर्ति करने वाले स्थानों के अलावा पाड़ की पूरी लंबाई तक फैली होगी। मानक रेलिंग में लगे हुए खम्भों के बीच 2 मीटर से अधिक की दूरी नहीं होगी और पाड़ के तल व रेलिंग के सबसे ऊपरी हिस्से के बीच में एक और पटरी डाली जाएगी। इस पाड़ या मचान को इस प्रकार बांधा जाएगा कि यह भवन या ढांचे से हिल न सके। पाड़ व सीढ़ी संबंधित विनिर्देशों (आईएस 3696-1966) के अनुसार होगी। लकड़ी/बांस के पाड़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- 4.4 किसी सामग्री को गिरने से रोकने के लिए पाड़ों के कार्य प्लेटफार्मों पर कम से कम 15 सेमी ऊंचे टोबोर्ड लगाए जाएंगे।
- 4.5 पाड़ों को लगाने से पहले, उपयोग किए जाने वाले पाड़ का एक स्केच तैयार कर प्रभारी अभियंता से अनुमोदित कराया जाएगा। प्रयोग किए जाने से पहले प्रभारी अभियंता द्वारा सभी पाड़ों की जांच की जाएगी।
- 4.6 कार्य प्लेटफार्म, रास्ते और सीढ़ी वाले रास्तों का इस प्रकार निर्माण किया जाना चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से न हिलें या असंतुलित न हों और यदि प्लेटफार्म या रास्ते या सीढ़ी वाले रास्ते की उंचाई भूमि तल से 3.5 मीटर ऊंची हो तो उन पर बहुत निकट से चढ़ा जाना चाहिए और उन पर आदमियों या सामग्री के आवागमन के लिए पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उन्हें उपर्युक्त 3.3 के अनुसार उपयुक्त तरीके से गार्ड किया जाना चाहिए।
- 4.7 कार्य प्लेटफार्म के ऊपर बिछाए गए पटरे आखरी सहारे से बाहर नहीं निकाले जाएंगे। यह अपनी मोटाई के चार गुने से अधिक बाहर नहीं होंगे। किसी प्रकार की फिसलन या खिसकन को रोकने के लिए इन पटरों को दोनों सिरों पर मजबूती से बांधा जाएगा। पटरों की मोटाई आदमियों व सामग्री का वजन उठाने में सक्षम और न टूटने वाली रखी जाएगी।
- 4.8 किसी भी भवन या कार्य प्लेटफार्म के प्रत्येक खुले हिस्से को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर सुरक्षित किया जाएगा ताकि लोगों या सामग्री को गिरने से बचाया जा सके। इस बाड़ या रेलिंग की उंचाई कम से कम 1.0 मीटर व रेलिंग के सतह तल के साथ कम से कम 15 सेमी ऊंची शीट की बाधा लगाई जाएगी।
- 4.9 सभी कार्य प्लेटफार्मों व ऊंचाई वाले कार्यस्थानों पर प्रवेश का सुरक्षित तरीका उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सीढ़ियों को मजबूती से बांधा जाएगा। 9 मीटर से अधिक लंबी कोई भी अकेली अस्थायी सीढ़ी प्रयोग नहीं की जाएगी। 3 मीटर तक लंबी सीढ़ियों की किनारे वाली पट्टियों के बीच चौड़ाई 300 मिमी से कम नहीं होगी। इससे लंबी सीढ़ियों के लिए यह चौड़ाई प्रति मीटर 20 मिमी के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। पायदानों के बीच का अंतराल एक समान रखा जाएगा और यह 300 मिमी से अधिक नहीं होगा।

- 4.10 Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical lines and equipment. No scaffolding, ladder, working platform, gangway runs, etc. shall exist within 3 meters of any uninsulated electric wire. Whenever electric power and lighting cables are required to run through (pass on) the scaffolding or electrical equipments are used, such scaffolding structures shall have minimum two earth connections with earth continuity conforming to IS code of practice.

5. EXCAVATION, TRENCHING AND EARTH REMOVAL

- 5.1 All trenches 1.2 m or more in depth shall at all times be supplied with at least one ladder for each spacing of 30m in length or fraction thereof. Ladder shall be extended from bottom of the trench to at least 1 m above the surface of the ground.
- 5.2 The sides of the trench which are 1.2 m or more in depth shall be stepped back to give suitable slope (angle of repose) or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides from collapsing. The excavated material shall not be placed within 1.5 m of the edges of the trench or half of the depth of the trench, whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances mining or under-cutting shall be done.
- 5.3 The Contractor shall ensure the stability and safety of the excavation, adjacent structures, services and the works.
- 5.4 Open excavations shall be fenced off by suitable railing and warning signals installed at night at well lit places so as to prevent persons slipping or falling into the excavations.
- 5.5 All blasting operations shall be carried out on the basis of procedures approved by Inspector of Explosives. All works in this connection shall be carried out as per IS Code of Practice. Barricades, warning signals, etc. shall be placed on the roads / open area. Prior approval of such operation shall be obtained from Safety Engineer / Engineer-In-Charge of works.
- 5.6
- a. For removal of earth from an earth mound, a written permission shall be obtained from the Engineer-in-charge of the work and the Engineer-in-Charge of the earth mound.
 - b. As far as practical, earth shall be removed mechanically.
 - c. Wherever manual removal of earth is involved, earth shall be removed from the top by maintaining the proper slope equal to the angle of repose of the earth.

- 4.10 उपकरणों के ऊपर से जा रही बिजली की लाइनों व उपकरणों के खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। कोई भी पाड़, सीढ़ी, कार्य प्लेटफार्म, सीढ़ीदार रास्ते बिजली के नंगे तारों के 3 मीटर दूरी के भीतर नहीं होंगे। जब कभी बिजली के तारों को पाड़ के ऊपर से गुजारने की जरूरत पड़े अथवा बिजली के उपकरणों का प्रयोग किया जाए, इन पाड़ों पर कम से कम दो अर्थिंग कनेक्शन लगाए जाएंगे जिनकी अर्थिंग प्रवाहता आईएस कोड के अनुसार होगी।

5. खुदाई, खाई बनाना व मिट्टी हटाना

- 5.1 1.2 मीटर से गहरी सभी खाइयों के लिए प्रति 30 मीटर या उसके भाग की लंबाई के अंतराल के लिए कम से कम एक सीढ़ी लगाई जाएगी। यह सीढ़ियां खाई के धरातल से लेकर भूमितल पर कम से कम 1 मीटर ऊपर तक होंगी।
- 5.2 1.2 मीटर से गहरी खाइयों की दीवारों को पीछे की ओर कटावदार तरीके से बनाया जाएगा या उसके साथ लकड़ी के सहारे लगाए जाएंगे ताकि इन दीवारों के धंसने के खतरे को दूर किया जा सके। खुदाई से निकाली गई सामग्री को खाई के किनारों के 1.5 मीटर अथवा खाई की गहराई की आधी दूरी, इनमें से जो भी अधिक हो, से दूर रखा जाएगा। खुदाई ऊपर से नीचे की ओर की जाएगी। किसी भी दशा में विस्फोट या भीतरी कटिंग नहीं की जाएगी।
- 5.3 संविदाकार खुदाई, निकटस्थ भवनों, सेवाओं व कार्यों के स्थायित्व व सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।
- 5.4 लोगों को खुली हुई खुदाइयों में फिसलने या गिरने से बचाने के लिए खुली खुदाइयों के चारों तरफ उपयुक्त रेलिंग की बाड़ लगाई जाएगी और रात्रि के समय पर्याप्त रोशनी वाले स्थानों पर चेतावनी सिगनल लगाए जाएंगे।
- 5.5 विस्फोट की सभी प्रक्रियाओं को विस्फोट निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जाएगा। इससे संबंधित सभी कार्य भारतीय मानक कोड में निर्धारित तरीकों के अनुसार ही किए जाएंगे। सड़कों/खुले स्थानों पर बैरीकेट, चेतावनी सिगनल आदि लगाए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यों के लिए संरक्षा अधिकारी/कार्य के प्रभारी अभियंता का पूर्व अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है।
- 5.6 ए. मिट्टी के टीलों से मिट्टी हटाने के लिए कार्य के प्रभारी अभियंता व मिट्टी के टीले के प्रभारी अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- बी. जहां तक संभव हो मिट्टी को यांत्रिक साधनों द्वारा ही हटाया जाएगा।
- सी. जहां कहीं मिट्टी को श्रमशक्ति द्वारा हटाया जाना हो, मिट्टी को टीले के ऊपरी सिरे की तरफ से मिट्टी की ढलान को यथावत बनाए रखते हुए हटाया जाएगा।

- d. Such work shall be constantly supervised by the contractor's responsible person and frequently inspected by the departmental representative to ensure that no under-cutting is done.

6. CONCRETING

Shuttering and supporting structures shall be of adequate strength and approved by Engineer-in-charge . This shall be ensured before concrete is poured. The procedure approved by Engineer-in-charge shall be followed for mixing, transporting and pouring of concrete.

7. DEMOLITION

Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work :

- a. All roads and open area adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected. Appropriate warning signs shall be displayed for cautioning approaching persons.
- b. Before demolition operations begin, the Contractor shall ensure that the power on all electric service lines is shut off and the lines cut or disconnected at or outside the demolition site. If it is necessary to maintain electric power during demolition operation, the required service lines shall be adequately protected against damage. Persons handling heavy materials / equipments shall wear safety shoes.
- c. No floor, roof or other part of the building shall be overloaded with debris or materials as to render it unsafe.
- d. Entries to the demolition area shall be restricted to authorised persons only.

8. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

All necessary personal protective equipment as considered necessary by the Engineer-in-Charge shall be kept available by contractor for the use of the persons employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use. Also the contractor shall take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned. The personal protective equipments are to be provided by the contractor.

- a. All persons employed at the construction site shall use safety helmets. For other types of works, persons working in that area shall also use safety helmets, if advised by Safety Engineer / Engineer-in-charge.

डी. ऐसे कार्य संविदाकार के जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किए जाएंगे और विभागीय प्रतिनिधि द्वारा इन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नीचे की तरफ से कोई कटाई न की जाए।

6. कंक्रीट की ढलाई

शटरिंग व सहारा देने वाले ढांचों को पर्याप्त मजबूत बनाया जाना चाहिए और प्रभारी अभियंता से अनुमोदित कराया जाएगा। यह कार्य कंक्रीट की ढलाई प्रारंभ से पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा। कंक्रीट की मिक्सिंग, परिवहन व ढलाई के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

7. तोड़-फोड़

तोड़-फोड़ संबंधी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले और ऐसे कार्यों की प्रगति के दौरान भी :

ए. कार्य स्थल के आस-पास की सभी सड़कें व खुले क्षेत्र को बंद कर दिया जाएगा या उपयुक्त विधि से सुरक्षित किया जाएगा। उस क्षेत्र की तरफ आने वाले व्यक्तियों को सावधान करने के लिए उचित चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।

बी. तोड़-फोड़ की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि सभी बिजली के तारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई हो और तोड़-फोड़ स्थल पर या उसके बाहर की सभी लाइनों को काट दिया गया हो अथवा आपूर्ति रोक दी गई हो।

सी. किसी भी फर्श, छत या भवन के अन्य हिस्सों पर मलबे या सामग्री की इतनी मात्रा नहीं लादी जाएगी कि वह असुरक्षित हो जाए।

डी. तोड़-फोड़ क्षेत्र में केवल अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की ही अनुमति होगी।

8. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

प्रभारी अभियंता की राय के अनुसार कार्यस्थल पर लगाए गए सभी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे व उन्हें तत्काल प्रयोग किए जाने वाली हालत में बनाए रखा जाएगा। साथ ही संविदाकार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाएंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

ए. निर्माण कार्यस्थलों पर नियोजित किए गए सभी व्यक्ति संरक्षा हेल्मेट पहनेंगे। यदि संरक्षा अभियंता या प्रभारी अभियंता की राय है तो इस क्षेत्र में अन्य प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्ति भी संरक्षा हेल्मेट पहनेंगे।

- b. Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall use protective goggles, protective foot wear and hand gloves. Use of proper respirators shall be an advantage.
- c. Persons engaged in welding and gas-cutting works shall use suitable welding face shields. Persons who assist the welders shall use suitable goggles. Protective goggles shall be worn while chipping and grinding.
- d. Stone breakers shall use protective goggles. They shall be seated at sufficiently safe intervals of distance.
- e. Persons engaged in or assisting in shot blasting operations and cleaning the blasting chamber shall use suitable gauntlets, overalls, dust-proof goggles, boots and protective hood supplied with fresh air at the minimum rate of 9m³/hr.
- f. All persons working at heights more than 4.5 m above ground or floor and exposed to risk of falling down, shall use safety belts, unless otherwise protected by cages, guard railings, etc. In places where the use of safety belts is impractical, suitable net of adequate strength fastened to substantial supports shall be employed.
- g. All powered two-wheeler motorcycle and scooter drivers and their pillion riders shall wear crash helmets inside the Project / Plant sites.
- h. When workers are employed in sewers and inside manholes which are in use, the contractor shall ensure that the manholes are opened and are adequately ventilated at least for an hour. After it has been well-ventilated, the atmosphere inside the space shall be checked for the presence of any toxic gas or oxygen deficiency and recorded in the register before the workers are allowed to get into the manholes. The manholes opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or caution boards to prevent accidents. There shall be proper illumination in the night.

9. PAINTING

- 9.1 The Contractor shall not employ women on the work of painting with products containing lead in any form. Only men above the age of 18 years shall be employed on the work with lead paint. The following precautions shall be taken during the work.
 - Supplied air respirators shall be provided for use by the workers when paint is applied in the form of spray, or a surface having lead paint is dry rubbed or scraped.

- बी. ऐस्पैटिक सामग्री, सीमेंट व चूना-राख आदि मिलाने का काम करने वाले कामगार सुरक्षा चश्में, सुरक्षा बूट व दस्ताने पहनेंगे। उचित श्वसन उपकरणों का प्रयोग और भी बेहतर रहेगा।
- सी. वेल्डिंग व गैस कटिंग का काम करने वाले लोगों को उचित वेल्डिंग फेस शील्डों का प्रयोग करना होगा। वेल्डरों के सहायक उचित प्रकार के चश्मों का प्रयोग करेंगे। चिपिंग व ग्राइंडिंग करते समय सुरक्षा चश्मों का प्रयोग किया जाएगा।
- डी. पत्थर तोड़ने वाले उचित प्रकार के चश्मों का प्रयोग करेंगे। उन्हें एक दूसरे से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर बैठाया जाएगा।
- ई. शॉट ब्लास्टिंग और ब्लास्टिंग चैम्बर की सफाई के कामों पर लगाए गए व्यक्ति उपयुक्त भारी दस्ताने, ओवरऑल, धूलमुक्त चश्मे, बूट और कम से कम 9 घनमीटर/घंटे की दर से शुद्ध हवा की आपूर्ति किए जाने वाले सुरक्षा हुडों का उपयोग करेंगे।
- एफ. जमीन से या फर्श से 4.5 मीटर से अधिक उंचाई पर काम करने वाले ऐसे सभी लोग जिनके गिरने का डर हो, को यदि पिंजरे, गार्ड रेलों आदि की सुविधा उपलब्ध न हो तो सुरक्षा पेटी बांधनी होगी। ऐसे स्थानों पर जहां सुरक्षा पेटी बांधना व्यवहारिक रूप से संभव न हो, वहां मजबूत सहारों के साथ पर्याप्त ताकत वाला जाल बांधा जाएगा।
- जी. परियोजना/संयंत्रस्थल के भीतर सभी शक्तिचालित दुपहिया मोटर साइकिलों व स्कूटरों के चालकों व उनके पीछे बैठने वालों को क्रेश हेलमेट पहनना होगा।
- एच. जब कामगारों को चालू सीवेज या मेनहोल के भीतर काम करना हो तो संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उन मेनहोलों को खुला रखा जाए और उनमें कम से कम एक घंटे के लिए पर्याप्त हवा का प्रवेश कराया जाए। इनमें पर्याप्त हवा का प्रवेश कराने के बाद कामगार को मेनहोल के भीतर जाने की अनुमति देने से पहले भीतरी वातावरण में विषैली गैसों की उपस्थिति की या ऑक्सीजन की कमी की जांच की जाएगी और इसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। किसी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए इन खुले मेनहोलों के चारों तरफ उचित रेलिंग लगाकर प्रवेश निषेध किया जाएगा व चेतावनी सिगनल और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। रात्रि में यहां पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी।

9. रंगाई

- 9.1 संविदाकार महिलाओं को किसी भी प्रकार के शीशा युक्त उत्पादों से रंगाई वाले कामों में नहीं लगाएंगे। शीशायुक्त पेंट से रंगाई के कामों के लिए केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को ही लगाया जाएगा। इस कार्य के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएंगी।
- जब कभी स्प्रे पेंटिंग की जाए या लेड पेंट वाली सतहों को सूखा रगड़ा या खुरचा जाना हो तो कामगारों के प्रयोग के लिए आपूर्त हवा श्वास उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा।

- Overalls shall be supplied by the Contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the painters to wash at the cessation of work.
- All painting jobs, especially those in which lead paints are used shall be kept under industrial hygiene surveillance.

9.2 Smoking, open flames or sources of ignition shall not be allowed in places where paints and other flammable substances are stored, mixed or used. A caution board, with the instruction written in national / regional language, "SMOKING - STRICTLY PROHIBITED" shall be displayed in the vicinity where painting is in progress or where paints are stored. Symbols shall also be used for caution boards.

Suitable fire extinguishers / sand buckets shall be kept available at places where flammable paints are stored, handled or used.

When painting work is done in a closed room or in a confined space, adequate ventilation shall be provided. If adequate ventilation cannot be provided, workers shall wear suitable respirators.

9.3 Epoxy resins and their formulations used for painting shall not be allowed to come in contact with the skin. The workers shall use plastic gloves and / or suitable barrier creams.

Adequate ventilation shall be provided especially when working with hot resin mixes.

Increased personal hygiene shall be practiced to control inadvertent contact with the resin and eliminate its effects.

Workers shall thoroughly wash hands and feet before leaving the work. Work clothes shall be changed and laundered frequently.

10. LIFTING MACHINES AND TACKES

10.1 Use of lifting machines and tackles, including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions.

a. Lifting machines and tackles shall be of good mechanical construction, sound material and adequate strength and free from any defects and shall be kept in good repair and in good working order.

Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of good quality and adequate strength and free from any defect.

- संविदाकार द्वारा ओवरऑल उपलब्ध कराए जाएंगे और काम समाप्त होने के बाद पेंटों को हाथ-मुंह धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
 - सभी पेंटिंग के कामों को , विशेषतः शीशा युक्त पेंटों को औद्योगिक स्वास्थ्य स्वच्छता की निगरानी में रखा जाएगा।
- 9.2 जहां पेंट व अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हों, मिलाए जाते हों या प्रयोग किए हों ऐसे स्थानों पर धूम्रपान, लौदार आग या चिंगारी के स्रोत की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां कंही पेंटिंग का कार्य चल रहा हो या पेंट का भंडार हो वहां राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा में " धूम्रपान निषेध" का बोर्ड लगाया जाएगा। चेतावनी बोर्ड पर प्रतीक चिह्नों का भी प्रयोग किया जाएगा। ज्वलनशील पेंट के भंडारण, उपयोग या प्रयोग के सभी स्थानों पर उपयुक्त अग्निशमन उपकरण/बालू की बाल्टियां आदि रखी जाएंगी। जब कभी बंद कमरों या तंग जगहों पर पेंटिंग का काम किया जाना हो तो वहां पर पर्याप्त हवा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि पर्याप्त हवा की व्यवस्था किया जाना संभव न हो तो कामगार उपयुक्त श्वास उपकरण पहनेंगे।
- 9.3 पेंटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले एपॉक्सी रेजिन व उनके फार्मूलेशनों को त्वचा के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा। कामगार प्लास्टिक के दस्ताने अथवा/और उपयुक्त रोधी क्रीमों का प्रयोग करेंगे। जब कभी गर्म रेसिन मिक्स के साथ काम किया जा रहा हो तो पर्याप्त हवा आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। अनावश्यक रूप से रेसिन के संपर्क में आने व इसके प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत साफ-सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। कामगार काम से जाने से पहले अपने हाथ-पांवों को भली प्रकार से साफ करेंगे। काम के समय पर पहने गए कपड़ों को बदला जाएगा और समय-समय पर धुलवाया जाएगा।

10. लिफ्टिंग मशीने व टैकल

- 10.1 अटैचमेंटों, ऍकर व सपोर्ट सहित लिफ्टिंग मशीनों व टैकलों का उपयोग निम्नलिखित मानदण्डों या शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- ए. लिफ्टिंग मशीनें व टैकल बढ़िया यांत्रिकी से निर्मित, श्रेष्ठ सामग्री व पर्याप्त मजबूती वाली और दोषरहित होंगी। इनकी बढ़िया मरम्मत की जाएगी व इन्हें बेहतर चालू हालत में रखा जाएगा। सामग्री को खींचने या नीचे उतारने वाली या लटकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी रस्सियां अच्छी गुणवत्ता व पर्याप्त मजबूती वाली तथा सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होंगी।

- b. Every crane operator or lifting appliance operator shall be properly qualified. No person under the age of 21 years shall be in charge of any hoisting machine or give signal to operator of such machine.
 - c. In case of every lifting machine (and of every chain, ring, hook, shackle, swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension) the safe working load shall be ascertained and clearly marked. In case of a lifting machine having a variable safe working load, each safe working load and the conditions under which it is applicable, shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing. This shall be approved by the Safety Engineer.
 - d. In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Engineer-in-charge. As regards Contractor's machines, the contractor shall notify the safe working load of the machine to the Engineer-in-charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Engineer-in-charge, supported by a valid test certificate by the competent person.
 - e. Thorough inspection and load testing of lifting machines and tackles shall be done by a competent person at least once every 12 months and records of such inspection and testing shall be maintained.
- 10.2 Motors, gearing transmission, couplings, belts, chain drives and other moving parts of hoisting appliances shall be provided with adequate safeguards. Hoisting appliances shall be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced or lowered.

11. WELDING AND GAS CUTTING

- 11.1 Welding and gas cutting operations shall be done only by qualified and authorised persons and as per IS Specification and Code of Practice.
- 11.2 Welding and gas cutting shall not be carried out in places where flammable or combustible materials are kept and where there is danger of explosion due to presence of gaseous mixtures.
- 11.3 Welding and gas cutting equipment including hoses and cables shall be maintained in good condition.
- 11.4 Barriers shall be erected to protect other persons from harmful rays from the work. When welding or gas cutting is done in elevated positions, precautions shall be taken to prevent sparks or hot metal falling on persons or flammable materials.

- बी. प्रत्येक क्रेन प्रचालक व लिफ्टिंग उपकरण प्रचालक उचित योग्यता प्राप्त होंगे। 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी ऊपर खींचने वाली मशीन या ऐसी मशीनों के प्रचालन सिग्नल देने के काम पर नहीं लगाया जाएगा।
- सी. प्रत्येक लिफ्टिंग मशीन (और प्रत्येक चैन, रिंग, हुक, शैकल, स्वाईवल और ऊपर उठाने या लटकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पुली ब्लॉक) के मामले में सुरक्षित भार वहन क्षमता निश्चित की जाएगी और इसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। कोई ऐसी लिफ्टिंग मशीन जिसकी सुरक्षित भार वहन क्षमता परिवर्तित होती हो, के मामले में प्रत्येक सुरक्षित भार वहन क्षमता और वे दशाएं जिनमें यह क्षमता लागू होती हो, को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस पैराग्राफ में ऊपर वर्णित किसी मशीन या औजारों के किसी भाग पर परीक्षण के अलावा किसी भी समय पर सुरक्षित भार वहन क्षमता से अधिक भार नहीं लादा जाएगा। यह संरक्षा अभियंता द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा।
- डी. विभागीय मशीनों के मामले में सुरक्षित भारवहन क्षमता प्रभारी अभियंता द्वारा अधिसूचित की जाएगी। संविदाकार की मशीनों के मामले में, इन मशीनों को कार्यस्थल पर लाए जाने के समय वे इनकी सुरक्षित भारवहन क्षमता अधिसूचित करेंगे और प्रभारी अभियंता से इसकी पुष्टि कराएंगे तथा इस के समर्थन-साक्ष्यस्वरूप सक्षम व्यक्ति का वैध जांच प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- ई. प्रत्येक 12 महीने में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिफ्टिंग मशीनों व टैकलों का गहन निरीक्षण व भारवहन क्षमता परीक्षण कराया जाएगा और इस निरीक्षण व परीक्षण का रिकार्ड अनुरक्षित किया जाएगा।
- 10.2 भार उठाने-उतारने वाले उपकरणों की मोटरों, गियरिंग ट्रांसमिशन, कपलिंग, बेल्टों, चैन ड्राइवों व अन्य चल हिस्सों में पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां प्रयुक्त की जाएंगी। भार उठाने-उतारने वाले उपकरणों में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे किसी लटकाए गए भार या उसके किसी भाग के दुर्घटनावश अपने स्थान से हटने या नीचे आ जाने जैसे जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके।

11. वेल्डिंग व गैस कटिंग

- 11.1 वेल्डिंग व गैस कटिंग के कामों को केवल प्रशिक्षित व प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाएगा और यह भारतीय मानक विनिर्देश व कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार किया जाएगा।
- 11.2 ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील व दाहक पदार्थ रखे हों या जहां गैसीय मिश्रणों की उपस्थिति के कारण विस्फोट होने का भय हो, वहां वेल्डिंग व गैस कटिंग का कार्य नहीं किया जाएगा।
- 11.3 होजों व केबिलों सहित वेल्डिंग व गैस कटिंग उपकरणों को सदैव अच्छी हालत में बनाए रखा जाएगा।
- 11.4 इन कार्यों की हानिकारक किरणों से अन्य व्यक्तियों को बचाने के लिए बैरियर लगाए जाएंगे। जब कभी ऐसे कार्यों को ऊंचे स्थानों पर किया जाना हो, चिंगारियों व गर्म धातुओं को नीचे खड़े व्यक्तियों व ज्वलनशील पदार्थों पर गिरने से बचाने के लिए सावधानी बरती जाएगी।

- 11.5 Suitable type of protective clothing consisting of fire resistant gauntlet gloves, leggings, boots and aprons shall be provided to workers as protection from heat and hot metal splashes. Welding shields with filter glasses of appropriate shade shall be worn as face protection.
- 11.6 Adequate ventilation shall be provided while welding in confined space or while brazing, cutting or welding zinc, brass, bronze, galvanised or lead coated materials.
- 11.7 Welding and gas cutting shall not be done on drums, barrels, tanks or other containers unless they have been emptied, cleaned thoroughly and it is made certain that no flammable material is present.
- 11.8 Fire extinguisher shall be available near the location of welding operations. Fire Safety Permit shall be obtained for working at vulnerable areas and operating areas before flame cutting/welding is taken up.
- 11.9 For electric (Arc) welding the following additional safety precautions shall be taken:
- i) When electrical welding is undertaken near pipe lines carrying flammables, such pipe lines shall not be used as part of earth conductor but a separate earth conductor shall be connected to the machine directly from the job.
 - ii) Personnel contact with the electrode or other live parts of electric welding equipment shall be avoided.
 - iii) Extreme caution shall be exercised to prevent accidental contact of electrodes with ground.
 - iv) The welding cables shall not be allowed to get entangled with power cables. It shall be ensured that the cables are not damaged by movement of materials.

12. GRINDING

- 12.1 All portable grinders shall be used only with their wheel guards in position to reduce the danger from flying fragments should the wheel break during the use.
- 12.2 Grinding wheels of specified diameter only shall be used on a grinder - portable or pedestal - in order not to exceed the prescribed peripheral speed.
- 12.3 Goggles shall be used during grinding operation.

- 11.5 ऊष्मा और गर्म धातु के छींटों से बचाने के लिए कामगारों को उपयुक्त प्रकार के बचाव वस्त्र जैसे प्रतिरोधक भारी दस्ताने, पांवरक्षक, बूट व ऐप्रन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। चेहरे के बचाव के लिए उपयुक्त शेड वाले फिल्टर ग्लास युक्त वेल्डिंग शील्डों का प्रयोग किया जाएगा।
- 11.6 संकरे स्थानों में कार्य या ब्रेजिंग, कटिंग या जस्ता, पीतल, तांबा, गैल्वेनाइज्ड अथवा सीसे की पर्त चढ़ी धातुओं की वेल्डिंग करते समय पर्याप्त हवा के आवागमन की व्यवस्था की जाएगी।
- 11.7 ड्रमों, बैरलों, टैंकों अथवा अन्य कंटेनरों पर, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से खाली, साफ कर उनमें किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ न होना सुनिश्चित न कर लिया गया हो, वेल्डिंग और गैस कटिंग नहीं की जाएगी।
- 11.8 वेल्डिंग के काम करने के स्थान पर अग्निशामक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आग संभावित क्षेत्रों और प्रचालन क्षेत्रों में फ्लेम कटिंग/वेल्डिंग का काम करने से पहले अग्नि संरक्षा परमिट प्राप्त किए जाएंगे।
- 11.9 इलेक्ट्रिक(आर्क) वेल्डिंग करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त संरक्षा सावधानियां बरती जाएंगी :
 - i) जब किसी ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाली पाइपलाइन के पास वेल्डिंग का काम किया जाना हो तो उस पाइपलाइन को अर्थ सुचालक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाए सीधे मशीन से ही एक अलग अर्थ सुचालक जोड़ा जाएगा।
 - ii) इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उपकरणों के अन्य भागों के साथ सीधे व्यक्तिगत संपर्क से बचा जाएगा।
 - iii) दुर्घटनावश इलेक्ट्रोड के जमीन के संपर्क में आने को बचाने के लिए अधिकतम सावधानी बरती जाएगी।
 - iv) वेल्डिंग केबिलों को बिजली की केबिलों में उलझने से बचाया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री के आवागमन के कारण केबिलें क्षतिग्रस्त न हों।

12. घिसाई

- 12.1 प्रयोग के दौरान उछल कर गिरने वाले टुकड़ों के कारण व्हील ब्रेक फेल हो जाने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले खतरे को कम करने वाले व्हील गाड़ों का यथास्थान होना सुनिश्चित करने के बाद ही किसी पोर्टेबल ग्राइंडरों का प्रयोग किया जाएगा।
- 12.2 निर्धारित चक्रीय गति से अधिक गति को रोकने के लिए पोर्टेबल या पेडेस्ट्रियल ग्राइंडरों हेतु केवल विनिर्दिष्ट व्यास वाले ग्राइंडिंग पहियों का ही प्रयोग किया जाएगा।
- 12.3 घिसाई का काम करते समय चश्मों का प्रयोग किया जाएगा।

13. ELECTRICITY

Guidelines for providing temporary power supply at the site and general safety procedures for using electricity are given in the enclosed Annexure.

14. HOUSEKEEPING

- 14.1 The Contractor shall at all times keep his work spot, site office and surroundings clean and tidy from rubbish, scrap, surplus materials and unwanted tools and equipment.
- 14.2 Welding and other electrical cables shall be so routed as to allow safe traffic by all concerned.
- 14.3 No materials on any of the sites of work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The Engineer-In-Charge may require the Contractor to remove any materials which are considered to be of danger or cause inconvenience to the public. If necessary, the Engineer-In-Charge may cause them to be removed at the Contractor's cost.
- 14.4 At the completion of the work, the Contractor shall have removed from the work premises all scaffoldings, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements used/installed for his workmen on the site.
- 14.5 The Engineer-In-Charge has the right to stop work if the Contractor fails to improve upon the housekeeping after having been notified.

15. FIRE SAFETY

All necessary precautions shall be taken to prevent outbreak of fires at the construction site. Adequate provisions shall be made to extinguish fires should they still break out.

- a) Quantities of combustible materials like timber, bamboos, coal, paints, etc., shall be the minimum required in order to avoid unnecessary accumulation of combustibles at site.
- b) Containers of paints, thinners and allied materials shall be stored in a separate room which shall be well ventilated and free from excessive heat, sparks, flame ventilated and free from excessive heat, sparks, flame or direct rays of the sun. The containers of paint shall be kept covered or properly fitted with lid and shall not be kept open except while using.
- c) Fire extinguishers as approved by the Engineer-In-Charge shall be located at the construction site at appropriate places.

13. बिजली

कार्यस्थल पर अस्थाई विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने संबंधी दिशानिर्देश व बिजली के प्रयोग संबंधी प्रक्रियाएं संलग्न परिशिष्ट में दी गई हैं।

14. गृह सज्जा

- 14.1 संविदाकार अपने कार्यस्थल, स्थल कार्यालय, व आस-पास के क्षेत्र को फालतू सामान, कचरे, अतिरिक्त सामग्री तथा अनावश्यक औजारों व उपकरणों से मुक्त व साफ-सुथरा रखेंगे।
- 14.2 वेल्डिंग व अन्य तारों को इस प्रकार बिछाया जाएगा कि उनके कारण संबंधित व्यक्तियों का आवागमन सुरक्षित रहे।
- 14.3 कार्य के किसी भी स्थल पर ऐसी कोई भी सामग्री इस प्रकार एकत्रित नहीं की जाएगी कि उससे किसी व्यक्ति या आम जनता को खतरा या असुविधा हो। प्रभारी अभियंता संविदाकार को आम जनता के लिए खतरनाक या असुविधाजनक समझी जाने वाली किसी भी सामग्री को हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो प्रभारी अभियंता ऐसी सामग्री को संविदाकार के खर्च पर हटवा भी सकते हैं।
- 14.4 कार्य समाप्त होने के पश्चात संविदाकार कार्य स्थल परिसर से सभी पाड़, अतिरिक्त सामग्री, फालतू सामान, और उनके कर्मचारियों के प्रयोग के लिए/स्थापित सभी कच्चे मकान व शौचालयों आदि की व्यवस्था को हटवाएंगे।
- 14.5 यदि संविदाकार अधिसूचित किए जाने के बाद भी गृह सज्जा संबंधी कार्यों में सुधार करने में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता को कार्य रुकवाने का अधिकार है।

15. अग्नि संरक्षा

निर्माण स्थल पर आग लगने से रोकने के लिए सभी सावधानियां अपनाई जाएंगी। अगर फिर भी आग लग जाती है तो उस पर काबू पाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

- ए) कार्यस्थल पर ज्वलनशील सामग्री को अनावश्यक रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए ज्वलनशील सामग्री जैसे लकड़ी, बांस, कोयला, पेंट आदि को न्यूनतम आवश्यक मात्रा में रखा जाएगा।
- बी) पेंट, थिनर व तत्संबंधी सामग्री के डिब्बों को एक पृथक हवादार कक्ष में रखा जाएगा और इसे अत्यधिक गर्मी, चिंगारी, लपटों या सूर्य की सीधी किरणों से बचाया जाएगा। पेंट के डिब्बों को ढक कर या उचित प्रकार से ढक्कन लगाकर रखा जाएगा और इन्हें प्रयोग करते समय के अलावा खुला नहीं रखा जाएगा।
- सी) प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित अग्निशामक उपकरणों को निर्माण स्थल में उचित स्थानों पर लगाया जाएगा।

- d) Adequate number of contract workmen shall be given education and training in fire fighting and extinguishing methods.

16. SAFETY WORK PERMIT

- 16.1 In order to ensure safety of work for hazardous operation (such as entry into confined spaces, welding/cutting on equipment/pipes where explosion hazard is present, works on high voltage and main medium voltage lines, blasting etc.) special Safety Work Permits (SWP) shall be raised. The SWP's shall also to be obtained for any other work as recommended by Safety Engineer.
- 16.2 The Contractor shall strictly ensure all the safety conditions and requirements stipulated in the Safety Work Permit. The decision of the Safety Engineer shall be final in this regard.

17. WORK IN RADIATION AREA

The Contractor shall follow the stipulated procedure regarding work in the radiation area and other works related with radiography.

18. WORK IN AND AROUND WATER BODIES

When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary rescue equipment such as life buoys and life jackets shall be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision shall be made for prompt first-aid treatment of all injuries likely to be sustained during the course of the work. Persons who do not know swimming shall not be engaged alone for any work where risk of drowning exists. Sufficient number of life buoys or life jackets shall be provided.

19. MEDICAL FACILITIES

- 19.1 The Contractor shall arrange adequate facilities for medical aid and treatment for his staff and workers engaged on the work site including the first-aid facilities if they are not available at the project site.
- 19.2 First-aid appliances including sterilized dressing, cotton wool and antiseptic cream shall be made available at a readily accessible places at every work site. These shall be maintained in good order under the charge of a responsible person.
- 19.3 At large work places where hospital facilities are not available within easy reach of the works, first-aid posts shall be established and be manned by a trained compounder. An ambulance shall be available during the entire period of work for attending to injury cases.

डी) पर्याप्त संख्या में संविदाकार के कामगारों को अग्निशमन व अग्निशामक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

16. संरक्षा कार्य परमिट

16.1 खतरनाक प्रचालन कार्यों के लिए (जैसे एकांत के स्थान में प्रवेश, विस्फोट होने के खतरे वाले स्थानों में वेल्डिंग/कटिंग, उच्च क्षमता वोल्टेज व प्रमुख मध्यम क्षमता वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों पर कार्य, ब्लास्टिंग आदि) विशेष संरक्षा कार्य परमिट (एस डब्ल्यू पी) जारी किया जाएगा। संरक्षा अभियंता की संस्तुति के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी एस डब्ल्यू पी जारी किए जाएंगे।

16.2 संविदाकार संरक्षा कार्य परमिट में वर्णित समस्त संरक्षा शर्तों व आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में संरक्षा अभियंता का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

17. विकिरण क्षेत्र में कार्य

विकिरण क्षेत्र में व रेडियोग्राफी से संबंधित अन्य कार्यों के लिए संविदाकार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

18. जलीय क्षेत्रों में व उसके आस-पास कार्य

जब कभी डूबने के खतरे वाली जगहों पर कार्य किया जाना हो तो बचाव के सभी आवश्यक उपकरण जैसे लाइफ ब्वाय व लाइफ जैकेट आदि उपलब्ध कराई जाएंगी और सदैव उपयोग के लिए तैयार रखी जाएंगी तथा खतरे में फंसे किसी भी व्यक्ति को तत्काल बचाने के लिए आवश्यक सभी प्रबंध किए जाएंगे व कार्य के दौरान सभी संभावित चोटों आदि के उपचार के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के सभी प्रबंध किए जाएंगे। तैरना न जानने वाले लोगों को डूबने के खतरे वाले किसी भी काम में अकेले नहीं लगाया जाएगा। पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट व लाइफ ब्वाय उपलब्ध कराए जाएंगे।

19. चिकित्सा सुविधाएं

19.1 संविदाकार कार्यस्थल पर नियोजित किए गए अपने सभी कर्मचारियों व कामगारों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, यदि वह परियोजना स्थल पर उपलब्ध न हो तो, सहित पर्याप्त चिकित्सा सहायता व उपचार की व्यवस्था करेंगे।

19.2 प्रत्येक कार्यस्थल के सुगम्य स्थान पर कीटाणु मुक्त पट्टी, रुई व एंटीसेप्टिक मलहम सहित प्राथमिक उपचार उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति की निगरानी में अच्छी हालत में रखा जाएगा।

19.3 विशाल कार्यस्थलों पर जहां कार्य के आस-पास अस्पताल सुविधा सुलभ न हो, प्राथमिक उपचार चौकियां स्थापित की जाएंगी और इन्हें प्रशिक्षित कंपाउंडरों द्वारा संचालित किया जाएगा। दुर्घटना के मामलों को देखने के लिए कार्य की पूरी अवधि के दौरान एक एम्बुलेंस उपलब्ध रखी जाएगी।

20. SAFETY OFFICER / SAFETY COORDINATOR

The Contractor shall have a Safety Officer or a supervisor to be designated as a Safety Coordinator in order to specifically look into the implementation of different safety requirements of the contract work. The person thus designated will in general co-ordinate with the Engineer-In-Charge on matters of safety and in particular ensure that the Safety Guide is complied with fully. His name shall be displayed on the Notice Board at a prominent place at the work site.

21. REPORTING OF ACCIDENT

21.1 All accidents leading to property damage and/or personnel injuries shall be reported to the Engineer-In-Charge immediately who shall inform SARCOP to be followed up with detailed accident reports in prescribed form.

21.2 Contractor shall also submit a monthly statement of accidents to Engineer-In-Charge by 4th of every month showing details of accident, nature of injury including disability, days lost, treatment required, etc. and the extent of property damage.

22. PUBLIC PROTECTION

The Contractor shall make all necessary provisions to protect the public. He shall be bound to bear the expenses for defense of every action or other proceedings at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of any precaution required to be taken to protect the public. He shall pay any damage and cost which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such person, or the amount which may be fixed as a compromise by any such person.

23. OTHER STATUTORY PROVISIONS

Notwithstanding the above clauses from 1 to 21 there is nothing in these to exempt the Contractor from the provisions of any other Act or Rules in force in the Republic of India. In particular, all operations involving the transport, handling, storage and use of explosives shall be as per the standing instructions and conform with the Indian Explosives Act, 1884 and the Explosives Rules, 1983. Handling, transport, storage and use of compressed gas cylinders and pressure vessels shall conform with the Gas Cylinder Rules, 1981 and Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981. In addition, the Indian Electricity Act, 1910 and Indian Electricity Rules, 1956, the Atomic Energy Act, 1962, the Radiation Protection Rules, 1971, Radiation Protection Manual of Nuclear Facilities and the Atomic Energy (Factories) Rules, 1988 and various Rules and Act related to mining shall also be strictly complied with.

20. संरक्षा अधिकारी/संरक्षा समन्वयक

संविदा कार्य की संरक्षा संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं के विशेष रूप से अनुपालन के लिए संविदाकार एक संरक्षा अधिकारी या एक पर्यवेक्षक जिसे संरक्षा समन्वयक के रूप में पदनामित किया जाएगा, रखेंगे। यह पदनामित व्यक्ति सामान्यतया संरक्षा संबंधी मामलों पर प्रभारी अभियंता के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और विशेषतया संरक्षा दिग्दर्शिका का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उनका नाम कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।

21. दुर्घटना की रिपोर्टिंग

21.1 संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान और/अथवा व्यक्तियों के साथ होने वाली सभी दुर्घटनाओं की सूचना तत्काल प्रभारी अभियंता को दी जाएगी। प्रभारी अभियंता सारकोप (SARCOP) को इसकी सूचना देंगे व इसके बाद निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

21.2 संविदाकार प्रत्येक माह की 4थी तारीख को प्रभारी अभियंता को मासिक दुर्घटना विवरण देंगे जिसमें दुर्घटना से संबंधित सभी विवरण जैसे अपंगता सहित चोट की प्रकृति, दिनों का नुकसान, आवश्यक उपचार, आदि व संपत्ति को हुई क्षति की सीमा दिए जाएंगे।

22. जनता की सुरक्षा

संविदाकार आम जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करेंगे। वे आम जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध न करने के कारण किसी व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना के लिए बचाव संबंधी सभी कार्रवाइयों तथा दायर होने वाले किसी भी मुकदमें में अपने बचाव के लिए होने वाले खर्च को वहन करने हेतु बाध्य होंगे। वे ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे मुकदमें में अवार्ड किए गए किसी क्षतिपूर्ति या मूल्य का अथवा ऐसे व्यक्ति के साथ किए गए समझौते में निर्धारित की गई राशि भुगतान करेंगे।

23. अन्य संवैधानिक प्रावधान

उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 21 में किसी बात के होते हुए भी इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविदाकार को भारत के गणतंत्र के लागू किसी अधिनियम या नियम के प्रावधानों से छूट दिलाता हो। विशेषतः विस्फोटकों के परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण व उपयोग से संबंधित कार्यों को स्थाई निर्देशों के अनुसार व भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमावली 1983 के अनुरूप किया जाएगा। सभी दाबित गैस सिलेंडरों व दाब वेसलों की हैंडलिंग, परिवहन, भंडारण व प्रयोग गैस सिलेंडर नियमावली 1981 व स्थिर और चल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) नियम, 1981 की पुष्टि करते हुए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 व भारतीय विद्युत नियमावली 1956, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, विकिरण बचाव नियमावली, 1971, न्यूक्लियर सुविधाओं का विकिरण बचाव मैनुअल और परमाणु ऊर्जा (फैक्टरी) नियमावली, 1988 व खनन से संबंधित विभिन्न नियमों व अधिनियमों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

**GUIDELINES AND GENERAL PROCEDURES FOR
SUPPLY AND USE OF ELECTRICITY AT SITE****1. GENERAL**

Following safety requirements shall be complied with before the Contractor uses the power supply.

- 1.1 The Contractor shall submit a list of licensed electrical staff to be posted at site.
- 1.2 It shall be the responsibility of the Contractor to provide and maintain complete installation on the load side of the supply point with regard to the safety requirements at site. All cabling and installation shall comply with the appropriate statutory requirements given below and shall be subject to approval of the Departmental Engineer-In-Charge/Electrical Engineer.
 - a) Indian Electricity Act, 1910
 - b) Electricity (Supply) Act, 1948
 - c) Indian Electricity Rules, 1956
 - d) National Electric Code, 1985
 - e) Other relevant rules of Local Bodies and Electricity Boards

After installation of the electrical power wiring works by the Contractor, form of completion certificate as per IS 732 (Form SGCW - 1) shall be submitted by the Contractor duly signed by the authorised valid licensed electrical Contractor and/or supervisor along with one copy of the Contractor's license and/or competency certificate of supervisor issued by the Electricity Board/Government Electricity Organisations as per the enclosure.

The power supply shall be regulated as per the terms and conditions of the supply of the respective Electricity Boards.

- 1.3 (a) For purposes of electrical load and power planning by the electrical section, the contractor shall furnish along with the tender, the estimated load requirement of electric power for the execution of the contract works in terms of maximum Kilo Watt or KVA demand during various periods/months of the contract period along with the details of the construction electrical equipment/machinery with their individual load details and location/locations of power supply required for availing temporary electric power supply in the standard proforma enclosed (Form SGCW - 2)

परिशिष्ट

कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति व उपयोग हेतु दिशानिर्देश व सामान्य प्रक्रियाएं

1. सामान्य

बिजली आपूर्ति का उपयोग करने से पहले संविदाकार द्वारा निम्नलिखित संरक्षा आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

- 1.1 संविदाकार संयंत्र स्थल पर नियुक्त किए गए विद्युत लाइसेंसधारक स्टाफ की एक सूची प्रस्तुत करेंगे।
- 1.2 आपूर्ति प्वाइंट के लोड वाली तरफ की संरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित संपूर्ण स्थापना व अनुरक्षण संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। केबिलों का बिछाना व स्थापन नीचे दी गई सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होगा और विभागीय प्रभारी अभियंता/विद्युत अभियंता के अनुमोदन के विषयाधीन होगा।

ए) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910

बी) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948

सी) भारतीय विद्युत नियम, 1956

डी) राष्ट्रीय विद्युत कोड, 1985

ई) स्थानीय निकायों व बिजली बोर्डों के अन्य लागू नियम

अपना बिजली की वायरिंग कार्य समाप्त करने के बाद संविदाकार प्राधिकृत वैध लाइसेंसधारी संविदाकार और/अथवा पर्यवेक्षक से विधिवत् हस्ताक्षर कराया हुआ आइएस 732 (प्रपत्र एसजीसीडब्ल्यू-1) का प्रपत्र और उसके साथ में संलग्नक के अनुरूप बिजली बोर्ड/सरकारी विद्युत संगठन द्वारा जारी संविदाकार के लाइसेंस और/अथवा पर्यवेक्षण सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। विद्युत की आपूर्ति संबंधित बिजली बोर्ड के नियम व शर्तों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

- 1.3(ए) विद्युत अनुभाग द्वारा बिजली लोड और पॉवर की आयोजना करने के लिए संविदाकार इस संविदा के निष्पादन के लिए संविदा की विभिन्न अवधियों/महिनों में अधिकतम आवश्यक बिजली की मात्रा को किलोवाट या केवीए इकाई में निविदा प्रपत्र के साथ ही प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ ही निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक बिजली के उपकरणों/मशीनों के उनके लोड विवरणों सहित व अस्थाई विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए पॉवर प्वाइंट के स्थान/स्थानों का भी विवरण निर्धारित संलग्न प्रपत्र में (प्रपत्र एसजीसीडब्ल्यू-2) प्रस्तुत करेंगे।

- (b) The electric power supply will be generally made available at one point in the works site of the contractor by the department.
 - (c) Where distribution boards are located at different places the Contractor shall submit schematic drawing indicating all details like size of wires, over head or cable feeders, earthing, etc. The position and location of all equipment and switches shall be given.
-
- 1.4 The Contractor shall make his own arrangements for main earth electrode and tapping thereof. The existing earth points available at site can be used at the discretion of the Departmental Electrical Engineer with prior permission. Method of earthing, installation and earth testing results shall conform to relevant I.S. specifications (IS-3043).
 - 1.5 All three phase equipment shall be provided with double earthing. All light fixtures and portable equipment shall be effectively earthed to main earthing.
 - 1.6 All earth terminals shall be visible. No gas pipes and water pipes shall be used for earth connection. Natural conductor shall not be treated as earth wire.
 - 1.7 The Contractor shall not connect any additional load without prior permission of Departmental Electrical Engineer. For obtaining additional power required, test reports of the tests mentioned in (d) of Form SGCW - 1 shall be submitted.
 - 1.8 Joints in earthing conductors shall be avoided. Loop earthing of equipment shall not be allowed. However tappings from an earth bus may be done.
 - 1.9 The entire installation shall be subjected to the following tests before energisation of installation including portable equipment :
 - a) Insulation resistance test
 - b) Polarity test of switches
 - c) Earth continuity test
 - d) Earth electrode resistance

The test procedures and their results shall conform to relevant IS specifications. The Contractor shall submit a test report for his complete installation every 2 months or after rectifying any fault section in the specimen test report. One such test report for the complete installation shall be submitted before onset of monsoon.

- (बी) सामान्यतया विभाग द्वारा संविदाकार के कार्यस्थल के एक स्थान पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
- (सी) जहां कहीं विद्युत वितरण बोर्ड विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हों वहां संविदाकार पूर्ण विवरण जैसे तार के आकार, ओवर हेड केबिल या केबिल फीडर, अर्थिंग आदि का योजनाबद्ध आरेख प्रस्तुत करेंगे। सभी उपकरणों व स्विचों की अवस्थिति की भी जानकारी दी जाएगी।
- 1.4 मुख्य अर्थ इलेक्ट्रोड व उसके ऊपर लगाए जाने वाले समस्त सामान की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं ही करनी होगी। कार्यस्थल पर उपलब्ध अर्थिंग प्वाइंट का उपयोग विभागीय विद्युत अभियंता की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है। अर्थिंग, स्थापन व अर्थ परीक्षण परिणाम संबंधित भारतीय मानक (आईएस) के विनिर्देशों (आईएस-3043) के अनुसार होंगे।
- 1.5 सभी तीन फेस वाले उपकरणों में दुगुनी अर्थिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सभी लाइट उपकरण व हल्के उपकरणों को मेन अर्थिंग के साथ मजबूती से अर्थ किया जाएगा।
- 1.6 सभी अर्थ टर्मिनल दृश्यमान होंगे। अर्थ संबंध के लिए किसी गैस या पानी के पाइप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आवेशरहित सुचालकों को अर्थवायर की तरह प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- 1.7 संविदाकार विभागीय विद्युत अभियंता की पूर्वानुमति के बगैर कोई अतिरिक्त लोड नहीं लगाएंगे। आवश्यक अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए एसजीसीडब्ल्यू-1 प्रपत्र के कॉलम (डी) में वर्वित जांच की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- 1.8 अर्थिंग सुचालकों में जोड़ लगाने से बचा जाएगा। लूप अर्थिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि किसी अर्थ से टैपिंग की जा सकती है।
- 1.9 हल्के उपकरणों सहित संपूर्ण स्थापन में विद्युत प्रवाहित किए जाने से पहले यह निम्नलिखित परीक्षणों के विषयाधीन होगा :
- ए) इंसुलेशन प्रतिरोधक परीक्षण
 - बी) स्विचों का पोलैरिटी परीक्षण
 - सी) अर्थ प्रवाहता परीक्षण
 - डी) अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध परीक्षण
- परीक्षण की विधि व उनके परिणाम संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों की पुष्टि करने वाले होंगे। संविदाकार प्रत्येक 2 माह में अथवा नमूना परीक्षण में प्राप्त किसी दोष के निवारण के बाद संपूर्ण स्थापन की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। संपूर्ण स्थापन की ऐसी ही एक जांच रिपोर्ट मानसून सत्र के प्रारंभ होने से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

2. The following are provided for general guidance of the Contractor and shall be read a specific requirement, in addition to complying with Indian Electricity Act, Indian Electricity Rules and IS specifications.

2.1 **INSTALLATION**

- a) Only persons having valid wireman's license/competency certificate shall be employed for carrying out electrical work and repair of electrical equipment, installation and maintenance at site. The job shall be supervised by a qualified licensed supervisor.
- b) Electrical equipment and installations shall be installed and maintained as to prevent danger from contact with live conductors and to prevent fires originating from electrical causes like short circuits, overheating, etc. Installation shall not cause any hindrance to movement of men and materials.
- c) Materials for all electrical equipment shall be selected with regard to working voltage, load and working environment. Such equipment shall conform to the relevant standards.
- d) The minimum clearance to be maintained for all overhead lines along roads and across roads shall be as per the statutory requirements as listed in Clause 1.2 of the Annexure.
- e) Grounding conductor of wiring system shall be of copper or other corrosion-resistant material. An extra grounding connection shall be made in appliances/equipment where chances of electric shock is high.
- f) Electric fuses and/or circuit breakers installed in equipment circuits for short circuit protection shall be of proper rating. It is also recommended that high rupturing capacity (HRC) fuses be used in all circuits. For load of 5 KW or more earth leakage circuit breaker shall be provided in the circuits.
- g) Wherever cables or wires are laid on poles, a guard wire of adequate size shall be run along the cables/wires and earthed effectively. Metallic poles as a general rules, shall be avoided and if used shall be earthed individually. Anticlimbing guards and danger notices shall be provided on poles. Each equipment shall have individual isolating switches.

2. निम्नलिखित को संविदाकार को सामान्य दिशानिर्देश देने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और इन्हें भारतीय विद्युत अधिनियम, भारतीय विद्युत नियमों और भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ एक विशिष्ट आवश्यकता के रूप में पढ़ा जाएगा।
- 2.1 **स्थापन**
- ए) बिजली के उपकरणों, कार्यस्थल में बिजली के कार्यों के स्थापन व अनुरक्षण कार्य आदि के लिए केवल वायरमैन लाइसेंसधारकों/सक्षमता प्रमाणपत्रधारकों से ही काम कराया जाएगा। इस कार्य का पर्यवेक्षण योग्यताधारी लाइसेंसी पर्यवेक्षकों से कराया जाएगा।
- बी) बिजली के उपकरणों व स्थापनाओं का स्थापन व अनुरक्षण इस प्रकार किया जाएगा कि धारा प्रवाहित सुचालकों के छूने के खतरों और बिजली के कारणों जैसे शॉर्ट सर्किट अधिक गर्मी आदि के कारण लगने वाली आग से बचाव हो। इनके स्थापन के कारण लोगों व सामान का आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा।
- सी) सभी बिजली चालित उपकरणों की सामग्री उनके वोल्टेज प्रयोग, लोड व कार्य के माहौल के आधार पर चुनी जानी चाहिए। ये उपकरण को संबंधित मानकों के अनुरूप होंगे।
- डी) सड़कों के साथ-साथ चलने वाले व सड़क के आर-पार गुजरने वाले सभी ओवरहेड तारों की न्यूनतम क्लियरेंस परिशिष्ट के अनुच्छेद 1.2 में दी गई सांविधिक आवश्यकता के अनुसार रखी जाएगी।
- ई) वायरिंग प्रणाली के ग्राउंडिंग सुचालक तांबे या अन्य जंगरोधी धातु के बने होंगे। झटके लगने की अधिक संभावना वाले उपकरणों में एक अतिरिक्त ग्राउंडिंग कनेक्शन किया जाएगा।
- एफ) बिजली के फ्यूज/उपकरणों में शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए लगाए गए सर्किट ब्रेकर उचित रेटिंग के होने चाहिए। सभी सर्किटों में उच्च रज्ज्वरिंग क्षमता (एचआरसी) वाले फ्यूजों के उपयोग की भी संस्तुति की जाती है। 5 किलोवाट या अधिक लोड के सर्किटों के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाए जाएंगे।
- जी) जहां कहीं केबिल या तारों को खम्भों पर लगाया जाता है, केबिलों/तारों के साथ-साथ उचित आकार का एक गार्ड वायर भी लगाया जाएगा और इसे प्रभावी ढंग से अर्थ किया जाएगा। एक सामान्य नियम के रूप में धातु के खम्भों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक खम्भे को अलग-अलग अर्थ किया जाएगा। खम्भों पर चढ़ना रोकने वाले गार्ड व खतरे की चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रत्येक उपकरण का व्यक्तिगत आइसोलेशन स्विच होगा।

- h) Wires and cables shall be properly supported and an approved method of fixing shall be adopted. Loose hanging of wires & cables shall be avoided. Lighting and power circuits shall be kept distinct and separate.
- i) Reinforcement rods or any metallic part of structure shall not be used for supporting wires and cables, fixtures, equipment, earthing, etc.
- j) All cables and wires shall be adequately protected mechanically against damages. In case the cable is required to be laid under ground, it shall be adequately protected by covering the same with bricks, plain cement concrete (PCC) tile or any other approved means.
- k) All armoured cables shall be properly terminated by using suitable cable glands. Multi-stranded conductor cables shall be connected by using cable lugs/sockets. Cable lugs shall preferably be crimped. They shall be of proper size and shall correspond to the current rating and size of the cable. Twisted connections will not be allowed.
- l) All cable glands, amouring and sheathing of electric cables, metal circuits and their fittings, metallic fittings and other non-current carrying parts of electrical equipment and apparatus shall be effectively grounded.
- m) All the Distribution Boards, switch fuse units, bus bar chambers, ducts, cubicles, etc. shall have MS enclosures and shall be dust, vermin and water proof. The Distribution Boards, switches, etc., shall be so fixed that they shall be easily accessible. Changes shall be done only after the approval of the Departmental Electrical Engineer.
- n) The Contractor shall provide proper enclosures/covers of approved size and shape for protection of all the switch board, equipment, etc. against rain. Exposed live parts of all electrical circuits & equipment shall be enclosed permanently. Crane trolley wires and other conductors which cannot be completely insulated shall be placed such that they are inaccessible under normal working conditions.
- o) Iron clad industrial type plug outlets are preferred for additional safety.

- एच) तारों और केबिलों को उचित प्रकार से सहारा दिया जाएगा और इन्हें लगाने के लिए अनुमोदित विधि का प्रयोग किया जाएगा। खुले लटकते हुए तार लगाने से बचा जाएगा। रोशनी और पॉवर के परिपथ अलग-अलग व एक दूसरे से दूर होंगे।
- आई) किसी ढांचे की प्रबलित राडों या अन्य धातु के भागों को केबिल और तारों, सामानों, उपकरणों, अर्थिंग के सहारे के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- जे) सभी केबिल व तारों का क्षति के विरुद्ध यांत्रिक ढंग से बचाव किया जाएगा। यदि केबिलों को जमीन के नीचे बिछाना हो तो इन्हें ईटो, सादा सीमेंट कंक्रीट(पीसीसी) के टाइलों या अन्य किसी अनुमोदित तरीके से ढका जाएगा।
- के) सभी आरमड केबिलों के अंतिम सिरों को उचित केबिल ग्लैंडों का प्रयोग करते हुए ठीक तरह से खत्म किया जाएगा। बहुल सिरों वाली सुचालक केबिलों को केबिल लग्स/सॉकेट का प्रयोग करते हुए जोड़ा जाएगा। केबिल लग्स को मोड़ना बेहतर होगा। वे उचित आकार के होंगे और केबिल की वर्तमान रेटिंग व आकार के होंगे। मुड़े हुए जोड़ स्वीकार्य नहीं होंगे।
- एल) सभी केबिल ग्लैंड, जोड़े हुए या ढके हुए बिजली केबिलों, धातु परिपथों व उनकी फिटिंग, धातु फिटिंग व बिजली के उपकरणों व उपस्करों के अन्य विद्युत प्रवाह विहीन भागों को प्रभावी ढंग से जमीन से जोड़ा जाएगा।
- एम) इनके सभी वितरण बोर्ड, स्विच फ्यूज इकाइयां, बस बार चैम्बर, नलिकाएं, क्यूबिकिल्स आदि माइल्ड स्टील के भीतर होंगे और यह धूल, छोटे-मोटे जीव-जंतुओं व पानी रोधी होंगे। वितरण बोर्डों, स्विचों आदि को इस प्रकार लगाया जाएगा कि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन केवल विभागीय विद्युत अभियंता के अनुमोदन से ही किया जाएगा।
- एन) संविदाकार सभी स्विच बोर्डों, उपकरणों आदि को बारिश से बचाने के लिए अनुमोदित आकार व प्रकार के उचित इनक्लोजर/कवर उपलब्ध कराएंगे। सभी विद्युत परिपथों व उपकरणों के विद्युतधारा प्रवाहित भागों को स्थाई रूप से बंद कर कर रखा जाएगा। क्रेन ट्रॉली के तारों व सुचालकों, जिन्हें पूर्णतया पृथक् स्थिति में न रखा जा सकता हो, को इस प्रकार लगाया जाएगा कि वे सामान्य कार्यदशाओं में पहुंच से बाहर हों।
- ओ) लोहे से ढके हुए औद्योगिक उपयोग वाले प्लगों का उपयोग बेहतर रहेगा।

- p) Open type Distribution Boards shall be placed only in dry and ventilated rooms; they shall not be placed in the vicinity of storage batteries or otherwise exposed to chemical fumes.
- q) Isolating switches shall be provided close to equipment for easy disconnection of electrical equipment or conductors from the source of supply when repair or maintenance work has to be done on them.
- r) In front of distribution boards a clear space of 90 cm shall be maintained in order to have easy access during an emergency.
- s) Adequate working space shall be provided around electrical equipment which require adjustment or examination during operation.
- t) As far as possible electrical switches shall be excluded from a place where there is danger of explosion. All electrical equipment such as motors, switches and lighting fittings installed in work room where there is possibility of explosion hazard shall be explosion proof.
- u) All connections to lighting fixtures, starters or other power supplies shall be provided with PVC insulated, PVC sheathed twin/three/four core wires to have better mechanical protection for preventing possible damage to equipment or injury to personnel. Taped joints shall not be allowed and the connections may be made in looping system. Electric starter of motors, switches shall not be mounted on wooden boards. Only sheet steel mounting or iron frame work shall be used.
- v) All the lighting fixtures and lamp holders shall be of good quality and in good condition. Badly repaired or broken holders, etc. shall not be used.
- w) Only PVC insulated and PVC sheathed wires or armoured PVC insulated and sheathed cables shall be used for external power supply connections of temporary nature. Whether proof rubber wires shall not be used for any temporary power supply connections. Taped joints in the wires shall not be used.
- x) The bulbs/lamps used for illumination and testing purpose shall have cover or guard to protect them from accidental breakages. Only 24 V supply system shall be used for hand lamps etc. while working inside metallic tanks or conducting vessels.

- पी) खुले प्रकार के वितरण बोर्डों को केवल शुष्क और हवादार कमरों में ही लगाया जाएगा; उन्हें बैटरी भंडारों के आस-पास नहीं लगाया जाएगा अथवा उन्हें रासायनिक वाष्पों के उद्भासन क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा।
- क्यू) आइसोलेशन स्विचों को उपकरणों या सुचालकों के यथानिकट लगाया जाएगा ताकि जब कभी उनका मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करना हो उन्हें शीघ्रता से संबंध विच्छेदित किया जा सके।
- आर) वितरण बोर्डों के सामन 90 सेमी का निरापद स्थान छोड़ा जाएगा ताकि आपात स्थित में उन तक आसानी से पहुंचा जा सके।
- एस) ऐसे विद्युत उपकरण जिनके प्रचालन के दौरान परीक्षण या समायोजन की आवश्यकता पड़ती हो, के चारों तरफ पर्याप्त कार्यस्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
- टी) जहां तक संभव हो विस्फोट के खतरे वाले स्थानों पर बिजली के स्विचों को नहीं लगाया जाएगा। विस्फोट की संभावना वाले कार्यक्षेत्र में लगाए गए सभी विद्युत उपकरण जैसे मोटरें, स्विच व रोशनी की फिटिंग्स आदि विस्फोटरोधी होंगी।
- यू) उपकरणों को संभावित खतरे या लोगों को चोट लगने आदि से बचाने के लिए बेहतर या 9 सुरक्षा प्राप्त करने के लिए रोशनी के सभी इंतजामों, स्टार्टरों व अन्य विद्युत आपूर्तियों को पीवीसी पृथक्करण, पीवीसी से ढके हुए दो/तीन/चार कोर तार उपलब्ध कराए जाएंगे। टैप किए गए जोड़ों की अनुमति नहीं दी जाएगी और जोड़ों को लूपिंग विधि से लगाया जाएगा। मोटरों के विद्युत चालित स्टार्टर, स्विचों को लकड़ी के बोर्डों पर नहीं लगाया जाएगा। केवल लोहे की माउंटिंग या लोहे के फ्रेमों का ही प्रयोग किया जाएगा।
- वी) रोशनी के सभी इंतजाम व लैंप होल्डर उच्च गुणवत्ता वाले होंगे और अच्छी हालत में होंगे। टूटे हुए या खराब तरीके से मरम्मत किए गए होल्डरों आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- डब्ल्यू) अस्थाई प्रकृति की बाहरी विद्युत आपूर्ति जोड़ने के लिए केवल पीवीसी पृथक्करण वाली और पीवीसी से ढके या आरमंड पीवीसी पृथक्करण व ढके केबिलों का ही प्रयोग किया जाएगा। जल रोधी रबर के तार किसी भी अस्थाई विद्युत आपूर्ति कनेक्शनों के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तारों में टैप किए हुए जोड़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- एक्स) रोशनी व परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैंपों/बल्बों के ऊपर कवर या गार्ड लगाए जाएंगे ताकि दुर्घटनावश इनके टूटने को रोका जा सके। धातु के बने टैंको या कंडक्टिंग वेसलों में हैंड लैंपों आदि के लिए केवल 24 वोल्ट वाली आपूर्ति का ही प्रयोग किया जाएगा।

- y) After installation of new electric system and or other extensive alterations to existing installations, thorough inspection shall be made by Departmental Electrical Engineer before the new system or new extension is put in use.
- z) Contractor shall ensure that power factor for their loads shall be maintained at 0.85. In case the power factor falls below 0.85, necessary capacitor units shall be provided by the contractor.

2.2 OPERATION & MAINTENANCE

- a) All persons who work with electrical installation/equipment shall be aware of the electrical hazards, use of protective devices and safe operational procedures. They shall be given training in fire fighting, first aid and artificial resuscitation techniques.
- b) The supervisor shall instruct the workers in the proper procedure, specify and enforce the use of necessary protective equipment such as adequately insulated pliers, screw drivers, fuse pullers, testing lamps and similar hand tools. Only wooden ladders shall be used to reach the heights in electrical work.
- c) No material or earth work shall be allowed to be dumped below or in the vicinity of the bare overhead line conductors.
- d) Separate work permits shall be issued for individual group leaders working on the same system which shall be returned after the completion of the work to Safety Supervisor and no system shall be energised without the clearance of Safety Supervisor.
- e) Before any maintenance work is commenced on electrical installations/equipment, the circuits shall be de-energised and ascertained to be dead by positive test with an approved voltage testing device. Switches shall be tagged or the fuse holders withdrawn before starting the work. Adequate precautions shall be taken in two important aspects viz.
 - i) That there shall be no danger from any adjacent live parts and
 - ii) That there shall be no changes of re-energisation of the equipments on which the persons are working.

- वाई) किसी नई विद्युत प्रणाली के लगाए जाने और अथवा वर्तमान स्थापनाओं में अन्य गहन परिवर्तन किए जाने के बाद नई प्रणाली या नए विस्तार को उपयोग में लाए जाने से पहले इनका विभागीय विद्युत अभियंता द्वारा परीक्षण किया जाएगा।
- जेड) संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उनके लोड का पॉवर फैक्टर 0.85 बना रहे। यदि पॉवर फैक्टर 0.85 से कम होता है तो संविदाकार द्वारा आवश्यक कैपेसिटर इकाई आदि की व्यवस्था कराई जाएगी।

2.2 प्रचालन व अनुरक्षण

- ए) विद्युत स्थापनों/उपकरणों पर काम करने वाले लोगों को बिजली के खतरों, बचाव युक्तियों के प्रयोग व सुरक्षित प्रचालन विधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अग्निशमन, प्राथमिक उपचार व कृत्रिम श्वास उपचार तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- बी) पर्यवेक्षक अपने कामगारों को उचित प्रक्रिया के बारे में निर्देश देंगे, आवश्यक बचाव उपकरणों जैसे पर्याप्त कुचालकता युक्त प्लायर, पेंचकस, फ्यूज पुलर, जांच लैंप व इसी प्रकार के अन्य औजारों को विनिर्दिष्ट करेंगे व उनका प्रयोग अनिवार्य करेंगे। ऊंचाई वाले बिजली के कामों को करने के लिए केवल लकड़ी की सीढ़ी का ही प्रयोग किया जाएगा।
- सी) खुली ओवरहेड लाइन सुचालकों के नीचे या उसके आसपास किसी प्रकार की सामग्री या मिट्टी आदि जमा नहीं करने दी जाएगी।
- डी) एक ही प्रणाली पर काम करने वाले प्रत्येक ग्रुप लीडर के लिए पृथक कार्य परमिट जारी किया जाएगा और कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात इसे संरक्षा पर्यवेक्षक को वापस किया जाएगा तथा संरक्षा पर्यवेक्षक की अनुमति के बगैर किसी भी प्रणाली में विद्युतधारा प्रवाहित नहीं की जाएगी।
- ई) किसी भी विद्युत स्थापन/उपकरण पर किसी भी प्रकार का अनुरक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने से पहले उस परिपथ में विद्युतधारा प्रवाह रोका जाएगा और अनुमोदित वोल्टेज परीक्षण युक्ति द्वारा सकारात्मक परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य प्रारंभ किए जाने से पहले स्विचों में पर्ची लटकाई जाएंगी या फ्यूज होल्डर निकाल लिए जाएंगे। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के प्रति विशेष सावधानी बरती जाएगी :
- i) किसी नजदीकी विद्युत प्रवाहित भाग से कोई खतरा न हो और
 - ii) लोगों के काम करते समय उपकरण में विद्युतधारा प्रवाह की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो।

- f) While working on or near a circuit, whenever possible the use of one hand may be practiced even though the circuit is supposed to be dead. The other hand may preferably be kept in pocket.
- g) When it is necessary to touch electrical equipment (for example when checking for overload of motors) back of the hand may be used. Thus, if accidental shock were to cause muscular contractions, one would not 'freeze' to the conductor.
- h) Operation of electrical equipment shall be avoided when standing on wet floor or when hands are wet.
- i) Before blown fuses are replaced, the circuit shall be locked out and an investigation shall be made for the cause of the short circuit or overload.
- j) When two persons are working within reach of each other, they shall never work on different phases of the supply.
- k) When structural repairs, modification or painting work are to be undertaken, appropriate measures shall be taken for the protection of persons whose work may bring them into the proximity of live equipment/circuit.
- l) It shall be ensured that the insulation and wire size of extension cords are adequate for the voltage and current to be carried.
- m) While tapping electricity from the socket, plug top must be used. It shall be ensured that no extension boards are over loaded while tapping. Only standard three pin plugs shall be used for tapping electricity. Broken sockets/plugs shall be replaced immediately with good ones. Only joint free cables shall be used for connecting equipment/apparatus.
- n) Floors shall be kept free from trailing electrical cables to avoid tripping hazard.
- o) Power supply to all the machines and lighting fixture shall be switched off when not in use.
- p) Temporary electrical connections shall be removed as soon as the stipulated work is over. After completion of the works, the Contractor shall dismantle the distribution boards and the other facilities he may have erected.
- q) Unauthorised tapping of power by others from distribution boards under the control of the contractor shall be prohibited at all circumstances.
- r) No flammable materials shall be stored in any working area near the switch boards.
- s) Safety work permits shall be used for switching off the main feeder and equipment by the contractor.

- एफ) किसी परिपथ पर या इसके नजदीक कार्य करते समय, यथा संभव एक हाथ के प्रयोग की आदत डाली जाए भले ही परिपथ में विद्युतधारा प्रवाह न हो। दूसरे हाथ को जेब में डाले रखा जा सकता है।
- जी) जब कभी किसी विद्युत उपकरण को स्पर्श करना अनिवार्य हो जाए (जैसे कि मोटर की ओवरलोडिंग की जांच करते समय) तो हाथ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि दुर्घटनावश लगे बिजली के झटके से मांसपेशियों में कोई सिकुड़न आती है तो वह व्यक्ति सुचालक से चिपक नहीं सकेगा।
- एच) गीले फर्श पर खड़े होकर या गीले हाथों से विद्युत उपकरणों का प्रचालन नहीं किया जाएगा।
- आई) फुंके फ्यूजों को वापस लगाने से पहले उस परिपथ को लॉक किया जाएगा और शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के कारणों की जांच की जाएगी।
- जे) जब दो व्यक्ति एक-दूसरे के अत्यंत समीप कार्य कर रहे हों तो वे विद्युत आपूर्ति के भिन्न-भिन्न फेसों पर कभी भी काम नहीं करेंगे।
- के) जब कभी ढांचागत मरम्मत, परिवर्तन या पेंटिंग कार्य किया जाना तो विद्युत प्रवाहित परिपथों/उपकरणों के समीप कार्य करने वाले व्यक्तियों के बचाव के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
- एल) एक्सटेंशन कोर्ड में प्रवाहित किए जाने वाले वोल्टेज और विद्युतधारा के अनुसार ही तार का आकार व इंसुलेशन होना सुनिश्चित किया जाएगा।
- एम) किसी सॉकेट से बिजली लेते समय प्लगटॉप का अवश्य प्रयोग किया जाएगा। टैपिंग करते समय सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सटेंशन बोर्ड पर ओवरलोडिंग न हो। बिजली की टैपिंग करते समय केवल तीन पिन वाले मानक प्लगों का ही प्रयोग किया जाएगा। टूटे हुए सॉकेटों/प्लगों के स्थान पर तत्काल ही नए सॉकेट/प्लग लगाए जाएंगे। उपकरणों/उपस्करों को जोड़ते समय केवल जोड़मुक्त केबलों का ही प्रयोग किया जाएगा।
- एन) पांव पड़ जाने के खतरे से बचने के लिए फर्श पर किसी प्रकार की केबलें नहीं फैलाई जाएंगी।
- ओ) जब प्रयोग न किया जाए तो सभी मशीनों व रोशनी उपकरणों की विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी।
- पी) विशेष प्रकार के कार्यों के पूरा होते ही अस्थायी विद्युत कनेक्शन हटा लिए जाएंगे। कार्य समाप्त होने के बाद संविदाकार लगाए गए वितरण बोर्ड व अन्य सुविधाओं को हटा लेंगे।
- क्यू) संविदाकार के नियंत्रण वाले वितरण बोर्डों से अन्य लोगों द्वारा अनधिकृत बिजली टैपिंग प्रत्येक परिस्थिति में वर्जित है।
- आर) स्विच बोर्डों के समीप किसी भी कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
- एस) संविदाकार द्वारा मेन फीडर व उपकरणों की विद्युत आपूर्ति बंद करने के लिए संरक्षा कार्य परमिट का प्रयोग किया जाएगा।

- t) “MAN ON LINE” “DO NOT SWITCH ON” “DANGER” or “CAUTION” board as applicable shall be used during maintenance works on the electrical equipment.

2.3 PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT

- a) Portable electrical equipment shall be regularly examined, tested and maintained to ensure that the equipment and its leads are in good order. Register shall be maintained for inspection recording the testing dates and results of the equipments.
- b) All portable appliances shall be provided with three core cable and three pin plug. The third pin of the plug shall invariably be earthed. It shall be ensured that the metal part of the equipment shall be effectively earthed.
- c) All connections to portable equipment or machines from the panel/distribution board/extension board shall be taken using 3 core double insulated PVC flexible copper wire in one length. No joints shall be allowed in this flexible wire. In case single length of wire is not sufficient for a particular location then the supply can be tapped by providing another extension board comprising of switch and socket.
- d) Flexible cables for portable lamps, tools and apparatus shall be regularly examined, tested periodically and maintained to ensure safety.

टी) विद्युत उपकरणों पर मरम्मत कार्य करते समय यथा उपयुक्त "लाइन पर लोग कार्य कर रहे हैं", "स्विच को ऑन न करें", "खतरा", या "चेतावनी" बोर्डों का प्रयोग किया जाएगा।

2.3 हल्के विद्युत उपकरण

ए) हल्के उपकरणों व उनके तारों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनका नियमित अंतराल पर परीक्षण, जांच व अनुरक्षण किया जाएगा। उपकरणों के निरीक्षण का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें जांच की तारीखे उपकरण का परिणाम दर्ज होंगे।

बी) सभी हल्के उपकरणों में तीन कोर वाला केबिल व तीन पिन वाले प्लगों का प्रयोग किया जाएगा। प्लग की तीसरी पिन को निश्चित रूप से अर्थ किया जाएगा। उपकरण के धातु वाले हिस्से को अर्थ से जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा।

सी) हल्के उपकरणों या मशीनों में पैनल/वितरण बोर्ड/एक्सटेंशन बोर्ड से दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिए 3 कोर दोहरे पीवीसी इंसुलेशन वाले लोचदार जोड़रहित तार का प्रयोग किया जाएगा। इस लोचदार तार में किसी प्रकार का जोड़ डालने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी विशेष स्थान पर तार की एक लंबाई पर्याप्त न हो तो विद्युत आपूर्ति के लिए स्विच व सॉकेट युक्त दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से प्राप्त किया जाएगा।

डी) सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हल्के लैंपों व उपकरणों के लोचदार केबिलों का नियमित परीक्षण किया जाएगा, निश्चित समय पर जांच की जाएगी व उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

FORM NO.SGCW - 1

FORM FOR COMPLETION CERTIFICATE

(Prescribed under Cl. 1.2 of Annexure)

I/We certify tht the installation detailed below has been installed by me/us and tested and that to the best of my/our knowledge and belief, it complies with Indian Electricity Rules, 1956 as well as IS:732-1963 code of practice for Electrical Wiring Installations. (System voltage not exceeding 650 Volts (Revised)).

Electrical installation at

Voltage and system of supply

- | a) | Particulars of work | Number
----- | Total
load
----- | Type of system
of wiring
----- |
|------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| i) | Light points | | | |
| ii) | Fan points | | | |
| iii) | Plug points (3 pin) | | | |
| iv) | Motors | | | |
- b) If the work involves installation of overhead lines and/or underground cable

- c) Earthing

Description of earthing electrode, size of earth wire and number of electrodes provided :

- d) Test results

1. Insulation resistance for the whole installation :

- i) Between conductors
- ii) Between each conductor and earth

2. Resistance of earthing electrode or earthing system.

3. Maximum earthing resistance of installation _____

Signature of Supervisor

Signature of Contractor

Name and address of Supervisor

Name and address of Contractor

कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(अनुच्छेद 1.2 के अंतर्गत वर्णित)

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि अधोलिखित स्थापन कार्य मेरे/हमारे द्वारा किया गया है और मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार यह कार्य भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 तथा साथ ही बिजली वायरिंग स्थापन प्रक्रिया के कोड आईएस: 732-1963 के नियमों का पालन करता है। (प्रणाली वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक नहीं (संशोधित)

विद्युत संबंधी स्थापन का स्थान -----

आपूर्ति का वोल्टेज व प्रणाली -----

ए)	कार्य का विवरण	संख्या	कुल लोड	वायरिंग प्रणाली का प्रकार
	-----	-----	-----	-----

I) बिजली के प्वाइंट

II) पंखों के प्वाइंट

III) प्लग के प्वाइंट (3 पिन वाले)

IV) मोटर

बी) क्या कार्य में ओवरहेड लाइनों और / या भूमिगत केबिलों के बिछाने का कार्य शामिल था

सी) अर्थिंग

अर्थिंग इलेक्ट्रोड का विवरण, अर्थ वायर का नाप तथा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रोडों की संख्या :

डी) परीक्षण का परिणाम

1. संपूर्ण स्थापना का इंसुलेशन रजिस्टेंस

I) सुचालकों के बीच में

II) भूमि सुचालक व भूमि के बीच में

2) अर्थिंग प्रणाली के अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध

3) स्थापना का अधिकतम अर्थिंग प्रतिरोध

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम तथा पता

संविदाकार के हस्ताक्षर

संविदाकार का नाम तथा पता

FORM NO.SGCW - 2

'A' APPLICATION FOR SERVICE CONNECTION BY CONTRACTOR

(Prescribed under Cl. 1.3 of Annexure)

(To be filled in triplicate)

1. Name and Address of Contractor :
2. Reference to Tender & Work Order :
3. Completion period :
4. Connected load details (please attach details :
in a separate sheet)
5. Max. demand anticipated :
6. Nature of service connection required :
(whether single or three phase)
7. Place where service required :
 - a) Works :
 - b) Colony :
8. If supply of electricity is free or chargeable :
(Please enclose extract of conditions from
the tender)
9. Details of meter provided :
 - a) If meter required from the Department, :
whether SD is paid
 - b) Details of SD (Security Deposit) :
 - c) Whether meter is tested or not, if tested, :
attach test report, if not, details of testing
fee deposited
10. Name of Supervisor/Electrician in charge :
of installation and maintenance
11. Electrical license No. of person mentioned :
Against Col. 10

"ए" संविदाकार द्वारा सेवा कनेक्शन के लिए आवेदन

(परिशिष्ट के कॉलम 1.3 के अधीन विहित)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

1. संविदाकार का नाम व पता	:	
2. निविदा व कार्य आदेश का संदर्भ	:	
3. कार्यपूर्णता अवधि	:	
4. जोड़े गए लोड का विवरण (कृपया विवरण अलग शीट में नत्थी करें)	:	
5. अधिकतम अनुमानित मांग	:	
6. आवश्यक सेवा कनेक्शन की प्रकृति (एक फेस वाली या तीन फेस वाली)	:	
7. स्थान जहां सेवा की आवश्यकता है ए) कार्य बी) कॉलोनी	: : :	
8. विद्युत की आपूर्ति निःशुल्क या प्रभार वाली है (कृपया निविदा की शर्तों के अंश नत्थी करें)	:	
9. लगाए गए मीटर का विवरण ए) यदि विभाग का मीटर लगना हो, तो क्या प्रतिभू जमा का भुगतान किया गया है। बी) प्रतिभू जमा का विवरण सी) मीटर की जांच की गई है या नहीं, यदि जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट नत्थी करें, यदि नहीं तो जमा किए गए जांच शुल्क का विवरण दें।	: : : : :	
10. स्थापन व अनुरक्षण के पर्यवेक्षक/इलेक्ट्रिशियन का नाम	:	
11. कॉलम 10 में लिखे गए व्यक्ति की इलेक्ट्रिकल लाइसेंस संख्या	:	

12. Electrical safety appliances available :
for use
13. Fire extinguishers available for use :
14. First Aid facility/box available for use, :
if any.

(Signature of the Contractor)

Date :

Name :

- 12. उपयोग के लिए उपलब्ध विद्युत संरक्षा उपकरण :
- 13. उपयोग के लिए उपलब्ध अग्निशमन उपकरण :
- 14. उपयोग के लिए उपलब्ध प्राथमिक उपचार सुविधा/पेटी

(संविदाकार के हस्ताक्षर)

तारीख :

नाम :

‘B’ CERTIFICATE BY THE CONTRACTOR

Certified that my/our installations have been carried out in accordance with I.E. Rules and that I/we have employed competent persons to handle the installations.

I/We am/are agreeable to the bills, in respect of this service connections being raised on the basis the connected load furnished above, in case the actual consumption falls below the one stipulated by the tender conditions.

(Signature of the Contractor)

Name :

Address :

Date :

.....

‘C’ CERTIFICATE BY THE CONTRACT CONTROL ENGINEER

Verified the particulars and forwarded to the Engineer-In-Charge.

(Signature of Contract Control Engineer)

Name :

Section : Civil/Electrical/Mechanical

.....

‘D’ CERTIFICATE BY THE ENGINEER-IN-CHARGE

Certified that the particulars furnished by the Contractor are true to the best of my knowledge and belief and that I have satisfied myself as to the safe conditions of electrical installations for which the service connection is applied for.

Signature :

Name :

Date:

Designation with Section :

"बी" संविदाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे स्थापन संबंधित नियमों के अनुसार किए गए हैं और मैंने/हमने इन स्थापनों के संचालन के लिए सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

मैं/हम उपर्युक्त दिए गए विवरण के अनुसार सर्विस कनेक्शन हेतु जोड़े गए लोड के लिए यदि वास्तविक उपयोग निविदा की शर्तों से कम होता है तो बनने वाले बिलों के भुगतान के लिए सहमत हैं।

(संविदाकार के हस्ताक्षर)

तारीख :

नाम :

पता :

"सी" संविदाकार नियंत्रित अभियंता का प्रमाणपत्र

विवरण की जांच की गई व प्रभारी अभियंता को अग्रेषित किया गया।

(संविदाकार नियंत्रित अभियंता के हस्ताक्षर)

नाम :

अनुभाग : सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल

"डी" प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संविदाकार द्वारा दिए गए विवरण मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने आवेदित सेवा कनेक्शनों के विद्युत स्थापनों की सुरक्षित दशा के प्रति स्वयं को आश्वस्त कर लिया है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम व अनुभाग :

दिनांक:

'E' CERTIFICATE BY THE SAFETY ENGINEER

Certified that I have inspected the electrical installations referred herein and after satisfying myself about the safe conditions of the installation, I hereby recommend that the service connection be given to the Contractor.

Signature of the Safety Engineer

Date :

Name :

.....

'F' AUTHORISATION BY THE ELECTRICAL ENGINEER

Service connection may be/may not be given for the reasons noted hereunder :

Signature of Electrical Engineer :

Name :

Date:

Designation :

.....

"ई" संरक्षा अभियंता द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यहां पर संदर्भित विद्युत स्थापनाओं की मैंने जांच की है और उनकी सुरक्षित दशा के बारे में मैं संतुष्ट हूँ। मैं एतद्द्वारा संस्तुत करता हूँ कि संविदाकार को विद्युत सेवा का कनेक्शन दे दिया जाए।

संरक्षा अभियंता के हस्ताक्षर

नाम :

दिनांक:

"एफ" विद्युत अभियंता द्वारा प्राधिकरण

सेवा कनेक्शन दिया जा सकता है/निम्नलिखित कारणों की वजह से नहीं दिया जा सकता :

विद्युत अभियंता के हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक:

पदनाम :

'G' REPORT OF COMPLIANCE

Service connection is given by me on

a) Meter Nos. : 1.

2.

3.

b) Initial readings : 1.

2.

3.

c) Locations : 1.

2.

3.

d) Meter sealings :

Signature of Electrical Engineer

(Metering and Billing)

Name :

Date :

Designation :

Note:

1st copy to Contract Control Engineer

2nd copy to Safety Engineer

3rd copy to Electrical Engineer

} After all the formalities are completed
} and Report of Compliance in (G) are
} filled up by the electrical Engineer after
} power supply is given.
}

"जी" अनुपालन की रिपोर्ट

मैंने दिनांक -----को सेवा कनेक्शन दिया।

ए) मीटर संख्याएं

- 1.
- 2.
- 3.

बी) प्रारंभिक रीडिंग

- 1.
- 2.
- 3.

सी अवस्थिति

- 1.
- 2.
- 3.

डी) मीटर मुहरीकरण

प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर

(मीटरिंग व बिलिंग)

नाम :

दिनांक:

पदनाम :

नोट:

पहली प्रति संविदा नियंत्रण अभियंत को
दूसरी प्रति संरक्षा अभियंता को
तीसरी प्रति विद्युत अभियंता को

सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद
और विद्युत आपूर्ति दिए जाने के बाद विद्युत
अभियंता द्वारा अनुपालन रिपोर्ट (जी) जमा किए
जाने के बाद।

22. TENDER FORMS

TENDER

To,
Nuclear Power Corporation of India Ltd.,
(Hereinafter referred to as the Corporation)

I/We have read and examined the following documents relating to _____

(Name of the Works)

- (a) Notice Inviting tender.
- (b) Schedules A, B & C
- (c) Technical Specifications
- (d) Drawings
- (e) General Conditions of Contract including Contractors Labour Regulations, Model Rules for Labour Welfare and Safety guide appended to these conditions together with the amendments thereto Nos. 1 to if any.
- (f) Special Conditions of contracts
- (g) Schedule of quantities and Rates (referred to in the General Conditions of Contract as Schedule of Rates) together with Amendment Nos. 1 to if any.

I/We hereby tender for execution of the works referred to in the aforesaid documents upon the terms and conditions contained or referred to therein and in accordance in all respects with the specifications, designs, drawings and other relevant details at the rates contained in Schedule of Quantities and Rates and within the period(s) of completion as stipulated in NIT.

In consideration of I/We being invited to tender. I/We agree to keep the tender open for acceptance for days from the due date of submission thereof and not to make any modifications in its terms and conditions which are not acceptable to the Corporation.

22. निविदा प्रपत्र

निविदा

सेवा में,

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(इसे आगे कॉरपोरेशन कहा गया है)

मैंने/हमने -----
----- (कार्य का नाम)

से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों को पढ़ लिया है व उनकी जांच कर ली है।

- (ए) निविदा आमंत्रण सूचना
- (बी) अनुसूची ए, बी, व सी
- (सी) तकनीकी विनिर्देश
- (डी) रेखाचित्र
- (ई) इन शर्तों के साथ संलग्न संविदा श्रमिक विनियमों, श्रमिक कल्याण के लिए आदर्श नियम और संरक्षा दिग्दर्शिका व उनके संशोधनों क्रमांक 1 से -----तक, यदि कोई हो, सहित संविदा की सामान्य शर्तें
- (एफ) संविदा की विशेष शर्तें
- (जी) संशोधनों क्रमांक 1 से -----तक, यदि कोई हो, सहित मात्रा व दर की अनुसूची (संविदा की सामान्य शर्तों में दर की अनुसूची के रूप में संदर्भित)

मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों में संदर्भित कार्य के लिए उनमें शामिल या संदर्भित नियम व शर्तों पर और उनमें वर्णित विनिर्देशों, अभिकल्पना, रेखाचित्रों व मात्रा और दर अनुसूची में निहित सभी दरों के अनुरूप और निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित पूर्णता की अवधि(यों) में निष्पादन के लिए निविदा करता हूँ/करते हैं।

निविदा के आमंत्रण के लिए मुझे/हमारे नाम पर विचार किए जाने पर मैं/हम निविदा को स्वीकार किए जाने हेतु इसके जमा किए जाने के लिए निर्धारित तारीख से -----दिनों के लिए खुली रखने और इसके नियम व शर्तों में निगम को अस्वीकार्य कोई संशोधन न करने पर सहमत हूँ/हैं।

A sum of Rs is hereby forwarded in Demand Draft payable at/Deposit at Call Receipt of any scheduled commercial bank as Bid Security. If I/We fail to keep the tender open as aforesaid or make any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the Corporation, I/We agree that the Corporation shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said bid security absolutely. Should this tender be accepted, I/We hereby agree to abide by and fulfill all the terms, conditions and provisions of the aforesaid documents.

If, After the tender is accepted, I/We fail to commence the execution of the works as provided in the conditions, I/we agree that the Corporation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty forfeit the said bid security absolutely.

Signature of the capacity of _____

Duly authorised to sign the tender on behalf of the

(In block Capitals)_____

Dated _____

Postal Address _____

Telegraph Address _____

Telephone No./Fax/Telex No _____

Seal of the Company/Firm

Witness _____

Date _____

Address _____

बोली प्रतिभू के रूप में रु.----- का -----पर देय डिमांड ड्रॉफ्ट/किसी अनुसूचित बैंक की डिमांड ऐट कॉल रिसीप्ट जमा को एतद्द्वारा अग्रेषित किया जाता है। यदि मैं/हम उपर्युक्त अवधि के लिए निविदा को खुला रखने में असमर्थ रहता हूँ/रहते हैं या निविदा के नियम व शर्तों में निगम को अस्वीकार्य कोई संशोधन करता हूँ/करते हैं तो किसी अधिकार या उपचारी उपाय के पूर्वाग्रह के बगैर निगम द्वारा उक्त बोली प्रतिभू को पूर्णतया जब्त किए जाने के लिए स्वतंत्र होने पर मैं/हम सहमत हूँ/हैं। यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो मैं/हम एतद्द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की समस्त शर्तों, निबंधनों व प्रावधानों के पूर्णतया पालन व पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

यदि, निविदा स्वीकार कर लिए जाने के बाद मैं/हम इसकी शर्तों के अनुसार कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहते हैं तो किसी अधिकार या उपचारी उपाय के पूर्वाग्रह के बगैर निगम द्वारा उक्त संपूर्ण बोली प्रतिभू को पूर्णतया जब्त किए जाने के लिए स्वतंत्र होने पर मैं/हम सहमत हूँ/हैं।

----- (स्पष्ट अक्षरों में लिखें) की ओर

से विधिवत् प्राधिकृत

की क्षमता में हस्ताक्षर -----

दिनांक-----

डाक का पता-----

टेलीग्राफ का पता-----

टेलीफोन संख्या/फैक्स/टेलेक्स संख्या-----

कंपनी/फर्म की मुहर

साक्षी-----

तारीख-----

पता-----

23. FORMS OF DIFFERENT DEEDS

1. PROFORMA BANK GUARANTEE IN LIEU OF BID SECURITY

(On Non Judicial Stamp paper to be stamped in accordance
with stamp act, the stamp paper to be in name of
Executing Bank)

Ref.....

Date.....

Bank Guarantee No.....

To **NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD**

Dear Sir,

In accordance with your Notice Inviting Tender for _____ under your
tender No _____ dated _____ M/s _____
(hereinafter called the Tenderer) with following directors on their Board of
Directors/Partners of
the firm.

1 _____	2 _____
3 _____	4 _____
5 _____	6 _____
7 _____	8 _____
9 _____	10 _____

Wish to participate in the said tender for the following:

1 _____
2 _____
3 _____

23. विभिन्न विलेखों के प्रपत्र

1. बोली प्रतिभू के बदले में दी जाने वाली बैंक गारंटी का प्रारूप

(न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर स्टाम्प अधिनियम के अनुरूप मुहर लगाई जाए, यह स्टाम्प पेपर निष्पादित करने वाले बैंक के नाम पर होगा।)

संदर्भ-----

दिनांक-----

बैंक गारंटी संख्या-----

सेवा में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रिय महोदय,

निविदा क्रमांक-----दिनांक-----की निविदा के अधीन-----

--कार्य के लिए आपकी निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप मेसर्स-----

----- (इन्हें आगे "निविदाकर्ता" कहा गया है) जिनकी फर्म में निम्नलिखित निदेशक मंडल के निदेशकगण/भागीदार हैं,

1.-----2.-----

3.-----4.-----

5.-----6.-----

7.-----8.-----

9.-----10.-----

निम्नलिखित के लिए उक्त निविदा में भाग लेना चाहते हैं:

1.-----

2.-----

3.-----

Whereas it is a condition in the tender documents that the tenderer has to deposit Bid Security with respect to the tender, with Nuclear Power Corporation of India Ltd (hereinafter referred to as "Corporation") amounting to Rs..... or alternatively the tenderer is required to submit "Bank Guarantee" from a nationalised bank irrevocable and operative till 28 days after the validity of the offer. (i.e. 120 days from the date of opening of tender), for the like amount which amount is likely to be forfeited on the happening of contingencies mentioned in the tender documents. And whereas the tenderer desires to secure exemption from deposit of Bid Security and has offered to furnish a Bank Guarantee for a sum of Rs..... to the Corporation for the purpose of securing exemption from the deposit of Bid Security.

1. NOW THEREFORE, we the Bank, a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act 1969 and having a branch office at..... (hereinafter referred to as the Bank") do hereby undertake and agree to pay on demand in writing by the Corporation, the amount of Rs.....(Rupees.....) to the Nuclear Power Corporation of India Ltd without any demur, reservation or recourse.

2. We, the aforesaid Bank, further agree that the Corporation shall be the sole judge of and as to whether the tenderer has committed any breach or breaches of any of the terms and conditions of the tender and the extent of loss, damage, costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the Corporation on account thereof the extent of the bid security required to be deposited by the Tenderer in respect of the said Tender document and the decision of the Corporation that the Tenderer has committed such breach or breaches and as to the amount or amounts of loss, damage, costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the Corporation shall be final and binding on us.

3. We, the said Bank further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect until it is released by the Corporation and change in the constitution, liquidation or dissolution of the Tenderer, shall not discharge our liability guaranteed herein.

4. It is further declared that it shall not be necessary for the Corporation to proceed against the Contractor before proceeding against the Bank and the Guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank notwithstanding any security which the Corporation may have obtained or shall obtain from the Contractor at the time when proceedings are taken against the Bank for whatever amount may be outstanding or unrealised under the Guarantee.

5. The right of the Corporation to recover the said amount of Rs.....(Rupees) from us in manner aforesaid will not be affected or suspended by reason of the fact that any dispute or disputes have been raised by the said M/s..... (Tenderer) and/or that any dispute or disputes are pending before any authority, officer, tribunal or arbitrator(s) etc.

जबकि निविदा प्रपत्र में यह शर्त है कि निविदाकर्ता को इस निविदा के संबंध में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "कारपोरेशन" कहा गया है) के पास रु.-----राशि की बोली प्रतिभू जमा करानी होगी या विकल्प के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की अप्रतिहस्तांतरणीय व प्रस्ताव के 28 दिनों के बाद तक के लिए (अर्थात् निविदा खोले जाने की तारीख के 120 दिन बाद तक) प्रभावी इतनी ही राशि, जिसके कि निविदा दस्तावेज में वर्णित आपदाओं के घटित होने पर जब्त किए जाने की संभावना है, की "बैंक गारंटी" प्रस्तुत करनी होगी। और जबकि निविदाकर्ता बोली प्रतिभू जमा कराने से छूट प्राप्त करने का इच्छुक है और उसने बोली प्रतिभू जमा करने से छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से निगम को रु.-----राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है।

1. अतः अब, हम -----बैंक जोकि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) ऐक्ट 1969 के अधीन गठित एक निकाय निगम हैं और जिनका -----स्थान पर शाखा कार्यालय (जिसे आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है) है, एतद्वारा निगम के लिखित रूप से मांगे जाने पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बगैर आपत्ति, आरक्षण अथवा अवलंबन के रु.-----(------रूप मात्र) की राशि का भुगतान करने की सहमति देते हैं।

2. हम, उपर्युक्त बैंक इस पर भी सहमत हैं कि निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों व निबंधनों के उल्लंघन या उल्लंघनों को किए जाने या न किए जाने के लिए और उक्त निविदा दस्तावेज के संबंध में जमा की जाने योग्य बोली प्रतिभू की सीमा तक उसकी वजह से या उसके कारण होने वाले अथवा उसकी वजह से या उसके कारण होने वाले हो सकने वाले निगम के नुकसान, क्षति, कीमत, प्रभार तथा व्यय की सीमा के लिए, निगम एकमात्र निर्णायक होगा और निविदाकर्ता द्वारा इन उल्लंघन या उल्लंघनों को किए जाने और इसकी वजह से या इसके कारण निगम को होने वाले अथवा इसकी वजह से या इसके कारण हो सकने वाले नुकसान, क्षति, कीमत, प्रभार तथा व्यय की राशि या राशियों से संबंधित निगम का निर्णय अंतिम व हम पर बाध्यकारी होगा।

3. हम, उक्त बैंक इस पर भी सहमत हैं कि एतद्वारा दी गई गारंटी निगम द्वारा निर्मुक्त किए जाने तक पूर्ण बलशील व प्रभावी रहेगी और निविदाकर्ता के संविधान में परिवर्तन, परिसमापन या विघटन हमें एतद्वारा दी गई गारंटी के हमारे दायित्व से उन्मोचित नहीं करेगा।

4. आगे यह भी घोषित किया जाता है कि निगम के लिए बैंक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करना आवश्यक नहीं होगा और एतद्वारा दी गई गारंटी बैंक के विरुद्ध बलशील रहेगी भले ही इस गारंटी के अधीन किसी भी बकाया या अप्राप्य राशि के लिए निगम द्वारा बैंक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के समय संविदाकार से निगम ने कोई प्रतिभू ले लिया हो या लेने वाला हो।

5. उक्त रु.-----(------रूप मात्र) की राशि को उपर्युक्त रीति से हमसे वसूल करने का निगम का अधिकार इस तथ्य कि उक्त मेसर्स-----(-निविदाकर्ता) द्वारा कोई विवाद उठाए गए है/हैं और/अथवा कोई विवाद किसी प्राधिकरण, अधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ (थों) आदि के पास लंबित है/हैं, के कारणों से प्रभावित या लंबित नहीं होगा।

6. Notwithstanding anything stated above, our liability under this guarantee shall be restricted to Rs.....(Rupees.....)and our guarantee shall remain in force upto..... and unless a demand or claim under the guarantee is made on us in writing within three months after the aforesaid date i.e. on or before the all your rights under the guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liabilities thereunder.

Date.....

place.....

(Signature)_____

(Printed Name)_____

(Designation)_____

(Bank's Common seal)_____

(Authorisation No.)_____

In the presence of:

Witness

1)_____

2)_____

Accepted

(Signature of the Officer)
For and on behalf of the
Nuclear Power Corporation
of India Ltd.

6. उपर्युक्त तथ्यों में किसी बात के होते हुए भी इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्व रु. -----(-----
-----रुपए मात्र) तक प्रतिबंधित होंगे और हमारी गारंटी दिनांक----- तक बलशील रहेगी और जब
तक कि इस गारंटी के अंतर्गत उपर्युक्त तारीख अर्थात दिनांक-----तक या इससे पहले तीन माह की
अवधि में लिखित रूप में हमसे कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, इस गारंटी के अंतर्गत आपके सभी
अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसके अधीन सभी दायित्वों से मुक्त व उन्मोचित होंगे।

दिनांक-----

स्थान-----

(हस्ताक्षर)-----

(छापा गया नाम)-----

(पदनाम)-----

(बैंक की आम मुहर)-----

(प्राधिकरण संख्या)-----

की उपस्थित में :

साक्षीगण

1)-----

2)-----

स्वीकार किया गया

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

कृते एवं वास्ते

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन

ऑफ इंडिया लिमिटेड

2. PROFORMA OF BANK GUARANTEE IN LIEU OF SECURITY DEPOSIT

(Performance Guarantee / Retention money) IN INDIVIDUAL CONTRACT (ON NON JUDICIAL STAMP PAPER)

To

Nuclear Power Corporation of India Ltd.

In consideration of the Nuclear Power Corporation of India Ltd..... Atomic Power Project) having its registered Office at (hereinafter called the "Corporation" which expression shall unless repugnant to the subject or context include its administrators, successors and assigns) having agreed under the terms and conditions of the Award Letter bearing No..... dated..... issued by the Corporation, which has been unequivocally accepted by the Contractor M/s...* work of.....(hereinafter called the said Contract) to accept a Deed of Guarantee as herein provided for Rs.....(Rupees.....only) from a Scheduled commercial bank in lieu of the (performance guarantee to be submitted by the Contractor /retention money deducted from the Contractor's bills) for the due fulfillment by the said Contractor of the terms and conditions contained in the said Contract.

1. We, the Bank (hereinafter referred to as "the said Bank" and having our registered office at..... do hereby undertake and agree to indemnify and keep indemnified the Corporation from time to time to the extent of Rs.....(RupeesOnly) against any loss or damage, costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the Corporation by reason of any breach or breaches by the said Contractor of any of the terms and conditions contained in the said Contract and to unconditionally pay the amount claimed by the Corporation on demand and without demur to the extent aforesaid.

2. We..... Bank, further agree that the Corporation shall be the sole judge of and as to whether the said Contractor has committed any breach or breaches of any of the terms and conditions of the said Contract and the extent of loss, damage, costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the Corporation on account thereof and the decision of the corporation that the said Contractor has committed such breach or

*Refer note at the end of the proforma.

2. प्रतिभू जमा के स्थान पर दी जाने वाली बैंक गारंटी का प्रारूप
(कार्यनिष्पादन गारंटी/प्रतिधारण राशि)
व्यक्तिगत संविदा में
(न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

यह विचार करते हुए कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड -----परमाणु बिजलीघर) जिनका पंजीकृत कार्यालय-----पर स्थित है (जिसे आगे "निगम" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इसके प्रशासकगण, उत्तराधिकारी व समनुदेशी शामिल हैं), ने निगम द्वारा जारी अंकित संख्या-----दिनांक-----के अवार्ड पत्र की शर्तों व निबंधनों के अधीन जिसे -----कार्य के संविदाकार मेसर्स *-----
----- (जिन्हें आगे उक्त संविदाकार कहा गया है) द्वारा निर्विवादित रूप से स्वीकार किया गया है, संविदाकार द्वारा उक्त संविदा में उल्लिखित शर्तों व निबंधनों को विधिवत् पूरा करने के लिए जमा की जाने वाली गारंटी (कार्यनिष्पादन गारंटी/संविदाकार के बिलों में से कटौती की जाने वाली प्रतिधारण राशि) के बदले में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के यहां पर दिए गए रु.----- (-----रुपए मात्र) के गारंटी विलेख को स्वीकार करने के लिए सहमति दी है।

1. हम-----बैंक (जिसे आगे "उक्त बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है) और हमारा पंजीकृत कार्यालय -----पर स्थित है, उक्त संविदाकार द्वारा उक्त संविदा में उल्लिखित शर्तों व निबंधनों के उल्लंघन या उल्लंघनों के कारण निगम को हुए या किए गए अथवा भविष्य में हो सकने या किए जा सकने वाले नुकसान, क्षति, कीमत, प्रभार तथा व्यय के लिए निगम को जिस समय भी आवश्यकता हो, रु.----- (-----रुपए मात्र) तक की सीमा तक की क्षतिपूर्ति और सतत् क्षतिपूर्ति के लिए तथा निगम द्वारा दावा या मांग की गई उपर्युक्त सीमा तक की राशि को बगैर किसी आपत्ति के व बिनाशर्त भुगतान करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं व सहमति देते हैं।

2. हम, ----- बैंक इस पर भी सहमत हैं कि उक्त संविदाकार द्वारा उक्त संविदा की किसी शर्तों व निबंधनों के उल्लंघन या उल्लंघनों को किए जाने या न किए जाने के लिए और उसकी वजह से हुए अथवा किए गए या उसके कारण भविष्य में हो सकने वाले या किए जा सकने वाले निगम के नुकसान, क्षति, कीमत, प्रभार तथा व्यय के लिए, निगम एकमात्र निर्णायक होगा और उक्त संविदाकार द्वारा किए गए इन उल्लंघन या उल्लंघनों और इसकी वजह से निगम को होने वाले या किए जाने वाले अथवा भविष्य में हो सकने वाले या किए जा सकने वाले नुकसान, क्षति, कीमत, प्रभार तथा व्यय की राशि या राशियों का निगम का निर्णय अंतिम व हम पर बाध्यकारी होगा।

* प्रारूप के अंत में दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें

breaches and as to the amount or amounts of loss, damage, costs charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the Corporation from time to time shall be final and binding on us.

3. We, the said Bank further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Contract and till all the dues of the Corporation under the said Contract or by virtue of any of the terms and conditions governing the said Contract have been fully paid and its claims satisfied or discharged and till the owner certifies that the terms and conditions of the said Contract have been fully and properly carried out by the said Contractor and accordingly discharges this Guarantee subject, however, that the Corporation shall have no claim under the Guarantee after 90 (Ninety) days from the date of expiry of the Defects Liability Period as provided in the said Contract, i.e.(date) or from the date of cancellation of the said contract as the case may be, unless a notice of the claim under this Guarantee has been served on the Bank before the expiry of the said period in which case the same shall be enforceable against the Bank notwithstanding the fact, that the same is enforced after the expiry of the said period.
4. The Corporation shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under this Guarantee or Indemnity, from time to time, to vary any of the terms and conditions of the said Contract or to extend time of performance by the said Contractor or to postpone for any time from time to time any of the powers exercisable by it against the said Contractor and either to enforce or forbear from enforcing any of the terms and conditions governing the said Contract or securities available to the Corporation and the said bank shall not be released from its liability under these presents by any exercise by the Corporation of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the said Contractor or any other forbearance act or omission on the part of the Corporation or any indulgence by the Corporation to the said Contractor or any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of so releasing the Bank from its such liability.
5. It shall not be necessary for the Corporation to proceed against the Contractor before proceeding against the Bank and the Guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank, notwithstanding any security which the Corporation may have obtained or obtain from the Contractor shall at the time when proceedings are taken against the Bank hereunder, be outstanding or unrealised.
6. We, the said Bank, lastly undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Corporation in writing and agree that any change in the Constitution of the said Contractor or the said Bank shall not discharge our liability hereunder. If any further extension of this

3. हम, उक्त बैंक इस पर भी सहमत हैं कि यहां पर दी गई गारंटी उक्त संविदा के निष्पादन हेतु लिए गए समय और उक्त संविदा या उक्त संविदा को शासित करने वाले किसी निबंधनों व शर्तों के अंतर्गत निगम को सभी देय का पूर्ण रूप से भुगतान किए जाने तक और इसके दावों की संतुष्टि या उन्मोचन तक अथवा मालिक के यह प्रमाणित किए जाने तक कि उक्त संविदा के समस्त निबंधनों व शर्तों का उक्त संविदाकार द्वारा पूर्णरूपेण व उचित ढंग से पालन किया गया है और तदनुसार यह गारंटी विषय मुक्त होता है, पूर्णतया बलशील व प्रभावी रहेगा, तथापि यह कि, उक्त संविदा में उल्लिखित दोष बाध्यता अवधि के समाप्त होने वाली तारीख के 90(नब्बे) दिनों के पश्चात जो कि ----- (तारीख) है, अथवा उक्त संविदा के निरस्त किए जाने की तारीख, जैसा भी मामला हो, के बाद निगम का कोई दावा तब तक नहीं होगा जब तक कि निगम द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस गारंटी के अधीन बैंक को दावे का नोटिस न दे दिया गया हो और ऐसे मामले में इसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी किए जाने के तथ्य के बावजूद यह प्रभाव योग्य रहेगा।
4. इस गारंटी या क्षतिपूर्ति के अधीन बैंक के दायित्व पर बगैर कोई प्रभाव डाले समय पड़ने पर निगम को उक्त संविदा के किसी शर्त या निबंधन से विचलित होने या उक्त संविदाकार के कार्यनिष्पादन के समय को बढ़ाने या किसी भी समय उसके समय को आगे करने की संविदाकार के विरुद्ध किसी प्रयोज्य शक्तियों के प्रयोग की और उक्त संविदा को शासित करने वाली किसी शर्तों व निबंधनों को अथवा निगम के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों को या तो प्रवृत्त करने या प्रविरत करने की सम्पूर्ण स्वतंत्रता होगी और निगम द्वारा स्वतंत्रता के उपर्युक्त संदर्भित मामलों में से किसी का भी प्रयोग किए जाने के कारण या उक्त संविदाकार को समय दिए जाने के कारण अथवा निगम द्वारा अन्य किसी प्रविरत कार्य या भूल-चूक या निगम द्वारा उक्त संविदाकार को दिए गए किसी अनुग्रह के कारण या कानून के अधीन प्रतिभूतियों से संबंधित अन्य किसी मामले या बात जिससे इस प्रावधान के न होने पर बैंक को इस प्रकार अपने दायित्वों से मुक्त करने पर प्रभाव पड़ता हो, के कारण उक्त बैंक अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।
5. निगम के लिए बैंक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा और यहां पर उल्लिखित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रभावी करने योग्य होगी भले ही इस बैंक के विरुद्ध कार्रवाई करते समय निगम द्वारा संविदाकार से प्राप्त की गई या प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियां बकाया या अप्राप्य हों।
6. हम, उक्त बैंक अंत में वचन देते हैं कि इस गारंटी के प्रवृत्त रहने के दौरान निगम की लिखित पूर्व सहमति के अलावा इस गारंटी को प्रतिसंहत नहीं करेंगे और सहमति देते हैं कि उक्त संविदाकार या उक्त बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर इसमें दिए गए दायित्वों से उन्मोचित नहीं होंगे।

Guarantee is required the same shall be extended to such required periods on receiving instructions from M/s.....on whose behalf this guarantee is issued.

In the presence of

For and on behalf of (the Bank)

WITNESS

1. _____

Signature _____

2. _____

Name & Designation _____

Authorisation No: _____

Date and Place: _____

Bank's Seal _____

Accepted

(Signature of the Officer)
For and on behalf of the
(Nuclear Power Corporation of India Ltd)

यदि इस गारंटी को और आगे बढ़ाना हो तो मेसर्स-----, जिनकी ओर से इस गारंटी को जारी किया गया है, से निदेश प्राप्त होने पर इसे आवश्यक अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

की उपस्थिति में कृते एवं वास्ते (बैंक का नाम)

साक्षी

1.----- हस्ताक्षर -----

2.----- नाम व पदनाम-----

प्राधिकरण संख्या : -----

दिनांक व स्थान : -----

बैंक की मुहर -----

स्वीकार किया गया

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

कृते एवं वास्ते

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन

ऑफ इंडिया लिमिटेड

NOTES

***For Proprietary Concerns**

Shri _____ son of _____ resident of _____ carrying on business under the name and style of _____ at _____ (herein after called " the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include his heirs, executors, administrators and legal representatives.

***For Partnership Concerns**

M/s. _____ a partnership firm with its office _____ (hereinafter called " the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include their heirs, executors, administrators and legal representative); the names of their partners being

(i) Shri _____ S/o. _____

(ii) Shri _____ S/o. _____

***For Companies**

M/s..... a company registered under the Companies Act, 1956 and having its registered office atin the State of (hereinafter called "the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include its administrators, successors and assigns).

टिप्पणियां

* स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के लिए

श्री-----पुत्र श्री -----निवासी -----
-----इस नाम के अधीन व -----रीति से -----
-----स्थान पर व्यापार चला रहे हैं। (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक व विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।)

* भागीदारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए

मेसर्स -----एक भागीदारी फर्म है और इसका कार्यालय
-----स्थित है (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक व विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं) ; उनके भागीदारों के नाम इस प्रकार हैं

- (i) श्री -----पुत्र श्री-----
(ii) श्री -----पुत्र श्री-----

* कम्पनियों के लिए

मेसर्स-----कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय -----प्रदेश में -----स्थान पर स्थित है। (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके प्रशासक, उत्तराधिकारी व समनुदेशी शामिल हैं)

3 PROFORMA OF BANK GUARANTEE TO SECURE A LUMP SUM ADVANCE

(On Non-Judicial Stamp Paper of Appropriate Value)

To
Nuclear Power Corporation of India Ltd.

.....

.....

In consideration of the Nuclear Power Corporation of India Ltd. (..... Atomic Power Project) having its registered Office at (hereinafter called "the Owner" which expression shall unless repugnant to the subject or context include its successors and assigns) having agreed under the terms and conditions of Award Letter No. dated issued by Owner which has been unequivocally accepted by *. in connection with the work of "....." Tender No. (hereinafter called "the said Contract") to make at the request of the Contractor a lumpsum advance of Rs. (Rupees..... only) for utilizing it for the purpose of the Contract on his furnishing a guarantee acceptable to the Owner. We, Bank incorporated under and having one of our branches at (hereinafter referred to as "the said Bank") do hereby guarantee the due recovery by the Owner of this said advance with interest thereon as provided according to the terms and conditions of the Contract. If the said Contractor fails to utilize the said advance for the purpose of the Contract and/ or the said advance together with interest thereon as aforesaid is not fully recovered by the Owner, We, Bank hereby unconditionally and irrevocably undertake to pay to the Owner on demand and without demur to the extent of the said sum of Rs. (Rupees..... only) on any claim made by the Owner on us for the loss or damage caused to or suffered by the Owner by reason of the Owner not being able to recover in full the said sum of Rs. (Rupees..... only) with interest as aforesaid.

2. We, Bank, further agree that the Owner shall be the sole judge of and as to whether the said Contractor has not utilized the said advance or any part thereof for the purpose of the contract and the extent of loss or damage caused to or suffered by the Owner on account of the said advance together with interest not being recovered in full and the decision of the Owner that the said Contractor has not utilized the said advance or

**Refer note at the end of the proforma*

any part thereof for the purpose of the Contract and as to the amount or amounts of loss or damage caused to or suffered by the Owner shall be final and binding on us.

3. एकमुश्त अग्रिम प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी प्रारूप
(उचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

यह विचार करते हुए कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड -----परमाणु बिजलीघर) जिनका पंजीकृत कार्यालय-----पर स्थित है (जिसे आगे "मालिक" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इसके, उत्तराधिकारी व समनुदेशी शामिल हैं), ने मालिक द्वारा जारी संख्या-----दिनांक-----के अवार्ड पत्र की शर्तों व निबंधनों के अधीन जिसे संविदाकार मेसर्स *-----द्वारा (जिन्हें आगे उक्त संविदाकार कहा गया है)"-----"से संबंधित कार्य निविदा संख्या-----को निर्विवादित रूप से स्वीकार किया गया है, को संविदाकार के अनुरोध पर संविदा से संबंधित कार्यों में उपयोग करने के लिए मालिक को स्वीकार्य गारंटी प्रस्तुत करने पर रु.-----(------रुपए मात्र) का एकमुश्त अग्रिम देने पर सहमत हो गया है।

हम,-----बैंक जिसका गठन -----के अधीन किया गया है और हमारी शाखाएं-----पर स्थित हैं (जिसे आगे "उक्त बैंक" कहा गया है) मालिक द्वारा उक्त देय अग्रिम व संविदा की शर्तों व निबंधनों में उल्लिखित उसके ब्याज को वसूल किए जाने की एतद्वारा गारंटी देते हैं। यदि संविदाकार उक्त अग्रिम को संविदा के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में असमर्थ रहता है और/अथवा मालिक द्वारा ब्याज सहित उक्त अग्रिम की उपर्युक्त के अनुसार पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो हम, -----बैंक मालिक द्वारा उक्त रु.-----(------रुपए मात्र) की राशि की पूरी वसूली न कर पाने के कारण उठाए गए किसी नुकसान या क्षति के कारण मालिक द्वारा हमारे ऊपर किए गए किसी दावे के फलस्वरूप उक्त रु.-----(------रुपए मात्र) तक की राशि को उसके उपर्युक्त ब्याज सहित मालिक की मांग पर और बगैर किसी आपत्ति के भुगतान करने का बिनाशर्त व अप्रतिहस्तांतरणीय वचन देते हैं।

2. हम,-----बैंक, सहमत हैं कि उक्त संविदाकार द्वारा उक्त अग्रिम या उसके किसी भाग को संविदा के उद्देश्य से उपयोग किए जाने अथवा न किए जाने के लिए और ब्याज सहित उक्त अग्रिम को पूर्णरूपेण वसूल न किए जाने के कारण मालिक को हुए या किए गए नुकसान या क्षति की सीमा के संबंध में मालिक एकमात्र निर्णायक होगा और उक्त संविदाकार द्वारा उक्त अग्रिम या उसके किसी भाग का संविदा के कार्य के लिए उपयोग न करने या मालिक को हुए या किए गए नुकसान या क्षति की राशि या राशियों के लिए मालिक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व हमारे ऊपर बाध्यकारी होगा।

* प्रारूप के अंत में दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें।

3. We, the said Bank further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Contract and till all the said advance with interest has been fully recovered and its claims satisfied or discharged and till Owner certifies that the said advance with interest has been fully recovered from the said Contractor, and accordingly shall have no claim under this guarantee after 30 (thirty) days from the date of satisfactory completion of the said Contract (as per the mutually agreed work schedule) i.e. upto and inclusive of(date) unless a notice of the claim under this Guarantee has been served on the Bank before the expiry of the said period i.e..... (date) in which case the same shall be enforceable against the Bank notwithstanding the fact, that the same is enforced after the expiry of the said period.
4. The Owner shall have the fullest liberty without effecting in any way the liability of the Bank under this Guarantee or Indemnity, from time to time, to vary any of the terms and conditions of the said Contract or the advance or to extend time of performance by the said Contractor or to postpone for any time from time to time any of the powers exercisable by it against the said Contractor and either to enforce or forbear from enforcing any of the terms and conditions governing the said contract or the advance available to the owner and this said bank shall not be released from its liability under these presents by any exercise by the Owner of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reasons of time being given to the said Contractor or any other forbearance act or omission on the part of the Owner or any indulgence by the Owner to the said Contractor on of any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of so releasing the Bank from its such liability.
5. It shall not be necessary for the Owner to proceed against the Contractor before proceeding against the Bank and the Guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank notwithstanding any security, which the Owner may have obtained or obtain from the Contractor shall at the time when proceedings are taken against the Bank hereunder, be outstanding or unrealised.
6. We, the said Bank, lastly undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Owner in writing and agree that any change in the Constitution of the said Contractor or the said Bank shall not discharge our liability hereunder.

If any further extension of this Guarantee is required the same shall be extended to such required periods on receiving instructions from M/s..... on whose behalf this Guarantee is issued.

3. हम, उक्त बैंक इस पर भी सहमत हैं कि यहां पर दी जाने वाली गारंटी उक्त संविदा के निष्पादन हेतु ली जाने वाली अवधि तक और ब्याज सहित उक्त अग्रिम के पूर्णरूपेण वसूल किए जाने व इसके दावों की संतुष्टि या उन्मोचन और मालिक के यह प्रमाणित करने कि उक्त संविदाकार से उक्त अग्रिम की ब्याज सहित वसूली की जा चुकी है, तक पूर्ण बलशील व प्रभावी रहेगी, और तदनुसार उक्त संविदा को संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के 30 (तीस) दिनों के बाद (आपसी बातचीत से तय की गई समय-अनुसूची के अनुसार) अर्थात् ----- (तारीख) को शामिल करते हुए इस तारीख तक के बाद इस गारंटी के अधीन कोई दावा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि इस गारंटी के अधीन उक्त अवधि अर्थात् ----- (तारीख) के समाप्त होने से पहले बैंक को दावे की नोटिस न दे दी गई हो और ऐसे मामले में यह उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद प्रभावी किए जाने के तथ्य के बावजूद बैंक के विरुद्ध प्रभावी रहेगी।
4. इस गारंटी या क्षतिपूर्ति के अंतर्गत बैंक के दायित्व को किसी भी रूप में प्रभावित किए बगैर मालिक को उक्त संविदा की शर्तों व निबंधनों में समय समय पर परिवर्तन करने अथवा अग्रिम अथवा उक्त संविदाकार के कार्यनिष्पादन अवधि को कम करने या विस्तार करने या उक्त संविदाकार के विरुद्ध प्रयोग की जा सकनेवाली प्रदत्त शक्तियों द्वारा समय को किसी भी समय के लिए आगे बढ़ाने और उक्त संविदा को शासित करने वाली किसी शर्तों व निबंधनों को बलशील या प्रविरत करने या मालिक के पास उपलब्ध अग्रिम के लिए सम्पूर्ण स्वतंत्रता होगी और यह उक्त बैंक, मालिक द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग के कारण उपर्युक्त मामलों के या संविदाकार को समय दिए जाने के या मालिक के किसी प्रविरत कृत्य या भूल के कारण या मालिक द्वारा उक्त संविदाकार को किसी मामलों या बात आदि के लिए दिए गए किसी अनुग्रह जिसके कारण इस प्रावधान के न होने पर प्रतिभूतियों से संबंधित कानून के अधीन बैंक को इस दायित्व से मुक्त किए जाने पर प्रभाव पड़ता, के कारण अपने दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा।
5. मालिक के लिए बैंक के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा और मालिक द्वारा इस उपर्युक्त बैंक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के समय संविदाकार से ली गई या ली जाने वाली किसी प्रतिभूति चाहे बकाया हो अथवा अप्राप्य, के होते हुए भी यहां पर उल्लिखित गारंटी बलशील रहेगी।
6. हम, उक्त बैंक अंत में इस गारंटी को इसकी प्रवृत्त रहने के दौरान मालिक की लिखित पूर्व अनुमति के बगैर निरस्त न करने का वचन देते हैं और सहमति देते हैं कि उक्त संविदाकार के या उक्त बैंक के संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन यहां पर दिए गए हमारे दायित्वों को उन्मोचित नहीं करेगा।

यदि इस गारंटी को आगे विस्तारित किए जाने की आवश्यकता हो तो मेसर्स-----जिनकी ओर से यह गारंटी जारी की जा रही है, से निर्देश प्राप्त होने पर आवश्यक अवधि के लिए इसे बढ़ा दिया जाएगा।

Notwithstanding anything contained herein before our liability under this Guarantee is restricted to Rs,..... (RupeesOnly) together with interest. Our undertaking shall commence from the date of execution and shall remain in force upto

Dated thisday of.....20...

In presence of

For and on behalf of (the Bank)

WITNESS

1_____

Signature _____

2_____

Name & Designation_____

Authorisation No_____

Seal of the Bank_____

Accepted

(Signature of the Officer)
For and On behalf of the
Nuclear Power Corporation of India Ltd.,

इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्वों से पहले किसी बात के होते हुए भी यह ब्याज सहित रु----- (-----
-----रुपए मात्र) तक के लिए प्रतिबंधित है। हमारा वचन इसके निष्पादन की
तारीख से प्रारंभ होगा और -----तक बलशील रहेगा।

वर्ष 200--के ---वें दिन की -----तारीख को

की उपस्थिति में कृते एवं वास्ते (बैंक का नाम)

साक्षीगण

1.----- हस्ताक्षर-----

2.----- नाम व पदनाम-----

प्राधिकरण संख्या-----

बैंक की मुहर-----

स्वीकार किया गया

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

कृते एवं वास्ते

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

NOTES

***For Proprietary Concerns**

Shri son of..... resident ofcarrying on business under the name and Style of.....at...(herein after called " the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include his heirs, executors, administrators and legal representatives).

***For Partnership Concerns**

M/s..... a partnership firm with its office.....(hereinafter called " the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include their heirs, executors, administrators and legal representative); the names of their partners being

(i) ShriS/o.....

(i) ShriS/o.....

***For Companies**

M/s. _____ a company under the Companies Act, 1956 and having its registered office at_____ in the State of _____(hereinafter called "the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include its administrators, successors and assigns).

टिप्पणियां

* स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के लिए

श्री-----पुत्र श्री -----निवासी -----
-----इस नाम के अधीन व -----रीति से -----
-----स्थान पर व्यापार चला रहे हैं। (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक व विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।)

* भागीदारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए

मेसर्स -----एक भागीदारी फर्म है और इसका कार्यालय
-----स्थित है (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक व विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं) ; उनके भागीदारों के नाम इस प्रकार हैं

(i) श्री -----पुत्र श्री-----

(ii) श्री -----पुत्र श्री-----

* कम्पनियों के लिए

मेसर्स-----कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय -----प्रदेश में -----स्थान पर स्थित है। (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके प्रशासक, उत्तराधिकारी व समनुदेशी शामिल हैं)

4. FORM OF HYPOTHECATION DEED

(ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER ON APPROPRIATE VALUE)

THE INDENTURE made thisday of20..... BETWEEN of the one part (herein after called 'Contractor') and Nuclear Power Corporation of India Ltd. (..... Atomic Power Project/ Station) hereinafter called " the Corporation" which expression shall unless the context requires otherwise include his successors and assigns of the other part:

WHEREAS under sub-clause 12.1 of the General Conditions of Contract relating to the terms and conditions of its Award letter No.....datedwhich have been unequivocally accepted by the Contractor, the Contractor has applied to the Corporation for a loan of Rs..... (Rupees)Only) for plant and equipment described in the Schedule here to specifically acquired by the Contractor for the works and brought to site.

AND WHEREAS one of the conditions on which the said loan of Rs...../- granted by the Corporation to the Contractor is that the Contractor shall hypothecate the plant and equipment described in the Schedule hereto in favour of the Corporation as security for the due repayment of the said loan.

AND WHEREAS the Contractor has represented that he is the Owner of the plant and equipment described in the Schedule hereto and the same is free from encumbrances.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH THAT in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises the Contractor doth hereby hypothecate, assign and transfer to the Corporation the Plant and equipment described in the Schedule hereto the intent that the same shall remain and form security for repayment to the Corporation of the said loan of Rs..... together with the interest thereon at % per annum.

1. The Contractor hereby agrees, declares and covenants with the Corporation as follows:-

(a) The Contractor shall repay to the Corporation the said loan of Rs.....(Rupees..... Only) together with interest thereon as aforesaid by and agrees that the said loan be recovered by the Corporation by making deductions in the manner provided in sub-clause 12.1 of the General Conditions of Contract and other conditions of the Award letter from the claims made by the Contractor against the Corporation of "on account payment".

4. बंधक विलेख का प्रारूप

(उचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर)

आज वर्ष 20---के ----दिन की -----तारीख को ----- पक्ष के रूप में एक भाग (जिसे आगे "संविदाकार" कहा गया है) और दूसरे भाग के रूप में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (----
-----परमाणु परियोजना/बिजलीघर) जिसे आगे "निगम" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इसके, उत्तराधिकारी व समनुदेशी शामिल हैं, के मध्य यह अनुबंध किया गया :
जबकि इस अवार्ड पत्रांक-----दिनांक-----के संविदा से संबंधित सामान्य शर्तों के उप खण्ड 12.1 के अधीन शर्तों व निबंधनों जिन्हें संविदाकार द्वारा निर्विवादित रूप से स्वीकार कर लिया गया है, संविदाकार ने निगम को यहां अनुसूची में वर्णित संयंत्र व उपकरण जिन्हें संविदाकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप प्राप्त किया व कार्यस्थल पर लाया गया है, के लिए रु. -----(------रुपए मात्र) के ऋण के लिए आवेदन किया है।

और जबकि निगम द्वारा संविदाकार को मंजूर किए गए उक्त रु.-----/- के ऋण की शर्तों में से एक शर्त यह है कि संविदाकार उक्त ऋण की देय वापसी की प्रतिभूति के रूप में इस अनुसूची में वर्णित संयंत्र व उपकरण को निगम के पक्ष में बंधक रखेगा।

और जबकि संविदाकार ने अभ्यावेदन किया है कि वह इस अनुसूची में वर्णित संयंत्र व उपकरण का मालिक है और यह अधिभार से मुक्त है।

अब यह अनुबंध साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण और आधारखंड पर विचार करते हुए संविदाकार एतद्वारा निगम को इस अनुसूची में वर्णित संयंत्र व उपकरण इस आशय के साथ बंधक, समनुदेशित व अंतरित करता है कि यह उक्त रु.-----/- ऋण व उसके -----% वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में बना रहेगा।

1. संविदाकार निगम के साथ निम्नलिखित करार, वचन व संयोजन करता है :-

(ए) संविदाकार निगम को उक्त रु.-----(------रुपए मात्र) का ऋण व उसका ब्याज उपर्युक्त अनुसार वापस करेगा और इस ऋण को निगम द्वारा संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 12.1 व अवार्ड पत्र की शर्तों में वर्णित रीति के अनुसार संविदाकार द्वारा निगम के विरुद्ध किए गए "ऑन एकाउंट भुगतान" के दावों में से कटौती किए जाने के लिए करार करता है।

- (b) The Contractor has paid in full the purchase price of the Plant & Equipment described in the Schedule hereto and each and every one of them and that the same are the absolute property of the Contractor and that the same have not been sold, pledged, mortgaged or transferred or in any way dealt with by the Contractor.
- (c) So long as any amount remains payable to the Corporation by the Contractor in respect of the said loan of Rs._____ the Contractor shall not sell, pledge, hypothecate, transfer, part with or in any way deal with the Plant and Equipment described in the Schedule hereto.
- (d) If the said loan of Rs._____ shall not be repaid by the Contractor or recovered in the manner described above by the saidday of due to any reasons whatsoever or the said Contract has been determined earlier or cancelled or if the Contractor shall sell, pledge, mortgage, transfer, part with or in any way deal with the said plant and equipment or any part thereof or the Contractor or any of the partners is adjudged insolvent or the Contractor is to be wound up or makes any composition or arrangement with its creditors or the Contractor shall commit breach of any of the terms and conditions or covenants as herein contained or if any of the said plant and equipment or if any other property whatsoever belonging to the Contractor has been sold or attached for a period of not less than 21 days in execution of the decree of any court for payment of money, the whole of the said loan of Rs. or such part thereof as may remain unpaid or unrecovered together with interest thereon shall forthwith become due and payable.
- (e) The Corporation may on the happening of any of the events mentioned in the preceding clause (d) or in the event of the said loan or any part thereof becoming due and payable and has not been paid or recovered or cannot be recovered as provided in the said conditions, seize and take possession of the said plant and equipment (and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove the same) and sell the said plant and equipment or any of them either by public auction or private contract and may out of the sale proceeds retain the balance of the said loan and interest thereon remaining unpaid and unrecovered and all costs, charges and expenses and payments incurred or made in maintaining, defending or protecting the rights of the Corporation hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Contractor.
- (f) The Contractor shall at all times during the continuance of the security and at the expense of the Contractor insure and keep insured and plant and equipment described in the Schedule hereto for the value thereof in the joint names of the Contractor and the Corporation with an insurance company to be approved by the Engineer-in-charge against the risk of loss or damage from whatever cause arising other than the Excepted

- (बी) संविदाकार ने इस अनुसूची में वर्णित और उनमें से प्रत्येक संयंत्र व उपकरण की खरीद की पूरी कीमत अदा कर दी है और यह पूर्णरूपेण संविदाकार की संपत्ति हैं और यह कि इसे बेचा, गिरवी, रेहन या अंतरित नहीं किया गया है अथवा संविदाकार द्वारा किसी भी रूप में लेन-देन नहीं किया गया है।
- (सी) जब तक कि संविदाकार द्वारा निगम को देय उक्त रु.-----में से कोई ऋण बकाया रहता है तब तक संविदाकार इस अनुसूची में वर्णित संयंत्र या उपकरण को बेचना, रेहन, बंधक, अंतरण, अलग या किसी भी रूप में लेन-देन नहीं करेगा।
- (डी) यदि संविदाकार द्वारा उक्त रु.-----का वापस भुगतान या वसूली किसी भी कारण से उपर्युक्त रीति से उक्त -----के उक्त दिन तक नहीं किया जाएगा या उक्त संविदा को समय से पहले ही परिनिर्धारित करने या निरस्त करने पर या यदि संविदाकार द्वारा उपर्युक्त संयंत्र व उपकरण या उसके किसी भाग को बेचने, रेहन, बंधक, अंतरण, अलग या किसी भी रूप में लेन-देन करने पर या संविदाकार अथवा उसके किसी भागीदार के दीवालिया घोषित किए जाने पर या संविदाकार का अपने ऋणदाताओं के साथ कोई समझौता या करार या व्यवस्था करने पर या संविदाकार द्वारा यहां पर वर्णित निबंधनों व शर्तों या सलाहों का उल्लंघन किए जाने पर अथवा उक्त संयंत्र और उपकरण या संविदाकार की अन्य कोई भी संपत्ति के बेचे जाने या धन के भुगतान के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन के आधार पर 21 दिन से अधिक समय के लिए कुर्क किए जाने पर, उक्त रु.-----का ऋण या उसका भुगतान या वसूल न किया गया कोई शेष भाग व उसका ब्याज तत्काल प्रभाव से देय व भुगतानयोग्य हो जाएगा।
- (ई) उपर्युक्त खण्ड(डी) में वर्णित किसी भी घटना के होने पर या उक्त ऋण अथवा उसके किसी भाग के देय व भुगतानयोग्य हो जाने और भुगतान या वसूल न किए जाने या उक्त शर्तों के अनुसार वसूल न किए जा सकने पर निगम उक्त संयंत्र व उपकरण को जब्त कर सकता है व उसका कब्जा ले सकता है (और उसका कब्जा लेने के बाद उन्हें उसी स्थान पर रख सकता है या वहां से हटा सकता है) और उक्त संयंत्र व उपकरण को आम नीलामी या निजी संविदा के माध्यम से बेच सकता है और ऐसी बिक्री से प्राप्त रकम में से उक्त ऋण व उसके ब्याज की देय व गैर वसूलीयोग्य शेष रकम और यहां पर उल्लिखित निगम के अधिकारों को अनुरक्षित करने, बचाव करने या सुरक्षित रखने में खर्च किए गए या लगाए गए समस्त खर्च, प्रभार व व्यय को अपने पास रख सकता है और इसके बाद यदि कोई अतिरिक्त रकम बचती है तो उसे संविदाकार को दे सकता है।
- (एफ) प्रतिभू के प्रभावी रहने के दौरान संविदाकार अपने खर्चे पर यहां अनुसूची में वर्णित संयंत्र व उपकरण के लिए उनके मूल्य का संविदाकार व निगम के संयुक्त नाम पर प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कम्पनी से बीमा के अंतर्गत न आने वाले जोखिमों के अलावा समस्त नुकसान व क्षति के जोखिम का हर समय बीमा रखेंगे। प्रतिभू के प्रभावी रहने के दौरान संविदाकार यह बीमा प्रवृत्त रखने के लिए आवश्यक सभी प्रीमियमों व धनराशि का भुगतान करेंगे और बीमा पॉलिसी व प्रीमियम भुगतान की रसीदों की मूल प्रतियां प्रभारी

Risks not covered under the insurance. During the continuance of the security the Contractor shall pay all premia and sums of money necessary for keeping such insurance on foot and the insurance policy and receipts in original for premia paid shall be deposited with the Engineer-in-charge. The Contractor shall assign all his rights, title and interest in the policy to the Corporation.

- (g) The Contractor shall not permit or suffer the said plant and equipment or any part thereof to be destroyed or damaged or used or to be used or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof in the performance of the Contract.
 - (h) In the event of any damage or loss happening to the said plant and equipment or any part thereof from whatever cause other than the Excepted Risk [not covered under insurance] the Contractor shall forthwith have the same repaired or replaced as the case may be or arrange for payment of the entire amount recovered or to be recovered from the insurance company to the Corporation towards the payment of the said loan of Rs.....
- 2 Upon repayment or recovery in full of the amount secured on account of this hypothecation deed the said plant and equipment secured hereunder shall stand released from hypothecation but this is without prejudice to the right of the Corporation under any other conditions of the Contract.

अभियंता के पास जमा की जाएंगी। संविदाकार अपने सभी अधिकारों, हक व पॉलिसी के अंतर्गत हितों को निगम को समनुदेशित करेंगे।

- (जी) संविदाकार उक्त संयंत्र व उपकरण या उसके किसी भाग के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने या उपयोग होने या आगे उपयोग किए जाने या संविदा के निष्पादन के कारण होने वाली सामान्य क्षति से अधिक स्तर तक की क्षति नहीं होने देंगे।
 - (एच) उक्त संयंत्र व उपकरण या उसके किसी भाग को अपवादित जोखिम (बीमा के अंतर्गत न आने वाले) के अलावा किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान होने पर संविदाकार तत्काल इसकी मरम्मत या सामान बदली, जैसा भी मामला हो करवाएंगे या बीमा कम्पनी से वसूल की गई या वसूल की जाने वाली संपूर्ण राशि को उक्त रु.-----के ऋण की अदायगी के लिए निगम को भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे।
2. इस बंधक विलेख के अंतर्गत प्रतिभू की गई राशि के पुर्नभुगतान या वसूली हो जाने पर यहां इसके द्वारा प्रतिभू किए गए उक्त संयंत्र व उपकरण बंधन से मुक्त माने जाएंगे परंतु यह इस संविदा की किसी अन्य शर्तों के अधीन निगम के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बगैर होगा।

SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Sr. No.	Particulars of Plant and Equipment	Nos.	Purchase price/ considered reasonable by Engineer-in-Charge	Total price	Advance(75% of Col.5)
1	2	3	4	5	6

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed these presents on the day and your first above written

Signed and delivered
by the within named

Signed by Shri _____
(Name and Designation)
Nuclear Power Corporation of India Ltd.,
(_____Atomic Power Project)

in the presence of :

(1)_____

(1)_____

(2)_____

(2)_____

ऊपर संदर्भित अनुसूची

क्रम संख्या	संयंत्र व उपकरण का विवरण	मदों की संख्या	खरीद कीमत/ प्रभारी अभियंता द्वारा उचित मानी गई	कुल कीमत	अग्रिम (कालम सं. 5 का 75%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

यहां पर उद्धृत पक्षों द्वारा साक्ष्यस्वरूप इनकी उपस्थिति में आज इससे पहले ऊपर लिखे हुए रूप में निष्पादित किया गया।

-----के नाम द्वारा

हस्ताक्षरित व सुपुर्द

श्री -----द्वारा हस्ताक्षरित

(नाम व पदनाम)

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(-----परमाणु बिजली परियोजना)

की उपस्थिति में :

(1)-----

(2)-----

(1)-----

(2)-----

***NOTES**

***For Proprietary Concerns**

Shri _____ son of _____ resident of _____ carrying on business under the name and Style of _____ at _____ (hereinafter called " the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include his heirs, executors, administrators and legal representatives.

***For Partnership Concerns**

M/s. _____ a partnership firm with its office _____ (hereinafter called " the said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include their heirs, executors, administrators and legal representative); the names of their partners being

(i) Shri _____ S/o. _____

(ii) Shri _____ S/o. _____

***For Companies**

M/s..... a company registered under the Companies Act, 1956 and having its registered office at in the State of (hereinafter called "the said Contractor" which said Contractor" which expression shall unless the context requires otherwise include its administrators, successors and assigns).

टिप्पणियां

* स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के लिए

श्री-----पुत्र श्री -----निवासी -----
-----इस नाम के अधीन व -----रीति से -----
-----स्थान पर व्यापार चला रहे हैं। (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक व विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।)

* भागीदारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए

मेसर्स -----एक भागीदारी फर्म है और इसका कार्यालय
-----स्थित है (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक व विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं) ; उनके भागीदारों के नाम इस प्रकार हैं

- (i) श्री -----पुत्र श्री-----
(ii) श्री -----पुत्र श्री-----

* कम्पनियों के लिए

मेसर्स-----कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय -----प्रदेश में -----स्थान पर स्थित है। (इन्हें इसके आगे "उक्त संविदाकार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो उनके प्रशासक, उत्तराधिकारी व समनुदेशी शामिल हैं)

24 DISPUTES RESOLUTION BOARD AGREEMENT

THIS AGREEMENT, made and entered into this Day of20 Between ("the Corporation") and ("the Contractor"), and the Disputes resolution Board ("the Board") consisting of three Board Members, (1) (2) (3)

WITNESSETH, that

WHEREAS, the Corporation and the Contractor have contracted for the construction of the

(Project name) (the "Contract") and WHEREAS, the contract provides for the establishment and operation of the Board NOW THEREFORE, the parties hereto agree as follows :

1. The parties agree to the establishment and operation of the Board in accordance with this Board Agreement.
2. Except for providing the services required hereunder, the Board Members should not give any advice to either party concerning conduct of the Works.

The Board Members :

(a) shall have no financial interest in any party to the contract, or a financial interest in the contract, except for payment for services on the Board.

(b) shall have had no previous employment by, or financial ties to, any party to the contract, except for fee based consulting services on other projects, all of which must be disclosed prior to appointment to the Board.

24. विवाद समाधान बोर्ड करार

आज 20-----वर्ष के -----माह के -----दिन -----("निगम")
और-----("संविदाकार") के बीच यह करार किया गया और इसमें
शामिल हुए विवाद समाधान बोर्ड ("बोर्ड") जिसमें तीन सदस्य (1)-----

------(2)-----

------(3)-----

----- हैं, साक्षी है कि,

जबकि, इस निगम और इस संविदाकार ने -----

------(परियोजना का नाम) के निर्माण के लिए -----

------(संविदा का नाम) संविदा की है और जबकि, इस संविदा में बोर्ड की

स्थापना व प्रचालन का प्रावधान है, अतः अब, इसके दोनों पक्ष निम्नलिखित के अनुसार सहमत हैं :

1. दोनों पक्ष इस बोर्ड करार के अनुरूप बोर्ड के गठन व प्रचालन के लिए सहमति देते हैं।
2. केवल यहां पर उल्लिखित सेवाएं प्रदान करने के अलावा बोर्ड के सदस्यों द्वारा किसी भी पक्ष को कार्यों की प्रचालन रीति से संबंधित किसी प्रकार की सलाह नहीं दी जानी चाहिए।

बोर्ड के सदस्यगण :

- (ए) बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान के अलावा, संविदा के किसी पक्ष के साथ अथवा संविदा में कोई वित्तीय हित नहीं रखेंगे।
- (बी) अन्य परियोजनाओं में शुल्क आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बोर्ड, जिन सभी के बारे में इस बोर्ड में नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से सूचना दी जानी होगी, के अलावा संविदा के किसी पक्ष के पूर्व कर्मचारी, अथवा वित्तीय संपर्क में, या कोई वित्तीय लाभ प्राप्तकर्ता नहीं होंगे।

- (c) shall have disclosed in writing to the parties prior to signature of this Agreement any and all recent or close professional or personal or personal relationships with any director, officer, or employee of any party to the contract, and any and all prior involvement in the project to which the contract relates;
 - (d) shall not, while a Board Member, be employed whether as a consultant or otherwise by either party to the contract, except as a Board Member.
 - (e) shall not, while a Board Member, engage in discussion or make any agreement with any party to the contract, regarding employment whether as a consultant or otherwise either after the contract is completed or after services as a Board Member is completed;
 - (f) shall be and remain impartial and independent of the parties and shall disclose
in writing to the Corporation, the Contractor, and one another any fact or circumstances which might be such to cause either the Corporation or the Contractor to question the continued existence of the impartiality and independence required of Board Members.
3. Except for its participation in the Board's activities as provided in the contract and in this Agreement none of the Employer, the Contractor, the Nodal Officer or his nominee, and one another any fact or circumstances which might be such to cause either the Employer or the Contractor to question the continued existence of the impartiality and independence required of Board Members.
4. The Contractor shall :
- a) furnish to each Board Members one copy of all documents which the Board may request including contract documents, progress reports, variation orders, and other documents, pertinent to the performance of the Contract.
 - b) in co-operation with the Employer, co-ordinate the Site visits of the Board, including conference facilities, and secretarial and copying services.
5. The Board shall serve throughout the operation of the contract. It shall begin operation following execution of this Agreement, and shall terminate its activities after issuance of the taking over Certificate and the Board's issuance of its Recommendations on all disputes referred to it.
6. Board Member, shall not assign or subcontract any of their work under this Agreement.

- (सी) इस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले दोनों पक्षों को संविदा के किसी पक्ष के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अपने हाल के या समाप्त हो चुके यदि कोई संबंध हों तो उनके बारे में और इस संविदा से संबंधित किसी परियोजना से अपने पहले के संबंधों के बारे में लिखित रूप से जानकारी देंगे ;
 - (डी) बोर्ड के सदस्य रहते हुए, इस संविदा के किसी पक्ष के साथ बोर्ड के सदस्य के अलावा परामर्शदाता या किसी अन्य रूप में नियुक्त नहीं होंगे।
 - (ई) बोर्ड के सदस्य रहते हुए, इस संविदा के पूर्ण होने अथवा बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवाएं पूर्ण हो जाने के पश्चात इस संविदा के किसी पक्ष के साथ एक परामर्शदाता के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेंगे और न ही कोई करार करेंगे।
 - (एफ) दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष व स्वतंत्र रहेंगे व बने रहेंगे तथा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निगम अथवा संविदाकार के साथ आवश्यक निष्पक्षता व स्वतंत्रता बनाए रखने पर सवाल उठा सकने वाले किसी तथ्य या परिस्थितियों के बारे में निगम को, संविदाकार को व एक-दूसरे को लिखित रूप में जानकारी देंगे।
3. केवल संविदा में और इस करार में वर्णित बोर्ड की गतिविधियों में भाग लेने के अलावा अलावा नियोक्ता, संविदाकार, नोडल अधिकारी या उसके नामिती और एक-दूसरे सहित ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितियां नहीं बनाएंगे जिसके कारण नियोक्ता या संविदाकार बोर्ड के सदस्यों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर प्रश्न उठा सकें।
4. संविदाकार :
- (ए) संविदा के निष्पादन से संबंधित संविदा कागजातों, प्रगति रिपोर्टों, विचलन आदेशों और अन्य दस्तावेजों सहित समस्त कागजातों की एक प्रति बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराएंगे।
 - (बी) नियोक्ता के साथ सहयोग करते हुए बोर्ड के लिए मंत्रणा सुविधाओं व सचिवीय और प्रतिलिपिकरण सेवाओं सहित संयंत्र भ्रमण के लिए समन्वय स्थापित करेंगे।
5. बोर्ड की सेवाएं संविदा प्रचालन की पूरी अवधि के दौरान जारी रहेंगी। यह इस करार के प्रचालन के साथ प्रारंभ होंगी और सुपुर्दगी प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने व बोर्ड को संदर्भित समस्त विवादों पर बोर्ड की संस्तुतियों के जारी किए जाने के बाद अपनी गतिविधियां समाप्त करेगा।
6. बोर्ड के सदस्य इस करार के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों को किसी अन्य को या उपसंविदा पर नहीं देंगे।

7. The Board Members are independent and not employees or agents of either the Employer or the Contractor.
8. The Board Members are absolved of any personal or professional liability arising from the activities and the Recommendations of the Board.
9. Fees and expenses of the Board Member[s] shall be agreed to and shared equally by the Employer and the Contractor. If the Board requires special services, such as accounting, data research, and the like, both parties must agree and the costs shall be shared by them as mutually agreed.
10. Board Site visits :
 - a) The Board shall visit the Site and meet with representatives of the Employer and the Contractor and at regular intervals, at times of critical construction events, and at the written request of either party. The timing of Site visit, failing agreement shall be fixed by the Board.
 - b) Site meetings shall consist of an informal discussion of the status of the construction of the works followed by an inspection of the works, both attended by personnel from the Employer, the Contractor .
 - c) If requested by either party or the Board, the Employer will prepare minutes of the meetings and circulate them for comments of the parties.
11. Procedure for disputes referred to the Board :
 - a) If either party objects to any action or inaction of the other party, the objecting party may file a written Notice of Dispute to the other party stating that it is given pursuant to relevant clause and stating clearly and in detail the basis of the dispute.
 - b) The party receiving the Notice of Dispute will consider it and respond in writing within 7 days after receipt.
 - c) This response shall be final and conclusive on the subject, unless a written appeal to the response is filed with the responding party within 7 days of receiving the response. Both parties are encouraged to pursue the matter further to attempt to settle the dispute. When it appears that the dispute cannot be resolved without the assistance of the Board either party may refer the dispute to the Board by written Request for Recommendation to the Board, and the other party stating that it is made pursuant to relevant Clause.

7. बोर्ड के सदस्य स्वतंत्र हैं और नियोक्ता या संविदाकार में से किसी के कर्मचारी या एजेंट नहीं हैं।
8. बोर्ड के सदस्य बोर्ड की गतिविधियों या संस्तुतियों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक बाध्यताओं से मुक्त हैं।
9. बोर्ड के सदस्य(यों) का शुल्क व खर्च नियोक्ता व संविदाकार द्वारा बराबर-बराबर स्वीकार व वहन किया जाएगा। यदि बोर्ड को विशेष सेवाओं जैसे लेखा, आंकड़ा शोध और इसी प्रकार की अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है तो दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से इसे मानना होगा और इस पर होने वाले खर्च को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर बांटा जाएगा।
10. बोर्ड का कार्यस्थल भ्रमण :
 - (ए) बोर्ड नियमित अंतराल पर कार्यस्थल का भ्रमण करेगा और महत्वपूर्ण निर्माणकार्यों के समय और किसी पक्ष द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर नियोक्ता व संविदाकार के प्रतिनिधियों से मिलेगा। सहमति न बन पाने पर कार्यस्थल भ्रमण का समय बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।
 - (बी) कार्यस्थल की बैठकों में कार्य के निर्माण की स्थिति के बारे में अनौपचारिक विचार- विमर्श किया जाएगा और उसके बाद कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। इन दोनों में नियोक्ता व संविदाकार के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
 - (सी) यदि किसी पक्ष या बोर्ड द्वारा अनुरोध किया जाता है तो नियोक्ता बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा और इसे पक्षों के पास उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित किया जाएगा।
11. विवादों को बोर्ड के पास संदर्भित करने की प्रक्रिया :
 - (ए) यदि कोई पक्ष अन्य पक्ष द्वारा किसी कार्रवाई को करने या न करने पर आपत्ति उठाता है तो आपत्ति उठाने वाला पक्ष इस विवाद की नोटिस दूसरे पक्ष को देगा जिसमें वह नोटिस दिए जाने में अनुकरण किए गए संबंधित खण्ड का उल्लेख और विवाद के आधार का स्पष्ट व विस्तृत विवरण देगा।
 - (बी) विवाद की नोटिस प्राप्त करने वाला पक्ष इस पर विचार करेगा और इसकी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर उत्तर देगा।
 - (सी) यह उत्तर जब तक कि उत्तर प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उत्तर देने वाले पक्ष के विरुद्ध लिखित अपील न कर दी जाए, अंतिम व निर्णायक होगा। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को मामले का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि इस विवाद को बोर्ड की सहायता के बगैर सुलझाया नहीं जा सकेगा, कोई भी पक्ष इस विवाद पर बोर्ड की संस्तुति के लिए भेजने का लिखित अनुरोध करते हुए बोर्ड के पास संदर्भित कर सकता है, व अन्य पक्ष के पास यह बताते हुए कि यह संबंधित खण्ड के अनुसरण में हैं, भेज सकता है।

- d) The Request for recommendation shall state clearly and in full detail the specific issues of the dispute to be considered by the Board.
- e) When a dispute is referred to the Board, and the Board is satisfied that the dispute requires the Board's assistance, the Board shall decide when to conduct a hearing on the dispute. The Board may request that written documentation and arguments from both parties be submitted to each Board Members before the hearing begins. The parties shall submit insofar as possible agreed statements of the relevant facts.
- f) During the hearing, the Contractor and the Employer, shall each have ample opportunity to be heard and to offer evidence. The Board's Recommendations for resolution of the dispute will be given in writing, to the Employer and the Contractor as soon as possible, and in any event not more than 28 days after the Board's final hearing on the dispute.

12. Conduct of Hearings:

- a) Normally hearing will be conducted at the Site, but any location that would be more convenient and still provide all required facilities and access to necessary documentation may be utilised by the Board. Private sessions of the Board may be held at any location convenient to the Board.
- b) The Employer and the Contractor shall have representatives at all hearings.
- c) During the hearings, no Board Member shall express any opinion concerning the merit of any facet of the case.
- d) After the hearing are concluded, the Board shall meet privately to formulate its

Recommendations. All Board deliberations shall be conducted in private, with all individual views kept strictly confidential. The Board's recommendations, together with an explanation of its reasoning shall be submitted in writing to both parties. The Recommendations shall be based on the pertinent contract provisions, applicable laws and regulations, and the facts and circumstances involved in the dispute.

The Board shall make every effort to reach a unanimous Recommendation. If this proves impossible, the majority shall decide, and the dissenting member any prepare a written minority report for submission to both parties.

- 13. If during the contract period, the Corporation and the Contractor are of the opinion that the Dispute Resolution Board is not performing its functions properly, the Corporation and the Contractor may together disband the Disputes Resolution Board. In such an event, the disputes shall referred to Arbitration straightaway.

- (डी) संस्तुति के अनुरोध में बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले विवाद के विशेष मुद्दे का स्पष्ट व विस्तृत विवरण दिया जाएगा।
- (ई) जब किसी विवाद को बोर्ड को संदर्भित किया जाता है और बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस विवाद के लिए बोर्ड की सहायता आवश्यक है तो बोर्ड निर्णय करेगा कि इस विवाद की सुनवाई कब की जाए। सुनवाई प्रारंभ किए जाने से पहले बोर्ड दोनों पक्षों से लिखित दस्तावेजों और बहस को प्रत्येक बोर्ड सदस्य के पास प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्ष जहां तक संभव हो संबंधित तथ्यों के सहमत कथनों को प्रस्तुत करेंगे।
- (एफ) सुनवाई के दौरान संविदाकार व नियोक्ता दोनों को सुने जाने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के भरपूर अवसर दिए जाएंगे। विवाद के समाधान के लिए बोर्ड की संस्तुतियां नियोक्ता व संविदाकार को लिखित रूप में यथासंभव शीघ्रतिशीघ्र और किसी भी दशा में विवाद पर बोर्ड की अंतिम सुनवाई के 28 दिनों के भीतर दी जाएंगी।
12. सुनवाई का संचालन :
- (ए) सामान्यतया सुनवाई कार्य स्थल पर संचालित की जाएगी, परंतु बोर्ड, सुविधा की दृष्टि से बेहतर व सभी आवश्यक सुविधाएं और आवश्यक कागजातों की सुलभता उपलब्ध हो सकने वाले किसी भी अन्य स्थान का उपयोग कर सकता है। बोर्ड के व्यक्तिगत सत्रों के आयोजन के लिए बोर्ड अपने लिए सुगम किसी भी स्थान का प्रयोग कर सकता है।
- (बी) सभी सुनवाईयों के दौरान नियोक्ता व संविदाकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
- (सी) सुनवाई के दौरान बोर्ड का कोई भी सदस्य मामले के किसी भी पहलू के गुणदोष के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा।
- (डी) सुनवाई पूरी हो जाने के बाद संस्तुतियों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड व्यक्तिगत रूप से बैठक करेगा। बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सभी विचारविमर्श निजी तौर पर किए जाएंगे जिसमें व्यक्त समस्त व्यक्तिगत विचारों को नितांत गोपनीय रखा जाएगा। बोर्ड की संस्तुतियां व उनके कारणों की व्याख्या दोनों पक्षों को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी। यह संस्तुतियां संविदा के लागू प्रावधानों, प्रयोज्य विधि व विनियमों और विवाद में शामिल तथ्यों व परिस्थितियों पर आधारित होंगी।
- बोर्ड सर्वसम्मत संस्तुति पर पहुंचने का हरसंभव प्रयास करेगा। यदि यह असंभव सिद्ध होता है तो बहुमत का फैसला निर्णायक होगा और यदि कोई सदस्य असहमत है तो वह सदस्य दोनों पक्षों को प्रस्तुत करने हेतु एक लिखित अल्पमत रिपोर्ट तैयार करेगा।
13. यदि संविदा अवधि के दौरान निगम और संविदाकार की राय होती है कि विवाद समाधान बोर्ड अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है तो निगम व संविदाकार मिलकर विवाद समाधान बोर्ड को भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवादों को सीधे आर्बीट्रेटर के पास संदर्भित किया जाएगा।

The Corporation and the Contractor shall jointly sign a notice specifying that the Board shall stand disbanded with effect from the date specified in the notice. The notice shall be posted by a registered letter with AD or delivery of the letter, even if he refuses to do so.

निगम व संविदाकार संयुक्त रूप से एक नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से बोर्ड को भंग किए जाने का विनिर्देश होगा। इस नोटिस को, भले ही वे ऐसा करने से इंकार करें, पावतीयुक्त या पत्र-सुपुर्दगी वाली रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाएगा।

ADDENDUM :

Clause Ref. no.	Existing Clause	Revised Clause
7.9.3(II)	If the cumulative total period of all such suspension exceeds 30 days the contractor shall, in addition, be entitled to compensation for the period of suspension beyond 30 days as mentioned in the schedule A. However, the contractor shall submit with in 10 days his claim to the engineer- in- charge for every 15 days of suspension, over and above 30 days.	If the cumulative period of all suspension (s) exceeds 30 days, the Contractor shall, in addition, be entitled to compensation for the period of suspension beyond initial 30 days, in respect of wages for the employees and workers, idling charges for plants, machineries and equipments, etc. physically available at the site. However, the Contractor shall, at the earliest within a maximum period of 15 days, from the date of suspension, submits its claims to the Engineer-in-charge, for every 15 days of suspension, over and above the initial 30 days period of suspension, along with all documentary evidence available in respect of the employees, workmen, plants machineries and equipments remaining idle during such period of suspension. In this regards, the Engineer-in-charges shall after giving an opportunity of being heard to the Contractor, assess, calculate, decide and settle the claims so submitted by the Contractor and that the decision of Engineer-in-charge shall, in this regards, be final and binding upon the contractor.
11.3.2	For Contract (s) where completion period as stipulated in NIT of Work Order is less than and up to 12 (twelve) months and where there is a delay which is attributed to the corporation, due to which the period of the contract exceeds 12 months, the contract price adjustments is applicable for the extended period (for example, where the original contract period is 10 months, and there is extension for 3 months, than adjustment is payable for one month e.i. 13 th month only). However, the subscript value of “O” defined in 11.3.4 above shall be the indices of the month in which the mid period (50% in terms of days) of the extended contract period falls on.	For Contractor (s)..... However, the subscript value of “O” defined in 11.3.4 above shall be the indices of the month in which the mid period (50% in terms of days) of the original contract period falls on.

अनुशेष

[illegible]

Clause Ref. no.	Existing Clause	Revised Clause
15.1.1	The Contractor shall provide in the joint names of the Corporation and the Contractor. Insurance cover from the date of commencement of work to the end of the defects liability period. The contractor is liable to take Contractor's all risk policy for whole Contract value. The insurance amount shall also covered third party liability to the extent, if any as specified in schedule A. In addition to this the contractor shall also take workmen Compensation Policy for Workmen.	The Contractor shall provide in the joint names of the Corporation and the Contractor, insurance cover from the date of commencement of work to the end of the defects liability period. The contractor is liable to take Contractor's all risk policy for whole Contract value. A part from Contractor's all risk policy, the Contractor shall also take insurance policy to cover third party liability for 10% of the contract value subject to maximum of Rs. 50 Lakhs. In addition to this the contractor shall also take workmen compensation Policy for workmen.
Sl. No. 17 of Sch. A Against Clause 7.9.3.	Compensation for suspension (entire work) beyond 30 days (per day rate) : Rs...../ Days	Deleted
Sl. No. 24 of Sch. A Against Clause 15.1.1	Amount of third party liability to be covered in Insurance Rs.	Deleted
15.5 of NIT	Attendance at the Pre-bid meeting is mandatory for all the bidders.	Attending the pre-bid meetings is in the interest of bidders to understand the scope of work of the tender. It is insisted upon that bidders shall attend the pre-bid meetings. However, in case the bidders do not attend the per bid meetings, it would be presumed that they have understood the scope of work.

क्लोज संदर्भ सं.	वर्तमान क्लोज	संशोधित क्लोज
15.1.1	संविदाकार कॉर्पोरेशन एवं ठेकेदार के संयुक्त नाम पर कार्य आरंभ तिथि से लेकर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड तक बीमा उपलब्ध कराएगा। संविदाकार पूर्ण निविदा हेतु संविदाकार की समस्त जोखिम कवर करने वाली पॉलिसी लेने हेतु जिम्मेदार होंगे। बीमा राशि हेतु कुछ सीमा तक थर्ड पार्टी जिम्मेदारी होगी, अनुसूची –ए में निर्देशानुसार यदि कोई हो तो। इसके अतिरिक्त संविदाकार वर्कमैन हेतु कामगार क्षतिपूर्ति नीति का भी प्रावधान रखेगा।	संविदाकार कॉर्पोरेशन एवं ठेकेदार के संयुक्त नाम पर कार्य आरंभ तिथि से लेकर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड तक बीमा उपलब्ध कराएगा। संविदाकार पूर्ण निविदा हेतु संविदाकार की समस्त जोखिम कवर करने वाली पॉलिसी लेने हेतु जिम्मेदार होंगे। बीमा राशि हेतु कुछ सीमा तक थर्ड पार्टी जिम्मेदारी होगी। संविदाकार की समस्त जोखिम नीति के अलावा, संविदाकार अनुबंधित मूल्य के 10 प्रतिशत हेतु थर्ड पार्टी बीमा देयता हेतु कवर भी लेगा, जो कि अधिकतम रु-50,00000/-लाख होगी। इसके अतिरिक्त संविदाकार वर्कमैन हेतु कामगार क्षतिपूर्ति नीति का भी प्रावधान रखेगा।
क्लोज 7.9.1 हेतु अनुसूची ए का क्रम सं. 17	30 दिनों (दर प्रति दिन) से अधिक के स्थगन (संपूर्ण कार्य) हेतु क्षतिपूर्ति: रुपये /दिन।	हटा दिया
क्लोज 15.1.1 हेतु अनुसूची ए क्लोज 7.9.1 हेतु अनुसूची ए का क्रम सं. 17 क्रम सं. 24	बीमे में कवर थर्ड पार्टी देयता की राशि रु... ..	हटा दिया
एनआईटी का 15.5	प्री-बिड मीटिंग में सभी बिडकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है।	निविदा के कार्य क्षेत्र को समझने हेतु प्री-बिड मीटिंग में उपस्थित रहना बोलीकर्ता के हित में है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्री-बिड मीटिंग में भाग लें। तथापि यदि बिडर्स मीटिंग में भाग नहीं लेते तो यह माना जाएगा कि वे कार्य की प्रकृति को समझ चुके हैं।